खण्ड-280, अंक-5
बुधवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(4 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४१५

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री

केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित ,श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जय राम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल , श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी

रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन , श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन , श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दूर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमणे आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री

शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ मार्च, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ महापालिका में श्री ए० पी० जैन द्वारा अभियन्ता (ड्रेनेज) का चार्ज लेना

**१—सर्वश्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर), राम सागर (जिला जौनपुर), जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर), मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़), रामधारी शास्त्री, (जिला देवरिया), इन्द्र लाल (जिला नैनीताल), नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं), गोस्वामी राधा कृष्ण (जिला बांदा) तथा गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

क्या यह सत्य है कि नगरमहापालिका, लखनऊ के भूतपूर्व नगर अभियन्ता (सामान्य) जिनके विरुद्ध सी० आई० डी० की जांच के आधार पर अनुशासन की कार्यवाही भी चल रही है और जिनका स्थानान्तरण अन्य अभियन्ताओं की भांति पहले आगरा फिर वाराणसी महापालिका को किया गया था, को पुराने आदेशों को रद्द करते हुए भूतपूर्व केयर टेकर सरकार ने एक नया पद सृजित कर ११ फरवरी, १९७० को पुनः लखनऊ में ही नियुक्ति करने के आदेश जारी किये हैं, और यदि हां, तो क्या उन्होंने लखनऊ में वर्तमान सरकार के गठन से पूर्व ही शीघ्रता से अपने पद का कार्यभार बिना मेडिकल बोर्ड का फिटनेस सर्टीफिकेट दिये संभाल लिया है ? यदि हां, को किस के आदेश से ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

जी हां। नगर महापालिका, लखनऊ के नगर अभियन्ता, श्री एम० पी० जैन के विरुद्ध सी० आई० डी० की जांच के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही चल रही थी परन्तु श्री जैन द्वारा दायर की गई रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने दिनांक ६ फरवरी, १९६९ को स्वीकार कर लिया था जिसके फलस्वरूप उक्त कार्यवाही समाप्त हो गई थी। श्री जैन को पहले आगरा व बाद को वाराणसी स्थानान्तरित किया गया था, परन्तु श्री जैन मेडिकल ग्राउन्ड पर अवकाश पर चले गये थे। मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ की संस्तुति पर लखनऊ नगरमहापालिका में नगर अभियन्ता (ड्रेनेज) का पद पुनर्जीवित किये जाने पर शासकीय आदेश दिनांक ११ फरवरी, १९७० द्वारा श्री जैन को पुनः लखनऊ में पोस्ट किया गया है। श्री जैन ने स्थानीय बलरामपुर अस्पताल के अधीक्षक द्वारा दिये गये फिटनेस सार्टिफिकेट को प्रस्तुत करके दिनांक १६ फरवरी, १९७० को लखनऊ नगरमहापालिका में नगर अभियन्ता (ड्रेनेज) के पद पर कार्यभार संभाला है।

**२—सर्वश्री अवधेश कुमार, राम सागर, जगवीर सिंह, मोहन लाल कपूर, त्रिवेणी सहाय, तेजभान सिंह, रामधारी शास्त्री, इन्द्रलाल, नरोत्तम सिंह, राधाकृष्ण गोस्वामी तथा गोपीनाथ दीक्षित—

क्या यह सत्य है कि इस नगर अभियन्ता को पुनः उसके पुराने विभाग का कार्य सौंपा जा रहा है ताकि वह अपने विरुद्ध सारे सबूत आदि नष्ट कर सके और अनुशासन की कार्यवाही को विफल कर सकें, यदि हां, तो क्या शासन इस बारे में निषेद आदेश भेजेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद--

जी नहीं। श्री एम० पी० जैन को लखनऊ में उनके पूर्व विभाग से भिन्न नगर अभियन्ता (ड्रेनेज) के पद का चार्ज दिया गया है।

मैं इस संबंध में एक बात और बतला दूं कि उनका तबादला भी बनारस कर दिया गया है।

श्री अवधेश कुमार--

मान्यवर मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जब अदालत से उनकी बहाली हो गई उसके बाद फिर सी० आई० डी० ने उनके खिलाफ फिर से चार्जेज लगा कर भेजा। उसके संबंध में सरकार ने क्या किया है ?

श्री अनवार अहमद---

अदालत की बहाली के बाद जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। अब सरकार के द्वारा जो उचित कार्यवाही है वह उनके खिलाफ की जाने वाली है।

श्री अवधेश कुमार ---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का यह बयान है कि गौर किया है और देखा जायगा। मैं निश्चित प्रश्न कर रहा हूं। टेक्निकल ग्राउन्ड्स के ऊपर वह न्यायालय से छोड़े गये। आपको न्याय विभाग ने यह उचित राय दी कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। वह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ? यह एक निश्चित सवाल है और विचार किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिये।

श्री अनवार अहमद---

गौर करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। अभी जल्दी ही उनकी रिट का फैसला हुआ है और जल्दी ही उस पर गौर किया जायगा।

श्री मोहनलाल कपूर---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह स्थानान्तरण हमारे प्रश्न भेजने के बाद हुआ या पहले ही किया गया था ?

श्री अनवार अहमद---

उसके बाद हुआ है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापलिका में जो नया स्थान क्रिएट किया गया है वह नगरमहापालिका के प्रस्ताव के द्वारा हुआ है अथवा मुख्य नगर अधिकारी ने कर दिया है ?

श्री अनवार अहमद---

इस बात की सूचना मंगवानी पड़ेगी, तब इसको बतला सकूंगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब उक्त अधिकारी के विरुद्ध सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अनुसार इतने गंभीर आरोप थे तो उनको अविलम्ब सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ? उसमें क्या दिक्कत थी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री ने इसका जवाब दे दिया है कि इसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री इन्द्रलाल---

जब उनका ट्रांसफर हो रहा था तब यह समय-समय पर मेडिकल लीव पर रहे । जब-जब वह स्वस्थ नहीं थे और रोगी घोषित होते रहे तो क्या उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अनवार अहमद---

जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि अब वह इस काबिल हैं कि काम कर सकें । इसलिए उनको कम्पलसरी रिटायर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अवधेश कुमार---

मैं स्वायत शासन मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि न्यायालय से जैन साहब का फैसला कब हुआ ?

श्री अनवार अहमद---

उन्होंने दो रिट दायर की थीं । एक रिट तो उनकी नगर महापालिका द्वारा मुअत्तली के संबंध में थी और दूसरी रिट इसके पश्चात् दायर की गई थी । पहले नगरमहापालिकाओं की सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड नहीं थीं । सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज रूल्स के अन्तर्गत नगरमहापालिकाओं को उनको सजा देने का अधि कार नहीं रहा । इस कारण हाई कोर्ट ने फैसला उनके फेवर में कर दिया । दूसरी रिट का फैसला ६ फरवरी, १९६९ को हुआ था ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न को पूछा है उनको कम से कम एक प्रश्न पूछने का मौका तो मिलना ही चाहिए । श्री राम सागर , श्री त्रिवेणी सहाय ने प्रश्न पूछा था । उनको कम से कम प्रश्न तो पूछने दें, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---

६---७ प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जब उन्होंने एक प्रश्न किया है तो उनको एक प्रश्न पूछने का अधिकार तो होना ही चाहिए ।

तारांकित प्रश्न

अकबरपुर–शाहगंज सड़क पर तमसा नदी का पुल

*१---श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद) तथा श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि अकबरपुर (फैजाबाद) से शाहगंज जाने वाली सड़क पर अकबरपुर में तमसा नदी बर बना पुल बिलकुल जर्जर हो गया है और उसके किसी भी समय गिर जाने पर भारी दुर्घटना होने का भय है, जिसके बारे में विभागीय अधिकारियों ने भी बराबर सरकार को लिखा है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)---

अकबरपुर (फैजाबाद) में तमसा नदी पर बने पुल के गिर जाने का कोई भय नहीं है ।

श्री प्रियदर्शी जेटली---

क्या सार्वजनिक मंत्री को यह मालूम है कि पिछले २ सालों से पुल को साखू के पत्तों से जोड़ा जा रहा है ?

श्री धर्म सिंह---

ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि पहले जो गर्डर्स का पुल था, उसकी मरम्मत की गयी है और उसके लिए धन इत्यादि भी दिया गया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना सरकार के पास भेजी गयी है वह किस अधिकारी की जांच के आधार पर भेजी गयी है और उस अधिकारी का क्या डेजिनेशन है ?

श्री धर्म सिंह---

मान्यवर, जो सरकार के पास प्रश्नों के उत्तर आते हैं वे तो मुख्य अभियन्ता के यहां से आते हैं। मुख्य अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता से रिपोर्ट मांगते हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से इस बात की जानकारी करना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता ने जो रिपोर्ट भेजी है क्या वह ओवरसियर की रिपोर्ट के आधार पर है ? वह ओवरसियर एक नीचे की डिग्री का ओवरसियर है और कुछ जानकारी नहीं रखता है। क्या मंत्री जी इस मामले में जांच करायेंगे, क्योंकि वह पुल बड़े ही महत्व का है और वहां पर इस पुल के न होने से खतरा पैदा होने की आशंका है ?

श्री धर्म सिंह---

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है मैं पूरे तरीके से यह समझता हूं कि वह ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनकी इनफार्मेशन के लिहाज से पुनः मैं इसकी जांच कराऊंगा।

एक सदस्य---

मैं माननीय सार्वजनिक मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वे इस तथ्य की जांच करायेंगे कि पुल में साखू के पत्ते लगे हैं या नहीं ?

श्री धर्म सिंह---

जैसा कि माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं मैं इसकी भी जांच कराऊंगा।

बांदा जिले मे सड़कों का निर्माण

*२---श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पंचवर्षीय योजना में जिला बांदा में कितनी सड़कों के निर्माण की योजना है और नरैनी क्षेत्र में कोई सड़क ली है या नहीं ? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्मसिंह---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों तथा पुलों के पूरे प्रस्ताव अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुये हैं।

श्री हरवंश प्रसाद--

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ये प्रस्ताव कब तक पूरे हो जायंगे ?

श्री धर्म सिंह--

वैसे तो कुछ प्रस्ताव बने हुए हैं। उन पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जायगा।

श्री रामवचन यादव--

क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की छः सड़कों के लिए १ करोड़ २४ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है ?

श्री धर्म सिंह--

यह सूचना फिलहाल नहीं है। चतुर्थ योजना के अन्तर्गत जितना भी अनुमान सड़कों और पुलों का है उस पर पुनर्विचार होगा और देखना पड़ेगा।

बस्ती जिले में बढ़नी-तुलसीपुर व सोहरतगढ़-देवरुवा सड़कों में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*३--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तराई क्षेत्र विकास योजना के अधीन बनाई गई बढ़नी-तुलसीपुर सड़क के निमित्त ग्राम घरूवार व मलगहिया की भूमि सरकार द्वारा कब एक्वायर की गई और उसका मुआवजा अब तक भूमि स्वामियों को मिला या नहीं?

श्री धर्म सिंह--

प्रश्नगत सड़क के लिए भूमि नवम्बर, १९६३ में ले ली गई थी। उसकी अध्याप्ति के सम्बन्ध में औपचारिक कार्यवाही की जा रही है। मुआविजा अभी तक नहीं दिया जा सका है।

*४--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

सोहरतगढ़-देवरुवा सड़क के निमित्त सरकार द्वारा ग्राम देवरुवा, पिकौरा व मदरहिया की भूमि कब एक्वायर हुई और उसका मुआवजा कब अदा हुआ ?

श्री धर्म सिंह--

नवम्बर १९६३ में भूमि ली गई। अभी मुआवजा नहीं अदा किया जा सका है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर दोनों प्रश्न एक ही प्रकार के हैं। जो प्रश्न मैं कर रहा हूं वह दोनों को ही कवर करेगा। इतनी देर होने का कारण क्या है और जितनी देर हो रही है मुआविजा देने में तो क्या सरकार उसका सूद देगी ?

श्री धर्म सिंह--

मुझे खेद है कि समय पर मुआवजा नहीं दिया गया जो कि देना चाहिए था। लेकिन जो पत्रावली देखी उससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कोई लापरवाही की गयी है। मैंने आदेश दे दिये हैं कि पूरे मामले की जांच करायी जाय और उसके बाद जो रिपोर्ट आयेगी तब निर्णय लिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जैसा मैंने निवेदन किया कि देर हो रही है तो क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कितनी और देर लगेगी मुआवजा डिटिरमिड करने में और सारी कार्यवाही पूरा करने में ?

श्री धर्म सिंह---

मैंने अभी कहा कि इसमें जांच करवाई जा रही है। कितना समय लगेगा यह बतलाना कठिन है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन सड़कों के सम्बन्ध में सवाल है वह अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं और जो जमीन ली गयी है उसका कितना रकबा है और उसके कौन-कौन स्वामी हैं ?

श्री धर्म सिंह---

स्वामियों की तो सूची नहीं है। लेकिन ४६.२१ एकड़ भूमि एक जगह है और ३२.७३ एकड़ भूमि दूसरी जगह है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मेरे प्रश्न के दूसरे अंश का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि जितनी देर लग रही है तो क्या उतनी देरी के लिए सरकार सूद देगी ?

श्री धर्म सिंह---

इस पर भी मुआवजा देते समय विचार कर लिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी अपने मातहत अफसरों को यह हिदायत देंगे कि महीना, पन्द्रह दिन के अन्दर जांच पूरी करके मुआविजा दे दिया जाय ?

श्री धर्म सिंह---

१६ जुलाई, १९६६ को विशेष आदेश भेजे गये हैं कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी जितने मुआवजे के मामले हैं उनका कम्पेन्सेशन इत्यादि दे दिया जाय।

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में नक्शों व खसरों में गलतियां

*५---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में जो नवीनतम खेतों के नक्शे खसरे आदि बने हैं उनमें अनेकों अशुद्धियां हैं जिसके कारण जनता में परेशानी है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)---

कुछ जिलों में गत अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत बनाये गये नक्शे खसरे आदि में कुछ अशुद्धियां पाई गई हैं जिन्हें दुरुस्त करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसके कारण जनता में कोई विशेष परेशानी नहीं है।

*६---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गलत नक्शे एवं खसरे आदि के कारण गढ़वाल मंडल में कितने मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री रामकिंकर---

प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार के सात मुकदमें इस समय चल रहे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

वे कौन-कौन से जिले हैं जहां के नक्शे तथा खसरों में अशुद्धियां पायी गयी हैं और वे अशुद्धियां किस प्रकार की हैं ?

रामकिंकर—

गलतियां तो नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा जिले में नक्शा और खसरे में पायी गयीं लेकिन वह कोई गम्भीर गलतियां नहीं हैं। और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। केवल गढ़वाल जिले में १८९ प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में दिये गये जिनमें से १८२ मुकदमों का निपटारा हो गया केवल ७ रह गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

नक्शे और खसरों में जो अशुद्धियां हैं वह इसीलिये हुई हैं कि वह मौके पर नहीं बनाये गये, क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

गलतियां क्यों हुईं यह तो नहीं बताया जा सकता है लेकिन अगर जैसा आप बताते हैं उस ढंग से हुई हैं तो जरूर देखा जायगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि तुरन्त करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तो वह नियमानुसार कार्यवाही क्या है, किस तरह से की जा रही है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गलतियों को दुरुस्त करने के जो नियम हैं उस ढंग से की जा रही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

इन व्यापक अशुद्धियों का कोई विशेष कारण था या वैसे ही हो गयीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गलतियां हो गयीं। अब कोई विशेष कारण था या वैसे ही हो गयीं यह मैं कैसे बता सकता हूं ?

श्री इन्द्रलाल—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि गलतियां हुई हैं और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, तो जिन्होंने ऐसी अनियमित कार्यवाही की है उनके विरुद्ध शासन क्या स्टेप उठा रहा है और जो ७ मुकदमें चल रहे हैं उनका उत्तरदायित्व किस के ऊपर है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कार्यवाही हो उसी समय पता चलेगा कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया कि खेतों के नक्शे में अशुद्धियां हुई है किन्तु इसके कारण जनता में परेशानी नहीं है, तो इन अशुद्धियों के बावजूद भी जनता में परेशानी न होने का उनके पास क्या आधार है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हम तो इसी परिणाम से देखते हैं कि १८९ मुकदमें कुल दायर हुये और १८२ फैसल हो गये, ७ बाकी हैं। इससे अन्दाज लगता है कि जनता में बहुत परेशानी नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नकशों में यह किस प्रकार की अशुद्धियां हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

इसमें सूचना चाहने का सवाल नहीं है, यह बताना तो मुश्किल ही होगा कि नकशों में किस तरह की अशुद्धियां हैं ।

हरिजनों के पट्टे खारिज करना

*७---श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संविद सरकार के कार्यकाल में दिये गये इस आशय के आदेश कि तीन साल के अन्दर किये गये ग्राम समाज की जमीन के अवैधानिक पट्टों की जांच कर खारिज किये जाने के परिणाम स्वरूप जितने पट्टे खारिज किये गये उनमें से कितने पट्टे ऐसे हरिजनों के थे जिनके पास या तो कोई भूमि नहीं है या ६ १/४ एकड़ से कम है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जांच के परिणाम स्वरूप ९६,८८४ मुकदमों में पट्टे खारिज किये जा चुके हैं। इनमें से ५,५३४ पट्टे ऐसे हरिजनों के हैं जो भूमिहीन या ६ १/४ एकड़ से कम जोत वाले थे।

श्री उदित नारायण---

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस आदेश के अनुसार यह पट्टे खारिज किये गये थे क्या उस आदेश के बाद कुछ और आदेश दिये गये थे कि यदि ऐसी गलतियां भूमिहीन हरिजन किसानों की पायी जायं तो कोई कार्यवाही उनके खिलाफ सरकार की तरफ से नहीं की जायगी ?

श्री राम किंकर---

यह तो इस वक्त मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या आदेश गये थे लेकिन जो लोग दोषी पाये गये उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री उदित नारायण---

श्रीमन्, मैंने यह जानना नहीं चाहा था कि कार्यवाही की गई या नहीं , मैं यह जानना चाहता था कि क्या जिनके पट्टे नाजायज करार दिये जा रहे हैं और जो वास्तव में भूमिहीन हरिजन हैं उनको भूमि दिलाने की कोशिश करेंगे और दूसरे क्या आइन्दा के लिये यह आदेश देंगे कि इस तरह के पट्टे सरकार की ओर से खारिज न कराये जायं । ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जो पट्टे खारिज हुये हैं वे वही हैं जो नियम के अन्तर्गत नहीं पाये गये, जो कानूनन खारिज हुये उनका ठीक कराना तो कानून के अन्तर्गत ही हो सकता है और जो भूमिहीन हैं उनको फिर से अगर कानूनी ढंग से दिये जा सकते हैं तो देंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी जानकारी करायेंगे कि जो पट्टे खारिज हुये हैं वे ज्यादातर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के ही हैं जिनके पास जमीने थी और जो गांव समाज की जमीनें लिखाये थे उनके बहुत कम संख्या में खारिज हुये हैं ? क्या इस की जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जिन पट्टों पर कार्यवाही हुई उनकी संख्या ९६,८८४ है और खारिज हुये हैं कुल ५,५३४ इस तरह से कुल संख्या को देखते हुये तो खारिज होने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं मालूम होती ।

श्री महीलाल—

मैंने तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का पूछा था, अधिकतर भूमिहीन लोगों के ही हुये हैं उनके नहीं हुये हैं जिनके पास पहले से जमीन थी। क्या मंत्री जी इस तरह की जांच विशेष रूप से करायेंगे उन तमाम जिलों में जहां ज्यादा पट्टे खारिज हुये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मूल प्रश्न हरिजनों का था उसके विषय में तो हमें स्पष्ट जानकारी है लेकिन अगर भूमिहीन खेतिहर लोगों के अनियमित रूप से खारिज हुये है तो उनकी जरूर जांच की जायेगी।

श्री उदित नारायण—

अभी उत्तर में बताया गया है कि जो पट्टे खारिज हुये हैं वे ज्यादातर भूमिहीनों के या हरिजनों के हैं तो क्या मंत्री जी इस तरह का आश्वासन देंगे कि आइन्दा उनके कैनशिलेशन की कार्यवाही नहीं की जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पट्टों के खारिज होने के अधिनियम में कुछ नियम हैं उनके अन्तर्गत जो खारिज हो सकते हैं वे होगे और दूसरे तरीके से उनको नहीं दिये जा सकते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर हरिजनों की या भूमिहीनों की ये जमीने हैं, और किसी तकनीकी नुक्स के कारण पट्टे खारिज हो गये हैं, तो माननीय राजस्व मंत्री जी को क्या आपत्ति है कि उन्ही लोगों को फिर से पट्टे दे दिये जायं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यदि नियमानुसार दिये जा सकेंगे तो अवश्य दिये जायेंगे।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे नियम बनायेंगे, जिनसे हरिजनों व भूमिहीनों को पट्टे या जमीनें मिल सकें ?

श्री श्रीपति मिश्र—

भूमिहीनों और हरिजनों को जो पिछड़े हैं, उनको जमीनें मिलें, इस विषय में हमारा यह विचार है कि जो भी संभव होगा वह करेंगे।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

जो पट्टे नियमानुकूल नहीं पाये गये, उन्हे खारिज कर दिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पट्टे फर्जी पाये जाते हैं क्या कुछ ऐसे भी पट्टे खारिज किये गये हैं, या खारिज किये जा सकते हैं ? साइट पर वह आदमी नहीं है जैसा कि हमारे जिले बहराइच में है १२ साल के लड़के जिसके बाप के नाम से पट्टा हुआ है उसका विवाह भी नहीं हुआ, फर्जी पट्टा दिखा दिया गया है तो इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको आप कोर्ट में ले जायें ?

श्री पारसनाथ सिंह—

मैंने जिलाधीश को लिखा था लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

सरकार की ओर से कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है। क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की वह जमीन जो उनसे निकली हुयी है उन्हीं को देने के लिये कोई अविलम्ब कानून बनाने जा रहे हैं या नियम बनाने जा रहे हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो जमीन निकली है वह ऐसी जमीन निकली है जो अनियमित थी वह चाहे हरिजनों की हो या अन्य किसी की हो। वह जमीन नियमों के अन्तर्गत दी जायेगी। जो हरिजन प्रार्थना-पत्र देंगे उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। जिन माननीय सदस्यों को आप पहचानते हैं उन्हीं का नाम आप पुकारते हैं। मैं बार-बार खड़ा होता हूं, आप मुझे नहीं पुकारते। मेरा नाम जान लीजिये—एक बार जान लेने से यह सदन कभी मेरे नाम को भूलेगा नहीं। मेरा नाम है—भाभी। (हंसी)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारने के उपरान्त)

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो गरीब हरिजन घूस नहीं दे पाये उनके सही पट्टे भी खारिज कर दिये गये? क्या सरकार इसकी जांच कराके जो गलत तरीके से पट्टे खारिज किये गये हैं उनको दुरुस्त करवायेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

पट्टों की जांच के आदेश इसीलिये हुये थे कि जो गलत पट्टे हुये हैं, गलत तरीकों से जो लोगों ने भूमि पर कब्जा कर रखा है, वह जमीन उनसे निकाली जाय और जो जमीन निकले वह सही लोगों को मिले।

श्री उदित नारायण—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह नियम बनाया गया था तो इसकी मंशा यह थी कि जिन लोगों के पास भूमि है और फिर भी गलत तरीके से उन्होंने ले ली है, उनसे निकाल ली जाय। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ वह यह हुआ कि जो भूमिहीन व हरिजन थे उनकी भी जमीन निकल गई? तो क्या मंत्री जी के लिये यह संभव होगा कि इस नियम को इस तरह से संशोधित कर दें कि भूमिहीनों और हरिजनों के पट्टे कैंसिल न हों और उन्हें सरकार की तरफ से भूमि मिल जाय?

श्री श्रीपति मिश्र—

जैसा कि मैंने पहले बताया कि ९६,८८४ मुकदमों के पट्टे खारिज किये जा चुके हैं, जिसमें ५ हजार के करीब हरिजनों के पड़ते हैं। इसके बाद आपका सुझाव है कि हरिजनों और भूमिहीनों के बारे में कोई नियम बनाया जाय जिससे उनके पट्टे खारिज न हों, तो आपका सुझाव स्वागत योग्य है और मैं उसको देखूंगा।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पट्टों की भी जांच इसके अन्तर्गत कराई गई जो इस अवधि के अन्दर नहीं आते रहे और जायज भी थे, लेकिन केवल लोगों को परेशान करने के लिये ऐसा किया गया? क्या इसकी जानकारी करके सरकार उनको उनकी भूमि वापस कराने की कृपा करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो मुकदमें अदालत में चल रहे हैं उनको वापस लेने का प्रश्न हमारी तरफ से तो पैदा होता नहीं है।

वस्ती जिले में फर्जी बैनामों की जांच

*८—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६८-६९ में बस्ती जिले में कुल कितने फर्जी बैनामे होने की सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुई है? उनमें से कितने बैनामों के मुकदमें कायम करके पुलिस द्वारा जांच की गयी है और कितने बाकी हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस अधिकारियों को ८ फर्जी बैनामों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से तफतीश के बाद ३ में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई तथा २ में चार्जशीट दाखिल की गई। शेष ३ मामलों में तफतीश जारी है।

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे ४-४ प्रश्न आए हैं, किन्तु एक का भी उत्तर नहीं आया है। मैं जानकारी चाहता हूं कि यह परम्परा कब तक चलेगी कि प्रश्नकर्त्ता को पहले समय पर उत्तर न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब तो यह आपका ही प्रश्न हम ले रहे हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की सभी तहसीलों में हाकिम परगना के यहां ऐसी बरख्वास्तें पड़ी हुई हैं जिनमें फर्जी बैनामा करा लिया गया है और मुकदमा न लड़ने के कारण उनकी डिग्री करा ली गई है और मुकदमे को अधिक दिनों तक टाला गया....।

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

जब तक मुकदमों का फैसला न हो जाय तब तक मुकदमे की तफतीश जारी रहे?

श्री श्रीपति मिश्र—

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कारण से मुकदमों की तफतीश विलम्ब से की गई जिससे जो मुकदमें फर्जी दाखिल खारिज के कोर्ट में चल रहे हैं उनका फैसला हो जाय तो फिर उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाय?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह तो भावना की बात है। भावना की बात हम नहीं बता सकते कि क्या थी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार को इन फर्जी बैनामों की जानकारी कब प्राप्त हुई और जिन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई उनका विवरण क्या था ? जिसमें इन लोगों को फाइनल रिपोर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सवाल जब हुआ तब इसका पता लगाया ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सरकार की नोटिस में आया कि फर्जी बैनामे हुए, क्या सरकार यह बात समझती है कि फर्जी बैनामे का मतलब है कि जिसकी मिल्कियत है उसने बैनामा नहीं किया किसी दूसरे ने बैनामा कर दिया और असली मिल्कियत वाले को उससे महरूम होना पड़ा, अगर यह समझती है तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही भविष्य में करने जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह फर्जी बैनामा करने की बात है, इसमें जो पब्लिक करती है वह कर सकते हैं । हम इसमें क्या कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह एक व्यवस्था का सवाल है । सरकार के सामने यह मामला है कि किसी को चीट किया जाय, धोखा दिया जाय, तो सीधे-सीधे पुलिस को इसमें दस्तंदाजी जुर्म कायम करके तफ-तीश करनी चाहिये । सरकार का जवाब है कि वह इसमें कुछ मदद नहीं कर सकती, पब्लिक की ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति इस संबंध में क्या है जिससे फर्जी बैनामे रोके जा सके ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह))--

इस सिलसिले में कानून स्पष्ट सिविल और क्रिमिनल बने हुए हैं । फर्जी बैनामा है, तो जिस आदमी का इन्टरेस्ट प्रभावित होता है उसका फर्ज है कि वह दीवानी में जाय । अगर क्रिमिनल केस बनता है तो क्रिमिलन केस में जाय । इसमें यही गवर्नमेंट की नीति है जो हर गवर्नमेंट की रही है ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती जिले की कौन-सी तहसील है जहां पर यह फर्जी बैनामे किये गये हैं ?

श्री रामकिंकर--

तहसील तो नहीं बता सकता । मौजा परसा, डुमरियागंज का एक मामला है, जिगनिया गांव का नव्वागाड़ा का मामला है और खलीलाबाद का भी मामला है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

जिगनिया और थरुआपुर किस सहसील में हैं ?

श्री अध्यक्ष--

परीक्षा मत लीजिए ।

श्री सुखपाल पांडेय--

उन्होंने तहसील नहीं स्पष्ट की है ।

श्री अध्यक्ष--

वह बस्ती के हैं नहीं । आप बताइए कि तहसील कौन सी है ।

श्री सूखपाल पांडेय--

तहसील हरैया है ।

क्या फर्जी बैनामों की रोकथाम के लिये राजस्व मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इसका जवाब दे दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

दुख की बात है कि किसी दल का नेता बार-बार खड़ा हो और उसको एक प्रश्न पूछने का मौका न दिया जाय । जब छींटाकशी की जाय और उसको एक प्रश्न पूछने का मौका न दिया जाय । जब छींटाकशी की जाय तब आप सुनते हैं । वैसे सुनते नहीं हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के नोटिस में फर्जी बैनामें की बात आयी । माननीय मुख्य मंत्री ने यह जवाब दिया कि सिविल नेचर का मामला है । लोग अपने तयीं अदालत में जायं । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो समाज में कमजोर वर्गों में हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिये कि उनको फर्जी बैनामों के कारण बेदखल न किया जाय इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री की क्या नीति है ?

श्री चरण सिंह--

जनतन्त्र में इस तरह के मामले अदालतों में ही तय होते हैं । गवर्नमेंट एग्जिक्युटिव आर्डर से इन मामलों में दखल नहीं दे सकती । जहां दो मालिकों में झगड़ा है, कानून बना हुआ है, उसको अदालत तय करेगी । गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती । कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है । हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ भी होगा । जो गरीब लोग हैं, सिविल प्रोसीजर कोड और कानून में दिया हुआ है, उनकी कोर्ट फीस बगैरह माफ हो जाती है अगर वह मुफलिस होंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

माननीय मुख्य मन्त्री जी तजुर्बेकार हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर फर्जी मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जाय तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिये उपाय करें । १ या २ मुकदमें हों तो वे जा सकते हैं किन्तु इस प्रकार संक्रामक रोग की तरह से अदालत में कैसे जा सकते हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

फर्जी मुकदमों को रोकने के लिये पहले से कानून बना हुआ है । इसका उपाय बहुत पहले से मौजूद है ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)--

जब इस किस्म की बीमरी हमारे जिले में फैली हुई है तो उसको रोकने के लिये क्या मन्त्री महोदय ऐसा आदेश जारी करेंगे कि बैनामा करने वाले तथा लिखने वाले का फोटो उस दस्तावेज लगाया जाय जिससे यह भ्रष्टाचार रुके ?

श्री श्रीपति मिश्र---

बैनामा के लिये रजिस्ट्री विभाग में नियम बने हुये हैं जो सोच समझकर बनाये गये हैं। उनके परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इन गरीब लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर ही इस तरह के फर्जी बैनामे होते हैं। वे बेचारे खर्च नहीं कर सकते हैं तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं ऐसे मामलों में पुलिस की तरफ से हस्तक्षेप होता है ताकि जिन लोगों ने फर्जी बैनामे किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

श्री चरण सिंह---

यह बहुत सीधी-सी बात है। फर्जी बैनामे तो दो तरह के हो सकते हैं। एक आदमी ने दूसरे की जायदाद को बेच दिया तो जिसकी जायदादा है वह कोर्ट में जाय। दूसरे की कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एक यह होता है कि धोखा देकर किसी ने दस्तखत करा लिये और उसने यह कहा कि फर्जी है तो यहां भी वही कोर्ट में जाय। इसमें अगर आप पुलिस को अख्तयार देंगे तो इतनी शिकायत बढ़ जायगी जिसका ठिकाना नहीं होगा। रेगुलर केस सिविल या रेन्वेयू कोर्ट में जायगा। गरीबी की तो इस देश में सीमा नहीं है। गरीबों के लिये भी कोर्ट फीस की माफी है। अगर मुफलिसों के लिये मेहनताना भी मिलता हो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस का इन्तजाम करे तो उसको बहुत रुपया बजट में रखना होगा जो मुमकिन नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी पिछले प्रश्न के ऊपर हमारे दल के माननीय नेता ८,१० बार खड़े हुये लेकिन उनकी तरफ आपकी निगाह नहीं गयी। आपने जो यह रवैया आज अपनाया है उसके प्रोटेस्ट में हम एक नया ढंग अपनाने जा रहे हैं कि आज के प्रश्नोत्तर काल में जनसंघ के सदस्य खड़े नहीं होंगे ताकि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित हो।

श्री अध्यक्ष---

वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आज के दिन जमसंघ की ओर से प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

मेरठ जिले में मुरादनगर कोंच–रावली सड़क के निर्माण की स्वीकृति

*६---श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में एक सड़क मुरादनगर कोंच से रावली ग्राम होती सराना के लिये सार्वजनिक विभाग द्वारा मंजूर हो चुकी है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्म सिंह---

जी हां। यह आशा की जाती है कि भूमि अध्याप्ति हो जाने पर कार्य ३ वर्ष की अवधि में पूरा हो सकेगा।

श्री ईश्वरदयाल त्यागी---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्म सिंह--

इसकी स्वीकृति भेज दी गयी है ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी--

इसमें तीन वर्ष की अवधि लगने का क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह--

जब कोई सड़क इत्यादि बनती है तो आमतौर से उसके बनने में इतना समय लगता ही है ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या यह ठीक है कि यह सड़क मौके पर हर जगह ६० फीट है लिहाजा उसके लिये कोई जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है ?

श्री धर्म सिंह--

यह ४ मील और ४ फर्लांग है जिसके लिये अनुमानित लागत ९ लाख १० हजार के करीब है और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है कि वस्तुस्थिति मौके पर क्या है ।

श्री प्यारे लाल--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ग्राम रावली में ६० फुट मौके पर मौजूद है लेकिन २०० एकड़ जमीन उसके लिये ली जा रही है और इस प्रकार उपजाऊ जमीन को बरबाद किया जा रहा है ? तो क्या उस जमीन को बचाने के लिये जहां ६० फुट मौजूद है वहां से सड़क निकाली जायगी ?

श्री धर्मसिंह--

माननीय सदस्य यदि लिख कर देंगे तो मैं इसकी छानबीन करा लूंगा क्योंकि इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी--

इस सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुये क्या इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयत्न कराया जायगा ?

श्री धर्म सिंह--

प्रयत्न तो यही रहता कि हर मामले में शीघ्रता की जाय । अब और आदेश दिलवा दूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको पूरा किया जाय ।

मुरादनगर क्षेत्र में सड़कें बनवाने की मांग

*१०--श्री ईश्वर दयाल त्यागी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ के मुराद नगर क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी सड़कें कहां से कहां तक मंजूर हो चुकी हैं ?

श्री धर्म सिंह--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मेरठ के मुरादनगर क्षेत्र में अभी किसी भी सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

क्या माननीय मंत्री जी को मालम है कि मुरादनगर सड़कों से बिल्कुल शून्य है तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क रखी गयी है ?

श्री धर्म सिंह---

जैसा मैंने निवेदन किया इस बात पर विचार करेंगे ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

क्या इस चीज का सर्वे करा कर माननीय मंत्री आदेश देंगे कि कुछ सड़कें इसमें समावेश हो जायं ?

श्री धर्म सिंह---

सर्वे आदि तो होगा ही और आदेश भी तभी दिये जा सकते हैं जब पहले कु छ निर्णय लिये जायं । जहां तक इसका सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीय योजना को लेते समय इन बातों पर विचार किया जायगा ।

मजदूरों को रेगुलर अधिष्ठान में लेने का आदेश

*११---श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि रोजाना मजदूरी पर अरसा जायद तीन साल के मजदूरों को रेगुलर बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह---

दिनांक १ मार्च, ६८ तक मरम्मत तथा मेन्टेन्स का काम करनेवाले जिन वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को ३ वर्ष से अधिक हो चुका था, उन्हें रेगुलर अधिष्ठान में लेने के आदेश जुलाई, १९६८ में हो चुके हैं ।

श्री अनीसुर्रहमान---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे स्थायी किये जाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ?

श्री धर्म सिंह---

जो आदेश जुलाई, १९६८ में भेजे गये हैं उनमें ९ हजार के करीब व्यक्ति हैं ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

यह जो मंत्री जी ने ९ हजार की लिस्ट बताई है तो पिछले मंत्री जी ने जो सम्पूर्ण कर्मचारियों के बारे में बात की थी उसमें से इतने कर्मचारी स्थायी हुये हैं और बाकी के लिये क्या आप विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह---

यह बात सही है । हम विचार कर रहे हैं और जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता है उस पर निर्णय करते चले जा रहे हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस आदेश के बाद कितने कर्मचारी मुस्तकिल किये जा चुके हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री धर्म सिंह---

यह तो वर्क जार्जड के लोग थे उनको रेगुलर में लाने के लिये आदेश हुये थे।

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, मेरा सवाल यह है कि कितने कर्मचारी थे और आदेश जारी होने के बाद कितने कर्मचारी मुस्तकिल कर दिये गये और कितने बाकी हैं ?

श्री धर्म सिंह---

मान्यवर, इस प्रदेश में दो मेंटीनेंस में १६,९०० और कंस्ट्रक्शन में ३,५६३ के करीब हैं। इस तरह से कुल बीस हजार के करीब थे। जिनकी सरविस तीन साल या इससे ज्यादा है, उसके आधार पर जो लिस्ट और निर्णय किया गया है वह १३,५१८ है जिनमें से ९ हजार व्यक्ति ले लिये गये हैं।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, भुवाली द्वारा सैनिकों को भूमि

*१२---श्री इन्द्रलाल---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि उनके विभाग (अ) द्वारा दिनांक ८ अप्रैल, १९६५ ई० को जी० ओ० नं० १२-ए०एन०-५९-ए०एन०-१९६२ से समस्त नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं को यह आदेश भेजे गये थे कि उनके बोर्डों के अन्तर्गत समस्त नजूल भूमि सर्व प्रथम भूतपूर्व सैनिकों के आवास हेतु दी जाय ? यदि हां, तो जिला नैनीताल में इस आदेश के अनुसार किन-किन बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को अब तक कितनी भूमि दी जा चुकी है ?

श्री अनवार अहमद---

शासनाज्ञा संख्या १२८ एन/नो-क-५८ एन०-६२, दिनांक ८ अप्रैल, १९६३ द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को यह आदेश जारी किये गये थे कि सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को अपने मकान बनाने हेतु भूमि स्वीकृत करने में यथा सम्भव प्राथमिकता दी जाये और साथ ही शासन ने पूर्ण आशा व्यक्त की थी कि स्थानीय निकायें इस सम्बन्ध में शासन को सहयोग देंगीं। जिला नैनीताल में केवल नोटीफाइड एरिया कमेटी, भुवाली द्वारा ४ भूतपूर्व सैनिकों को ३,४२० वर्ग गज भूमि तथा ३ सैनिकों को १८१० वर्ग गज भूमि दी गई है।

श्री इन्द्रलाल---

१९६३ में यह आदेश चला गया था तो भुवाली की जो नोटीफाइड एरिया है उसकी मेहरबानी रही। लेकिन क्या मंत्री जी मेरी सूचना पर जांच करायेंगे कि समस्त जिले के अन्तर्गत नगरपालिकायें और टाउन एरिया हैं उनमें सैनिकों को जमीन न दी जाकर दूसरे लोगों को दी गई है ?

श्री अनवार अहमद---

जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ है। जो जमीन दी गई है वह सैनिकों के परिवारों को दी गई है। अगर ऐसी बात है तो सरकार अवश्य जांच करायेगी।

श्री इन्द्रलाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं निवदन करूंगा कि जिले में कई नगरपालिकायें और टाउन एरिया ऐसी हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों को जमीन नहीं दी गई है। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। १९६३ के आदेश के बाद भी अन्य लोगों को जमीनें दी गई हैं। इस आधार पर मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि किन-किन लोगों को भूमि दी गई है ?

श्री अनवार अहमद—

अगर ऐसा हुआ है और माननीय सदस्य जानकारी में लायेंगे तो सरकार अवश्य ध्यान देगी।

श्री इन्द्रलाल—

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कई नगर पालिकायें तथा टाउन एरिया ऐसे हैं जहां पर भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों को जमीनें नहीं दी गयी हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि दूसरे व्यक्तियों को जमीनें दी गयी हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस आधार पर जांच करायेंगे कि किन-किन लोगों को यह भूमि दी गयी और कितनी भूमि दी गयी ?

श्री अनवार अहमद—

अगर ऐसी कोई बात माननीय सदस्य हमारी जानकारी में लायेंगे तो अवश्य उस ओर ध्यान देंगे और कार्यवाही की जायगी।

*१३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

आजमगढ़ कलेक्टरी में हरिजन

*१४—श्री बनारसी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ कलेक्टरी कचहरी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें हरिजनों में की संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०१ पर)

हंडिया तहसील में भूमि संबंधी फर्जी परवानों की जांच

*१५—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माल मन्त्री कृपया करायेंगे कि क्या इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में सहायक चकबन्दी अधिकारी उग्रसेनपुर उर्फ बीबीपुर के यहां से काश्तकारों के सैकड़ों एतराज प्रार्थना-पत्र गायब अथवा लापता हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। सहायक चकबन्दी अधिकारी उग्रसेनपुर उर्फ बीबीपुर के यहां से काश्तकारों के कोई भी ऐतराज गायब अथवा लापता नहीं हुये हैं। अतः सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या माल मन्त्री जी जांच करवाकर बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में फर्जी व जाली परवानों के आधार पर गांव सभा की भूमि पर कई व्यक्तियों ने अपने नाम सीरदारी दर्ज करा ली है ? यदि हां, तो कितने जाली परवाने कितनी भूमि के सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों के नाम से जारी हुये हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां। आवश्यक सूचना संलग्न है। सम्बन्धित लोगों के नाम भूलेखों से खारिज कर दिये गये हैं। प्रभावित भूमि का कब्जा ग्राम सभा को पुनः दे दिया गया है। मामला पुलिस को जांच हेतु सुपुर्द कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६०२-६०४ पर)

हंडिया व फूलपुर तहसीलों के हैन्ड पम्पों में खराबी

*१७---श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद की हंडिया व फूलपुर की तहसीलों के अन्तर्गत पिछली गर्मी में कुल कितने हाथ पम्प किन-किन गांवों में लगे और उनमें से किन-किन गांवों में कितने हाथ पम्प ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

हंडिया तहसील में २६४ हैंड पम्प लगाये गये थे। गत नवम्बर के अन्त में जांच से पता चला कि १०५ हैंड पम्प खराब थे। फूलपुर तहसील में ३३ हैंड पम्प लगाये गये थे जिनमें से २६ खराब थे। गांववार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०५-६१० पर)

हंडिया व फूलपुर तहसीलों में पेयजल योजना

*१८---श्री राजितराम पांडेय तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इलाहाबाद की हंडिया व फूलपुर तहसीलों में पेय जल हेतु कोई स्थाई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां तो कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री अनवार अहमद---

जी हां, हंडिया तहसील की एक योजना और फुलपुर तहसील की दो योजनायें बन चुकी हैं। फूलपुर की एक योजना की प्राबिधिक (Technical) स्वीकृति भी हो चुकी है। बाकी दो योजनाओं की प्राविधिक जांच हो रही है। धनाभाव के कारण अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इन-इन योजनाओं का कार्य कब शुरू किया जा सकेगा।

जटिया मुहल्ला, देहरादून से हरिजनों को हटाना

*१९---श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)---

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जटिया मोहल्ला इन्द्रेश नगर, देहरादून के आदि निवासी हरिजनों को उनके मकानों को भूमि से क्यों बेदखल किया जारहा है ?

श्री अनवार अहमद---

जटिया मोहल्ला इन्द्रेश नगर देहरादून की मलिन बस्तियों को समाप्त करके उनके स्थान पर आवास एवं विकास परिषद् द्वारा ७२ नये मकानों का निर्माण कराया जा रहा है।

*२०---श्री शमीम आलम---

क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उपरोक्त भूमि के बारे में हरिजन निर्माण एवं विकास समिति, देहरादून द्वारा उठाई हुयो आपत्तियों एवं सुझावों को मंजूर करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

उपरोक्त भूमि के बारे में हरिजन विकास एवं निर्माण समिति, देहरादून द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यथा समय सहानुभूतिपूर्वक विचार करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

*२१-२२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[२ रे मंगलवार के प्रश्न सं० ८०-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२३—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

ईसन नदी पर मकनपुर घाट का पुल बनवाने की मांग

*२४—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि कानपुर जिलान्तर्गत तहसील बिल्हौर के मुख्य गांव मकनपुर में ईसन नदी पर पुल नहीं है तथा लगातार कई सालों से नदी में डूबने से मौतें हो रही हैं और इस वर्ष भी विगत ३ अगस्त को ३ मौतें हो चुकी हैं ?

*२५—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिलान्तर्गत तहसील बिल्हौर के मुख्य गांव मकनपुर घाट पर नदी का पुल न होने के कारण होने वाली मौतों से बचाव के लिये इसी वर्ष मकनपुर में पुल बनवा देने का कष्ट करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२६—२७—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

बस्ती जिले में खेसरहा क्षेत्र के कुछ गांवों को चकबन्दी में न लेना

*२८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के चकबन्दी क्षेत्र खेसरहा के ग्राम करवहा एवं ओरहिया मझरिया जिन्हें कि चकबन्दी में नहीं लिया गया है क्या उन ग्रामों में सरकार चकबन्दी कराने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम गरवहा एवं औरहिया मंझरिया की अधिकांश भूमि बरार नदी की बाढ़ एवं कटान से प्रभावित हैं तथा ऊसर, बंजर कल्लर और रेहार भी अधिक है। अतः इन ग्रामों को चकबन्दी योजना में सम्मिलित करना उचित नहीं है।

हल्द्वानी–फतेहपुर मोटर मार्ग को निर्माण विभाग में देने पर विचार

*२९—श्री इन्द्र लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता द्वारा माह मार्च, १९६९ में क्षेत्र विकास समिति, हल्द्वानी के पारित प्रस्ताव के साथ अपनी यह संस्तुति शासन को प्रस्तुत की थी, कि हल्द्वानी से फतेहपुर तक मोटर रोड जो कैनाल विभाग के पास है उसे पी० डब्लू० डी० विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाय ? यदि हां, तो शासन से इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म सिंह—

हल्द्वानी से फतेहपुर तक मार्ग को सिंचाई विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में समिति हल्द्वानी का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जिले में खरीफ की फसल को क्षति तथा प्रधान, गांव सभा, नरायनपुर द्वारा गैर कानूनी पट्टे देना

*३०—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माल मंत्री को जानकारी है कि निरन्तर वर्षा के कारण जिला प्रतापगढ़ में धान के अतिरिक्त खरीफ की अन्य सभी फसलें शत-प्रतिशत नष्ट हो गई है? सरकार प्रभावित कृषकों की क्या सहायता करने जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*३१—श्री जयराम यादव—

क्या माल मंत्री को जानकारी है कि प्रधान गांव सभा, नरायनपुर, विकास खण्ड, मगरोरा एस० के० सकिल महुली, जिला प्रतापगढ़ ने सन् १९६४-६५ में गैर कानूनी तरीके से बड़े-बड़े काश्तकारों को पट्टे कर दिये हैं? यदि हां, तो उन पट्टों को मंसूख करने की क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

चेयरमैन तथा बख्शी, टाउन एरिया कमेटी, फरीदनगर के विरुद्ध कार्यवाही

*३२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरीदनगर मेरठ टाउन एरिया कमेटी के वर्तमान चेयरमैन तथा बख्शी के विरुद्ध गम्भीर आरोप गबन तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित इसी वर्ष प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री अनवार अहमद—

शासन को वर्ष १९६९ में टाउन एरिया कमेटी फरीदनगर, जिला मेरठ के चेयरमैन तथा बख्शी के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन पर जिलाधीश, मेरठ के द्वारा जांच कराई गई थी। जांच से विदित हुआ था कि इन शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें सही थी। तत्कालीन चेयरमैन ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। बख्शी को टाउन एरिया की सेवा से निवृत करने के लिए वर्तमान चेयरमैन को जिलाधीश के द्वारा आवश्यक परामर्श दिया गया है।

डोईवालापुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*३३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि देहरादून के जिलाधीश की प्रेस कान्फरेंस में दिनांक ३१ जुलाई, १९६९ को स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के डोईवालापुर (देहरादुन) के कर्मचारियों पर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाय हैं? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री धर्म सिंह—

जी हां, पुलिस अधीक्षक, देहरादुन ने डोईवालापुर के सोंग पुल के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों पर टोल की चोरी करने के आरोप जिलाधीश की ३१-७-१९६९ को प्रेस कान्फ्रेंस में लगाये थे। विभाग द्वारा पूर्णरूप से जांच करने पर यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाये परन्तु स्टाफ पर शक होने के कारण वहां के सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

*३४-३५—श्री कृष्ण स्वरूप—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*३६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया), श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़) तथा श्रीमती मसाली देवी (जला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि १९६९ के मास अगस्त-सितम्बर में जो भीषण बाढ़ प्रदेश में आई उसकी रोकथाम तथा सहायता के लिये सरकार द्वारा प्रति जिला कितना-कितना रुपया व्यय किया गया है?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६११-६१३ पर)

मेरठ जिले में सेठों के फार्म

*३७—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ शहर के सेठ बनारसी दास, सेठ पृथ्वी नाथ, कारखानेदार सलीम आदि तथा मोदीनगर, मेरठ के सेठ भोदी व सकौती, जिला मेरठ के मिल, मालिक, सिम्हावली मिल के मालिक व मवाना मिल के मालिक के पास कितने एकड़ के फार्म हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित सेठों के नाम भूमि निम्नलिखित हैं:—

	एकड़
(१) सेठ बनारसी दास	५७०.४०
(२) सेठ पृथ्वी नाथ	११४.३४
(३) कारखानेदार सलीम	१६.४७
(४) सेठ मोदी	२९.७०
(५) सेठ सकोती शुगर मिल	शून्य

शिकोहाबाद में पी० डब्ल्यू० डी० रोड साइड पर मकान बनाने की शिकायत

*३८—श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी) तथा श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी जनपद के किसी विधायक ने दिनांक ४ जून, १९६९ को अधिशासी अभियन्ता (पी० डब्ल्यू० डी) मैनपुरी को इस आशय का कोई शिकायती-पत्र दिया था कि जिले के शिकोहाबाद नगर में पी० डब्ल्यू० डी० रोड साइड कन्ट्रोल

नियमों के विपरीत कुछ लोग अवैधानिक रूप में मकान बनवा रहे हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां। शिकोहाबाद नगर में पी० डब्लू० डी० रोड अभी तक यू० पी० रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत नियन्त्रित क्षेत्र घोषित नहीं हुई है, अतः वहां मकान बनाना उपरोक्त ऐक्ट के अन्तर्गत अवैध नहीं है। इस कारण भवन बनाने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

विकास खण्ड परीक्षितगढ़ में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*३९—श्री मंजूर अहमद—

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि मेरठ जिले की तहसील मवाना के अन्तर्गत विकास खण्ड परीक्षितगढ़ में काबिल काश्त बंजर आराजी का क्षेत्रफल क्या है ? तथा उपर्युक्त आराजी में से कितनी पर अनधिकृत कब्जा है तथा उसके हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

विकास खंड परीक्षितगढ़ में ७ ३३१ एकड़ काबिल काश्त बंजर आराजी है। इसमें १,८६२ एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा है जिसको नियमित रूप से हटाये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

चकबन्दी अधिकारी, बरहज द्वारा निर्णीत मुकदमे

*४०—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र के वर्तमान सी० ओ० और ए० सी० ओ० का स्थानान्तरण क्षेत्रीय जनता की शिकायत पर जिला चकबन्दी अधिकारी ने किया परन्तु जिलाधीश ने उसे स्थगित कर दिया ? स्थानान्तरण करने तथा स्थगित करने का क्या कारण रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र के वर्तमान चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण देवरिया जिले के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने नहीं किया था और न जिलाधीश ने उसे स्थगित ही किया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*४१—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सी० ओ० की अवधि में कितने मुकदमे दाखिल हुए एवं कितना सी० ओ० ने स्वयं फैसला किया और कितने मुकदमें को सी० ओ० के दफ्तर से दूसरी जगह स्थानान्तरित किया इसका क्या कारण रहा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

चकबन्दी अधिकारी, बरहज के न्यायालय में वर्ष १९६८-६९ में कुल मुकदमों की संख्या ३,८१४ थी जिनमें से चकबन्दी अधिकारी ने उसी वर्ष कुल ३,४४९ मुकदमों का फसला किया चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय से कोई मुकदमा दूसरी जगह स्थानान्तरित नहीं किया गया।

इलाहाबाद जिले के लिये सिंचाई योजनाएं

*४२—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिला सूखाग्रस्त जिला घोषित है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वहां कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें लागू कर के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को राहत देने का विचार कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

गत वर्ष जुलाई तक इलाहाबाद जिला सूखा से प्रभावित था। पिछली बरसात अच्छी होने के कारण जिले में सूखे की स्थिति नहीं है।

इलाहाबाद जिले के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ६१४-६१७ पर)

फूलपुर तहसील में हरिजन बस्तियों में हैंडपाइप

*४३—श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि सूखाकाल १९६९ में फूलपुर तहसील के कितने गांवों में हरिजनों की बस्तियों में हैण्डपाइप लगाये गये? क्या उन गांवों का नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र—

पिछली गर्मियों में फूलपुर तहसील के गावों की हरिजन बस्तियों में हैंड पम्प लगाये गये। उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६१४-६१७ पर)

सीतापुर तथा बहराइच जिलों में भूमिहीनों के लिए भूमि

*४४—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के भूमिहीनों को भूमि देने के लिये सरकार सीतापुर-बहराइच उपनिवेशन योजना लागू करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*४५—श्री रामपूजन पटेल तथा हरिवंश सहाय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त दोनों जिलों में कितनी एकड़ भूमि ऐसी है जो सरकार के पास से भूमिहीनों को दी जा सकती है?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम सभा व सीलिंग की भूमि जिला सीतापुर में १४,४२१.८३ एकड़ उपलब्ध है तथा बहराइच में ५१,६५९.६१४ एकड़ उपलब्ध है।

सीतापुर तहसील में हरिजनों को दी गई भूमि

*४६—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला सीतापुर की तहसील सीतापुर में कुल कितने एकड़ जमीन चकबन्दी होने के बाद ग्राम समाज में छोड़ी गयी व कितनी जमीन सीलिंग से सरकार को प्राप्त हुई? क्या उस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को दिया गया है? यदि हां, तो सरकार क्या यह भी जानकारी देने की कृपा करेगी कि किस ग्राम समाज को कितनी-कितनी जमीन किन-किन हरिजनों को दी गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

तहसील सीतापुर में गांव सभाओं को चकबन्दी योजना से १८,२९०.३९ एकड़ भूमि प्राप्त हुई तथा सीलिंग से सरकार को ७७३.९२ एकड़ भूमि प्राप्त हुई। दोनों प्रकार की भूमि में से ३०५.३० एकड़ भूमि हरिजनों को दी गई है।

हरिजनों को वितरित की गई भूमि से सम्बन्धित सूची बहुत ही लम्बी है तथा उसकी एक ही प्रति उपलब्ध है। जो माननीय सदस्य देखना चाहें, उसे मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

खलीलाबाद तहसील में मृत भगवत प्रसाद, लेखपाल का वेतन तथा पेंशन

*४७—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद तहसील, जिला बस्ती में २८ अक्टूबर, १९६७ में एक लेखपाल भागवत प्रसाद की मृत्यु ड्यूटी जाते समय मोटर दुर्घटना से हो गयी है? अब तक उक्त लेखपाल का बकाया वेतन तथा पेंशन नहीं दिया गया? यदि हां तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

श्री भगवत प्रसाद लेखपाल मृत्यु के पहले चकबन्दी विभाग में कार्य कर रहे थे जहां वे बहुधा छुट्टी पर रहे। उनके छुट्टी संबंधी कागजात चकबन्दी विभाग से १९६९ में प्राप्त हुए परगनाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा छुट्टी स्वीकृत होने के बाद बकाया वेतन का बिल ४-६-६९ को महालेखाकार को स्वीकृतार्थ भेजा गया है। पेंशन के कागजात बकाया वेतन के भुगतान के उपरान्त तैयार किये जा सकेंगे क्योंकि सर्विस बुक तभी उपलब्ध हो सकेगी।

टाउन एरिया कमेटी, बेसवां जिला अलीगढ़ को सड़क अनुदान

*४८—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी, बेसवां, जिला अलीगढ़ को रोडग्रांट के लिए वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया तथा उस रुपये से बेसवां में क्या निर्माण-कार्य किया गया?

श्री अनवार अहमद—

वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में टाउन एरिया, बेसवां को कुल २५,००० रुपये का सड़क अनुदान (५,००० रुपये का साधारण और २०,००० रुपये का विशेष) स्वीकृत किया गया था। उस रुपये में से अब तक केवल सड़क निर्माण सामग्री क्रय करने पर १०,५०० रुपया व्यय हुआ है। निर्माण-कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। उसके लिए निविदायें (Tenders) मांगे गये हैं।

*४६—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट—

क्या यह सही है कि उक्त निर्माण-कार्य व्यय में काफी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततायें हैं ? क्या सरकार उसका स्पेशल आडिट कराने की कृपा करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है इसलिये स्पेशल आडिट कराने का प्रश्न अभी नहीं उठता । यदि कोई शिकायत इस प्रकार की मिली तो आवश्यक जांच तुरन्त कराई जायगी ।

बस्ती जिले में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*५०—श्री रामकरन तथा श्री सुखपाल पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की ६ तहसीलों में कुल कितनी-कितनी जमीन सीलिंग से निकली ? उन जमीनों में से कितनी जमीन भूमिहीनों को दी गयी कितनी जमीन संस्थाओं को दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला बस्ती की प्रत्येक तहसील के संबंध में सूचना निम्नलिखित है:—

तहसील का नाम	शासन के अधिकार में आई भूमि (एकड़)	भूमिहीनों को दी गई भूमि (एकड़)	संस्थाओं को दी गई भूमि (एकड़)
बांसी ..	२९५.०१	४७.००	..
बस्ती ..	३३५.१७	११०.०६	१७.६२
हरैया ..	५१२.७४	१८७.००	६०.४७
खलीलाबाद ..	२१६.१३	१०.२९	..
डुमरियागंज ..	७७८.३१	१४२.७२	..
नौगढ़ ..	१,१७३.१७	२८५.३९	२४.०१
योग ..	३,३१०.५३	७८२.४६	१०२.१०

*५१—श्री रामकरन तथा श्री सुखपाल पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम पंचमोहनी तथा देवाइचा पार परसा, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में सीलिंग से ११० बीघा जमीन निकली है ? यदि हां, तो वह जमीन ग्राम सभा के भूमि हीनों के प्रार्थना-पत्र पर न देकर भूमि वालों को दी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गांव पंचमोहनी तप्पा देवाइचपार परसा, तहसील डुमरिया गंज, जिला बस्ती में कुल ११३ बीघा ११ बिस्वा भूमि सीलिंग से निकली है । इसमें से १७ बिस्वा ५ बिस्वांसी भूमि आबादी है। शेष ११२ बीघा १३ बिस्वा १५ बिस्वांसी भूमि को भूमिहीनों को देने की स्वीकृति दी गई है। भूमि वालों को भूमि नहीं दी गई है ।

*५२—श्री रामगोपाल संड—

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गांव पंचायत, निवाजपुर, तहसील पुवायां में पट्टेदार

*५३—श्री उमा शंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर, तहसील पुवायां, परगना खुटार में ग्राम पंचायत, निवाजपुर में तहसीलदार पुवायां ने फरवरी सन् १९६९ में कितने पट्टे किये ? किस-किस के नाम किये और पट्टेदार कहां के निवासी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

तहसीलदार पुवायां ने १८५ पट्टे किये । शेष सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आग पृष्ठ ६१८-६२२ पर)

*५४—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्ता का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनकि निर्माण विभाग, फतेहगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*५५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायतों पर सरकार ने १९६९ के प्रारम्भ से ३१ अगस्त, १९६९ के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या-क्या आरोप थे और किस अधिकारी द्वारा कब जांच कराई गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म सिंह—

अधिशासी अभियंता, सा० नि० विभाग, फतेहगढ़, के विरुद्ध भ्रष्ट तरीकों से धन कमाने, ठेकेदारों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करने, अपने पद का दुरुपयोग करने, विभागीय गैंग तथा सरकारी कर्मचारियों से निजी काम लेने, सरकारी धन व जीप का दुरुपयोग करने, जाली मस्टररोल बनाने, दफ्तर से गैरहाजिर रहने, कार्यों में अनियमितता तथा गड़बड़ी करने आदि की मुख्य शिकायतें थीं ।

इन आरोप की जांच अधीक्षण, अभियंता, द्वितीय वृत्त, आगरा तथा भ्रष्टाचार निरोध समिति द्वारा की जा रही है। जांच अभी चल रही है।

फर्रुखाबाद जिले में संता नाले पर पुल बनवाने की मांग

*५६—श्री मरहम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में शृंगी ऋषि आश्रम, शृंगी रामपुर व च्यवन ऋषि आश्रम, चियासर के बीच एक खत्ता नाला पर पुल न होने के कारण उक्त दोनों तीर्थ स्थानों तथा राजीपुर से कन्नौज के पास तक करीब ८० ग्रामों की जनता को यातायात की विशेष कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उचित जांच कराकर पुल बनवाने संबंधी कार्यवाही पर विचार करेगी ?

श्री धर्म सिंह—

कथित संता नाले पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है।

पौड़ी–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर निर्माण-कार्य

*५७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर निर्माण-कार्य कब आरम्भ हुआ और कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री धर्म सिंह—

जिला गढ़वाल में पौड़ी देवप्रयाग अश्व मार्ग के पौड़ी से खोलाचौरी तक के भाग का सुधार पहले ही किया जा चुका है। खोलाचौरी से देवप्रयाग तक के भाग के पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिये आगणन तैयार किये जा रहे हैं।

पौड़ी, जिला गढ़वाल की पेयजल योजनाएं

*५८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पौड़ी जिला गढ़वाल में सन् १९६९-७० में किस-किस गांव की पेय जल योजना को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार किया गया है। क्या उसमें खड़खोला चेलां और कठूड़ (कोट ब्लाक) की योजनायें भी सम्मिलित हैं ?

श्री अनवार अहमद—

इस वर्ष पौड़ी. गढ़वाल की कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं की गई है लेकिन कुछ योजनाओं को स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इन योजनाओं की सूची संलग्न है। इस सूची में खड़तोला चेंला तथा कठूड़ ग्राम समूह की जल सम्पूर्ति योजनायें भी शामिल हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६२३ पर)

*५९—श्री नगीना सिंह—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया–बिहार की स्थायी सीमा

*६०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश बिहार की स्थायी सीमा के अनुसार बलिया जिला का भेलसन्ड (भरसर) गांव उत्तर प्रदेश राज्य के ही अन्तर्गत है। यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांव के सरकारी कागजात यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार तैयार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्थायी सीमा अभी प्रभाव में नहीं आई है। स्थायी सीमा के अनुसार उत्तर प्रदेश में आने वाले क्षेत्र का रेकार्ड उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार बनने का प्रश्न तभी पैदा होगा जब स्थायी सीमा प्रभावी हो जावे।

*६१—श्री दर्लासिगार—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*६२–६३—श्री मुंशीलाल चमार—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिये गये।]

इलाहाबाद में बलुआघाट पर गन्दा पानी गिरने से रोकने का प्रयास

*६४---श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

सरकार इलाहाबाद के बलुआ घाट में गन्दे पानी को रोकने के लिए कौन से पग उठा रही है? क्या सरकार को ज्ञात है कि हजारों नर-नारी प्रतिदिन यमुना जी में स्नान करते हैं तथा इसका परिणाम उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है ?

श्री अनवार अहमद---

निःसंदेह, दूषित जल के स्नान करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखकर इलाहाबाद में बलुआघाट पर यमुना नदी में गन्दे पानी का गिरना रोकने के लिए चाचरनाला को पक्का कर दिया गया है। इस नाले का गन्दा पानी जालियों (गलीपिट्स) से छनकर भूमिगत नालियों द्वारा गऊघाट, सीवेज पंपिंग स्टेशन पहुंचाने तथा वहां से उसे नदी की दूसरी ओर स्थित सीवेज फार्म में पंप करने की व्यवस्था की गयी है। चाचर नाला में एक जाली सर सुलेमान रोड की पुलिया के नीचे तथा दूसरी महाबीरन गली में लगाई गई है। वर्षा ऋतु और जालियों के बन्द होने की स्थितियों को छोड़कर शेष समय में बलुआघाट पर अब गन्दा पानी यमुना में नहीं गिरता है ।

राबर्टसगंज तहसील में जलपूर्ति पर व्यय

*६५---श्री सूबेदार प्रसाद (मिर्जापुर)---

क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सूखा काल में जनवरी, १९६९ से अगस्त, १९६९ तक जनपद मिर्जापुर की तहसील/राबर्टसगंज के अन्तर्गत एल० एस० जी० ई० डी० द्वारा पेय जलपूर्ति के किन-किन कार्यों पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया ?

श्री अनवार अहमद---

जिला मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज तहसील में जनवरी, १९६९ से अगस्त, १९६९ तक स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा जल सम्पूर्ति कार्यों पर जो धन व्यय किया गया उसका ब्योरा इस प्रकार है---

(१) पाइप लाइन द्वारा	७.०० लाख रु०
(२) कुओं को गहरा करने में	०.१४ लाख रु०
(३) हैण्ड पम्प द्वारा	०.४८ लाख रु०
(४) ट्रकों द्वारा	५.०० लाख रु०
	१२.६२ लाख रु०

*६६---श्री सूबेदार प्रसाद---

क्या मंत्री जी ब्लाक चोपन प्रापर व इसके पूर्वी क्षेत्र-कौन, कचनरवा एवं रामगढ़ अदालत पंचायतों में भी हैण्ड पम्प पाइप लगाने व कुओं को गहरा कराने की किसी योजना पर विचार कर रहे है ?

श्री अनवार अहमद---

जी नहीं ।

संडीला तहसील में जमीन पर नाजायज कब्जेदारों को हटाने की कार्यवाही

*६७--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी), श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़), तथा श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला हरदोई की तहसील संडीला के ग्राम जासू, पिंजरांवा बड़ागांव में इस समय कुल कितनी जमीन गांव सम्पत्ति के रूप में कागजात में है और मौके पर कितनी है तथा कितनी भूमि अनधिकृत रूप से किन-किन लोगों द्वारा कितनी कितनी मात्रा में जोती बोई जा रही है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पूछी गयी सूचना संलग्न है।

नाजायज कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६२४-६२६ पर)

*६८--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद में समावेश के कारण अपास्त]

*६९-७०--श्री भगवती सिंह विशारद--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

श्री सरस्वती इन्टर कालेज, लम्बगांव, टिहरी-गढ़वाल को भूमि का मुआवजा न मिलना

*७१--श्री गोबिन्द सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरस्वती इंटर कालेज लम्बगांव टिहरी गढ़वाल के खेल के मैदान को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब से बस अड्डे के लिए प्रयोग किया जा रहा है?

श्री धर्म सिंह--

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी ओर से सरस्वती इंटर कालेज, लम्बगांव के कथित खेल के मैदान में कोई बस अड्डा नहीं बनाया है ।

*७२--श्री गोविन्द सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त मैदान को अर्जित करने के लिए लैण्ड एक्यूजीशन कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई और संबंधित विद्यालय को इस संबंध में कोई मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह--

जिला टिहरी गढ़वाल में मल्दियाना लम्बगांव सड़क के निर्माण के लिए अध्याप्त की गयी भूमि में से कुछ भूमि स्कूल कमेटी, लम्बगांव के नाम से थी । इस भूमि का ₹३२.३८ रु० मुआवजा सरकारी कोषागार में जमा है। ऐसा मालूम होता है कि जब मुआवजा बांटा गया तो स्कूल कमेटी ने उसे नहीं लिया ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, भुवाली द्वारा मोटरों पर पथकर लेना

*७३--कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवाली नोटीफाइड एरिया कमेटी को सरकार ने प्राइवेट कारों से टोल टैक्स लेने के लिए अधिकृत किया है ? यदि किया है, तो कब से और उसकी क्या दर है ?

श्री अनवार अहमद--

शासन ने नोटीफाइड एरिया कमेटी, भुवाली के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जिसके अनुसार उसको पथकर प्रणाली में लदे हुये अन्य वाहन पर २५ पैसे के बजाय १ रुपया की दर निर्धारित हुई थी । नोटीफाइड एरिया कमेटी इस अन्य लदे हुये वाहन वाली मद के अधीन १ अप्रैल, १९६९ से प्राइवेट मोटर कारों पर १ रुपया प्रति कार की दर से पथ कर लेती है।

*७४--श्री वीरेन्द्र वर्मा-

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

हसनपुर-संभल मार्ग पर पुल निर्माण

*७५--श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की हसनपुर-सम्भल सरकारी सड़क पर हसनपुर, उझारी के बीच नदी का पुल बनवाया गया है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब हुआ और कितनी लागत में तैयार हुआ?

श्री धर्मसिंह--

इस पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है । अतः पुल की वास्तविक लागत अभी नहीं बताई जा सकती है ।

मेरठ जिले में गंगा का कटाव

*७६--कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह--

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगा नदी की धारा से जिला मेरठ के ग्राम भुवा व बेला आदि की जमीनों के कटाव करने से ग्राम जहानाबाद, परगना दारा नगर, जिला बिजनौर में कितनी भूमि बढ़ी है और सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

गंगा नदी की धारा से जिला मेरठ के ग्राम भुवा व बेला की कटी हुई भूमि जिला बिजनौर के परगना दारानगर में स्थित ग्राम जहानाबाद में नहीं बढ़ी है । क्योंकि मेरठ और बिजनौर जिलों की सीमा नदी की घूर धारा नहीं है बल्कि स्थित रेखा है ।

मुरादाबाद तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*७७--श्री रियासत हुसैन--

क्या माल मन्त्री को यह मालूम है कि तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद में ग्राम मुकर्रबपुर और सिहोरावोज में गत वर्ष की बाढ़ में डूबने से तीन आदमियों की मौत हो गई है ? यदि हां, तो क्या उनके वारिसान को मुआवजा दिलाये जाने का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं, बाकी प्रश्न नहीं उठता ।

*७८--श्री रियासत हुसैन--

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बाढ़ पीड़ित ग्रामों को क्या-क्या सहायता एवं सुविधा सरकार द्वारा की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ग्राम मुकर्रबपुर में बाढ़ का पानी केवल एक रास्ते पर फैला था । अति-वृष्टि से कुछ मकान गिरे थे । १५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में दिया गया । वसूली स्थगित कर दी गई । ग्राम स्योहारबाजे में बाढ़ का पानी नहीं आया था । अति-वृष्टि से कुछ मकान गिर गये थे । इस ग्राम में भी वसूली स्थगित कर दी गई । मालगुजारी में राहत दिलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर जिले में भूमिहीनों, मजदूरों का प्रदर्शन एवं मांगें

*७९--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, १९६८ से २० फरवरी, १९६८ तक जिला दलितवर्ग संघ तथा जिला कांग्रेस कमेटी, कानपुर के नेतृत्व में भूमिहीन, खेतिहर मजदूर तथा दस्तकारों के वृहद् प्रदर्शन तहसील तथा जिला स्तर पर किये गये थे? क्या प्रदर्शनकारियों ने मांग-पत्र अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और अधिकारियों ने अपनी संस्तुति के साथ मांगों को सरकार के पास विचारार्थ भेजने का आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो वह मांगें क्या थीं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । ऐसा प्रदर्शन तहसील भोगनीपुर में ३० जनवरी, १९६८ को तहसीलदार के समक्ष हुआ था । उनके मांग पत्र को जिलाधिकारी के माध्यम से आयुक्त, इलाहाबाद को भेज दिया गया था । मांगें संलग्न हैं ।

ऐसे ही प्रदर्शन अन्य तहसीलों में भी हुये थे, परन्तु मांगपत्र नहीं प्राप्त हुए । जिलाधिकारी के निवास पर २०-२-१९६८ को जुलूस आया था । इस जुलूस के मांगपत्र में यह मांगे भी थीं कि किसानों को गाजियाबाद की दर पर महापालिका द्वारा मुआवजा दिया जाय तथा ३०० रु० तक वेतन पाने वालों को राशन दिया जाय । इसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त को भेज दी गई थी ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६२७ पर)

आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*८०--श्री दलसिंगार--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षाकाल में आजमगढ़ जिले में बाढ़ से कितनी क्षति हुई है और आज तक गांव के बाढ़ पीड़ितों को किस तरह मदद की गई है ? वहां कितनी रकम मुफ्त दी गई और कितनी रकम तकावी के रूप में ?

श्री श्रीपति मिश्र--

बाढ़ से मकानों तथा फसलों को लगभग १८,४७,५६७.०० रुपये की क्षति हुई । बचाव कार्य के लिए सरकारी, गांव सभाओं की तथा भाड़े की नावों को उपयोग में लाया गया

३२४४ रोगियों को मुफ्त दवायें दी गईं तथा २५५७ कुओं में दवायें डाली गईं । सहायतार्थ ३०४९ रु० नकद, ११३६५ रु० की वस्तुएं वितरित की गईं । ९५१०४ रु० गृह अनुदान के रूप में निःशुल्क दिया गया । आपदा तकावी के रूप में ४२,५४५ रु० दिया गया ।

*८१—श्री दल सिंगार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला के परगना गोपालपुर में तहसील सगड़ी में कौन-कौन इस बाढ़ से पीड़ित हुये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

८५ गांव पीड़ित हुए जिनकी सूच ा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी ' ा' आगे पृष्ठ ६२८ पर)

बांसगांव तहसील का कथित बटवारा

*८२—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर की तहसील बांसगांव दो भागों में बांटी जा रही है ? यदि हां, तो उसके मुख्यालय कहां-कहां होंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

सहारनपुर जिले में भूमिहीनों की मांगें

*८३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सितम्बर, १९६९ में सहारनपुर के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने गांव समाज की खाली जमीन और पथरी जंगल की बन रहित जमीन को पाने के लिए जलसा, जलूस, सत्याग्रह और भूख हड़ताल की और क्या उन्होंने इस संबंध में कोई मांग-पत्र सरकार को भी दिया है? यदि हां, तो सरकार ने भूमिहीनों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की और अब तक अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

पथरी ब्लाक की जंगल की भूमि मुख्यतः रावलपिंडी के विस्थापित कृषकों एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए वन विहीन की गई थी । नियमानुसार आवंटित भूमि पर काबिज व्यक्तियों के अतिरिक्त अधिकतर भूमि अनधिकृत कब्जेदार के कब्जों में है। उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। गांव सभा की भूमि पर भी अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने का अभियान चल रहा है। भूमि खाली होने पर ही किसी अन्य व्यक्ति को देने का प्रश्न उठेगा ।

रामपुर जिले में कोसी नदी पर पुल की आवश्यकता

*८४—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में कोसी नदी पर स्वार तथा घड़ियाल कस्बों के बीच पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ होगा एवं घड़ियाल और चौखंडी के बीच सड़क निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

श्री धर्म सिंह---

स्वार तथा घड़ियाल कस्बों के मध्य कोसी नदी पर पुल निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है। घड़ियाल-चौखण्डी सड़क स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिए उक्त कार्य को आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में पुल तथा सड़कें बनवाने के संबंध में जानकारी

*८५---श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)---

क्या सरकार की लखनऊ से गोंडा जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली घाघरा नदी पर पुल बनवाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्म सिंह---

जी नहीं।

*८६---श्री सूरज लाल गुप्त---

क्या सरकार की जनपद गोंडा में करनैलगंज से कटरा, कौड़िया महराजगंज होते हुये एक सड़क का निर्माण कर उतरौला-बलरामपुर रोड में शामिल करने की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्म सिंह---

प्रश्नगत सड़क का निर्माण चतुर्थ बंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित होने पर निर्भर है।

बस्ती जिले में घाघरा नदी का कटाव

*८७---श्री सुखपाल पांडेय, तथा श्री रामकरन---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत हरैया तथा बस्ती एवं खलीलाबाद तहसील में कुल कितने गांव की घाघरा नदी के कटाव से कितनी आबादी कटी और कितनी मजरुवा जमीन? उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा उक्त गांव के कटान से कितने रुपये की हानि सरकार को प्रतिवर्ष होती है और कितने रुपये की फसल किसानों की प्रति वर्ष नष्ट हुआ करती है?

श्री श्रीपति मिश्र---

९७ गांवों के ३९९ घर तथा ३,८१८ एकड़ कृषि भूमि १९६९ की बरसात में कट गई। इस कटान से सरकार को ३२,३६५ रु० मालगुजारी की अनुमानित हानि हुई तथा फसल की क्षति का अनुमान लगभग ८,१२,००० रु० है। प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था की गई है। नकद एवं गल्ला आदि के रूप में अहेतुक सहायता वितरित की गई तथा गृहनिर्माण अनुदान दिया गया। विगत वर्षों में भी घाघरा के कटान से हानि हुई। पिछले २ वर्षों में तीनों तहसीलों में कुल ५१ घर तथा २२५ एकड़ कृषि भूमि नष्ट हुई।

*८८---श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन---

क्या राजास्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी के कटाव की रोक-थाम के लिये कोई स्थाई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक और क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र---

कोई स्थायी योजना विचाराधीन नहीं है।

चित्रकूट धाम नगरपालिका, कर्वी के विरुद्ध जांच

*८९—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम नगरपालिका कर्वी-बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध तीन वर्ष से अनवरत चल रही जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो शासन कार्यवाही कब तक समाप्त करेगा?

श्री अनवार अहमद—

जी हां।

यह बताना कठिन है कि कार्यवाही कब तक समाप्त होगी।

इलाहाबाद जिले में जंघई-वारी तथा अन्य सड़कें पक्की करना

*९०—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में सोरांव-फूलपुर-हंडिया रोड से मिलने वाली जंघई-वारी सरकारी रोड को पक्का कराने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सड़क पर कब से कार्य आरम्भ होगा?

श्री धर्म सिंह—

जी हां। अभी निश्चय नहीं है कि इस पर कार्य कब से आरम्भ होगा।

*९१—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में जंघई-उग्रसेनपुर-बरना रोड तथा फूलपुर-महुआ-कोंठी सैदाबाद रोड सरकारी सड़कों को पक्का कब तक करा दिया जायगा?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

फूलपुर तहसील में चन्दरपुर के तालाब पर से सीरदारी हटाना

*९२—श्री राजितराम पांडेय—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद, तहसील फूलपुर में ग्राम चन्दरपुर में चकबन्दी की कार्यवाही के दौरान गांव सभा के तालाब को गांव के लोगों ने सीरदारी बनवा लिया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, इस जनपद की तहसील फूलपुर में ग्राम चन्दरपुर में चकबन्दी के दौरान एक तालाब को एक व्यक्ति द्वारा सीरदारी में दर्ज कराने की शिकायत मिली थी। उक्त तालाब को उस व्यक्ति की सीरदारी से कटवा देने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की गयी तथा सीरदारी के आदेश को निरस्त करके पूर्ववत् तालाब दर्ज कर दिया गया है।

तराई भूमि संबंधी प्रतिवेदन में सिफारिशें

*९३—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री इन्द्रलाल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई की भूमि के सम्बन्ध में जो श्री सनवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है? यदि हां, तो क्या उसको सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत समिति का प्रतिवेदन शासन को मार्च, १९६९ में प्राप्त हुआ था और उस की प्रतियां पिछले सत्र में सभी सदस्यों को वितरित की जा चुकी हैं।

*९४—श्री सजीवन लाल तथा श्री इन्द्रलाल—

क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया है? यदि हां, तो उस पर अमल कब से शुरू होगा और उसकी सिफारिशें मुख्य-मुख्य क्या हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, शासन ने सम्पूर्ण प्रतिवेदन पर विचार कर उसमें उल्लिखित अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। स्वीकार की गई सिफारिशों पर अमल हो रहा है। समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(१) अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त भूमि उसी भांति पट्टे पर उठाई जाय जैसे कि गांव सभा में निहित भूमि पट्टे पर उठाई जाती है।

(२) गांव की आठ प्रतिशत भूमि को नियोजित उपयोग के लिये सुरक्षित रखने की वर्तमान परिपाटी समाप्त कर अधिक से अधिक दस एकड़ भूमि प्रत्येक गांव में इस प्रयोजन के निमित्त सुरक्षित रखी जाय।

(३) ऊसर भूमि केवल उन व्यक्तियों को उठाई जाय जो ऐसी भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये पूंजी लगा सकने की सामर्थ्य रखते हों और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जमींदारी-विनाश अधिनियम की धारा १५४ तथा १९८ द्वारा निर्धारित जोत सीमा के प्रतिबन्ध को शिथिल कर एक व्यक्ति को इस प्रकार की ५० एकड़ तक भूमि दी जा सकने का प्राविधान कर दिया जाय।

(४) राज्य में भूमि पर दबाव अधिक होने के कारण ग्रामीण खेतिहर मजदूरों को खेती से मोड़ कर सुगम दूरी पर स्थित छोटे, मध्यम एवं बड़े उद्योग-धन्धे एवं तत्संबंन्धित सेवाओं में लगाया जाय।

(५) वन विभाग की रेतीली, जल-मग्न, पथरीली एवं नदी के पेटे की भूमि, जिसे उस विभाग द्वारा नीलाम द्वारा खेती के लिये उठाया जाता है, केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ही नीलाम द्वारा उठाई जाय अथवा ऐसी भूमि ऐसे मजदूरों को नाम मात्र शुल्क पर उठा दी जाय।

(६) तराई-भावर क्षेत्र में केवल उन्हीं व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे नियमित किये जायं जो शासन के इस विषयक आदेशों में आते हों और उन आदेशों में न आने वाला, प्रत्येक व्यक्ति, उसके साथ नरमी न बरतते हुए, भूमि से बेदखल कर दिया जाय। नियमितीकरण में अनधिकृत काबिजों से एक हजार रुपया प्रति एकड़ शुल्क वसूल किया जाय जो उन लोगों से भी वसूल किया जाय जिनके कब्जे नियमित हो चुके हैं। एक व्यवस्था इस आशय की भी कर दी जाय कि नियमितिकरण के लिये निर्धारित की गई दस एकड़ की अधिकतम सीमा विशेष परिस्थितियों के मामलों में एक एकड़ अथवा सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि के दस प्रतिशत कर घटाई अथवा बढ़ाई भी जा सकेगी।

(७) तराई–भावर क्षेत्र में वर्तमान लगान की दरें पुनरीक्षित कर उन्हें बढ़ाया जाना आवश्यक है, किन्तु पहले यह कार्य सम्पन्न किया जाना और तब तक इस क्षेत्र में जमींदारी–विनाश अधिनियम लागू किये जाने का कार्य स्थगित रखा जाना

उचित नहीं है। अतः १ जुलाई, १९६९ से इस क्षेत्र में जमींदारी-विनाश अधिनियम लागू कर दिया जाय।

(८) तराई-भावर क्षेत्र में जमींदारी-विनाश अधिनियम लागू करते समय उस अधिनियम में एक व्यवस्था इस आशय की जोड़ दी जावे कि थारू एवं बुक्सा जातियों के व्यक्ति इन जातियों से भिन्न जातियों के व्यक्तियों के हित में अपनी भूमि का संक्रमण जिलाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ही कर सकेंगे।

सदर तहसील में विशुनपुरा मटियारा गांव की बंजर भूमि

*९५—फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम विशुनपुरा–मटियारा में कितनी बंजर एवं परती भूमि पड़ी हुई है? क्या सरकार इस प्रकार की भूमि को इसी ग्राम के भूमिहीन हरिजनों में बांटेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्रीपति मिश्र—

गांव विशुनपुरा मटियारा में इस समय केवल ०.९१ एकड़ बंजर भूमि उपलब्ध है। यह भूमि इस गांव के भूमिहीन हरिजनों को दी जा सकती है। भूमि के बितरण की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

सदर एवं बांसगांव तहसीलों में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९६—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९ ई० की भीषण बाढ़ में जनपद गोरखपुर की तहसील सदर एवं बांसगांव के बाढ़ पीड़ितों में क्या-क्या बांटा गया है?

श्री श्रीपति मिश्र—

सन् १९६९ की भीषण बाढ़ में जनपद गोरखपुर की तहसील सदर व बांसगांव के बाढ़ पीड़ितों में खाद्यान्न, दियासलाई, गुड़, नमक, मिट्टी का तेल, वस्त्र, गृह निर्माण-अनुदान, अहेतुक सहायता, निर्धन विद्यार्थियों की फीस एवं तकावी बांटी गई।

मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में पत्र-व्यवहार की भाषा

*९७—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितने की भाषा अंग्रेजी थी?

श्री अनवार अहमद—

मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के कार्यालय द्वारा उक्त अवधि में २,८४३ पत्र जारी किये गये और उनमें से ४८७ पत्र अंग्रेजी में थे।

शासन के स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रकार के विवरण रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह अवश्य है कि शासन द्वारा जारी किये जाने वाले अधिकांश पत्रों, परिपत्रों, आदेशों और विज्ञप्तियों आदि की भाषा हिन्दी ही होती है।

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

*९८---श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के हाटा, सुकरौली और कप्तानगंज ब्लाक के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें आगामी १९६९-७० ई० की योजना में निर्माण हेतु ली गई हैं ?

श्री धर्म सिंह---

वर्ष १९६९-७० में योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र की कोई सड़क निर्माण हेतु नहीं ली गई।

फैजाबाद जिले की नगरपालिकाओं में २६ सितम्बर, १९६८ के संकल्प का कार्यान्वयन

*९९---श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन, नगरपालिका (क) विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या ५०१९। (ए)।११-क---७७(१)-६७, दिनांक २६ सितम्बर, १९६८ के आधार पर फैजाबाद जिले की किन-किन नगरपालिकाओं में उस संकल्प के अधीन कार्य हुआ है ?

श्री अनवार अहमद---

फैजाबाद जिले में केवल दो ही नगरपालिकायें फैजाबाद तथा टांडा हैं और इन दोनों नगरपालिकाओं में अधिकांश मामलों में शासकीय संकल्प दिनांक २६ सितम्बर, १९६८ के अनुसार कार्य कर लिया गया है।

खेतासराय बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के लिये पत्र

*१००---श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २३ मई, १९६९ व १ जुलाई, १९६९ को खेतासराय बाजार (जौनपुर जनपद) की जनता ने खेतासराय बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के लिये पत्र दिया था? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अनवार अहमद---

उक्त दिनांकों का ऐसा कोई पत्र शासन द्वारा प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

गोंडा जिले में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*१०१---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का मुख्य मन्त्री जी ने दौरा किया था और जनपद गोंडा भी गये थे? यदि हां तो क्या मुख्य मन्त्री को लकड़मण्डी घाट पर बाढ़ के सम्बन्ध में १६८, महादेवा तहसील तरबगंज, जिला गोंडा की तरफ से स्मृति-पत्र दिया गया था ? यदि हां तो उपरोक्त स्मृति-पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां! स्वयं माननीय सदस्य ने स्मृति-पत्र दिया था। इसमें बहुत से सुझाव दीर्घकालीन योजनाओं के थे जो सम्बन्धित विभागों को भेज दिये गये। तात्कालिक सहायता के सुझाओं पर यथा सम्भव कार्यवाही की गई। बाढ़ सहायता के लिये खैरात, फीस माफी तथा नाव आदि की व्यवस्था के लिए जिले को कुल ५,११,५०० रु० आवंटित किया गया जिसमें से जनवरी १९७० तक २,२४,७५० रु० व्यय हुआ। ६,९६,१४५ रु० तकाबी के रूप में बांटा गया। सेना की मोटर बोटें भी उपलब्ध की गई थीं। टेस्ट वर्क चलाने के लिए जिले को १,००,०००रु० दिया गया है।

चीनी मिलों के पास काश्तकारी की जमीन

*१०२--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री गोपी नाथ दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि प्रदेश की किस चीनी मिल के पास कितनी भूमि उनके काश्त में है और कितनी सीलिंग अधिनियम के अनुसार निकल गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस संबंध में जिलेवार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६२९-६३० पर)

*१०३--श्री गेंदा सिंह तथा श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दी यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड, तमकुही (देवरिया) के पास कितनी भूमि इस समय काश्त में है और कितनी सीलिंग ऐक्ट के अधीन निकल गई है, निकली हुई भूमि किस हालत में है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दी यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही (तमकुही) की काश्त में ६० एकड़ भूमि है तथा सीलिंग में २६१९.३६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है । परन्तु मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण अभी शासन द्वारा कब्जे में नहीं ली जा सकी है ।

*१०४-१०५--श्रीमती मसाली देवी--

[३रे सोमवार के प्र० सं० १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी-सतरिक सड़क बनाने की मांग

*१०६--श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रपति शासन के जमाने में राज्यपाल ने बाराबंकी-सतरिक रोड बनाने का क्या फैसला किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बता सकेगी कि इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है और कब तक यह सड़क बन सकेगी ?

श्री धर्म सिंह--

प्रश्नगत सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

बलिया जिले में गंगा के कटाव से पीड़ितों को सहायता

*१०७--श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले के कोट और अंजोरपुर गांव के कितने घर इस वर्ष गंगा के कटान से गिर गये और इन कटान पीड़ित लोगों को बसाने और सहायता के लिये अब तक कौन-कौन से कार्य किये गये ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कोट गांव की आबादी पहले ही कट चुकी थी । गंगा की गत बाढ़ से अंजोरपुर के ३१ घर क्षतिग्रस्त हुये । कोट गांव के लोग पहले से सुरक्षित जगह आबाद हो चुके हैं । अंजोरपुर के लोगों को गोविन्दपुर फेपना में ८.२१ एकड़ भूमि प्राप्त करके बसाया गया है । यहां के २४ निर्धन परिवारों को १,२०० रु० का अनुदान मकान बनाने को दिया गया । इसके अलावा दोनों

गांवों के लिये सस्ते गल्ले की दूकान खोली गई। ४३५० रु० की तकावी बांटी गई। खैरात में १४० रु० नक्द और गल्ला, नमक आदि बाढ़ के समय बांटा गया।

करछना तहसील में आबादी को गैरमजरुआ काश्त में दर्ज करना

*१०८—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार को पता है कि इलाहाबाद जनपद की करछना तहसील की जारी बाजार तथा शंकरगढ़ ग्राम सभा के अन्तर्गत पचासों वर्ष के बने हुये मकानों को अब तक लेखपाल के कागजातों में बंजर भूमि अथवा खेत ही लिखा जाता है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो पहलें की आबादी है वह तो आबादी ही लिखी है लेकिन अगर किसी ने किसी की जोत में मकान बना लिया है तो वह लेखपाल के कागजात में गैरमजरुआ शामिल जोत लिखी जाती है।

सिकन्दराबाद तहसील में गांव सभाओं की भूमि का वितरण

*१०९—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में देहली प्रदेश की सीमा द्वारा हिंडन वा जमुना व दादरी तथा सूरजपुर के आस-पास भूमि का सर्वे कराया गया है ? यदि हां तो किस आशय से ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सर्वे राज्य सरकार द्वारा नहीं वरन् भारत सरकार द्वारा कराया गया है। प्रश्न का दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*११०—श्री राम चन्द्र विकल—

क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जनवरी, सन् १९६७ से नवम्बर, सन् १९६९ तक तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में किस-किस ग्राम समाज की कितनी-कितनी भूमि किन किन लोगों को दी गई है ? और किन किन अधिकारियों के आदेश से ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनवरी, १९६७ से नवम्बर, १९६९ की अवधि में जिन व्यक्तियों को ग्राम सभा की भूमि दी गई है उनकी सूची संलग्न है।

सूची में उल्लिखित भूमि क्षेत्राधिकारी, सिकन्दराबाद की स्वीकृति से दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६३३ पर)

एटा जिले में सड़कें व पुल बनवाने की जानकारी

*१११—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में कौन-कौन सी सड़कें व कौन कौन से पुल नदियों पर चौथी योजना में बनाने जा रही है ? काली नदी के कौन घाट पर नदी के ऊपर पुल बनाने का विचार सरकार का है ?

श्री धर्म सिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों व पुलों के पूरे प्रस्ताव अभी निश्चित नहीं हुये हैं।

बरेली-मथुरा सड़क के मील ६५ फर्लांग ६ में कासगंज के निकट काली नदी पर पुल का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है ।

*११२—श्री तिरमल सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गंजडुंडवारा जो एटा में दूसरे नम्बर की मण्डी है उसका सम्बन्ध सड़क व पुल काली नदी पर न होने की वजह से एटा प्रशासन केन्द्र से नहीं है ? यदि हां, तो सरकार सड़क और पुल गंजडुंडवारा से एटा तक सड़क व काली नदी पर पुल बनवाने की शीघ्र योजना बनायेगी ताकि मण्डी का माल बाहर जा सके ?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्नगत सड़क व पुल का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होने पर निर्भर है ।

*११३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

नौगढ़ की अदालतों में दाखिल खारिज के मुकदमे

*११४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील की माल की अदालतों में इस समय कितने म्यूटेशन (mutation) केस विचाराधीन है तथा म्यूटेशन केसेज नं० २७९५ लगायत २८२३ कब फैसले हुये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

परगनाधिकारी तथा तहसीलदार नौगढ़ के न्यायालयों में १ जनवरी, १९७० को क्रमशः ३६३ एवं ८७८ दाखिल खारिज के मुकदमात विचाराधीन थे । म्यूटेशन केसेज सं० २७९५ से २८२३ न्यायालय परगनाधिकारी नौगढ़ द्वारा दिनांक १३ अगस्त, १९६९ को फैसला हो चुके हैं ।

एटा जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*११५—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९–७० के अधीन एटा जिले में किन-किन सड़कों का निर्माण किये जाने की योजना है ?

श्री धर्म सिंह—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० में जिला एटा में जिन सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया है उनके नाम सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची १ में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६३४ पर)

*११६—श्री सियाराम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में किन-किन सड़कों पर १९६९–७० के आय-व्ययक की योजनानुसार निर्माण कार्य हो रहा है ?

श्री धर्म सिंह—

जिन सड़कों पर १९६९–७० में काम हो रहा है उनके नाम सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची २ में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६३४ पर)

वस्ती–टांडा के लिये घाघरा पर पीपों का पुल

*११७––श्री रामचन्द्र आजाद––

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घाघरा नदी पर बस्ती-टांडा के लिये पीपे के पुल की योजना का जोप्राविधान सन् १९६९–७० के बजट में दिया गया है, उसका कार्य कब तक होगा तथा अब तक उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री धर्म सिंह––

कार्य के टेन्डर मांगे गये हैं । आशा है कि पीपों का पुल वर्ष १९७१ की बरसात के बाद यातायात के लिये उपलब्ध हो सकेगा ।

झींझक कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क

*११८––चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कान ुर-झींझक कस्बे के अन्तर्गत जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है उसकी चौड़ाई क्या है और क्या यह सही है कि इसके पक्का कराये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, कहां से कहां तक यह सड़क पक्की की जायगी ?

श्री धर्म सिंह––

झींझक कस्बे में पड़ने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की कंकड़ की सड़क की चौड़ाई १२ फीट है । इस सड़क के १ मील के भाग को 'वेण्ट' कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रुद्रपुर द्वारा प्लाट खरीदने की कार्यवाही

*११९––श्री रामधारी शास्त्री––

क्या सरकार को इस बात की जाकारी है कि रुद्रपुर कस्बा, जिला नैनीताल में कार्मशियल और इन्डस्ट्रियल सेक्टर में बहुत से नजूली के प्लाट खाली हैं ? यदि हां, तो उनका कुल क्षेत्रफल कितना है ?

श्री अनवार अहमद––

रुद्रपुर में कार्मशियल एरिया में डिमार्केटेड प्लाट खाली नहीं है । इंडस्ट्रियल एरिया में ४५ नजूल प्लाट खाली है । इनका कुल क्षेत्रफल ९.०३ एकड़ है ।

*१२०––श्री रामधारी शास्त्री––

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रुद्रपुर सहकारी क्रय–विक्रय समिति लिमिटेड, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ने उक्त कार्मशियल और इन्डस्ट्रियल प्लाट्स में से दो प्लाट लेने का प्रार्थना–पत्र जुलाई, १९६८ में सरकार के पास भेजा था । यदि हां, तो उसमें विलम्ब क्यों है ?

श्री अनवार अहमद––

कलेक्टर नैनीताल के पत्र दिनांक ५ जुलाई, १९६८ द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रुद्रपुर को इन्डस्ट्रियल प्लाट संख्या ७/२ क्षेत्रफल ३६६६.६६ वर्ग गज तथा कार्मशियल प्लाट संख्या शून्य क्षेत्रफल १११९.१ वर्गगज को देने का प्रस्ताव शासन को जुलाई, १९६८ में प्राप्त हुआ था । शासकीय स्तर पर कलेक्टर नैनीताल से उक्त प्लाटों के वर्तमान बाजार भाव की दर से प्रीमियम तथा सालाना किराये की जानकारी कराने के बाद जुलाई, १९६९ में वित्त विभाग की सलाह लेकर कलेक्टर को शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराया जा चुका है ।

गांव मकदूमपुर, जिला बस्ती में परती भूमि का वितरण

*१२१—श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बस्ती के अन्तर्गत कम्हरिया-मकदूमपुर परगन नगर पूर्व आदि ग्रामों में कितनी बंजर परती भूमि १९६७-६८ व १९६८-६९ में मौजूद थी और उसके लिये कितने प्रार्थना-पत्र उक्त ग्रामवासियों के १९६७-६८ व १९६८-६९ को इस आशय के प्राप्त हुये कि उन्हें बंजर एवं परती भूमि दी जाय ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सन् १९६७-६८ व ६८-६९ में ग्राम कम्हरिया में १ एकड़ बंजर परती भूमि उपलब्ध थी जिसके उठाये जाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। सन् १९६७-६८ में ग्राम मकदूमपुर में २२.७८ एकड़ बंजर परती भूमि उपलब्ध थी जिसको उठाने हेतु २५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे।

*१२२—श्री चिरंजी लाल—

क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि दी ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उन २५ व्यक्तियों की सूची जिनको मौजा मकदूमपुर की जमीन उठाई गई, संलग्न है। सूची में उल्लिखित प्रथम ११ व्यक्तियों के पास पूर्व में कोई जमीन नहीं थी तथा शेष व्यक्तियों के पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि थी।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ६३५ पर)

झींझक-रसूलाबाद सड़क

*१२३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की झींझक से रसूलाबाद तक की पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क की मरम्मत जून, १९६० से १५ दिसम्बर, १९६९ तक कब-कब हुई और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ ? इसी सड़क के बीच नदी पर बना महेरा के पास का पुल कब तक यातायात के लिये मुकम्मिल हो जायगा तथा यह सड़क झींझक से रसूलाबाद तक कब तक डामर की पक्की सड़क कर दी जायगी ?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२४—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

नौतनवां-ढूढीवारी सड़क का निर्माण

*१२५—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में नैपाल सीमा के समानान्तर नौतनवा-ढूढीवारी सत्रह मील सड़क का निर्माण जो तराई एशेसेबुल स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत है, कब से प्रारम्भ है और किस समय तक पूर्ण हो जाने की संभावना है तथा निर्माण-कार्य पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री धर्म सिंह---

इस कार्य की प्राविधिक स्वीकृति दो अलग-अलग हिस्सों में सितम्बर, १९६४ में दी गई थी । आशा है सड़क निर्माण-कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा । दिसम्बर, १९६९ तक २१,६८,४९८ रु० व्यय हो चुका है ।

*१२६---श्री राम लगन दुबे---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़क पर पड़ने वाले पांच बड़े पुलों नदी रोहिन, नदी बघेला, नदी भहाव, सोनिया नाला और नदी झरही के निर्माण की स्थिति क्या है ? निर्माण की पूर्ति की कब तक आशा है ?

श्री धर्म सिंह---

रोहिन नदी के पुल का निर्माण मार्च, १९७१ तक पूर्ण होने की आशा है । शेष चार पुलों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

इलाहाबाद नगरमहापालिका में बूचड़खाने

*१२७---श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इसकी जानकारी है कि नगरमहापालिका इलाहाबाद के बूचड़खानों में गौवंश के कटने का आदेश दिसम्बर, १९६९ में अथवा उसके आस-पास जारी किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश को तत्काल निरस्त करने की कृपा करेगी ?

श्री अनवार अहमद---

जी नहीं । वास्तव में सरकार द्वारा नवम्बर, १९६९ में नगरमहापालिका में बूचड़खानों के नियमन तथा निरीक्षण हेतु उपविधियों का उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४४ के अधीन पुष्टीकरण किया गया था जिसे नगरमहापालिका, इलाहाबाद द्वारा सरकारी गजट, दिनांक ६-१२-६९ में प्रकाशित किया गया । इन उपविधियों में जो अंश भ्रामक थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है ।

*१२८---श्री कन्हैयालाल सोनकर---

क्या सरकार इलाहाबाद में सूअर कटने के लिए कोई बूचड़खाना बनवाने का विचार कर रही है?

श्री अनवार अहमद---

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

चन्दवक पुल के निर्माण में ठेके का निर्णय

१---श्री रियासत हुसैन---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चन्दवक पुल जो गोमती नदी पर बनारस-आजमगढ़ रोड पर बनाया गया है कितनी लागत में बना और कब बना ? क्या यह सही है कि सरकार और ठेकेदार के बीच कोई विवाद इस पुल से संबंधित आर्बीट्रेशन में देने का निश्चय हुआ था ? यदि हां, तो क्या आर्बीट्रेशन ने फैसला दिया है ?

श्री धर्म सिंह—

निर्माण-कार्य अभी चल रहा है अतएव पुल की वास्तविक लागत बताना अभी संभव नहीं है। अनुबन्ध की जिस शर्त के अधीन आर्बिट्रेशन हो रहा था वह उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार आर्बिट्रेशन की शर्त नहीं है इसलिये कोई फैसला नहीं हुआ ।

२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार ने उस ठेकेदार की मशीनरी और बारदाना इत्यादि रोक रखा है ? इस निर्माण कार्य से संबंधित १० प्रतिशत के हिसाब से काट कर कितना रुपया ठेकेदार का बाकी जमा रह जाता है ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां, मशीनरी और बारदाना रोका है । लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार को कोई रकम देय नहीं है ।

वाराणसी व मिर्जापुर जिलों में पेय-जल योजनाओं पर व्यय

३—श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर में १ अप्रैल, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के लिए कितने हैन्ड पंप एवं लघु नलकूप किन-किन ग्रामों में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये, उक्त कार्य में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह कार्य स्थायी है या अस्थायी ? उक्त कार्यों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वाराणसी के ३४४ ग्रामों में १,२२३ हैंड पंप तथा १५ ग्रामों में १५ नलकूप और मिर्जापुर के १३ गांवों में १३ हैंड पंप तथा एक गांव में एक नलकूप राज्य सरकार द्वारा लगाये गये। गांवों की सूची † संलग्न है। इस कार्य पर दोनों जिलों में लगभग ५३,२४,७०० रु० व्यय हुआ ।

उक्त सभी कार्य अस्थायी योजना के अन्तर्गत किये गये परन्तु इनकी उपयोगिता स्थायी है। हैंड पंपों के रख-रखाव की जिम्मेदारी अन्तरिम रूप से गांव सभाओं को सौंपी गई है। नलकूप स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के संरक्षण में हैं । देख-भाल की स्थायी व्यवस्था पर निर्णय लेने के लिये मुख्य मंत्री जी के सभापतित्व में एक कमेटी गठित की गई है ।

४—श्री उदयनाथ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय नलकूपों की टंकियों से १ अप्रैल, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक कितनी टोंटियां किन-किन ग्रामों में लगाई गई एवं इसमें कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह कार्य स्थायी है या अस्थायी ? इनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

२९५ ग्रामों में १,४४६ पानी की टोंटियां लगाई गईं । ग्रामों की सूची † संलग्न है। इस कार्य पर लगभग २० लाख रुपया व्यय हुआ । कार्य अस्थायी योजना के अन्तर्गत किया गया था परन्तु इसकी उपादेयता स्थायी है। रख-रखाव का कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा हो रहा है। इनके रख-रखाव के स्थायी प्रबन्ध के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्य मंत्री जी के सभापतित्व में एक कमेटी गठित की गई है।

†छापी नहीं गई ।

५—श्री उदयनाथ—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर में १ अप्रैल, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक कितनी ट्रकों से पीने का पानी ढोया गया, उक्त कार्य में उपरोक्त अवधि में सरकारी धन कितना व्यय किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद वाराणसी तथा मिर्जापुर में १ अप्रैल, ६९ से ३० जून १९६९ तक औसतन २३२ ट्रकों से पीने का पानी ढोया गया और उपर्युक्त अवधि में इस कार्य पर १५.२९ लाख रु० व्यय हुआ।

हंडिया व फूलपुर तहसील में भूमि संबंधी मुकदमे

६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में हाकिम परगना हंडिया के इजलास में ३० जून, १९६९ तक दाखिल खारिज के एक साल से पुराने कुल कितने मुकदमें पेंडिंग थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

४ वाद अनिस्तारित थे ।

७—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में हंडिया-फूलपुर तहसील में दफा ११५ डी० जमींदारी उन्मूलन रूल्स के अन्तर्गत १ जुलाई, १९६८ से ३१ अगस्त, १९६९ तक कुल कितने मुकदमें चले और उन मुकदमों में कितने मुकदमों में बेदखली का आदेश जारी हुआ, और कितने मुकदमों में नोटिस वापस लिये जाने का आदेश हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उल्लिखित अवधि में जिला इलाहाबाद की फूलपुर व हंडिया तहसीलों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५ डी० के अन्तर्गत चलने वाले कुल मुकदमों की संख्या क्रमशः १२७ व ५८७ थी और इन में से क्रमशः ८६ व १६६ में बेदखली के तथा १२ व ७८ में नोटिस वापस लेने के आदेश हुये ।

तिलहर तहसील में गांव सभाओं की भूमि पर नाजायज कब्जे की शिकायतें

८—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६८ से लेकर ३० जून, १९६९ तक तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के लेखपालों से ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा होने की कितनी शिकायतें तहसीलदार महोदय को प्राप्त हुईं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

३३१ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

फूलपुर तहसील में कछारी गांवों के बाढ़पीड़ितों को सहायता

९—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के कछारी गांव गंगा नदी की बाढ़ से १ अगस्त, १९६९ में जलमग्न हो गये थे ? उन में कितने एकड़ और कीमत की फसल का नुकसान हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कुछ कछारी गांव जलमग्न हो गये थे। ५,३९२ एकड़ भूमि में लगी फसल को अनुमानतः ५,३९,२०० रु० की क्षति हुई।

१०--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की जनता को क्या आर्थिक सहायत दी गई और क्या खरीफ की मालगुजारी छोड़ देने का सरकार विचार कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र--

८५६ रु० अहेतुक सहायता तथा ९,९७० रु० तकाबी के रूप में वितरित किया गया। मालगुजारी के संबंध में कलेक्टर अपनी संस्तुति शासन के पास भेज रहे हैं।

जौनपुर जिले में चकबन्दी संबंधी नक्शा दुरुस्ती के मुकदमे

११--श्री जंग बहादुर यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद में १९६८-६९ में केराकत और जौनपुर तहसील में चकबन्दी समाप्त होने के बाद नक्शा दुरुस्ती के कितने प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, कितनों का निपटारा हुआ और कितने विचाराधीन हैं?

श्री श्रीपति मिश्र--

जौनपुर जनपद की तहसील केराकत व तहसील जौनपुर में वर्ष १९६८-६९ में चकबन्दी योजना समाप्त होने के पश्चात् नक्शा दुरुस्ती के कुल २७३ वाद प्रस्तुत किये गये। उनमें से २०३ वादों का निपटारा हो चुका है तथा ७० वाद विचाराधीन हैं।

१२-१३--श्री राम गोपाल संड--

[२रे मंगलवार के प्र० सं० ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फूलपुर तहसील में भूमिहीनों को भूमि का वितरण

१४--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में किन-किन गांवों में कितने एकड़ भूमि सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक और कब सरकार को प्राप्त हुई और उक्त भूमि को कितने हरिजन व भूमिहीनों को दिनांक २५ अक्टूबर, १९६९ तक दिया गया? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस संबंध में सूची संलग्न है। शासन को प्राप्त कुल १८१.४६ एकड़ भूमि में से दिनांक २५-१०-१९६९ तक ४.३९ एकड़ भूमि ५ हरिजन एवं भूमिहीनों की अस्थायी रूप से वितरित की गई है। शेष में से १३०.१५ एकड़ भूमि कृषि योग्य न होने के कारण, ११.९३ एकड़ भूमि के विषय में न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण तथा ३४.९९ एकड़ भूमि विवादग्रस्त होने के कारण पट्टे पर नहीं उठाई जा सकी।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ६३६-६३८ पर)

सीतापुर जिले में भूमिहीन हरिजनों को भूमि

१५--श्री रामलाल राही--

क्या सरकार इस बात की जानकारी कराने की कृपा करेगी कि तहसील सीतापुर के परगना हरगांव, लहरपुर तथा सीतापुर व तहसील मिश्रिख के परगना महोली की ग्राम

सभाओं में अलग-अलग ग्राम सभावार कुल कितनी जमीन आबादी व खेती की चकबन्दी में छोड़ी गई तथा आबादी व खेती की ग्राम समाज की भूमि का कितना अंश भूमिहीन हरिजनों, खेतिहर मजदूरों को दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उल्लिखित परगनों में ६६६.४७ एकड़ भूमि आबादी हेतु तथा १४०६०.६२ एकड़ भूमि खेती के लिये चकबन्दी के पश्चात छोड़ी गई थी जिसमें से क्रमशः १२६.०४ एकड़ तथा २६६.६३ एकड़ भूमि भूमिहीन हरिजनों तथा खेतिहर मजदूरों को अब तक प्रदान की गई है। ग्राम सभा वार सूची अत्यधिक विस्तृत है। अतः जो माननीय सदस्य उसे देखना चाहें मेरे कक्ष में आकर देखने का कष्ट करें ।

१६--श्री जंगबहादुर यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अलीगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

१७--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने मील पक्की सड़कें सरकार बनाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्म सिंह--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

बांसगांव तहसील में सड़कों का निर्माण

१८--श्रीमती मसाली देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव-माल्हनपार और खजनी माल्हनपार उस्का बाजार रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्म सिंह--

जी हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ, अतः इस प्रस्ताव पर भी अभी निर्णय नहीं लिया गया।

१६--श्रीमती मसाली देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौड़ीराम--बांसगांव रोड कब तक बन कर तैयार हो जायगी, इस पर काम क्यों ठप है ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह--

इस मार्ग का निर्माण-कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। आशा की जाती है कि यह कार्य दिसम्बर, १६७० तक पूरा हो जायेगा ।

२०--श्रीमती मसाली देवी--

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि कौड़ीराम-बांसगांव रोड जिसकी दूरी ७ किलोमीटर है कितने ठेकेदारों को ठेके पर दी गई है, उनके नाम और पते क्या हैं ? कितने स्थानीय ठेकेदार हैं, कितने बाहर के हैं, उन्हें अब तक कितना रुपया भुगतान किया गया है ?

श्री धर्म सिंह—

इस मार्ग पर काम करने वाले ठेकेदारों के नाम और पते तथा उनको भुगतान किया गया धन संलग्न सूची में बताया गया है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ६३८ पर।)

बांसी तहसील के बरगदी गांव में बंजर भूमि

२१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती तहसील बांसी के बरगदी ग्राम के रकबे में १ जनवरी, १९६८ व १ जनवरी, १९६९ को कितनी बंजर भूमि थी और इस समय दिनांक २५ नवम्बर, १९६९ को कितनी है?

श्री श्रीपति मिश्र—

१ जनवरी, १९६८ व १ जनवरी, १९६९ को १८ बीघा १४ बिस्वा १६ धुर बंजर भूमि थी तथा दिनांक २५ नवम्बर, १९६९ को ४ बीघा १४ धुर रह गयी।

बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, नैनीताल और रामपुर नगरपालिकाओं को अनुदान

२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, नैनीताल और रामपुर को वित्तीय वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ और १९६९-७० में कितना-कितना रुपया अनुदान में दिया गया?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी जिले से नायब तहसीलदार की बदली

२३—श्री रामनिहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १९ जुलाई, १९६९ से दिनांक १८ सितम्बर, १९६९ तक वाराणसी जिले में कितने नायब तहसीलदारों का तबादला जिले से बाहर किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस अवधि में वाराणसी जिले से केवल एक नायब तहसीलदार का तबादला जिले से बाहर हुआ। वह तबादला जनहित में हुआ था।

भोगनीपुर तहसील में गांव पंचायतों द्वारा लेखपालों के स्थानान्तरण की सिफारिश

२४—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—

१८-८-१९६९ के तारांकित प्रश्न २० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि संस्तुति करने वाली पंचायतों की पूर्ण संस्तुति स्वीकार करने में क्या कठिनाई थी तथा उन पंचायतों में उनकी संस्तुति के विपरीत कौन लेखपाल भेजे गये हैं?

श्री श्रीपति मिश्र--

ग्राम पंचायत सट्टी की संस्तुति के अनुसार श्री विन्दासिंह लेखपाल को उस क्षेत्र में नहीं स्थानान्तरित किया गया क्योंकि वे वहां पिछले पांच सालों से रह चुके थे और ऐसा करना शासन के आदेश के विपरीत था। यहां श्री देवी शरण की नियुक्ति की गई। ग्राम पंचायत दिवौर की संस्तुति के अनुसार श्री राधा पति गोपाल को उस क्षेत्र में नहीं भेजा गया क्योंकि निकटवर्ती क्षेत्र के काश्तकारों की शिकायत पर उनका स्थानान्तरण वहां से किया गया था। इस क्षेत्र में श्री विन्दा सिंह की नियुक्ति की गई है।

२५--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त संस्तुति करने वाली पंचायतों में भेजे गये लेखपालों का पंच साला रिकार्ड कैसा रहा है तथा क्या कोई ऐसा भी लेखपाल इन में है जो अपनी निवास स्थान वाली तहसील के अतिरिक्त अन्य तहसील में भी भेजा जा चुका है? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया?

श्री श्रीपति मिश्र--

दोनों पंचायतों में भेजे गये लेखपालों में से श्री विन्दा सिंह का पांच साला रिकार्ड अच्छा रहा है परन्तु श्री देवी शरण का रिकार्ड सन्तोषजनक नहीं रहा। श्री देवी शरण ऐसे लेखपाल हैं जो घाटमपुर तहसील के रहने वाले है परन्तु जिन्हें असन्तोषजनक कार्य के कारण भोगनीपुर तहसील में स्थानान्तरित किया गया है।

डेरापुर तहसील में पट्टे मंसूखी के मुकदम

२६--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में ग्राम समाजों के अधिकार में कितनी भूमि का रकबा आया और उसमें दिनांक १५ दिसम्बर, १९६९ तक कितने पट्टे किये गये, कितने पट्टे खारिज करने के मुकदमे अदालतों में है?

श्री श्रीपति मिश्र--

६८,३८०एकड़ भूमि ग्राम सभाओं में निहित हुई जिसमें से १५ दिसम्बर, १९६९ तक लगभग १४,००० एकड़ भूमि पट्टे पर उठाई गयी तथा पट्टों के निरस्तीकरण के ५२५ मुकदमें उक्त दिनांक को न्यायालयों में विचाराधीन थे।

झींझक-मंगलपुर सड़क की मरम्मत

२७--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत झींझक से मंगलपुर तक की पी० डब्लू० डी० की सड़क स्थान-स्थान पर टूट गई है? यदि हां, तो इसे पक्की अथवा यातायात के लायक कब तक बना दी जायगी?

श्री धर्मसिंह--

यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक कच्ची सड़क है। इस सड़क को पक्का करने की स्वीकृति जनवरी, १९७० में दी जा चुकी है किन्तु जनवरी, १९७० में दी गई सड़क निर्माण की स्वीकृतियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। पुनर्विचार के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि सदन में एक गोली मिली है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह गोली किस सीट पर मिली है और उसका मार्क क्या है?

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आज स्वतंत्र भारत अखबार में मुख्तलिफ पार्टियों के मेम्बरों की तादाद बतलायी गयी है, लेकिन इसमें मुस्लिम मजलिस के मेंबरान का कोई जिक्र नहीं है। निर्दलीय मेम्बरों की तादाद १९ बतायी गयी है। इसमें मुझे, हबीब अहमद व नसीम उद्दीन सिद्दीकी को निर्दलीय में ही दिखाया गया है। इस सिलसिले मे हम लोग कई बार आपसे मिल चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है। पिछले महीने आपने हमें यकीन दिलाया था कि हम लोग अब निर्दलीय नहीं माने जायेंगे, मुस्लिम मजलिस में माने जायेंगे। मैं अर्ज करता हूं कि इस बारे में सदन के समक्ष अपना फैसला दें।

श्री अध्यक्ष—

इस बारे में मैंने आप को बता दिया है कि अस्थायी रूप से मैंने आपको मुस्लिम मजलिस का मान लिया है। आप के कहने पर विश्वास करके ही ऐसा मैंने किया है। साथ ही इस शर्त पर माना है कि इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछा है कि क्या ये दो सज्जन इस टिकिट पर खड़े हुये थे या नहीं। इसका उत्तर अभी नहीं आया है। अब यह अखबारों में जो छप गया है, वह हमने नहीं दिया है। हमारे यहां तो आप का नाम अस्थायी रूप से मुस्लिम मजलिस में रजिस्टर कर लिया गया है। मैं अखबार वालों को लिख कर भेज दूंगा कि आप लोग अस्थायी रूप से मुस्लिम मजलिस में समझे गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, नियम ५१ में मेरा एक प्रश्न इस गोली के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ से इसका मतलब नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, समाचार-पत्रों में निश्चित रूप से पार्टी के मेम्बरों की तादाद दी हुयी है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस सदन में किस पार्टी की क्या तादाद है। आप इसको बताते नहीं हैं और समाचार-पत्रों में तादाद निकल जाती है। वह किस आधार पर दी जाती है। क्या इस पर आप प्रकाश डालेंगे? समाचार-पत्रों में जो निश्चित रूप से तादाद दे दी जाती है वह इस सदन का अवमान है या नहीं?

सदन में पिस्तौल की गोली मिलने के संबंध में जांच की मांग

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, समाचार-पत्रों में यह खबर छपी है कि एक ३२ बोर रिवाल्वर का एक कारतूस इस सदन में, विपक्ष की तरफ मिला है। इधर कुछ कम और इधर कुछ ज्यादा। दूसरे अखबारों में यह भी छपा है कि आज जो विभाजन होगा, उसमें किस प्रकार से मत लेंगे। लेकिन जो जानकारी आप से हुई तो आप ने कहा कि आप इन दो खबरों से बेखबर हैं और आप के सचिवालय ने इस तरह की खबर नहीं दी है, तो मान्यवर, कैसे यह खबरें अखबारों में छप जाती हैं इस पर प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष---

हमारे यहां से कोई सूचना इन दो बातों के बारे में नहीं दी गई है, लेकिन एक चीज जो है उसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। यहां पर सचिव की तरफ से फरवरी, १९६९ में यह सूचना दी गई है :

"मुझे आप से यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि कभी-कभी माननीय सदस्य अस्त्र-शस्त्र लेकर विधान भवन में प्रवेश करते हैं जो सदन की प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः आप से अनुरोध है कि विधान भवन में कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर न आयें और यदि किसी कारण उसे लाना अनिवार्य हो तो प्रवेश करने से पूर्व जो अस्त्र-शस्त्र आपके पास हों उसे विधान भवन के मुख्य द्वार पर सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा करके उसकी रसीद उनसे प्राप्त कर लिया करें।"

पिछली शाम को मेरे पास एक रिवाल्वर की गोली की रिपोर्ट आई है और मुझे बतलाया गया कि लाइव कारट्रिज है। तो उसके बारे मे मैं सिर्फ माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी का भूल से गिर पड़ा हो तो वह मेरे दफ्तर से ले सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

रिपोर्ट पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो उम्मीद यह करता हूं कि.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जो भी प्रयोग करेगा वह ऐसा नहीं करेगा। आज के वातावरण में विपक्ष को बदनाम करने के लिये किसी ने यह रख दिया हो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आपने कितने सीधे शब्दों में इसको कह दिया है।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो दो बातें कहता हूं। पहली आपने मेरी आधी बात सुनी। आप लोग सभी सज्जन लोग हैं। मैंने यह कहा कि अगर किसी का कारट्रिज गिर गया हो तो बतला दें और आकर मुझसे कह दें कि मेरा गिर गया है। अगर ऐसा नहीं है तो जिनको जानकारी हो कि उनका गिर गया है बतला दें। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में इतना ही है कि यहां पर जैसा कि सूचना में दिया हुआ है ऐसी गोलियां नहीं लानी चाहिये। मैं इसके बारे में निदेश देता हूं कि पिछले साल की सूचना के अनुसार यहां नहीं लाना चाहिये। जो कल झाड़ू लगाते हुये यहां पर सफाई करने वाले स्वीपर को गोली मिली और वह इधर से मिली तो जैसा कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी कहते हैं, संभव है वैसा हो सकता हो, लेकिन मैं कार्यवाही करने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर किसी को जानकारी हो तो कृपा कर के बतला दें और ले जावें, तो अच्छा होगा। क्योंकि बहुत से लोग यहां पर लायसेंस होल्डर मौजूद हैं। अब वह कृपा कर देख लें और अगर बतला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक तरकीब यह हो सकती है, कि मैं गृह मन्त्री से कहूं कि वह सी० आई० डी० इन्क्वायरी करवा लें। एक रास्ता यह भी है। यहे ३ रास्ते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि किसी को जानकारी हो कि उसका गिर गया है तो कह दे तो अच्छा होगा। अगर इस बारे में नहीं कहा गया तो गृह मंत्री को जानकारी के लिये इन्क्वायरी को भेजना पड़ेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

यह प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना आपने बनाया है। कुछ लोग बैलट के बजाय बुलेट से शासन करना चाहते हैं तो उनका यह काम है।

(व्यवधान)

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को इस बात का डर है वे ही इसका ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। "The lady is protesting too much" अगर ये प्रजातन्त्र के हामी हैं तो फिर इसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ? मेरा कहना है कि इसकी जांच आवश्यक है और मैंने जो ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव दिया है उसको आप स्वीकार कर लें ताकि इसके ऊपर बहस हो जाय कि यह गोली लेकर कौन आया, चलाना चाहता था लेकिन चला नहीं पाया और उसकी मंशा क्या थी, ये सारी बातें साफ हो जायेंगी। इतना मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इसकी इनक्वायरी होनी चाहिये कि गोली कहां पर मिली, उसकी क्या मेक है। अगर इस सदन के माननीय सदस्य उस गोली को अपनी गोली बतलाते हैं तब तो ठीक ही है लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य उस गोली को अपनी गोली नहीं बतलाता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात की जांच खुफिया विभाग के द्वारा की जानी चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बात की मुझे सूचना दी है कि वह गोली निश्चित रूप से किस स्थान से मिली। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वह गोली संसोपा बेंचों के पास मिली है और शायद संसोपा के नेता जो हैं विशेष रूप से उनकी सीट के पास मिली है। यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि अखबारों के पढ़ने से जब यह मालूम नहीं हुआ कि गोली कहां पर मिली थी तो माननीय मही लाल जी को यह कैसे मालूम हो गया कि संसोपा नेता के बगल में वह गोली मिली ? जब और किसी को यह मालूम नहीं था और किसी अखबार में भी यह नहीं निकला तो अकेले उनको यह कैसे मालूम हो गया कि संसोपा नेता के बगल में वह गोली मिली ? इसको आप कृपया बतला दें।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, वह गोली श्री महीलाल के पिस्तौल की ही गोली है। वे चलाने के लिये ही यहां लाये थे, लेकिन चला नहीं सके।

श्री महीलाल—

मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है पिस्तौल का।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैं अपने माननीय सदस्यों को देख रहा हूं कि वे इस मामले को हंसी मजाक में ले रहे ह। वह आदमी किस नीयत से पिस्तौल लाया इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि इस पर हंसी की जा रही है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर वह गोली लेने के लिये कोई आपके पास नहीं आता तो आप हाउस को विश्वास दिलावें कि निश्चित रूप से सी०आई०डी० द्वारा इसकी जांच करावेंगे कि वह गोली कहां से आयी, कैसे आयी। यह हाउस के अन्दर एक डर पदा करने वाली बात है इसलिये इसको हंसी मजाक वाली बात में न टाला जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि वह गोली जो बरामद हुई है तो सदन की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इस सिलसिले में जब पिछले दिनों कुछ घटनायें घटीं तो उसके बारे में विचार करने के लिये एक कमेटी बनायी गयी थी जिसके अध्यक्ष आप खुद ही थे। उसकी कुछ सिफारिशें हुईं लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस सदन के अन्दर जो भी उस कमेटी की सिफारिशें थीं चूंकि उनको पूरा नहीं किया जा रहा है उसीका यह नतीजा है। इस सदन में सारे आनरेबिल मेम्बर्स आते हैं, अधिकारी गण भी आते हैं, कौंसिल हाउस के गार्ड्स भी आते हैं और अन्य अधिकारी भी आपके बाहर से सब यहां आते हैं और एक गोली निश्चित रूप से यहां पायी गयी। हाल ही में हाउस में एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया गया था और माननीय मोतीलाल जी को गोली से मारने की धौंस दी गयी थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि आप निर्णय लेने वाले हैं, इसलिय इन सारी चीजों को सामने रखते हुये इस गोली वाले मामले को इतनी लाइटली न लीजिये।

सब सदस्य जानते हैं कि हथियार लेकर इस सदन के अन्दर नहीं आना चाहिये। गैलेरीज में भी यह पाबन्दी है। इस सदन से सम्बन्धित काउन्सिल हाउस गार्ड हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और सभी माननीय सदस्य भी हैं। मान्यवर, यह गोली कहां से आई यह एक बड़ी चीज है, जिसका पता लगना ही चाहिये। हमको यह भी देखना है कि आइन्दा ऐसी घटना न हो और हमारा यह सदन सुरक्षित हो सके।

श्री महीलाल—

मान्यवर, यह तो आपको पता चल ही सकता है कि किस स्थान पर वह गोली मिली है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपकी ढील और उदारता का फायदा इस हद तक लिया गया कि महीलाल जी ने यह निश्चित आरोप लगा दिया कि यह गोली हमारी सीट के पास मिली और इस ढंग से इस बात को कहा कि जिससे कोई भी यह नतीजा निकाल ले कि जहां पर हम बैठे हैं, हमारे पास या हमारे साथियों के पास ही यह गोली थी। मैं बताना चाहता हूं कि संसोपा ने गांधी जी से सीखा है....हंसी। संसोपा प्रहलाद के तरीके और शेर के दिल वाला दल है। श्रीमन्, आपको इस प्रकार की चीज संसोपा में कहीं पर नहीं मिलेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक भी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी, इस पूरे सदन के इतिहास में आपको एक भी मिसाल ऐसी नहीं मलेगी कि कभी संसोपा ने जूते, चप्पल फेंकी हों और किसी स्थान पर कभी भी हिंसा का प्रदर्शन किया हो। यदि आप देखें तो आपको एक भी मिसाल इस प्रकार की नहीं मिलेगी। मैं इसको पूरी गम्भीरता के साथ कह रहा हूं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने यह हरकत की है वे लोग कैसे हैं कि उन्होंने आपको भी स्पेयर नहीं किया है। आप सदन की गरिमा के प्रतीक हैं, आप सदन के चेयरमैन हैं, उन्होंने आपको भी स्पेयर नहीं किया और उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे जैसे लोगों पर जिनका एक निश्चित तरीका है, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। मैं यह मामला यहीं पर छोड़ने वाला नहीं हूं। संसोपा सचमुच विरोधी दल है, वह विरोधी दल की भाषा जानती है और उस भाषा का इस्तेमाल करती है।

श्री अध्यक्ष—

आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, संसोपा का कभी यह तरीका नहीं रहा है कि हम यहां पर बैठ कर किसी सरकार का विरोध करें और उसके बाद जाकर मंत्रियों के यहां शिफारिश करवायें। हमारा कभी यह रोल नहीं रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने सोलहो आने, १०० फीसदी जो कुछ कहा है

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

है वह सत्य कहा है। संसोपा ने यह कभी नहीं कहा कि किसी भी मंत्री से कि हमारे क्षेत्र के लिये या आदमी के लिए यह रियायत कर दो।

मान्यवर, यह परम्परा फैल रही है कि यहां पर तो विरोध की बात करते हैं और मंत्रियों, सचिवों, उप सचिवों के कमरों में घूमते हुए दिखलाई देते हैं। मान्यवर, हमने यहां बैठकर अपोजीशन का रोल अदा किया है। अपोजीशन की भाषा का संयमित इस्तेमाल किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक मिसाल भी बता दें जब मैंने किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हो जिसको आपने असंसदीय घोषित किया हो। एक भी उदाहरण इस सदन में नहीं है जब कभी भी हमने कोई अभद्र व्यवहार किया हो। जब कभी भी आपको व्यवस्था देने का वक्त आया तो, मान्यवर, आपने व्यवस्था मेरे पक्ष में ही दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने व्यवस्था मेरे पक्ष में दी है। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि आराम और रुतबे की भूख ने इन्सान से क्या-क्या नहीं कराया है।

श्री अध्यक्ष—

आपके ऊपर आरोप नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आराम और रुतबे की अनियंत्रित भूख ने आदमी को विदूषक बनाया, ब्रूटस बनाया, मान सिंह बनाया और जयचन्द और जाफर बनाया। तो श्रीमन्, इस भूख और चाह की ये मिसालें हैं।

(मेजें थपथपायी गयीं)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

यह अनुचित है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बिल्कुल अनुचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपके ऊपर आरोप नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे ऊपर आरोप है। इन्होंने गलत बयानी की है। यह मामला प्रिवलेज कमेटी में जाना चाहिये। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इन्होंने यहां पर इस सदन में गलत बयानी की है।

(शेम, शेम)

मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं और बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को प्रिवलेज कमेटी के सामने अभी भेजें।

एक सदस्य—

ये अपनी जबान सम्भाल कर बात करें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को १० मिनट के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

एक सदस्य--
पहले व्यवस्था चाहते हैं ।
श्री चरण सिंह--
इंगित तो कीजिए पहलें आप ।
श्री अनन्तराम जायसवाल--
इनको माफी मांगनी पड़ेगी, वनी सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।
श्री अध्यक्ष--
नेता सदन क्या कहते हैं ।
श्री चरण सिंह--
मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपने जो श्री अनन्तराम जायसवाल को इंगित किया है, उनको सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ।
श्री अध्यक्ष--
आपको गलतफहमी हो गई ।
श्री चरण सिंह--
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं ।
श्री अध्यक्ष--
आप शांत हो जाइये । प्रश्न यह है कि इतना शोर हो रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । कुछ लोग उधर से खड़े होकर बोल रहे हैं और कुछ इधर से खड़े हो कर बोल रहे हैं । जो शब्द प्रयोग में लाये गये उनके बारे में मैंने कहा कि वे अनुचित हैं ।

(व्यवधान)

महीलाल जी ने कहा था कि गोली पाई गयी कहीं पड़ोस में और इसको जांच करवाइये । यह बात कभी नहीं कही कि आपकी गोली थी या आप की सीट के नीचे पाई गयी । इसलिए मैंने बार-बार कहा कि आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है । मेरा आक्षेप आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है ।
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--
मान्यवर, हम इस अप्रिय घटना पर बोलना नहीं चाहते थे । जैसा आपने कहा कि साधारण घटना थी । हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने इसलिए रख दिया हो कि यहां पर किसी की बदनामी हो । लेकिन हमारे महीलाल जी ने एक बात कही थी जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । उन्होंने निश्चित रूप से नाम लगा दिया कि नेता समाजवादी दल की सीट के आस-पास पाई गयी ।

(व्यवधान)

मैं इतना कहना चाहता था कि इस प्रकार की छोटी घटनाओं में आरोप लगाना अनुचित है । मैं निवेदन करूंगा कि महीलाल जी से आप कहें कि वह इस को वापस ले लें या उनसे पूछें कि उनको इसकी सूचना कहां से मिली । मैं जानता हूं कि हमारे मित्र अनन्तराम जायसवाल जी की भावनाओं को ठेस पहुंची और मेरे सम्बन्ध में भी अगर ऐसी बातें कही गयी होतीं तो मेरी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती । इस तरह भावनाओं पर ठेस पहुंचा कर सदन में जो एक अच्छाई का और शांति का वातावरण आप पैदा करना चाहते हैं उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है ।
श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर)--
श्रीमन्, मुझे एक सूचना देनी है । जिस दिन जूता फेंका गया था और यहां डिस्टर्ब किया गया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी, उसी समय यहां सदन में एक माननीय सदस्य ने, वे यहां मौजूद हैं उनका नाम नहीं लूंगा, कहा कि गोली चलेगी और उनके पास रिवाल्वर भी है । यह बात मेरे सामने उन्होंने कही और मैं उनको पहचानता भी हूं । महीलाल जी ने कहा कि गोली फेंकी गयी तो यह साजिश से हुआ है और उनकी नालेज में यह बात रही ।

खाद्य तथा रसद् मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

इस प्रश्न को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। श्रीमन्, आपको जो सूचना मिली उसको आप प्रकाशित कर दें।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

महीलाल जी बतलायें कि उन्हें कहां से सूचना मिली।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा आचार्य जी ने कहा, यह सही है कि इस तरह के आरोप लगाने से भावनाओं को ठेस लगती है और माननीय जायसवाल जी की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है।

मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि आपने एक सूचना दी यहां कि कारतूस की गोली मिली। महीलाल जी का कहना है कि अमुक स्थान पर मिली। उनको इसकी सूचाना है। उनसे पूरी सूचना तलब कर लें हाउस के सामने कि उनको यह सूचना कैसे प्राप्त हुई और वह सूचना सीधे-सीधे हाउस के सामने रखें। यह गम्भीर मामला है। मोतीलालजी ने एक बात कही कि किसी सदस्य ने किसी को धमकाया। और यह जो सरकार बैठी हुई है इस सरकार के चलते जिस दल की यह सरकार है इस तरह के आक्षेप होते रहेंगे। इसका निराकरण करा दिया जाय तो सारा मामला साफ हो जायगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मैं दो बार, श्रीमन्, खड़ा हुआ मगर आपने मौका नहीं दिया और मैं इसलिये खड़ा हुआ कि जिस समय यह गोली मिली, आपके पास गयी और आपने मुझको बुलवाया था। यह बड़ी दुखद बात है, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं यह आजतक नहीं समझ पाया कि गोली सदन में मिली तो इससे किसी दल का क्या सम्बन्ध है? क्या कोई दल गोली बांध कर आता है? व्यक्ति का प्रश्न है। माननीय महीलाल जी की बात सुन कर मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि किसी दल विशेष पर इस प्रकार का बिना सारी जानकारी किये हुये आरोप लगाया जाय। और मैं यह भी जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिस समय माननीय अनन्तराम जी बोल रहे थे और आपने इंगित नहीं किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने रोष में आकर निकालने का प्रस्ताव भी कर दिया। तो आप इसका स्पष्टीकरण करें कि आपने इंगित किया या नहीं और अगर इंगित नहीं किया तो यह बड़े दुःख का विषय है कि मुख्य मन्त्री के माध्यम से निलम्बन का प्रस्ताव आये।

श्री अध्यक्ष—

आप इसी में घंटों लगा देते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

घंटों मैं लगा रहा हूं कि आप ही सबको बोलने देते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जांच करवायें, सी० आई० डी० से चाहे प्रिविलेज कमेटी में भेज कर जांच करायें।

श्री अध्यक्ष—

मैं सब से प्रार्थना करता हूं कि न किसी दल विशेष के ऊपर शंका की जाय न किसी व्यक्ति के ऊपर शंका की जाय। सवाल तो इस बात का है कि वह जानना चाहते थे कि कहां मिली। तो मेरे पास जो कल सूचना आयी वह मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसीलिये मैंने राजा साहब जौनपुर को बुलाया था कि जनसंघ और संसोपा के बीच में जो

गैलरी है जाने की उसके आसपास कहीं उधर की तरफ मिली। तो मुझे यह शंका हुई इसीलिये मैंने उनको बुलाया था कि वह शंकर प्रसाद जी जायसवाल का मामला आपके सामने मौजूद है तो मैंने सोचा कि अभी शंकर प्रसाद की यहां झड़प हो चुकी है मुमकिन है कि आपको इस विषय में जानकारी ज्यादा हो तो मैंने कहा कि आपको बुला कर पूछ लें। मैं यह नहीं जानता था कि लाइव कारतूस है क्योंकि मैंने आजतक लाइसेन्स लिया नहीं, न लेने का मेरा कभी इरादा रहा। मैं अहिंसा में विश्वास करने वाला हूं। मैं समझता हूं कि गोली खा लेना ज्यादा अच्छा है, किसी को गोली मारना ठीक नहीं है। खैर, जो कुछ भी हो। आज सवेरे जब मैं वहां से आया तो जरूर मुझसे एक शख्स ने जो बाहर का था और बाहर वाला इस मतलब से कि सदन के बाहर का था कि अखबार में यह छपा है और वह गोली जायसवाल जी के पीछे कहीं पायी गयी। उसने बताया कि शंकर प्रसादजी जहां बैठते हैं उसके उस तरफ कहीं। लेकिन अब जायसवाल जी का नाम ले लिया, कहीं से मालूम हुआ होगा। जिसने मुझे बताया उसीने आपको भी बताया होगा, मैं जबतक कोई बात केवल सुनी होती है उस पर यकीन नहीं करता फौरन।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आप किसी को डिफेंड तो नहीं कर रहें हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो आप सबका आपस में प्रेम चाहता हूं, -झगड़ा नहीं चाहता। इसलिये जब उन्होंने पूछा तो मैं यही समझा था कि वह जानना चाहते थे कि गोली कहां से मिली थी, उसका उद्देश्य जो कुछ भी हो, मैं किसी के हृदय में तो नहीं बैठा रहता, मैं तो अच्छा उद्देश्य समझकर ही चलता हूं, मैं तो सरल बात ही कहता हूं और यही हमें गांधी जी ने सिखाया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लेकिन सत्य भी।

श्री अध्यक्ष—

किसी की गोली गिर गई है वह बतला दे, और अगर कोई नहीं बताता तो उसकी इन्कवायरी मुझे सी० आई० डी० से करानी होगी और मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह जानकारी हासिल करा लें। अगर कोई बता दे तो कोई बात नहीं है और मैं कह ही चुका हूं कि इसको यहीं समाप्त कर सकता हूं और अगर यह नहीं मालूम होता तो इसकी इन्क्वायरी फिर बाकायदा होगी, यह किसी पर आक्षेप नहीं है आप भी चाहेंगे कि वह हो.....

एक आवाज—

यह गोली कल ही क्यों मिली परसों क्यों नहीं मिली....(व्यवधान)

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है...

श्री अध्यक्ष—

वह प्रस्ताव नहीं है, मैंने उस को एडमिट नहीं किया है।

श्री छांगुर—

आपने श्री अनन्तराम जायसवाल को इंगित किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कह चुका कि मैंने इंगित नहीं किया था, गलतफहमी हो गई थी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह आप कृपया सुन लें। यह मेरा बहुत ही आवश्यक व्यवस्था का प्रश्न है जिसका कि सदन की भविष्य की कार्यवाही पर असर पड़ेगा। आपने अभी बताया कि अगर यहां पता न चला तो इसकी जांच गृह मंत्री जी करायें, लेकिन आप जानते हैं कि यह इस सदन की परम्परा है कि जितनी घटनायें यहां सदन में होती हैं और जितना सदन का परिसर है उस सबके मालिक आप हैं और केवल आपके आदेश पर ही कोई पुलिस या एगजिक्यूटिव अथारिटी कार्य करती है जैसे कि प्रिविलेज और समन आदि के प्रश्न होते हैं। मैं कोई गृहमंत्री जी पर आरोप नहीं करता यहां की परम्परा की दृष्टि से मेरा अनुरोध आपसे है कि आप स्वयं सीधे पुलिस या सी० आई० डी० से यह इन्कवायरी करायें और गृहमंत्री जी को इसमें न खींचें।

श्री श्रीपति मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप मुनासिब समझें तो यह बता दें कि माननीय यादवेन्द्र दत्त जी को जब आपने बुलाया तो उनको आपने यह बता दिया था कि गोली कहां मिली है ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे स्वयं नहीं मालूम था, मैंने उन से कहा कि आप के उस तरफ के लोगों में किसी को मालूम है क्या।

श्री श्रीपति मिश्र—

तो जिस जगह पर आप को गोली का मिलना बताया गया था उधर उस लाइन में जहां वह मिली, उसकी ही जानकारी आप कृपया करा दें।

श्री अध्यक्ष—

उसकी तो मुझे ही जानकारी नहीं थी, बस इतना मालूम था कि उधर (बाई) तरफ कहीं से मिली है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

अभी आपने कहा कि गोली जिसको पहले मिली उसने आप को सूचना दी कि कहां से मिली, लेकिन जब वह गोली आपके पास पहुंची तो देने वाले व्यक्ति ने आपको क्या बताया ?

श्री अध्यक्ष—

जिस मेहतर को वह मिली वह तो मुझे मिला नहीं, उसने मार्शल से कहा, मार्शल ने गोली सेक्रेटरी को दी और सेक्रेटरी ने लाकर वह मुझे दिखाई और तब मैंने उनको बुलाया।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

वह गोली उस आदमी ने कहां से उठाई ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने कहा कि मैं इसकी इन्क्वायरी कराना चाहता हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

माननीय राजस्व मंत्री जी ने मेरा नाम लिया तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन करने का अवसर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

किस बात में ?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---
यही कि मैंने आपको क्या बताया ।

श्री अध्यक्ष---
यह मैंने अभी बता दिया है ।

श्री श्रीपति मिश्र---
मैंने यह नहीं पूछा कि आपको क्या बताया । मैंने केवल यह पूछा कि यह बताया कि नहीं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---
जब, श्रीमन्, आपने मुझ से कहा कि यह गोली इस प्रकार मिली । मैंने अपने उपनेता, माननीय हिम्मत सिंह जी से कहा कि वे इस बात की जांच कर लें कि क्या कल या परसों कोई अपनी पार्टी का सदस्य अस्त्र लेकर सदन में आया था या नहीं । हम लोगों ने मिलकर सारे सदस्यों से बात की और पता चला कि कोई भी सदस्य शस्त्र लेकर सदन में नहीं आया था उसके बाद मैं सेक्रेट्री, लेजिस्लेचर के कमरे में गया, वहां बैठ कर मैं बात कर रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिये, मेरे मत के अनुसार कि यह सदन में कैसे आयी, कौन लाया, किसने रखी । उसी समय मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने इसे पाया, किस स्थान पर यह उसे मिली, मैं उससे पूंछू उसी समय वहां पर सदन का मार्शल आया और उसने कहा कि गोली इधर की बैन्चेज की तरफ मिली । तब मैंने सचिव महोदय से कहा कि जनसंघ का कोई सदस्य इस प्रकार का नहीं है जो अस्त्र लेकर सदन में आया हो ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---
गोली सदन में कल मिली । अखबारों में यह बात भी छपी है कि आज सदन में माननीय राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर शक्ति परीक्षण होगा । इसके साथ-साथ तमाम अधिकारियों में आतंकवाद फैल रहा है और मैं समझता हूं कि इससे सदस्यों को भी आतंकवाद में ले जाने की कोशिश की जा रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो गोली की सूचना है वह किसने दी, यह तो देखना पड़ेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) ---
श्रीमन्, इस प्रश्न पर मैंने अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर सरकार से एक बयान दिलवा दें फिर उसकी जांच करावें । यदि सदन में ऐसा ही रहेगा तो न मालूम किस के दिल में क्या-क्या रहेगा । अतः आप मेरे प्रस्ताव पर बहस करा दें ?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला बेबरिया)---
श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहां जो यह बातें चल रही हैं, उसमें आपने देखा है कि सदन में जिस प्रकार से आंखें तरेर कर माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय जायसवाल जी को निकालने का प्रस्ताव किया उससे आप समझते हैं कि इस सदन की मनोदशा क्या है । श्रीमन्, इस तरह की एक घटना पिछले वर्ष जब कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री थे और माननीय चरण सिंह विरोधी दल के नेता थे, इसी प्रकार की भाव भंगिमा की थी और फिर उन्हें सदन के सामने खेद प्रकट करना पड़ा था । जब श्रीमन्, ने उनको इंगित नहीं किया तो गलत तरीके से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी कि आपने उनको इंगित किया है और इसलिये उनको निकालने का प्रस्ताव फौरन किया । मैं समझता हूं कि यह सारे सदन को भाव भंगिमा और आंखें तरेर कर दिखाकर कोई काम कराना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह सदन के नियमों के विपरीत है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री को, जो कि प्रजातन्त्र के बड़े हामी हैं, आंखें तरेरने का कोई अधिकार नहीं है । अतः मैं चाहूंगा कि उन्हें इस पर खेद प्रकट करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसी वक्त कह दिया कि मैंने इंगित नहीं किया है । फैक्ट्स का सवाल है । अगर मैंने इंगित किया होता तो उनका फर्ज होता कि वे प्रस्ताव ले आते, लेकिन जब मैंने इस बात को कहा कि इंगित मैंने नहीं किया तो उन्होंने उस चीज को बन्द कर दिया । तो इतने शोरगुल में उनकी गलतफहमी भी हो सकती है, वह स्वाभाविक है ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, आप सदन में उन्हीं (मुख्य मंत्री) की मनोभावनाओं को देखेंगे या हमारी भी । निश्चित रूप से माननीय महीलाल ने यह कहा कि संसोपा की बेन्चेज के पास गोली मिली और मेरा नाम लेकर कहा कि उनकी सीट पर । यह कहा कि संसोपा नेता अनन्तराम जायसवाल की सीट के निकट या सीट पर । अभी प्रोसीडिंग इसी वक्त चेक करा लें ।

श्री अध्यक्ष--

यह टाइप किया हुआ मेरे पास है । इसमें यह लिखा है अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बात की मुझे सूचना दी है कि वह गोली निश्चित रूप से किस स्थान से मिली । मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वह गोली संसोपा बेंचों के पास मिली और शायद संसोपा के नेता जो हैं विशेष रूप से उनकी सीट के पास मिली । यह मेरा निवेदन है । यह शब्द माननीय महीलाल के हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, उन्होंने इस तरह निश्चित रूप से यह आरोप लगाया है कि हमारी सीट के पास । अभी माननीय राजा साहब ने तथा आपने, सब ने जो इन्फार्मेशन दी उससे साफ यह नतीजा निकलता है कि हमारी सीट के निकट यह गोली नहीं मिली । तो जो माननीय महीलाल ने कहा है उससे निश्चित रूप से मेरे ऊपर और मेरे दल के ऊपर रिफलैक्शन कास्ट होता है । इसलिए अगर माननीय महीलाल अपने इस अनफाउन्डेड एलीगशन्स के लिए रीग्रेट नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिए इसका नतीजा क्या होगा । और वगैर आपके इंगित किये हुए माननीय मुख्य मंत्री गुस्ताखी कर हमें निकालने का, निलम्बित करने का प्रस्ताव ले आवें, तो उसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं । यह क्या कि जो माननीय मुख्य मंत्री के मन में आये वह करने लगें ? हम कोई पत्थर के नहीं हैं जो उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा । (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि क्या कोई माननीय सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग कर सकता है । इसकी आवश्यकता श्रीमन् इसलिए पड़ी कि अभी संसोपा नेता ने माननीय नेता सदन के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया । मैं आपका ध्यान "अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संहित संकलन" के पृष्ठ ५८० (निर्णय संख्या १८-खं २६०, पृष्ठ १६८) की ओर दिलाना चाहूंगा । उसमें यह कहा गया है कि "जयचन्द" और "मीर जाफर" शब्दों का प्रयोग असंसदीय है । इन शब्दों के प्रयोग पर माननीय अध्यक्ष ने यह रूलिंग दी थी कि "इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने साथियों के विरुद्ध अत्यन्त अनुचित और असंसदीय है ।" मैं मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने शब्दों को कृपा कर वापस ले लें ।

श्रीमन्, संसोपा नेता ने इन शब्दों का प्रयोग किया था । यह रूलिंग निश्चित रूप से इसमें लागू होती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि आप माननीय जायसवाल जी को आदेश दें कि वे अपने शब्दों को वापस लें ।

इसके अतिरिक्त अभी उन्होंने माननीय नेता सदन के लिए शब्द "गुस्ताखी" इस्तेमाल किया है, उसे भी वे वापस लें।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था का प्रश्न एक दफा में आ सकता है। पहले जो आ चुका है वह तो हो जाय। मैंने इसीलिये टोका उन्हें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें। जयचन्द और मीरजाफर के नाम कुछ मतलब कनवे करते हैं। यह नाम हमारी पार्लियामेंट में भी आम इस्तेमाल में आ गये हैं। यहां इन नाम के शब्दों को असंसदीय करार दे दिया गया है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जिसने यह रूलिंग दी है उसकी इन करेक्टर्स से अवश्य कुछ हमदर्दी रही होगी। यह आवश्यक नहीं है कि जो एक गलत बात बन गई वह चलती रहे हमेशा-हमेशा के लिए। आप उसको बदल सकते हैं। आप इस पर बहस करवा लीजिए, विचार कर लीजिए और इनको बदल दीजिए।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां तक यहां पर सुना है, जयचन्द और मीरजाफर शब्दों का प्रयोग श्री अनन्तराम जी ने किसी साथी के संबन्ध में नहीं किया है। उन्होंने अपने साथियों के सम्बन्ध में प्रयोग नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं देखे लेता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

यहां पर जो घटना घटी है, उसकी मूल भावना में जाने की आज आवश्यकता है। जो सदन में दुर्घटनाऐं घटीं उनका संबंध इस बात से है कि माननीय महीलाल ने एक दम डाइरेक्ट अटैक कर दिया और कह दिया कि गोली संसोपा नेता की बेंच की तरफ पाई गई और मुख्य मंत्री जी ने एक दम से आंखें तरेर कर कह दिया कि संसोपा नेता को सदन से निलम्बित कर दिया जाए। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि महीलाल जी और बी० के० डी० वालों की संसोपा वालों से इतनी शत्रुता क्यों है? (व्यवधान) मुझे ऐसा लगता है कि बी० के० डी० वाले संसोपा नेता के ऊपर कोई गम्भीर चार्ज लगाकर सदन से बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा चला दिया जाए। महीलाल जी ने सदन के समक्ष ऐसी बात कह कर उस घटना से स्वयं अपना संबंध जोड़ लिया है। जो भी है उसमें महीलाल जी पर आरोप लगाया जाएगा। उसमें मैं समझता हूं कि उनकी भी आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख लूंगा कि उन्होंने क्या शब्द कहे हैं। बात यह है कि मैं भी यह समझता हूं कि व्यक्ति का नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा है कि महीलाल जी जयचन्द हैं लेकिन जैसे उन्होंने खास तौर पर गिल्टी नहीं बनाया फिर भी उसका अर्थ लगाया गया वैसे ही... (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप उनका बचाव कर रहे हैं। मेरा यह निश्चित आरोप आप पर है। निश्चित रूप से मेरा नाम लिया गया है और विशेष रूप से लिया है...

श्री अध्यक्ष—

आप क्रोध में हैं, इसलिए सुनते नहीं हैं और मुझे बुरा लगता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सुनते-सुनते तो मैं थक गया हूं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आपका नाम जरूर लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि आपने गोली रखी। फिर भी आपने अर्थ निकाल लिया। इसी तरह से आपके शब्दों में 'ये लोग' 'ये लोग' ऐसी बात कही गई थी। आपने नाम नहीं लिया 'महीलाल', लेकिन उनको इसका भ्रम होता है, उनको यह लगता है कि उन्होंने आक्षेप किया। तो उसी तरह से उनको भी यह लगा कि हम पर आक्षेप किया। तो इस तरह से कुछ शब्दों के प्रयोग पर भ्रम होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि शांत वातावरण में सुना जाये। मैं इंक्वायरी इस विषय में कराने वाला हूं, क्योंकि दो दफा की बात आ गई। एक दफा मुझे सूचना मिली और फिर आज आपने कहा, एक दिन रास्ते में भी किसी ने कहा था . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो स्पष्ट हो गया कि इंक्वायरी आप करेंगे, सी० आई० डी० वाले नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसलिए मैं स्वयं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कर लूंगा। अगर उचित समझूंगा तो सी० आई० डी० की हेल्प में ले लूंगा। किस तरह से लूंगा यह आप मेरे ऊपर छोड़िये। उसकी इनक्वायरी हो जानी चाहिये कि कहां मिला, और भी जानकारी किसी को मालूम हो तो मुझे बता दे। जब तक सभी बात न मालूम हो तो इस बात को मैं नहीं कह सकता हूं कि कहां पर मिला। (व्यवधान) आप जरा खामोश रहें। बात बढ़ाने से कुछ नतीजा निकलता नहीं। हम लोगों को चाहिये कि सदन की गरिमा कायम करें। क्रोध या आवेश में आकर कुछ न करें। इसलिए इस मामले को समाप्त करने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इनक्वायरी करने के बाद उस पर रिपोर्ट दूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय जायसवाल जी कुछ कह रहे थे तो उसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी यकबयक नाराज हो गये, गुस्से में आ गये और गुस्से को दिखाने के लिए, आतंक जमाने के लिए फौरन उठे।

श्री अध्यक्ष—

यह कह चुके हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आदरणीय अध्यक्ष जी, उन्होंने यह नहीं कहा कि जायसवाल जी जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं, उससे उनको ठेस पहुंची, बल्कि गुस्से में आकर, आतंक जमाने के लिए कह दिया कि जायसवाल को निकालने का प्रस्ताव कर रहा हूं। इन दो-तीन दिनों में माननीय मुख्य मंत्री कई बार इस तरह से नाराज हुये हैं। इस तरह से नाराज होकर, गुस्से में आकर वह आदरणीय सदन को आतंकित करना चाहते हैं जिससे उनके विरुद्ध कुछ कहा न जा सके। इसके मानी यह हैं कि यह तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समाप्त करता हूं इस मामले को ।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

व्यवस्था का प्रश्न है । परसों माननीय जायसवाल ने माननीय मुख्य मंत्री के लिए गुस्ताखी शब्द का इस्तेमाल किया था । आपने व्यवस्था दी थी कि गुस्ताखी शब्द असंसदीय है। लेकिन माननीय जायसवाल उसी तरह बदजबानी करते करते फिर माननीय मुख्य मंत्री को गुस्ताख कह गये। इस पर व्यवस्था दीजिये । उनको बदजबानी करने की आदत हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे चुका हूं उसके बारे में ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का सवाल है । चूंकि इस समय सदन के सामने माननीय जायसवाल जी कें निकालने का प्रस्ताव प्रस्तुत है । जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत है....

श्री अध्यक्ष—

प्रस्तुत नहीं है । अब प्रस्तुत नहीं है । वह खत्म है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

या तो आप घोषणा करें कि रद्द हो गया या मुख्य मंत्री वापस लें । तब खत्म हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको समाप्त करता हूं । अब आगे का काम शुरू होगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

आप वैधानिक दृष्टि से इस सदन के कस्टोडियन हैं, हमारी यहां हिफाजत करने के लिए हैं। मैं दो-तीन रोज से देख रहा हूं कि हमको बड़ा खतरा हो गया है । जैसे देहातों में पुलिस का छोटा सा सिपाही या दरोगा दफा २५, आर्म्स ऐक्ट में मकान में कारतूस, तमंचा, बारह बोर की बंदूक लेकर रख कर बन्द कर देता है (शोर) यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री भारत सिंह चौहान—

यह व्यवस्था का प्रश्न है या अव्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री चेतराम गंगवार—

अगर मंत्रिमंडल के लोग दारोगा की तरह से इस तरह का रुख अपनायेंगे तो हम लोगों का क्या हश्र होगा । हम लोगों को इस तरह से डराना कहां तक उचित है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आवेश में कोई बात मुख्य मंत्री जी कह गये तो उनको सदन से माफी मांगनी चाहिये । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । मैंने आपको इजाजत नहीं दी है ।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष श्री बासुदेव पीठासीन हुये)

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, २५ फरवरी के समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि ३० एकड़ तक की जोतबन्दी कर दी है। उस दिन से यह आरम्भ हो गया है। परन्तु आज मुख्य मंत्री जी का यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ है कि इस प्रकार का समाचार भ्रमपूर्ण है और ऐसा कोई निर्णय सरकार ने नहीं किया है। सरकार इस प्रकार का निर्णय बिल लाने के बाद करेगी। यह जानकारी करना चाहता हूं कि यह समाचार यदि भ्रमपूर्ण था तो २५ तारीख से लेकर आज तक इसका निर्णय क्यों नहीं किया गया। आज इस प्रकार के वक्तव्य को क्यों दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। अब मैं आइटम नम्बर ६ लेता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

पहले इसके कि आप श्री दीप नारायण को इजाजत दें, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मोतीलाल जी ने जो यह प्रश्न किया है कार्य सूची ३ के बारे में मैं उनको बताऊं कि अभी तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो माननीय सदस्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है, माननीय अध्यक्ष ने देखा नहीं है। इसलिये मैं अब कार्य सूची नं० ६ पर बहस आरम्भ करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उन्होंने पहले के प्रश्नों के बारे में विचार नहीं किया है या आज के प्रश्नों को उन्होंने देखा नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—

जो कुछ भी है अभी तक उन्होंने उसको देखा नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करन के लिये खड़ा हुआ हूं। यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत सूक्ष्म है। हमारे यहां शास्त्रकारों ने ऐसा बताया है कि सूक्ष्म कहना बहुत अच्छा होता है। "Brevity is the son of language". पाणिनी ने ही यह कहा है कि "एक मात्रा लाघवेन वैयाकरणा: पुत्रोत्सवं मन्यन्ते" एक मात्रा के कम करने से भी उनको पुत्र की भांति प्रसन्नता होती है। सूक्ष्म कहने का बहुत अर्थ होता है। यह राज्यपाल महोदय का जो यहां पर भाषण दिया गया है, यह बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन बड़ा ही सारगर्भित है। मैं उसके कुछ अंश आपके सन्मुख रखना चाहता हूं।

मान्यवर, इसके दो अंग हैं। एक तो शासन की नीतियों की चर्चा है। दूसरे राज्यपाल महोदय के भाषण के बारे में चर्चा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि शासन के तीन अंग हैं विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। तीनो अंगों पर काफी सूक्ष्म चर्चा इस अभिभाषण में है लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक है।

---

†३ मार्च, १९७० को कार्यवाही से।

शासन के बारे में इसमें बतलाया गया है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे । कार्य पालिका की एफिशिएंसी और ईमानदारी के बारे में जिक्र किया गया है और प्रदेश को उसके लिये आश्वस्त किया गया है ।

न्यायपालिका के बारे में कहा गया है कि न्याय सस्ता तथा कम खर्चीला देंगे और साथ ही विलम्ब भी न हो और कानून म अगर आवश्यक परिवतन करन की आवश्यकता पड़ी तो उसे भी यह सरकार करेगी ।

इसके अतिरिक्त चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण, उर्वरकों पर से ३ प्रतिशत सेल्स टैक्स हटाने, काश्तकारों को दी जाने वाली पास बुक्स की कीमत ३ रुपये से घटा कर एक रुपया कर देने की बात कही गई है ।

अब सवा ६ एकड़ लगान माफी का प्रश्न बहुत विवादग्रस्त है । सवा ६ एकड़ का लगान मंहगा भी हो सकता है , सस्ता भी हो सकता है । सवा ६ एकड़ की जोत अलाभ कर भी हो सकती है और लाभ कर भी हो सकती है । इस सरकार ने इसलिये तीन सही एक बटा आठ एकड़ की माफी रक्खी है जो कि प्रारम्भिक कदम है और इसका इस सदन को स्वागत करना चाहिये ।

इस सदन में राज्यपाल महोदय क अभिभाषण की एक गरिमा होती है, लेकिन उस समय हमारे विपक्ष के सदस्यों ने ऐसा शोर गुल किया कि वे सदन की गरिमा के नीचे उतर गये । मैंने दो-चार पार्लियामेंरी पुस्तकों का अध्ययन किया और मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं जिससे मालूम होगा कि किस प्रकार राज्यपाल महोदय ने इस सदन को सम्बोधित करके इसकी गरिमा की रक्षा की है । जर्नल आफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज जनवरी से मार्च, ६८, वाल्युम २ के पृष्ठ ७७ से मैं पढ़ता हूं :

"So long as one of the political parties has a clear majority in the Legislative Assembly and it also has a clearly recognised Leader, the Governor may not have much say in the appointment of the Chief Minister. But whenever none of the political parties has a clear majority in the Legislative Assembly the Governor may play quite an important part in the appointment of the Chief Minister. While doing so, he may even refuse to invite a Leader sponsored by various political parties as their candidate and thereby may prevent them from forming a coalition Government. This is exactly what the Governors of Madras and Rajasthan have done in 1952 and 1967 respectively. In Madras when all the Opposition parties, with 166 Members joined and approached the Governor Sri Sri Prakash, he said :

> "I am not going to recognise the combniation of groups. I am going to call that party which in the elections emerged as the largest single party, if not the absolute majority party, the biggest party."

The Congress at that time had a strength of 155 in a House of 321, but its leader Mr. C. Rajagopalachari, who was a nominated Member of the Legislative Council was appointed as a Chief Minister. Similarly in February, 1966, Dr. Sampurnanand the then Governor of Rajasthan refused to invite Maharawal Lakshman Singh, the Leader of the United Front to form the Government, inspite of the fact that the United Front had a clear majority in the Legislative Assembly. He summoned Mr. Sukhadia, the . . . .".

मान्यवर, इसी तरह से दूसरा उद्धरण है--

"The question arises.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप का अंग्रेजी का उद्धरण बहुत लम्बा है । इसलिये अपना आशय बता दीजिये ।

श्री दीपनारायण मणि--

मैं यह कह रहा था कि राज्यपाल महोदय को यह जरूरी नहीं है कि कई पार्टियां मिल कर यदि बहुमत दिखायें तो उनके नेता को बुलायें बल्कि जो रिकगनाइज्ड सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को वे बुलायेंगे। ऐसी स्थिति में छः दलों ने मिल कर गिरधारीलाल जी को नेता बनाया और उन्होंने कहा कि इनको मुख्य मंत्री बनाया जाय। लेकिन भारतीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी अपोजीशन के लीडर थे। इसलिये राज्यपाल महोदय ने उनको बुला कर मुख्य मंत्री का पद दिया। इस पर इतना विवाद खड़ा हो गया और ऐसी अशोभनीय घटना हुई जिससे सदन की गरिमा गिरी है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि संसदीय परम्परायें तभी कायम रह सकती हैं जब संसदीय परम्पराओं का अध्ययन किया जाय। उन्होंने संसदीय परम्परा को मान कर उनको मुख्य मंत्री बनाया और अपना अभिभाषण सदन में दिया उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दो पंक्तियां कह कर अपने मुख्य भाषण पर आ जाऊंगा।

"In principle, it appears that it would have been a more appropriate, had the Governor of Bihar and West Bengal invited the leaders of the largest parties to form the Government, because ordinarily the claim of the largest party to form the Government should not be ignored in the first instance unless its leader declines the invitation. The course of action was followed by the Governors of U. P. and Rajasthan but only after ascertaining the position of the Independents constitutionally, however the Governors are not bound to ascertain the position of the Independents because the duty of the Governor is not to assess the situation but to invite the leader of the largest party and enquire, if he is in a position to form the Government".

इसलिये मैं भी कहता हूं कि जो कार्य उन्होंने किया है उसकी हम सराहना करते हैं। राज्यपाल महोदय का जो कर्त्तव्य था वह उन्होंने विधान के अन्तर्गत किया है वह सराहनीय है।

मैं एक दो बातें कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। शिक्षा के बारे में, अध्यापकों के बारे में, इसमें कुछ चर्चा नहीं की गई है। चूंकि यह भाषण बहुत छोटा था इसलिये छोटी-मोटी बातों का आना संभव नहीं हो सका होगा। इसलिये आगे चल कर सारी बातें आ जायेंगी। इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। एक वाक्य मैं पढ़ दूं। वह यह है कि 'पुरुषार्थी और कर्त्तव्य परायण होकर हम जनहित के कार्य करें।' जनहित के कार्य, यह बहुत व्यापक है। इसमें सारे कार्य आ जाते हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि यह बात छूट गई है या इसमें इसका समावेश नहीं हो सका है, ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की चर्चा की गई है। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को बधाई देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये जो एक निगम की घोषणा की है, उसके लिए वह सराहना के पात्र हैं। मैं इन शब्दों के साथ माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कदम उठाये हैं वह वाकई बड़ा बहादुराना कदम है, प्रशंसनीय है, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि जो घोषणायें मन्त्रियों की ओर से सदन में की जाती हैं, जो वचन दिये जाते हैं, उनकी पूर्ति भी उसी बहादुरी के साथ होनी चाहिये। अगर माननीय मुख्य मन्त्री अपने दिये हुए वचनों को न भूलें तो जो आज स्थिति बनी है उसमें चार चांद लग जायेंगे। इसी सदन में भूत में मंत्रियों ने अनेक प्रकार के आश्वासन दिये हैं, लेकिन उनकी पूर्ति आज तक नहीं हो पायी। भूतपूर्व कृषि मंत्री डाक्टर सीताराम ने ५ अक्तूबर, १९६७ को गन्ना ग्राम सेवकों के मनकापुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता भूतपूर्व

एम० एल० ए०, श्री रामायण राय कर रहे थे, यह ऐलान किया था कि गन्ना कामदारों की तनख्वाह १००–१८० रुपया कर दी गयी है, लेकिन उस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। इसके बाद मार्च, १९६९ में जब उक्त घोषणा पर अमल नहीं हुआ तो गन्ना ग्राम सेवकों ने अनशन का ऐलान किया। २३ मार्च, १९६९ को डाक्टर सीताराम ने गन्ना ग्राम सेवकों को अपने कार्यालय में बुलाकर बतलाया कि उनकी तनख्वाह १२०–२२० कर दी गयी है। उसको आने वाले बजट अधिवेशन में पास कर दिया जायगा। यह भी कहा गया कि १० रुपया मासिक भत्ता कर दिया गया है तथा १५ दिन में नियमावली तैयार हो जायगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से १९५७–५८ में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया था कि आठवीं क्लास तक के सब बच्चों की फीस माफ कर दी जायगी, अब छठी तक की कर दी गयी है। दो तीन वर्ष में आठवीं कक्षा तक की फीस माफ हो जावेगी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने सन् १९५८ में यह घोषणा की थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट आयी है, उसको लागू करने के आदेश दे दिये हैं। उसके अनुसार जो इंजीनियर अस्थायी रूप से भर्ती किये गये थे उनको स्थायी हो जाना चाहिये था, लेकिन अब तक उस पर भी कोई अमल नही हुआ। मैं बड़े अदब के साथ यह कह देना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा तभी रहेगी जब कि जो आश्वासन मंत्री जी देते हैं उन की पूर्ति हो। आश्वासन जिस बहादुरी से दिये जाते हैं और जिस वाहवाही के लिये दिये जाते हैं, उसी बहादुरी और वाहवाही के साथ उन को पूरा भी किया जाना चाहिये। तभी सदन की गरिमा रह सकती है। यह आश्वासन समिति का भी फर्ज हो जाता है कि वह यह देखे कि जो आश्वासन मन्त्रियों द्वारा दिये जाते हैं, वह पूरे होते हैं या नहीं और इस चीज को सदन के सामने रखा जाना चाहिये कि फलां आश्वासन की पूर्ति नहीं की गयी है।

इसके साथ ही साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि १०वीं क्लास तक क बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये। आज इस मंहगाई के जमाने में जबकि ग्राम सेवक को ६०–६५ रुपया तनख्वाह मिलती है, पटवारी को ८० रुपया, आपरेटर, पतरौल को ६५ रु०, ग्राम पंचायत के मन्त्री को ५६ रु० और मिलों में जो मजदूर काम करते हैं उनको ६०–७० रुपया ही मिल पाते हैं। तब वे गरीब इस मंहगाई में अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उनका पेट पाल सकते हैं, कैसे उनके लिये कपड़े, दवा व मकान का इन्तजाम कर सकते हैं। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि बिना किसी विलम्ब के १० वीं क्लास तक के सभी बच्चों की फीस माफ करने का तुरन्त ऐलान करें।

इसके अलावा उपाध्यक्ष जी, आप के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अध्यापक चाहे वे सरकारी स्कूलों के हों अथवा प्राइवेट स्कूलों के हों, सब को सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जानी चाहिये। माध्यमिक स्कूलों को सरकार की तरफ से १५ करोड़ के करीब अनुदान दिया जाता है। यदि अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाय तो १२ करोड़ रुपये के लगभग उनका वेतन बनता है। इस प्रकार से ३ करोड़ रुपया सरकार को उलटा बच जायगा।

श्रीमन्, मैं तो इस राय का हूं कि समान कार्य के लिये समान वेतन तथा कम से कम वेतन चाहे सरकारी विभाग में काम करने वाला हो चाहे निजी उद्योग व व्यापार में किसी का भी वेतन १५० रु० मासिक से कम नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूं सरकार मेरी इस राय को स्वीकार करेगी।

रोडवेज के रनिंग कर्मचारी जैसे---ड्राइवर, कन्डक्टर्स व बुकिंग बाबू वगैरह, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। उन को भी रोडवेज के अन्य कर्मचारियों की तरह ही छुट्टियां मिलनी चाहिये अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो उनको ओवरटाइम मिलना चाहिये। इसी के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय वेतन मण्डल जिसकी संस्तुति केन्द्रीय सरकार ने मान ली है उनको उत्तर प्रदेश सरकार भी मान ले और तुरन्त लागू कर दे।

[श्री प्यारे लाल]

३० एकड़ की सीलिंग के बाद जो भूमि बचती है, जंगल विभाग की बनरहित भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि तथा परती भूमि को भूमिहीनों में बांटने की व्यवस्था बिना विलम्ब के सरकार करे। इसी के साथ निवेदन करूंगा कि प्रत्येक गांव को सड़क और बिजली से जोड़ दिया जाय। ऐसा होने पर गांवों की हालत सुधरेगी। गांवों में रहने वाले जो भूमिहीन हैं उनकी हालत भी सुधरेगी। सड़कें बन जाने पर किसानों को अपना अनाज गांव में ही सेठों को बेचने के लिये मजबूर नहीं होना पड़ेगा और वह उसको शहर की मण्डी में ले जाकर अच्छे पैसे में बेच सकेंगे। इस तरह से जो मजदूर गांव में रहता है तथा मिलों में काम करता है वह सड़क बनने पर प्रति दिन रिक्शा या साइकिल से शहर व अपने घर आ जा सकेगा। ऐसा हो सके तो शहर में उन को क्वार्टर नहीं लेना पड़ेगा। शहर में क्वार्टर लेने से तथा होटल में खाने पर उनका बहुत अधिक व्यय हो जाता है। अपने वेतन से घर वालों को पैसा देने में असमर्थ रहता है यदि सड़क बन जाये तो इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। प्रत्येक खेत के लिये पानी की व्यवस्था अगर हो जाय तो पैदावार बढ़ेगी और गांव की हालत सुधरेगी और ग्रामीणों का स्तर ऊंचा उठेगा। अगर गांवों में बिजली पहुंच जाय तो वहां पर कुटीर उद्योग चालू हो सकते हैं, कल-कारखाने खोले जा सकते हैं। ऐसा होने पर गांव में रहने वालों को रोजगार मिलेगा और ग्रामों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

इसी के साथ-साथ मैं आप के माध्यम से खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शहरों में जितने मकान हैं उनमें १९५१ तक के बने मकान ही रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट में आते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मकान बहुत मंहगा मिलता है। मेरे क्षेत्र गाजियाबाद में ही एक छोटा-सा कमरा ६०, ७० रुपये में मिलता है। जो मजदूर ६०, ७० रुपया तनख्वाह पाता है वह कैसे इतना मंहगा कमरा ले सकता है। जो सन् १९५१ के बाद के मकान हैं उन को मालिक किसी भी किराये पर उठा सकता है। उन पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं है। मेरी राय है सन् १९५१ के बजाय सन् १९६९ तक के मकानों को रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट की परिधि में ले लेना चाहिये।

मैं निवेदन करता हूं कि पश्चिमी जिलों में ओगल व चोपे की समस्या बड़ी ही विकराल है। बाढ़ से कहीं ज्यादा भयानक है। पानी की निकासी न होने व रजबहों का भूमि से बहुत ज्यादा ऊंचा होने के कारण भूमि से स्वयं पानी निकलना शुरू हो जाता है और वहां पर किसी भी फसल की आसानी से बुवाई नहीं हो सकती है। इस तरह से लाखों एकड़ जमींन सील व नमी के कारण कहर बंजर हो जाती है। मेरे क्षेत्र में एक गांव हसनपुर है उसमें रजबहा खेतों से २० फीट ऊंचा है। जिसके कारण हजारों बीघा जमीन बंजर हो गई है, लगातार नमी रहने के कारण उसमें रेत पैदा हो गयी है। जमींन को बचाने के लिये बड़े पैमाने पर नाले खुदवाये जांय तथा पानी का स्तर नीचा करने के लिये बिजली के नलकूप बनवाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री प्यारे लाल—

उपाध्यक्ष महोदय, ५ मिनट और समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कुल ५ मिनट समय आप को मिला था।

श्री प्यारेलाल—

मुझे दो तीन-मिनट समय और दे दीजिये।

मान्यवर, मैं कुछ अपने अनुभव की जनकल्याणकारी बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के मिलों में ठेकेदारी की प्रथा चल रही है जिसके कारण मजदूर की नौकरी कभी भी पक्की नहीं होती। मिल मालिक मजदूर को जब चाहता है निकाल देता है और जिसको चाहता है रख लेता है। इस प्रकार हजारों मजदूरों का भविष्य अनिश्चित रहता है अतः तत्काल ठेकेदारी प्रथा मिलों में समाप्त की जानी चाहिये तथा आम यूनियनों की मान्यता कानून व रजिस्ट्रार की कलम से न हो कर गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर होनी चाहिये।

गाजियाबाद नगरपालिका १९५९-६० से जब्त है। इस समय वहां पर नौकरशाही और तानाशाही का बोलबाला है। वहां की लगभग दो लाख जनता अपने नागरिक अधिकारों से वंचित है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां की दो लाख जनता को उसके नागरिक अधिकारों से वंचित न किया जाय। गाजियाबाद नगरपालिका तुरन्त बहाल होना अनिवार्य है। यदि नगरपालिका को बहाल करने में कोई कठिनाई है तो मैं निवेदन करूंगा कि जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी जाय जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करे तथा आये दिन की कठिनाइयां दूर कर सकें। इसके साथ ही गाजियाबाद में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है वह वहां पर राक्षस की तरह से बैठा है। वहां पर कई हजार गरीब, पिछड़े एवं हरिजनों के मकानों को उसने अधिग्रहीत कर तथा गिराने के आदेश जारी कर बड़ी विकट समस्या पैदा कर दी है। कोई भी गरीब सुख की नींद नहीं सोता है क्योंकि न जाने कब उसका मकान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाले गिरा दें। उसके इस एक्वीजिशन के कार्य से जनता बहुत ही आतंकित है। श्रीमन्, अच्छा हो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कामों को देखने के लिये भी जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्यारेलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझको दो-तीन मिनट का और समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे जी १५ मिनट बोलेंगे।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप अलग-अलग समय सदस्यों को देते हैं। किसी को ५ मिनट, किसी को १० मिनट और किसी को १५ मिनट का समय दे रहे हैं। इसका क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं समझता हूं कि कोई तथ्य की बातें सदन में प्रस्तुत की जा रही हैं तब मैं उसको अधिक समय देता हूं। जो माननीय सदस्य तैयार हो कर बोलते हैं उनको स्वतः ही अधिक समय मिल जाता है और जो तैयार हो कर नहीं बोलते हैं उन को दो-चार मिनट दे दिये जाते हैं।

श्री छांगुर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ११ बार बोलने के लिये खड़ा हुआ परन्तु मुझ को समय नहीं दिया गया।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं १२ बार बोलने के लिये खड़ा हुआ परन्तु मुझको भी समय नहीं दिया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मैं तीन-चार दिनों से संसदीय प्रणाली की बातचीत सुन रहा हूं। मुझे दुख है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी जो संसदीय प्रणाली के हाउस आफ कामन्स के पटुज्ञाता हैं, वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मुझ को एक बात हाउस आफ कामन्स की पद्धति के सिलसिले में कहनी पड़ रही है कि वहां पर जब धन्यवाद का प्रस्ताव मूव किया जाता है तो वह सब से यंगेस्ट मेम्बर के माध्यम से होता है और जब प्रस्ताव मूव किया जाता है तो वह सबसे यंगेस्ट मेम्बर के माध्यम से होता है और जब प्रस्ताव मूव हो जाता है तो बीच में प्राइम मिनिस्टर खड़े हो कर जो गवर्नमेन्ट का दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करता है और फिर डिबेट चलती रहती है और अन्त में सीनियर मिनिस्टर उसको वाइन्ड अप करता है। मैं नहीं जानता कि श्री नारायण दत्त जी का ध्यान इस पर गया या नहीं क्योंकि ओल्डेस्ट यंगेस्ट मेम्बर माननीय गेंदा सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा है। इस से यह मालूम होता है कि वृद्धों में सब से यंगेस्ट मेम्बर वे ही हैं। यह भी एक कोइन्सीडेंस है कि गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है शायद वह सरकार साल भर भी चल न पाये। खैर, यह तो उनके विचारने की चीज है। सारकास्टिकली यह कहा जाये Coming events cast their shebowos before.

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

साल भर पहले कौन-सी सरकार थी, जब प्रस्ताव पेश किया गया और वह सरकार नहीं चली।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मुझे इसका दुःख है—आदरणीय चौधरी साहब यहां उपस्थित नहीं हैं, परन्तु शिवराज सिंह यहां हैं और मुझे आशा है कि वे मेरी बात को चौधरी साहब तक पहुंचा देंगे। चौधरी साहब मुख्य मन्त्री होने के पहले नेता विरोधी दल थे। उस समय सरकार के बनने के कुछ समय बाद तत्कालीन मुख्य मन्त्री पर यह आरोप लगाया था कि मुख्य मन्त्री होते ही अफसरों का कत्ले-आम शुरू हो गया और उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि "मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गुप्त जी अगर मेरी कोई गलत बात होगी, तो क्षमा करेंगे।" चीफ मिनिस्टर के पद की सौगन्ध खाते ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० पी०, मुजफ्फरनगर और डी० आई० जी०, मेरठ का ट्रान्सफरर्स करना अफसरों को डिमोरेलाइज करना है। अब वे अपने उस कथन को क्यों भूल गये? पता नहीं क्या जादू हो गया, कुर्सी ने क्या जादू कर दिया? पावर में आते ही ट्रांस्फर करने शुरू कर दिये। मैं किसी की नियत पर आक्षेप नहीं करता, परन्तु लोगों के दिमाग में यह असर पड़ रहा है कि ट्रांस्फर्स पोलिटिकल प्रेशर के कारण होते हैं। उनके ट्रांसफर्स के पीछे पोलिटिकल भावना है, इस भावना से उन्होंने भी किया और अपनी मान्यता के सिद्धान्त को भूल गये। पहले कहते हैं कि ट्रांस्फर्स से अफसर डिमोरेलाइज होते हैं, बात बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। राज्यपाल के सम्बोधन में कहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन देंगे। डिमोरेलाइज्ड आफिसर्स क्या स्वच्छ प्रशासन देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि ऐसा कैसे होगा और यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। जब चौधरी साहब नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने यहां तक कहा है—मैं उन्हीं के शब्द कोट कर रहा हूं। ये असेम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं, मेरे घर की चीज नहीं है।

"आप समझते हैं कि जो आपने कह दिया वही इन्साफ है, यह नहीं सोचा कि जो इन्साफ है वह कानून के मुताबिक होना चाहिए।"

मैं आदरणीय चौधरी साहब से जानना चाहूंगा कि क्या यह सिद्धान्त केवल नेता विरोधी दल तक ही था और मुख्य मन्त्री होते ही व्यक्तिगत भावना को लकर सारे काम शुरू कर दिये।

ऐसे कार्यों से स्वच्छ प्रशासन कैसे मिलेगा ? स्वच्छ प्रशासन के बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं। क्या स्वच्छ प्रशासन की आशा की जा सकती है ? श्रीमन्, हांडी का एक ही चावल देखा जाता है कि वह पका है या नहीं। मुझे तुलसीदास जी की एक लाइन याद आ गयी:

"लिखत सुधाकर, लिख गा राहू ।"

तो श्रीमन्, यहां भी राहू पलट गया। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब चौधरी साहब भी गुप्ता जी के पद चिन्हों पर चलने लगे हैं, तो फिर उन को क्यों गाली देते थे ? यहां पर जो बात हुयी एक ही सार निकला कि इस सूबे की मुक्ति हुई है। क्या मुक्ति हुई है और क्या अन्तर हो गया है ? मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से एक बात जानना चाहूंगा कि जब वे उप मुख्य मन्त्री थे तो बी० के० डी० के प्रति उनके क्या विचार थे। उनके शब्द आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं जब कि बी० के० डी० उधर बैठती थी और चुनाव की चर्चा होती थी। उस समय बड़े जोर से आरोप और प्रत्यारोप हो रहे थे कि हरिजनों को डंडे के बल पर रोका गया। उस समय त्रिपाठी जी ने कहा था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इन्क्वायरी बैठाली है, जन संघ ने भी इन्क्वायरी बैठा ली है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन्क्वायरी रद्दी की टोकरी में चली गयी ? कोई निष्कर्ष आया ? मामला यो स्पष्ट है कि यह तो अन्तरात्मा की पुकार है। भगवान जाने यह पुकार किसको कहां ले जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी दुहाई दी जाती है कि हम सूबे की भलाई करेंगे। आप देखें में माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से फिर कोट करता हूं। उन्होंने भाषण दिया था कि सूबे की भलाई के लिये क्या होना चाहिये। वह भाषण बड़ा लम्बा-चौड़ा ढाई तीन घंटे का है जो उन्होंने २४ मार्च, १९६९ को इस सदन में दिया था। मैं उन सब को न पढ़ कर केवल एक प्वाइंट ले लेता हूं। टेक्स्टाइल कमेटी की रिपोर्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि इस सूबे की भलाई तब होगी जब छोटे-छोटे उद्योगों का निर्माण किया जाय और उन्होंने यह कोट किया था—"हैंडलूम के कपड़े बनाने का अगर कानून बना दिया जाय तो बड़े-बड़े कारखाने न खोले जाते तथा आज से २५ गुना ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल जाता।" उपाध्यक्ष महोदय, बात सही है। जनसंघ ने बराबर कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज होनी चाहिये जिससे पूंजी एक जगह कंसेंट्रेट न होने पावे और लोगों को काम भी अधिक से अधिक मिले। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री होते ही वे यह भूल गये और सूबे की भलाई होने लगी ? क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं था कि राज्यपाल के अभिभाषण में वे अपने उन विचारों को रखते ? मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्री होते ही उन्होंने उन सब चीजों को भुला दिया। कुर्सी का प्रभाव भगवान जाने कहां ले जायेगा ।

जिस समय चौधरी साहब नेता विरोधी दल थे तो अपने भाषण में उन्होंने उस समय की सरकार पर सिंचाई सम्बन्धी बड़े आरोप लगाये थे। मैंने भी लगाये थे और आज भी वह आरोप लगाता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस समय नेता विरोधी दल ने मेरा और राजा आनन्द ब्रह्मशाह का उदाहरण कोट किया था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री होते ही वे उन बातों को भूल गये ? आज भी इस प्रदेश में सिंचाई के लिये क्या किया गया है ? राज्यपाल के सम्बोधन में कहीं एक अक्षर भी इसका जिक्र नहीं है। उनके सम्बोधन में न तो बेरोजगारी मिटाने के लिये कोई कदम उठाने की बात कही गयी है और न इंडस्ट्रीज के डिसेंट्रलाइजेशन के लिये ही कोई कदम उठाने की बात कही गयी है और न प्रदेश के किसानों की भलाई के लिये, सिंचाई सम्बन्धी ही कोई कदम उठाने की बात कही गयी है और न प्रदेश के उस हिस्से के सम्बन्ध में ही कोई बात कही गयी है जो सूखे और वर्षा से बराबर पीड़ित रहा है, जहां सूखा इतना अधिक था कि वहां आज भी इतनी अच्छी वर्षा होने के बाद भी भूगर्भ का पानी अपनी स्थिति पर नहीं पहुंचा है । मैं जौनपुर जिले के मड़ियाहूं तहसील की बात बतलाता हूं कि इतनी वर्षा होने के बाद भी वहां का वाटर लेविल रोज एक इंच घट रहा है। सरकार को चाहिये

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

कि वहां की स्थिति पर ध्यान दे और उनकी जो मांगें हैं उन पर सोचे ।

माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि वे किसानों के सेवक हैं लेकिन अब तक उन्होंने किसानों के लिये क्या किया है ? मालूम होता है कि वे मुख्य मंत्री होते ही अपनी जादूगरी से अनइकोनामिक होल्डिग्स को इकोनामिक होल्डिग्स में बदल देंगे और इस तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करने लगे हैं। अर्थशास्त्र का यह नियम है कि कैपेसिटी भी अच्छी हो तब किसान अपनी भूमि को इकोनामिक होल्डिंग्स बना सकते हैं । तो कैपेसिटी कैसे अच्छी होगी, इसके लिए सिंचाई पहली चीज है । सिचाई के बारे में यह है कि सिंचाई के साधन कितने बढ़ाये गये या कैसे बढ़ायेंगे यह भी कुछ राज्यपाल के सम्बोधन में नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मांग कर रहा हूं और मेरी स्पष्ट मांग है कि सिंचाई की दृष्टि से, ट्यूववैल की दृष्टि से जो ड्राट अफेक्टेड एरियाज हैं, बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद के, वहां सिंचाई को प्राथमिकता दें । वहां ट्यूववैल को विशेष सुविधा और पंपिंग सेट्स के कनेक्शन को प्राथमिकता दें । मुझे तो दुख है कि माननीय त्रिपाठी जी जब उप मुख्य मंत्री जी थे तो मेरी प्रार्थना पर भी वे उन सूखाग्रस्त क्षेत्र में नहीं जा पाये । क्या कारण हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता । उन्हीं के समर्थित सरकार और जो उन्हीं के बल पर जीवित है इस तरफ सांस डकार नहीं ले रही है ।

हरिजनों की बात बहुत होती है, मौखिक सहानुभूति बहुत दिखाई जाती है। लेकिन व्यावहारिक क्या है। आज ही प्रश्न काल में कहा गया कि भूमिहीनों के पट्टे रद्द किये गये । उसके लिए मांग की गयी कि जो ऐसे पट्टे रद्द किये गये उसके लिए सरकार आश्वासन दे कि चाहे यह पट्टे टेकनीकलिटी या अनियमितताओं के कारण रद्द किये गये हों उन्हें सही करके उन भूमिहीनों को भूमि मिलेगी । ऐसे ही उनकी समस्या मकानों की है। बागात में हरिजन बसे हुए हैं । ३०/४० वर्ष से वे आबाद हैं । लेकिन आज भी उन ग्रोव्ज में उनकी आबादी दर्ज नहीं है। मेरा निवेदन है कि पहला कदम यही उठावें कि उन ग्रोव्ज में उनकी आबादी दर्ज की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जोर की चर्चा मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल के सम्बोधन में कराई है स्वच्छ प्रशासन और करप्शन रोकने की । यह कहा गया कि पुलिस कमीशन बना रहे हैं, जिससे मालूम हो कि पुलिस में घूसखोरी कैसे बन्द हो। श्रीमन्, एक पुलिस कमीशन तो बना था । उसकी रिपोर्ट भी आई । लेकिन क्या पुलिस की घूसखोरी बन्द हुई ? इस सदन में आश्वासन दिया था कि घूसखोरी बन्द कर देंगे तो क्या वह बन्द हुई ? वह तो आज भी चरम सीमा पर है । मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है और मैं स्पष्ट लांछन लगाता हूं कि पुलिस का संगठन ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, पूर्णतः भ्रष्ट है । उसका सारा गठबंधन जुर्म के साथ हो गया है और जुर्म का साथ देकर और ज्यादा जुर्म करा रहे हैं । मैं नाम तो नहीं बतलाऊंगा लेकिन इशारा मात्र करूंगा । बनारस के कोतवाल जुआ खिलाकर १० हजार रुपया की आमदनी करते हैं, इसी तरह जौनपुर में जुए से कोतवाल की आमदनी पांच हजार और लखनऊ में जुआ और शराब से कोतवाल की आमदनी पचास हजार है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको ओपेन सिक्रेट कहा जाता है तो इनको रोकने के लिए क्या किया ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं । यह ३ मार्च का नेशनल हैराल्ड है। इसमें एक पत्र एस०पी० मेहरा, भार्गव एस्टेट, पोस्ट बाक्स १८८, कानपुर का छपा है जिसमें लिखा है....

.....The Regional Provident Fund Commissioner, Government of India, Kanpur, through this letter dated May 3, 1968, sent an FIR to the Superintendent of Police (City) Kanpur stating that the Directors of a Textile Mill in Kanpur had committed criminal breach of trust in respect of Rs. 70,453 deducted from the wages of workmen on account of provident fund

contribution. He requested that a criminae case beeregistered under sacetions 406, 409 of the I.P.C. and investigation be made for taking action against the above person. The police at Kanpur did not register any criminal case on the basis of the above F.I.R."

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी विभाग की रिपोर्ट है कोई व्यक्तिगत एफ०आई० आर नहीं है। गवर्नमेंट विभाग की ही रिपोर्ट पुलिस विभाग दर्ज नहीं करता। इतना जबरदस्त साहस। यह मामला आई० जी०, डी० आई० जी० के सामने आता है और आज तक यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। तो क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा जब पुलिस का गठबंधन क्रिमिनल के साथ होगा। मैं ऐसी आशा किये था कि यह पुलिस कमीशन का जो हल्ला किया जा रहा है तो उसके टर्म्स आफ रेफरेंस हमारे मामने आयेंगे क्योंकि एक संगठन का जब तक पूरा अध्ययन न हो पीसमील दवाई से रोग दूर होने वाला नहीं है। पुलिस की आज की जो संगठना है और उसकी आम ड्यूटीज हैं यह तो अंग्रेजों के जमाने की संगठना है जिसमें उसका केवल एक काम था डंडे के द्वारा सामन्तशाही के माध्यम से एक प्रकार की शांति बनाये रखे। आज तो पुलिस की मल्टीफेरियस एक्टीविटीज हैं। पुलिस के अन्दर एक ब्रांच हो सकती है ट्रैफिक रेगुलेशन्स के जिसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। आज इन्वेस्टीगेशन ब्रांच का वही पुराना ढांचा है दरोगा जो इन्वेस्टीगेशन करेंगे इस कारण आज हालत यह हो गयी है कि जुर्म होते जाते हैं और जुर्म करने वाले साफ बचते जाते हैं। इससे प्रोत्साहन मिलता है कि अधिक जुर्म हो। पुलिस को पैसा मिलता है। तो यह इन्वेस्टीगेशन किस ढंग से होना चाहिये यह आना चाहिये।

दूसरी बात सूचना की है। पिछली बार आपको ध्यान होगा, श्रीमन्, कि मैंने प्रश्न किया था कि नैनीताल जिले में जंगल में नक्सलाइट्स को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गयी। सरकार ने स्वीकार किया था कि १४ दिन तक ट्रेनिंग कैम्प नैनीताल जिले में जंगल में लगा था। मैं पूछता हूं कि पुलिस कहां गयी थी? सरकार को सूचना नहीं थी। कई प्रश्न उठते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ट्रेनिंग कैम्प के लिए पैसा कहां से आया? ट्रेनिंग के लिए लोग कहां से आये? हथियार कहां है आये? उनके भोजन की व्यवस्था कहां से हुई? सरकार को इस सब की कोई सूचना नहीं। यह हमारी सी० आई० डी० का इन्टेलिजेंस विभाग है। आज हमारे देश में नक्सलाइट ऐक्टीविटीज बढ़ती जा रही हैं। बहराइच जिले में जो नैपाल से लगा हुआ है नक्सलाइट ऐक्टीविटीज हो रही हैं और हमारी सरहद पर हो रही हैं और विदेशी उन्हें सब प्रकार के शस्त्र दे रहे हैं। आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि आसाम के ही माध्यम से वेस्ट बंगाल के नक्सलाइट्स को चीन से शस्त्रास्त्र आ रहे हैं। आज इसकी कुछ रोकथाम हो रही है। देश के अन्दर सशस्त्र क्रांति का षड़यंत्र हो रहा है। मैं जनवादियों की क्रांति समझ सकता हूं, लेकिन विदेशियों के माध्यम से सशस्त्र ट्रेनिंग दे कर देश में विघटन कराये यह देश के लिये कोई शुभ लक्षण नहीं है। ? इसके आगे जो नक्शा है वह यही है कि ट्रेनिंग हो गयी, गोलियां चल गयीं लाखों मर गये और षड़यंत्र सफल हो गया।

तीसरी समस्या देश के अन्दर रायट्स की है। इस संबंध में जो जांच कमेटी बिठायी गयी थी उसने स्पष्ट कहा है कि २३ रायट्स में से २२ रायटस पाकिस्तान के द्वारा कराये गये हैं। यह भी एक आश्चर्यजनक चीज है कि विदेशों के षड़यंत्र देश के अन्दर कम्युनल राइट्स कराने में सफल हो रहे हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। आज इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है कि पुलिस और चोरों का और जुर्म करने वालों का कहां तक साथ है और नेताओं का उन्हें कितना प्रोटेक्शन है। आज पुलिस की इन्काम्पीटेंस बढ़ गयी है। चाहे वह कांग्रेस हो या यह सरकार हो, अफसरों को डिमारेलाइज करने का दोनों को श्रेय है। आज इतना डिमारेलाइजेशन है कि पुलिस के एस०पी० कन्वेंसिंग करते हैं माननीय

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

सदस्यों को कि इस दल का टिकट लो, उस दल का टिकट लो। मैं गलत कहता हूं तो शिवराज सिंह जी बतायेंगे, बदायूं जिले के एस०पी० की बात सही है या नहीं। तो सरकारी अफसर राजनीति में हस्तक्षेप करें यह इस सूबे के माथे पर कलंक है और इस प्रकार पुलिस के प्रशासन को जब डिमारेलाइज कर दिया जायगा तो सूबे का सत्यानाश निश्चित हो कर रहेगा, बच नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि माननीय चौधरी साहब जो यह कमीशन बना रहे हैं इसके अन्दर यह सारी बातें जांच में आनी चाहिये। उस कमीशन में हार्डकोर ब्यूरोक्रेसी ही न हो बल्कि उसमें कोई न्यायाधीश हो, पुलिस के अनुभवी लोग हों, जनता के प्रतिनिधि हों, माननीय सदस्य भी यहां के हों जो इस विषय में जानकारी रखते हों और उसमें तमाम बातों पर आमूलचूल विचार होना चाहिये, उसमें पुलिस के संगठन, उसके आचार-विचार, उसकी वर्किंग और उसकी एफीशियेंसी पर, उसका क्या ढांचा हो सब विषयों पर उसमें विचार हो तभी यह पुलिस कमीशन उपयोगी सिद्ध होगा। वर्ना वह केवल एक आईवाश ही होकर रह जायेगा।

राज्यपाल महोदय के संबोधन में मितव्ययिता की ओर इशारा किया गया है। इस संबंध में मैं आज के मुख्य मंत्री और उस समय के नेता विरोधी दल के बजट भाषण की ओर इशारा करूंगा, २४ जुलाई की प्रोसीडिंग्स में यह छपा है जिसमें उन्होंने यहां कहा था कि स्वच्छ प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन में मितव्ययिता हो, तीन सुझाव उन्होंने दिये थे। मैं उनका आदर करता हूं और उन का सम्मान करता हूं, एक सुझाव उन्होंने यह दिया था कि दिल्ली में प्रदेश के जो लियेजां अफसर रहते हैं उन की कोई आवश्यकता नहीं है और जब वह संविद के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस पद को समाप्त किया था। लेकिन जो कदम उन्होंने उठाया था और उनकी जो घोषणा थी उस को वह अब क्यों भुल गये ? उन्होंने उसी भाषण में एक दूसरा सुझाव दिया था कि इस माननीय सदन के लिए सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की आवश्यचता नहीं है। बात ठीक थी मितव्ययिता होनी चाहिये अगर बगैर उन के काम चल सकता है। लेकिन वह कुरसी बदलते ही अपने सुझाव को क्यों भूल गये। केवल मितव्ययिता की बात कहने से तो काम नहीं चलेगा, उस बात को कार्यान्वित करने से ही कुछ होगा। मैं मांग करता हूं कि उस समय नेता विरोधी दल की हैसियत से जो उन के विचार थे उन के वही विचार इस राज्यपाल के संबोधन में आने चाहिये थे लेकिन मैं देखता हूं कि वे नहीं आये।

करप्शन की बात कही जाती है, बात ठीक है वह मिटना चाहिये। सही बात है लेकिन १-२ रुपये चपरासी के लेने देने से वह नहीं मिटेगा। जब काबे में स्वयं आग लगी हो तो वह उस पर क्यों नहीं ध्यान देते ? मैं तो नहीं जानता कि क्या बात सही है और क्या गलत है, लेकिन समाचार पत्रों में माननीय धर्म सिंह जी जो उधर मंत्री हैं उन का एक पत्र छपा है जो उन्होंने बिशनलाल गुप्त, मोटर आपरेटर एवं भट्ठा मालिक, बदायूं को लिखा था। जिसमें २५ हजार रुपये की बात है। आप की इजाजत से वह मैं पढ़े देता हूं। वह लिखते हैं कि 'प्रिय गुप्ता जी, आशा है आप कुशलता से होंगे। मैं भट्ठे के लाइसेंस के अलावा कोई ठोस कार्य मिनिस्ट्री में रह कर न करा सका। मुझे विश्वास है कि मैं मिनिस्ट्री में अवश्य आ जाऊंगा। मुझको आप फौरन ५ हजार रुपया भेजने का कष्ट करें। फिक्र न करें मिनिस्ट्री में आते ही आप के साथ मिल कर व्यापार करने की कोई योजना बनायी जायगी। आप ने अब तक मुझ को २० हजार रुपया दिया है, उस को आप लागत समझें यह सब रुपया भगवान ने चाहा तो कुछ समय में ही निकल आवेगा। बच्चों को प्यार--आप का धर्म सिंह।'

मैं इस पत्र की सत्यता नहीं जानता लेकिन ऐसा आरोप समाचार पत्रों में उन पर लगाया गया है और समाचार पत्र में यह चुनौती खुलकर उनके सामने आई है तो यह उन की जिम्मेदारी है कि वह इस को गलत साबित करें या स्वीकार करें। यह चुनौती माननीय मंत्री जी को २६ फरवरी को 'तरुण भारत' में दी गई थी लेकिन उस के बाद न उन्होंने और न मुख्य मंत्री जी

ने इस पर कोई सांस ली । अगर यह गलत है तो मंत्री जी 'तरुण भारत' पर मानहानि का मुकदमा चलायें और उस का न्यायालय से फैसला हो और अगर यह आरोप सही है तो वह उसका पश्चाताप करें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप की करप्शन मिटाने की सारी घोषणाओं पर अब तभी विश्वास होगा जब आप जो आरोप लगाये गये हैं उनको कसौटी पर रखकर उनकी जांच कराने के कदम उठायेंगे । जहां भी जवाब दिया जाय, मैं केवल आवाहन मात्र कह रहा हूं ।

श्री बंश गोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)--

'तरुण भारत' अखबार का भी कोई मतलब है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

श्रीमन, १९११ में जिस समय Asquith की इंगलैंड में मिनिस्ट्री थी तो उस समय के लार्ड प्रिवीसील और लाइड जार्ज जो तात्कालीन चान्सलर आफ एक्सचैकर थे, इन दोनों के बारे में एक बड़े थर्ड क्लास समाचार पत्र में जिसका नाम आवजर्वर था यह निकला कि Marconi शेयर में जिसको सरकार खरीदने जा रही है, उन्होंने शेयर व्यापार किया। वहां की पार्लियामेंट में मिस्टर Asquith उठे और खड़े होकर उन्होंने कहा कि वे इस मामले में एक इन्क्वायरी कमीशन बिठालेंगे । तब इन दोनों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उस इन्क्वायरी को फेस किया। यह है प्रक्रिया किसी काम को करने की। यह नहीं होता कि वहां जवाब दे दिया। आरोप लगा है तो उसकी सत्यता या असत्यता स्पष्ट होनी चाहिये तब विश्वास किया जायगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है, इधर साल भर की सारी घटनाओं को देखकर कि माननीय नेता विरोधी दल की घोषणायें कुछ और थीं और मुख्य मंत्री के कृत्य कुछ और हैं मुझे इस सम्बन्ध में एक देहात की कविता याद आती है कि लिखो नीति पढ़ो नीति लेकिन करो अनीति, यही राजनीति ।

इन शब्दों के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन उसका विरोध करे और उस प्रस्ताव को अस्वीकार करे ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)--

श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं यहां पर नहीं था । जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैं यहां उपस्थित हुआ । जो 'तरुण भारत' में वाकया निकला, उसको मैंने पढ़ा । जिस चिट्ठी का जिक्र किया गया है, उसकी भी एक लम्बी कहानी है और यह बिल्कुल गलत है । खत में मेरा हैंड राईटिंग भी नहीं है । मान्यवर जो खत है और जो मेरे पास प्रमाण हैं, उनसे स्पष्ट हो जायगा कि यह खत मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है । खत जनवरी, १९६१ के करीब का है । उसमें जो वाकया लिखा हुआ है मैं इस माननीय सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि न मेरा बिजिनेस से कोई वास्ता है न मुझको किसी प्रकार का पैसा मिला है और न मैंने यह खत लिखा है । यह बात अगर सही थी कि कोई खत १९६१ में लिखा गया था तो उसकी चर्चा १९६२ में होनी चाहिये थी, १९६३ में उसकी चर्चा होनी चाहिये थी । १९६७ में जब इस प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे केवल एक पार्टीबाजी के आधार पर कि मेरा चुनाव कट जाय, जिसका मेरे पास एक सबूत है, कि पार्टी बाजी के आधार पर इसको प्रोड्यूस किया। उस समय प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीया सुचेता जी कृपालानी थीं । जब उनके सामने इस बात का जिक्र आया, इसमें दो रायें नहीं हैं कि उस समय मैं मैं माननीय कमलापति जी की पार्टी में था, और उस पार्टीबाजी के आधार पर मान्यवर मैंने जानना चाहा कि क्या कभी १९६१ में इस प्रकार का कोई पत्र लिखा है । लिहाजा मैं बदायूं गया और वहां से यह बाकयात जानने चाहे और जिन सज्जन का पत्र में जिक्र है उनसे बात की । मेरे

[श्री धर्म सिंह]

पास श्रीमन् बिशन चन्द्र गुप्ता जी के पत्र की फोटो कापी है और असल भी है जिसे मैं पढ़ देना चाहता हूं अंग्रेजी में है—

Badaun
Dated 27-11-66

Respected sir

I AM pained and surprised to learn that a letter alleged to be written and addressed to me by Sri Dharam Singh has been produced. The letter must be forged one as no such letter has ever been written by Sri Dharam Singh to me. All the contents of the so called letter are absurd and false. There is no brick-klin licence in my name ever granted by any authority. Neither I ever poid any amount to Sri Dharam Singh ji nor he ever demanded any amount from me. I have never had any business dealings with Sri Dharam Singh and have received any favour from him. The letter is undoubtedly forged one. It has been produced by some interested persons to defame Sri Dharam Singh and ruin his political career. Hence it should be dealt with in the same light.

Yours faithfully.
Bishan Chandra Gupta

तो श्रीमन्, इसमें यह लिखा है कि मैंने उनको कोई पत्र इस तरह का नहीं लिखा और न ही मेरे उनके कोई व्यापार संबंध कभी रहे और जो कुछ उस पत्र में लिखा है वह सब गलत है और वह एक फोर्ज्ड लेटर है और मुझे बदनाम करने, तथा मेरे राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा उसे प्रोड्यूस किया गया है ।

उसके बाद श्रीमन्, मैंने कुछ और वाकयात जानने की कोशिश की कि आखिर यह क्यों किया गया । श्रीमन्, मेरे पास एक पत्र और है जिसे मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । बुलन्दशहर में स्याना एक जगह है । वहां के एक माननीय नैनसिंह मेरे खिलाफ टिकट चाहते थे । मुझे दुख है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जो इस सदन में नहीं है । यह पत्र एक श्री विजयपाल सिंह ने श्री नैनसिंह को लिखा है जो इस प्रकार है—

भाई नैनसिंह जी, स्याना ६-११-६६

बाबू बनारसीदास जी की उस दिन की हिदायतों के अनुसार धर्म सिंह के खिलाफ कागज बना कर उसके फोटो करा लिये हैं । उनको लेकर बाबू जी को देने के लिए मैं लखनऊ पहुंच रहा हूं । फोटो की कापी पार्लियामेंटरी बोर्ड में रक्खी जायंगी। इस फोटो के द्वारा ही धर्मसिंह का टिकट कट जायेगा। आप भी लखनऊ जाना।

विजयपाल सिंह।

श्रीमन्, इस व्यक्ति को सन् १९६७ में मेरे खिलाफ सिन्डीकेट के नेता लोग टिकट देना चाहते थे। मगर उसमें वे कामयाब नहीं हुये। मुझे टिकट मिला। १९६९ में जाकर, जब किन्हीं वजूहात से मैंने कांग्रेस छोड़ दी तब इस व्यक्ति को सिन्डीकेट द्वारा टिकट दिया गया। मेरे पास श्रीमन्, इस तरह के डाकूमेन्ट हैं। जब यह मामला बहुत बढ़ा तो मैंने दो बार इनको सेन्ट्रल बोर्ड के सामने रखा। श्रीमन्, यह कांग्रेस का अपना मसला है, इस चीज को यहां कहने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु चूंकि मेरा नाम लिया गया, एक वाकया सदन के सामने रखा गया और मेरा नाम बुरी तरह से घसीटा गया, इसको रखकर सदन को अंधेरे में रखकर गुमराह करने का प्रयास किया गया, इसलिए मुझे विस्तार से सब बताने की आवश्यकता हुई। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उसमें थे, प्रदेश के बहुगुणा जी थे, गोविन्द सहाय जी उसमें थे थे जिनकी मृत्यु हो गई है—सब इस वाकया को जानते हैं। १९६६ में इस तरह का खत सामने आया और इस सम्बन्ध में एक लेटर मैं पेश करना चाहता हूं,

जो बहुत बड़ा है हलफिया बयान का जो कि उत्तर प्रदेश पार्लियामेंटरी बोर्ड और सेन्ट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड के सामने पेश किया गया। यह मैंने उन्हें दिया। तो मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सन् १९६६ में इतना ही नहीं हुआ है २० के करीब डाकूमेन्ट्स टिकट न दिलाने के बारे में ला मिनिस्टर पाठक जी के सामने रखे गये। यह सब सबूत रखे गये कि टिकट मिल जायेंगे या कट जाएंगे। किन्तु यह सब झूठा करार दे दिया गया और बना हुआ करार दिया गया प्रदेश में हम सब को टिकट मिला।

एक बात मैं बहुत छोटी कहना चाहता हूं। इधर भी जाति है, उधर भी जाति है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को दावत देता हूं, माननीय दुबे जी को चाहिए था कि वह मुझसे पूछते कि क्या कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का पत्र लिख सकता है। सन् १९५२ से लेकर आज तक मेरे जिले की जनता ने मुझे बराबर जिताया है, १९५२ में जिताया, १९५७ में जिताया, १९६२, १९६७, और १९६९ में जिताया। यदि मैंने इस तरह से कोई भी काम किया होता तो मुझे जनता का विश्वास प्राप्त न होता। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो वाकया इस पत्र में लिखा हुआ है, उसमें से कोई भी चीज इस तरह की यदि साबित हो जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कोई भी जांच कर ले, आप उसमें हो जाएं, कोई भी दो माननीय सदस्य उसमें हो जाएं उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो जाए, तो मैं पोलेटिकल लाइफ से रिटायर हो जाऊंगा, हालांकि अभी मेरी उम्र ४३–४४ वर्ष की ही है। अब सिण्डीकेट वाले अपने कारनामे देखें जो वे झूठे केस बनाने के लिये करते हैं। मेरे भाई (दूबे जी) का तो कोई कसूर नहीं है, उनको दिया गया है, बांटा गया है, मुझे सब मालूम है––किसने दिया, कहां दिया। १९६६ में ही जब इस बात का निर्णय हो गया था तो अब इतने साल बाद इस तरह की बात कहने की आवश्यकता क्या थी। इसमें यदि कोई सच्चाई है, तो मैंने जैसा कहा मैं अपनी पोलेटिकल लाइफ से रिटायर हो जाऊंगा। इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी यदि कोई सदस्य कहेगा तो मैं और इस बारे में स्पष्टीकरण देना पसन्द करूंगा।

श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)––

पहले आप यह बतायें मुझे कितना समय मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष––

जितना शीघ्र समाप्त कर सकें अच्छा है, क्योंकि अभी मुख्य मन्त्री जी को भी बोलना है। आप स्वयं सोच लें कि बहुत कम समय है।

श्री शमीम आलम––

मैं श्री गेंदा सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा यह समर्थन तन्कीदी है और इसीलिए मैंने खेद का प्रस्ताव भी दूसरे लोगों के साथ रखा है, जो इन अल्फाज में है––'किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उर्दू के विकास, प्रसार, प्रचार तथा उसके सरकारी व अदालती काम-काज में इस्तेमाल का कोई उल्लेख नहीं किया है।' राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गांधी शताब्दी, का जिक्र किया, खान अब्दुल गफ्फार खां के हिन्दुस्तान में और खसूसन इस प्रदेश में दौरे का जिक्र किया, संत गुरु गोविन्दसिंह की ५००वीं बरसी का जिक्र किया। हम को ये इशारा किया कि हमारे प्रदेश की सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे राष्ट्रीय एकीकरण बढ़े, मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों और मुख्तलिफ फिर्कों में आपस में मेल और मुहब्बत पैदा हो।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शिक्षा के सिलसिले में भी कहा कि हम ऐसी शिक्षा का इंतजाम करेंगे जिससे हमारे तालिबइल्म अच्छे, होनहार, देश के निवासी बन सकें। मैं बड़े अदब के साथ आप के द्वारा इस सदन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है जब से देश आजाद हुआ, २३ वर्ष बीत गये, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है कि उसकी बुनियाद पर दिन ब दिन फिरकेवाराना फसादात होते हैं, अकिलयत के लोगों का खून बहाया जाता है।

[श्री शमीम आलम]

मुझे अफसोस है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर डालना चाहते हैं। अभी आज ही एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट है जो झगड़े होते हैं पाकिस्तान के इशारे पर होते हैं। यहां पाकिस्तान झगड़े कराता है। मैं जानना चाहता हूं कि हम अपने दुश्मन के इशारे पर क्यों काम करते हैं? गलती दुश्मन की नहीं है। दुश्मन हमेशा बदनामी कराने की घात में रहेगा। हम दुश्मन से होशियार क्यों नहीं रहते? खान अब्दुल गफ्फार खां साहब की मैंने तकरीर सुनी। दिल्ली में उन्होंने कहा कि जब मैं अहमदाबाद गया तो वहां मैंने मुसलिम नौजवान लड़के और लड़कियों से पूछा कि बताओं अगर तुमको कोई तकलीफ है। मुसलमान लड़के तो खामोश रहे लेकिन एक लड़की ने कहा। बादशाह खान साहब आप दिल का हाल न पूछें। हम स्कूल जाते हैं। हम से साथी बच्चियां कहती हैं कि तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे लिए पाकिस्तान बन गया है। खुद मेरी बच्ची, जो पढ़ती है, के साथ यही हुआ। उसकी साथियों ने कहा कि यह तो हमारी मेहरबानी है जिससे तुम इस मुल्क में आबाद हो। तुमको इस मुल्क में रहने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिये पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान चली जाओ। हमारे बच्चे यह जहनियत कहां से सीखते हैं? मैं बच्चों का कुसूर नहीं बतलाता। मैं तालीम का कुसूर बतलाता हूं, घर के वातावरण का कुसूर बतलाता हूं जहां बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। हमारे नौजवानों को २३ साल तक शिक्षा मिली। वही नौजवान पुलिस में कर्मचारी बन गये, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में पहुंच गये और दूसरे ओहदों पर हैं। जब वह सरकारी कार्य करेंगे तो उनके दिमांग में जिस तरह की तालीम उनको दी गयी है, जिस तरह की तरबियत दी गयी है क्या वह इससे मुक्त रहेंगे? सरकार इस पर गौर करे कि आइन्दा जो तब्दीली वह शिक्षा में लाना चाहती है उसमें खास तौर से इसका खयाल रहे कि हमारे नौजवानों को ऐसी शिक्षा दी जाय कि हमारा राष्ट्रीय एकीकरण बढ़े, आपस में मेल मोहब्बत बढ़े। आपस में नफरत पैदा न हो।

दूसरे गांधी शताब्दी के साल में इस सरकार ने जो सीलिंग आफ होल्डिंग के बारे में फैसला किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर सरकार गरीबों में वह भूमि बांटना चाहती है तो हर देश का हमदर्द उसका स्वागत करेगा। लेकिन अफसोस है कि अब तक जो भूमि पहले सीलिंग के मातहत या जमींदारी खात्मे के बाद हासिल की गयी उसका वितरण खेतिहर मजदूरों में नहीं हो सका, जिनका उस पर हक था मेरे यहां बुलन्द शहर में १९५० में विनोबा भावे आये थे। मेरे वालिद मरहूम ने दो सौ एकड़ भूमि भूदान में दी थी। उसमें से एक इंच भी भूमिहीनों को नहीं पहुंची बल्कि जो पंडित जी प्रधान थे उन्होंने अपने कुनबे के लोगों में वह जमीन बंटवा दी। कब्ल इसके कि वह जमीन बांटी जाय इस बात का पहले इन्तजाम किया जाय कि जो जमीन अभी तक हासिल हुई है इस तरीके से या आइन्दा हासिल हो, जिसका सही हक हो उनको वह हक मिलना चाहिये। आज के एजेन्डे पर मेरे प्रश्न थे। वह आ नहीं सके। देहरादून में हरिजनों का एक मुहल्ला है। वहां से उन हरिजनों को उखाड़कर, बेदखल कर के सरकार वहां कालोनी बनाना चाहती है। बदकिस्मती रही कि इस मुताल्लिक यह सवाल आज हाउस में आ नहीं सका लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं उसके मुताल्लिक सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या उन्हीं गरीबों की बस्ती इस काम के लिये रह गई है? देहरादून के आस पास और कोई जमीन बाकी नहीं है, जहां पर यह कालोनी बनाई जा सके? अगर कालोनी को इतनी जरूरी समझते हैं तो जिनको निकाला जा रहा है उनका पहले हक है कि वहां पर मकान बनाकर उनको दिया जाय। अगर सरकार को कोई तकलीफ हो तो हरिजनों का भी कोई इन्तजाम होना जरूरी है।

मैं आप का बहुत मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं सदन के सामने प्रस्तुत कीं हैं सरकार उन सुझावों पर गौर करेगी।

श्री नसीमुद्दीन (जिला कानपुर)--

जनाबवाला, तीन रोज से मेहनत करने के बाद आपने जो मुझे मौका दिया है उसके लिये मैं आपका मशकूर हूं। मैं अपनी तकरीर एक शेर से शुरू करता हूं :--

"अन्धेरा दूर करने को जलाओगे दिये जितने।
बढ़ेगी और उतनी तीरगी जब हम नहीं होंगे ।।

इस शेर को पढ़ने से मेरा यह मतलब है कि गवर्नर साहब के खुतबे में जिन मामलों का जिस अहमियत के साथ इजहार किया गया है वह इस सरकार की पालिसी के नुक्ते नजर को जाहिर करते हैं। लेकिन खुतबे के अन्दर उर्दू का जिक्र नहीं किया गया है। गवर्नर साहब के खुतबे के अन्दर गवर्नमेन्ट की पूरी पालिसी का इजहार होना चाहिये। उन्होंने इकानामिक होल्डिंग, ६। एकड़ की लगान माफी का मामला या दूसरी पालिसी के बारे में जरा भी इशारा नहीं किया है। जो खास मसले आज मौजूद हैं उन की तरफ जरा भी खयाल नहीं किया गया है। जब एलेक्शन होता है तो सभी पार्टियां उर्दू की बात करती हैं कि हम उर्दू जबान के हामी हैं और हमारी यह पालिसी है। हम ऐसा करके दिखायेंगे और ऐसी राहत पब्लिक को पहुंचायेंगे लेकिन जब वह इस एवान के अन्दर आकर बैठ जाते हैं तो वे सब वादे नजर-न्दाज कर दिए जाते हैं। फिर तो यह मालूम होता है कि इनकी जरूरत ही नहीं है। उर्दू एक ऐसा जरूरी और अहम मसला है कि जिसको कोई भी ताकत नजरन्दाज नहीं कर सकती है, उर्दू से हमारी लाइफ, हमारा मुस्तकबिल, तहजीब, तम्मदुन का सारा दारोमदार है। इसलिये अगर इस तरीके से ऐसे मसायल को नजरन्दाज रखा जायगा तो यकीन के साथ कहता हूं कि ऐसी गवर्नमेन्ट चल नहीं सकती है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि उर्दू के मसले को जिस तरीके से नजरन्दाज रखा गया है और जिस तरीके से उसका खुतबे के अन्दर जिक्र नहीं किया गया है यह एक दीदोदानिश्ता कदम है। इससे अगर हमारे वजीर आला यह समझते हों कि उन की गवर्नमेन्ट चलेगी, यह गैरमुमकिन है। इसी उर्दू के ईशु पर एलेक्शन में हम लड़कर आये हैं और आगे भी जीतने नहीं देंगे। आज अगर बी० के० डी० के लोग ६५ हैं तो वे २० ही रह जायंगे। दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि:

"नशेमन परनशेमन इस कदर तामीर करता जा,
कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जांय"।

हम अपना मकसद हासिल करने के लिये उर्दू की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आखिर में हमारे उर्दू जंग करने से एक दिन ऐसा आयेगा कि गवर्नमेन्ट इस बात के लिये मजबूर हो जायगी और सरे तसलीम खम होगी और कहेगी कि उर्दू का जो हक है वह उसको मिलना चाहिये।

तीसरी चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि खुतबे के अन्दर इसके अलावा चमड़े के कारोबार का, दरी और सूत का, फिरोजाबाद के चूड़ियों के कारखाने का, लाइयर्स की जिन्दगी के मुताल्लिक, टीचरों के मुताल्लिक कोई खयाल नहीं किया गया है। क्या यह अहम पालिसी का मसला नहीं है? चमड़े के कारखानों का मसला इस तरह है जिससे हमारी और आप की जिन्दगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। चूड़ी कारोबार का फिरोजाबाद में बहुत बड़ा मसला है और दरी व सूत का भी इसी तरह का मसला है इन पर टेक्स का बोझ है जिसको हटाया जा सकता है लेकिन जरा भी तजकिरा इस गवर्नर साहब के खुतबे के अन्दर नहीं किया गया है महज इसलिये कि यह कारोबार मुसलमानों के हाथ में है। इन सब पर खयाल करना चाहिये था। अगर इस तरह से नजरन्दाज रखेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यह सरकार चलने की नहीं है।

केसा में भूख हड़ताल हो रही है। टीचर्स अलग परेशान हैं। एच० ए० एल०, कानपुर के २८ मजदूर बेकार हैं। विक्टोरिया मिल बन्द पड़ी है। कूपर एलन के ६४८ मजदूर बेकार पड़े हैं। इस तरह से मामलात को नजरन्दाज यह सरकार कर रही है जैसे कोई भी बात

[श्री नसीमुद्दीन--]

नहीं और यह सरकार अगर इस प्रकार पालिसी को कर्टेल करती है तो फिर गवर्नर साहब का यह खुतबा नहीं है, बल्कि लेटर टु दी एडिटर है। सरकार इन मामलात पर ध्यान दें और अगर इसे कायम रहना है तो इन मामलात पर अमल करे वर्ना यह सरकार चलने की नहीं है। इस उर्दू के मसले पर मैं आज डिवीजन कराऊंगा जिससे मालूम हो जायगा कि कौन उसका हामी है और कौन हामी नहीं है ताकि दुनिया जान ले कि उर्दू के साथ क्या नाइंसाफी होती है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अनुग्रहीत हूं कि महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर जिसका प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह जी ने किया है मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। गेंदा सिंह जी ने जिस मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की है मैं भी उसकी प्रशंसा करता लेकिन हम दूध के जले हुए हैं। माननीय नेता सदन जो आज मुख्य मंत्री की शक्ल में हमारे सामने बैठे हुए हैं, १ अप्रैल, ६७ को जब राज्यपाल महोदय का सम्बोधन यहां इस सदन में हुआ था उसमें कुछ वायदे हुए थे जिसमें लगान सबसे पहला वायदा था। यों तो १९ वायदे थे लेकिन लगान सबसे पहला था। यह इज्यु संविद सरकार में बराबर बना रहा और चौधरी साहब से कहा गया कि उन्होंने दस्तखत किये हैं संविद के मसविदे पर और कांग्रेस सरकार को गिराया है तो अपने वायदे को पूरा करो। उस समय भी फैसला ३ सही एक बटा आठ का ही हुआ था लेकिन चौधरी साहब ने यह कहा कि मेरा गला दाब कर यह कराया जा रहा है। मैं सरकार छोड़ना पसन्द करूंगा, लगान छोड़ना पसन्द नहीं करूंगा। अब यह ३-१/८ वाली बात दो साल पहले ही चौधरी साहब मान लेते तो उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव न होता, और करोड़ों रुपया खर्च न होता। आज किस सूरत में उनको यह मानना पड़ रहा है? जिस दल की यह सरकार है, व्यंग में उपाध्यक्ष महोदय, उसका नाम 'भ्रान्ति' दल पड़ा हुआ है।

इस दल का नाम भ्रान्ति दल पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या क्रान्ति दल के प्रोग्राम में सीलिंग है, क्या राष्ट्रीय करण है? क्या किसी चीज की सीमाबन्दी है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप उनको सम्बोधित करके पूछेंगे तो वे जवाब देंगे। आप मेरी मारफत कहिये।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं बराबर उपाध्यक्ष महोदय यह कह रहा हूं। अभी जब चौधरी साहब दिल्ली में इंदिरा गांधी जी से मिल रहे थे तो उस समय उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि लगान नहीं छोड़ा जायेगा। लेकिन आज क्यों छोड़ने के लिये आमादा हो गये? जो हम लोगों की प्रार्थना से नहीं किया वह त्रिपाठी जी के दल के कहने या कुर्सी के मोह से कर दिया। (व्यवधान) लगान मान लिया और सीलिंग भी मान ली।

मैं कह रहा था कि आज पूर्वी जिलों के लिये कमीशन बना रहे हैं, बुन्देलखंड के लिये कमीशन बना रहे हैं। इन कमीशनों से मैं समझता हूं आज सारा देश ऊब चुका है। पटेल कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ तो इन कमीशनों को बना कर वह जनता को क्यों भ्रमाना चाहते हैं? भ्रांति दल नहीं है और नेता भ्रान्ति पूर्ण हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कमीशनों का जो ऐलान हो रहा है, यह भ्रम में डालने वाला है। वायदा करने के बाद चौधरी साहब बदलना जानते हैं। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी चौधरी साहब की सरकार को गठित हुये केवल १० दिन हुये हैं लेकिन चौधरी साहब ने जिस गुस्से के साथ सरकारी अफसरों के तबादले, मुअत्तली और बरखास्तगी की है उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद गुप्ता जी ने ज्यादा समय लिया होगा। मेरठ के डी० आई० जी० का क्यों तबादला हुआ? आपने उस वायदे को पूरा नहीं किया जो नेता विरोधी दल की हैसियत से भाषण दिया था। अनेकों अफसरों के आपने तबादले किये और यहां तक कि आई० जी० तक को बदल दिया। चौधरी साहब जनतंत्र चलाना चाहते हैं तो इस तरह से जनतंत्र नहीं चलेगा। जनतंत्र की कुछ मर्यादायें हैं, कुछ परम्परायें हैं। सिंचाई दर के लिये मांग करते थे कि सिंचाई की दर कम करेंगे, आबपाशी कम करेंगे। लेकिन उनका जवाब था कि हमारा कोई इरादा इनको कम करने का नहीं है। आपका इरादा तो लगान खत्म करने का भी नहीं था। अगर प्रदेश के किसान जिन्दा हैं तो वह आबपाशी के लिये आन्दोलन करेंगे और इनकी सरकार जुल्म ढायेगी। अब यू० पी० बन्द और शहर बन्द का नारा न लगाकर लगान बन्द और आबपाशी बन्द का नारा लगाया जायगा। जो किसानों के नुमायन्दे होकर किसानों की लूट करना चाहते हैं, और अपने लिये मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्ट्री हासिल करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आबाज उठायी जायगी। गरीबों की हिमायत इस तरह से नहीं हो सकती, जिस तरह से आप उसे करने का इरादा रखते हैं।

अभी माननीय गेंदासिंह जी ने एक जरा सी बात कह दी कि अगर हम नहीं रहे तो यह सदन नहीं रहेगा। मतलब? असेम्बली भंग करा देंगे। यह इशारा कहां से था? यह इशारा दिल्ली से था। जो जनतंत्र को समाप्त करने वाले हैं, उनकी ओर से यह इशारा था। माननीय गेंदा सिंह को इस बात को कहने की आवश्यकता न थी। चौधरी साहब का स्वयं का ही यह विश्वास है कि जब तकवे स्वयं इस कुर्सी पर हैं, तब तक यह सदन रहे, नहीं तो मिडटर्म पोल हो जाय। मिडटर्म पोल के बारे में वे पहले भी गवर्नर को सलाह दे चुके हैं। इसलिये यह काम चौधरी साहब स्वयं ही कर लेते। श्रीमन् जब पहले चौधरी साहब ने पिछली एस० वी० डी० से इस्तीफा दिया तो तमाम दलों की मीटिंग हुई और सारी पार्टियों ने यह प्रस्ताव पास किया कि मिडटर्म पोल नहीं होना चाहिये तथा सब की ओर से मैं, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिये गया। सब की बहुत सद्भावनापूर्ण यह राय थी कि चाहे कांग्रेस के लोग ही सरकार बना लें लेकिन मिडटर्म पोल न हो। केवल चौधरी साहब ही एक ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा देकर गवर्नर को मिडटर्म पोल के लिये लिख कर, इस प्रदेश को इस तरह इस जगह पर ला दिया। उस समय मैंने एक बात कही थी कि आखिर चुनाव के बाद भी मिली-जुली सरकार ही बनेगी और वैसा ही हुआ। अब चौधरी साहब कहां जा मिले? मैं उनका एक भाषण सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं। वह भाषण तो बहुत लम्बा है लेकिन उसका कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"अध्यक्ष महोदय, एक संभ्रान्त व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या किया। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आप मेरे ऊपर दया कीजिये। मुझको महसूस हो रहा है कि मेरे और मेरे खयाल के लोगों के लिये आज कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। आज मैंने अखबार में एक बयान पढ़ा है। जिस प्रकार से किसी को छुरा भोंकने पर तकलीफ होती है, मेरे दिल में उसी प्रकार से तकलीफ हुई है। मैं नहीं समझ पाया कि आत्मसम्मान वाले मेरे साथी कैसे कांग्रेस में रह सकते हैं" लेकिन आज मैं चौधरी साहब से विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी विनम्रता की बात को भी उन्होंने नहीं माना और उन लोगों की बात अब उनको जबरदस्ती माननी पड़ी। हम तो उनकी कुछ बातों को मान भी लेते थे लेकिन इस समय चौधरी साहब जहां जाकर फंस गये हैं वहां उनको सदा दबाव में ही रहना पड़ेगा। वे उन पर सदा दबाव ही डालते रहेंगे। चौधरी साहब के स्वभाव को मुझसे अधिक शायद ही कोई जानता हो, वे इस दबाव को ज्यादा दिन तक नहीं सह पायेंगे। लेकिन मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि प्रदेश का चाहे जो नक्शा हो लेकिन वे प्रदेश को मिडटर्म पोल से बचायें। हमको तो संविद की सरकार में विश्वास है और हम कार्य-क्रम के अनुसार किसी को भी समर्थन

[श्री रामचन्द्र विकल–]

दे सकते हैं । आप भी अगर सवा ६ एकड़ तक लगान की माफी और सिंचाई दर वाली बात को मान जाइये आपको भी हम समर्थन देने को तैयार हैं । हमारी लड़ाई तो कार्यक्रम के आधार पर ही है । यह जो लगान माफी का आपने एलान किया है वह दवाव में किया है । एक ओर तो आपका वह आर्थिक कार्यक्रम वाला भाषण है सीलिंग के खिलाफ कि अमेरिका इतना धनी क्यों है ? इसलिये कि वहां पर फी आदमी के पीछे ज्यादा जमीन है और कहां आपकी यह सीलिंग की घोषणा । ये चीजें आपके विचारों के विरुद्ध जाती हैं ।

मुझे मालूम है कि आपको और आगे बढ़ना होगा । आपसे किसानों की भलाई की आशा करते हैं । मुझे शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुनने का मौका मिला । कल उन्होंने कहा था कि लगान के मसले में स्वतंत्र और जनसंघ पार्टियों को मिला लिया गया । मैं कहता हूं कि लगान के मसले में चौधरी साहब को भी मिला लिया है । जिस स्वतंत्र और जनसंघ पार्टीज के लिए आप ऐसा कहते हैं उसने राजस्थान में लगान माफी का झंडा खड़ा किया है । उड़ीसा में लगान हटा दिया गया है । मद्रास में लगान नहीं है । तो देश की इस बदलती हुई तस्वीर को चौधरी साहब देखें । अगर उड़ीसा में किसानों से लगान नहीं पड़ता है, बंगाल में किसानों से लगान नहीं पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों से जिनका नेता चीफ मिनिस्टर हो, लगान क्यों पड़े । तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि देश के वातावरण को देखते हुए और किसानों की मांग को देखते हुए इसको स्वीकार कीजिये और केवल मेरठ के किसानों को ही मत देखिये वहां पर आपने भय दिखा दिया है कि अगर लगान चला गया तो जमीन नहीं रहेगी । इसी कारण वहां का किसान लगान माफी नहीं चाहता है । मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों को भ्रष्टाचार से बचाना है तो उनकी सीधे मदद की जावे । गुप्ता जी की रीएक्शनरी सरकार आबपाशी की दरें छोड़ने के लिये मजबूर हो गई थी तो आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं । लगान जब भी बढ़ाया गया, मैंने विरोध किया और कांग्रेस से मेरी मुअत्तली की गई । तो लगान और आबपाशी की सुविधा आप दीजिये ।

तिवारी जी ने कल कुछ भ्रम पैदा कर दिया । न जाने अध्यादेश कहां से पढ़ दिया । वह कानूनी आदमी हैं और यह कहते हैं कि ६। एकड़ के अलावा विरोधी पक्ष ने कोई संशोधन नहीं रक्खा है । उन्होंने शायद पूरा एजेंडा नहीं पढ़ा है । १०,१२ बातों के लिये तो मैंने ही लिख रक्खा है। माननीय सदस्यों ने अलग-अलग ढंग से अपनी मांगों को रक्खा है । तो मैं चाहता हूं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय । यह सरकार भ्रांतियों के साथ बनी है । इसमें अगर आपकी घोषणायें सही होंगी तो यह सरकार चलेगी, नहीं तो आवागमन का जमाना है, सरकार टिक नहीं सकती है । अगर अपनी नीतियों को आप बदलते चलेंगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे ।

मैं एक बात और चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि पहले जब वह हमारे साथ थे तो उन्होंने पबलिक मीटिंग में कहा कि आप लोग ऐसातो नहीं सोचते हैं कि मैं कुर्सी की वजह से कांग्रेस से हट गया हूं । तो वह अब यह सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जो उनके दिल में होता है वह कह देते हैं । तो वह मीटिंग में कहते थे कि मैंने सफोकेशन की वजह से कांग्रेस छोड़ी है । तो अबकी दफा कौन सी बात थी । जो ऐसा किया गया है । मैं इन शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री छांगुर––

मैं कल से आप से और अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल का भाषण नीतियों से संबंध रखता है इसलिये उनके अभिभाषण पर सभी को बोलने का मौका दीजिये । मैंने कल भी आपसे निवेदन किया और अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया । मैं एक दल विशेष का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट

पार्टी का अकेला सदस्य हूं लेकिन आपने मुझे अपना विचार रखने का मौका नहीं दिया इसलिये मैं आपकी व्यवस्था से असंतुष्ट हूं और आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता करता हूं ।

(श्री छांगुर सदन त्याग कर चले गये ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का यह चौथा दिन चल रहा है। इस बीच में इन चार दिनों के अन्दर मुझे यह कहते हुए बहुत तकलीफ होती है कि अभिभाषण पर बहस में बहुत कम ध्यान दिया गया, उस पर बहुत कम समय हमारे सदन का लगा और इधर उधर की बातों पर, प्वाइंट आफ आर्डर्स पर और अन्य गैर जरूरी बातों पर हमारे सदन का समय ज्यादा रायगां हुआ । होना चाहिये था कि हमने अपनी नीतियों की जो घोषणा की है उन पर जो कुछ भी कहा जाता, जो भी सुझाव दिये जाते उनका हम स्वागत करते । सझाव देने की बात होनी चाहिये थी लेकिन यह नहीं किया गया ।

इसके अलावा दूसरी बात जिसका कि मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि भाषण जो हुए या बीच में जो दखल दिये गये या प्वाइंट आफ आर्डर्स हुए उनमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, मुझे यह कहने में तकलीफ होती है कि उस तरीके से कोई भी पार्लियामेंटरी बाडी, कोई भी संसदीय संस्था अपना काम चला नहीं सकती । पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी की पहली शर्त यह है कि कोई आदमी किसी दूसरे की नीयत पर हमला न करे क्योंकि अगर वह दूसरे की नीयत पर हमला करेगा तो दूसरा व्यक्ति आवेश में आवेगा और जो बात उसके लिए कही गयी होगी उसके जवाब में वह सख्त बात कहेगा तो फिर गाली गलौज और लड़ाई हो सकती है और फिर यह बहस की जगह नहीं रहेगी । इसीलिये एक लफ्ज अनपार्लियामेंटरी एक्सप्रेशन है यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किये जायं जो नहीं करने चाहिये इसलिये उसकी व्यवस्था की गयी है कि स्पीकर या अध्यक्ष महोदय, उन अल्फाज को कहने से रोक देंगे। पार्लियामेंट के लिए फ्रांस में 'PRLML' शब्द है जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट लिखा जाता है जिसका माने है टाकिंग प्लेस यानी बात करने की जगह । फाइटिंग प्लेस यानी लड़ाई करने की जगह नहीं । तो मैं बाअदब अपने दोस्तों से जो उधर बैठ हुए हैं यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर मेरी या मेरे साथियों की बात उनको नापसन्द भी हो तो वे उसको इस प्रकार से कहें कि एक तो वह मुताल्लिक हो, रेलिवेंट हो और जब कहें तो ऐसी भाषा में कहें जिससे दूसरे को बुरा न लगे। यह हो सकता है कि जो बात कही गयी हो वह गलत बात हो, (व्यवधान)

मैं सब के लिये कह रहा हूं लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि इधर से अगर कोई गलती हुई है तो मैंने और मेरे साथियों ने उसको रोकने की कोशिश की है लेकिन इधर से इस तरह की चीजों को रोकने की कोशिश नहीं की गयी है।

(व्यवधान)

शम्भूनाथ जी या जो सज्जन बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि चरणसिंह गुस्ताखी कर रहा है, यह कौन-सी भाषा हुई । जब कोई शब्द कहने के लिये इस तरह से कहा जाता है जो नहीं कहना चाहिये तो जो आदमी इसके लिये जिम्मेदार होता है उससे कहा जाता है कि यह अनपार्लियामेंटरी है और स्पीकर उससे उस शब्द को वापस लेने को कहते हैं। अभिभाषण के ऊपर जो बात कही जाती है वह ठीक है लेकिन मेरे ऊपर कल परसनल अटैक हुआ और आज मैंने अखबारों में माननीय भानु प्रताप सिंह जी के भाषण को पढ़ा। मैं उस वक्त सदन में मौजूद नहीं था, अगर मौजूद होता तो भी जवाब नहीं दे सकता था और आज भी समय नहीं लगाऊंगा उसका जवाब देने में लेकिन सिलसिले में जब बात आयेगी तो उसका जवाब दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि पर्सनल एटैक्स, व्यक्तिगत आक्षेप मुझ पर हों या किसी और पर हों

[श्री चरण सिंह]

वह नहीं होना चाहिये क्योंकि उससे किसी का कोई लाभ नहीं होगा। व्यक्तिगत आक्षेपों का यदि मैं जवाब देने लगूं तो फिर सदन नहीं चल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, किसी के बोलने पर माननीय सदस्य एक या दो बार दखल दे सकते हैं पर हर बार दखल देने लगेंगे तो हाउज चल नहीं सकेगा। पार्लियामेंट्री इन्टरवेंशन एलाउड है पर हर बार नहीं एलाउड है। पार्लियामेंट्री इन्टरवेंशन बेसिक अधिकार है पर हर फिखरे पर इन्टरवेंशन करने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र खड़े हुये थे श्रीमान रामचन्द्र जी विकल। उन्होंने कहा कि यह तो भ्रान्ति दल है और जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी है वह बाकायदा एक दल है। जिसको वे भ्रान्तिदल कहते हैं उसके तो ९८ सदस्य हैं परन्तु जिसको वह किसान मजदूर प्रजा पार्टी कहते हैं उसके वे अकेले ही नेता हैं।

(व्यवधान)

यदि आप लोग नहीं चाहते तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

उन्होंने जो भ्रान्ति दल कहा है उसके लिये तो (अन्य सदस्यों को) आपको बुरा नहीं लगा और जनता भी भ्रान्ति में थी कि उसने इस दल के ९८ सदस्यों को चुनकर यहां भेजा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो जनसंघ के मुताल्लिक अब तक कुछ कहा नहीं था। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कहा कि भारतीय क्रान्ति दल के मुताल्लिक जो शब्द उन्होंने कहे और किसान मजदूर प्रजा पार्टी जिस तरह से बनी है उसको इस प्रकार से कहने से कोई नतीजा तो निकलता नहीं है। जब शीशे के मकान में रहने वाला कोई व्यक्ति पत्थर के मकान की तरफ ईंट फेंकेगा तो उसका क्या नतीजा होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने यह भी कहा...

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मैं चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने शीशे के मकान की पत्थर के मकान से उपमा दी। अगर इस कांग्रेस के दोनों दलों के बीच उनका शीशे का मकान आ जाये तो फिर शीशे के मकान की क्या हालत होगी? क्या कभी इसकी तरफ भी उन्होंने सोचा है?

श्री चरण सिंह--

यह तो बोझ मरने वाली बात हुयी। मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि पिछले मध्यावधि चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी, मगर चौधरी साहब ने ऐसा करा दिया और अब फिर उनको अन्देशा लगा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि एस० बी० डी० मेजारिटी में थी और फिर भी मैंने इस्तीफा दे दिया। मेजारिटी के होते हुए भी इस्तीफा दे दिया यह इस बात से साबित होता है कि हमारे कांग्रेस के विरोधी सदस्य मेजारिटी साबित नहीं कर सके और दो महीने के बाद राष्ट्रपति शासन क्लेम्प कर दिया गया।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मेजारिटी न होने की क्या बात...

(शोर)

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बावजूद मेजारिटी के मैंने इस्तीफा दे दिया। इससे यह साबित होता है कि कुछ ऐसी बातें थीं जिनको लेकर मैं आगे नहीं चल सकता था। उस सिलसिले में एक ही बात कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि मैं मालगुजारी माफ करने के लिए तैयार नहीं था और इस बात की वजह से मैंने इस्तीफा दिया। यह बात नहीं थी। बेशक मैं मालगुजारी माफ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अक्तूबर में यह फैसला हुआ था कि सवा ६ एकड़ की आधी मालगुजारी माफ की जाये और उसका एक "किसान फण्ड" कायम किया जाये। उसके लिए मैं राजी था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो रुपया किसानों का है---जिसको हम माफ कर रहे हैं, चलो मालगुजारी के नाम से, उनके हित में आयेगा। उसके लिए मैं राजी था। मैंने जनवरी-फरवरी में इस्तीफा दिया, उसके कारण थे और जो मैंने बयान दिया और अखबारों में छपा, उससे भी जाहिर है। माननीय विकल जी को बड़ी तक्लीफ है कि मैंने इस्तीफा दे दिया और उसकी वजह से जो उनके ऊपर असर पड़ा वह सबको जाहिर है।

वे तो मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गये थे।

(व्यवधान)

मैं तो उनसे बात कर रहा हूं, आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं अपने दोस्तों से यह उम्मीद करूंगा कि सब्र के साथ बात सुनें। मैं किसी के साथ गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं और न किसी की नीयत की बदी का जिक्र कर रहा हूं।

(श्री बांकेलाल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

बांकेलाल जी, मैं आपको टोकता हूं। आप बहुत समझदारी से, अगर कोई बात कहनी हो तो, कहें। यह बात सही नहीं है। बार-बार टोकना ठीक नहीं है।

श्री चरण सिंह---

माननीय विकल जी ने एक बात कही। माननीय कल्पनाथ सिंह मौजूद नहीं हैं। कल उनका भी इशारा था कि बी० के० डी० का कोई प्रोग्राम नहीं है। साहब कैसा सोशलिज्म है?

श्री रामधारीशास्त्री---

समझदारी के साथ बात करने की बात कही गयी। माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष की ओर से ऐसा करना कि समझदारी की बात कहें, मुनासिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

हां, मुनासिब है। मैं चाहता हूं कि वह जागरूकता और सजगता आये। आपको व्यवधान का अधिकार है लेकिन शालीनता की दृष्टि से कोई बात कहें न कि दूसरे ढंग से।

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भारतीय क्रान्ति दल का प्रोग्राम है। उसके इलेक्शन मैनीफेस्टो में २५ प्वाइन्ट्स हैं। उन्हें सुनाने का तो समय नहीं है लेकिन मुख्तसिर रूप में बतलाता हूं। मैं जबानी बतलाये देता हूं माननीय विकल जी की इत्तिला के लिए। जैसा महात्मा जी ने कहा था हमारे यहां औद्योगिक इकाई छोटी होनी चाहिए और जो चीज छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चर की जा सकती हो उसको बनाने के लिए छोटी इकाई ही कायम करनी चाहिए। जो चीज बड़े ही पैमाने पर बन सकती है और जिसको बनाने के लिए बड़े कारखाने बनाने जरूरी हैं तो वे बनाये जायं लेकिन वे गवर्नमेंट की मिल्कियत में होंगे या गवर्नमेंट के नियंत्रण में। मैं जानना चाहता हूं कि इससे ज्यादा बेहतर सोशलिज्म कौन-सा हो सकता है।

एक सदस्य—

हो सकता है।

श्री चरण सिंह—

हो सकता है तो आप रखिये। लेकिन हम तो मानते हैं कि छोटे पैमाने की इकाइयां हों। दूसरे देशों में जहां भौतिक साधन ज्यादा हैं और आदमियों की कमी है वहां बेशक बड़ी फैक्टरी हो सकती है लेकिन हमारे यहां जन-संख्या बहुत है, भौतिक साधन कम है, पूंजी कम है तो ऐसी इकाइयां होनी चाहिए कि जो सीमित साधन हैं उनका बेहतरीन स्तेमाल हो सके। यह अर्थशास्त्र का मोटा-सा सिद्धान्त है। हमारे यहां जहां तक जमीन का ताल्लुक है तो वह लिमिटिंग फैक्टर है। यहां कृषि की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि फी एकड़ पैदावार ज्यादा हो। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र का है जिसमें लेबर और कैपिटल जरूरी होती है। कैपिटल लेबर के मुकाबले कम है तो कैपिटल का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लायमेंट मिल सके। यह बात हमारे मैनीफेस्टो में साफ है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आप सरकार की नीति के बारे में कुछ बतलाइये।

श्री चरण सिंह—

नेशनलाइजेशन के बारे में हमारी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है...

श्री कृष्णानन्द राय—

यह गवर्नमेंट आपकी पार्टी की नहीं है, पंडित जी की सपोर्ट पर है तो पार्टी का दृष्टिकोण नहीं, सरकार की बात बतलाइये।

श्री चरण सिंह—

अब मैं आपके जरिये माननीय कृष्णानन्द राय जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मोटी-सी बात है कि केवल बी० के० डी० के सदस्य ही गवर्नमेंट के मेम्बरान हैं और कांग्रेस का उनको समर्थन हासिल है।

श्री कृष्णानन्द राय—

नीतियों में समर्थन नहीं है।

श्री चरण सिंह—

अब आप बहस मत कीजिये। जब मैं गांधी जी की बात कह रहा हूं तो उसमें बिना कहे जितने हमारे कांग्रेस के दोस्त बैठे हैं उनका समर्थन हमको हासिल है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी समर्थन हासिल होना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपने धोखा दे दिया नहीं तो हम लोग भी आपका समर्थन करते।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने कहा कि "आपने धोखा दे दिया"। मैं इसको अनपार्लियामेंटरी समझता हूं और अगर मेरी राय सही है तो उनसे कहिये कि अपने लफ्ज वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने क्या कहा?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मुख्य मंत्री जी के और इनके बीच में क्या बात हो गयी आपने कुछ सना नहीं। तो जो बात आपने सुनी ही नहीं उस पर आप क्या कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

मान लीजिये कोई शब्द मेरे कान में ठीक से पड़ा नहीं, केवल ध्वनि पड़ी तो जिन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया है उसे अगर मैं कहता हूं कि क्या शब्द प्रयोग किया है तो यह उचित है।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं आपका और माननीय नेता सदन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया कि अभी जो शब्द कहा है उसको थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने सुना नहीं है। ठीक है, "धोखा" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं मानता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

किस बात के लिये कहा?

श्री चरण सिंह---

किसी बात के लिये कहा। नहीं कह सकते कि धोखा दिया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कहिये कि नाराज न हों।

श्री उपाध्यक्ष---

दोनों तरफ से नाराजगी न हो और बहुत प्रेम का वातावरण रहे।

श्री चरण सिंह---

अगर मेरे माननीय मित्र का वह इरादा है कि ऐसी बात कहेंगे। कि जो नहीं कहनी चाहिये और फिर मैं कहूं कि आपने यह कहा है, वापस ले लीजिये तो आप कहें कि गुस्सा किया.....

श्री कल्पनाथ सिंह---

तो मुख्य मंत्री जी बता दें कि क्या कहा जाय?

श्री चरण सिंह---

आप बार-बार नहीं खड़े हो सकते। मैं हूं हाउस के पजेशन में। मुझे बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने दोस्तों से यह कहना चाहता था कि माननीय कृष्णानन्द राय बाद में आयें, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर हमको यहां बहस-मुबाहिसा और वाद-विवाद करना है तो हमको किसी शिष्टाचार से काम लेना होगा, एक दूसरे का मान रखना होगा, आदर करना होगा वरना इस तरह सरकार नहीं चल सकती है। अगर हमारी ओर से गलती होगी तो हम उसे मानने को तैयार हैं। आप (श्री कृष्णानन्द राय से) जैसे जिम्मेवार आदमी जब बीच में ऐसे "धोखा आप ने दिया" कह कर बैठ जायं और जब मैं उस पर एतराज करूं तो कहें कि आप गुस्सा करते हैं। मैं वापस लेने को कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं...(व्यवधान)।

श्री कृष्णानन्द राय—

यहीं पर टोकने की बात नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि राजनैतिक जीवन में भी शिष्टाचार होना चाहिये, केवल लेजिस्लेचर के शिष्टाचार की बात नहीं है राजनैतिक जीवन में भी उसकी जरूरत है ।

श्री चरण सिंह—

अगर मैंने राजनैतिक शिष्टाचार की कहानी खोलना यहां शुरू कर दी तो आप उस को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । राजनैतिक शिष्टाचार हमें क्या आपसे ही सीखना है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र किया गया है अब उन में से चन्द बातों का मैं यहां जिक्र करूंगा और साथ ही जो इस सरकार की नीति है उस को भी मैं थोड़े विस्तार के साथ रखने की कोशिश करूंगा ।

पहली बात उसमें यह कही गयी है कि गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि जो यहां चीनी की मिलें या कारखाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जायगा । यह अधिकतर पार्टीज जो यहां बैठी हैं उन सब का यह फैसला है कि इन मिलों को मौजूदा हाथों में न छोड़ा जाय, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने अब यह फैसला किया है । यह कारखानें अब से ३०-३५ साल पहले यहां कायम हुये थे, उनमें से किसी में ५ लाख की पूंजी लगी है, किसी में ८ लाख की और जहां तक मेरी इत्तिला है १५ लाख रुपये से अधिक की पूंजी किसी में नहीं लगी है । इन ३०–३५ सालों में इन कारखानों को हर साल बराबर मुनाफा होता रहा है और मुझको यह भी मालूम हुआ है कि एक ऐसा भी कारखाना है कि जिस की ८ लाख की पूंजी थी और उसे एक साल में ३४ लाख का मुनाफा हुआ है । एक ही मालिक के २ कारखाने हैं उस को एक ही साल में ८० लाख का मुनाफा हुआ । हालत यह है कि जिस मिल की लागत ३ लाख या ५ लाख है उसको एक साल के लिए किराये पर लेने के वास्ते लोग ५ लाख तक देने को तैयार रहते हैं । वह जो खुद फैक्टरी नहीं चला सकते और दूसरे को किराये पर देना चाहते हैं उनको ऐसे आफर होते हैं । तो इस तरह के बड़े मुनाफे इन फैक्टरीज के मालिकों को होते रहे हैं और उनको एक साल में भी पूंजी का भारी रिटर्न हुआ है लेकिन गन्ना किसानों को जो गन्ने के दाम उस अनुपात में मिलने चाहिये थे वह नहीं मिले हैं और सरकार को भी जो कर उनसे मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है और उन मालिकों के द्वारा उसको बचाने को कोशिश की गयी है । क्योंकि उन को उन्हीं से मुनाफा अधिक मिलता रहा इसलिए उन का रेशनलाइजेशन या माडर्नाइजेशन करने की भी कोई कोशिश नहीं की गयी क्योंकि जब पुरानी ही जंक या मशीनों से थोड़ी पूंजी से ही इतना मुनाफा होता है तो फैक्टरीज के इन मालिकों ने जरूरत इस बात की नहीं समझी कि उन में ज्यादा पूंजी लगायी जाय । करीब ७०-७१ जो कारखाने यहां हैं उन में जो गन्ना जाता है उस का अनुमान है कि वह २०-२५ प्रतिशत किसानों का ही जाता है और उन को मिलने वाली गन्ने की कम कीमत का असर उन की आय पर भी पड़ता है जिन का कि गन्ना इन मिलों में नहीं जाता और जो गुड़ बनाकर बेचते हैं । अगर मिल के गन्ने की कीमत बढ़ती है तो बाहर के गुड़ बनाने वाले किसानों के गुड़ की कीमत भी अच्छी मिलती है । इस तरह से हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था में इन चीनी मिलों का एक विशेष स्थान है । इसलिए हम ने अब तय किया है कि उनको ले लिया जाय ।

कल हमारे मित्र नेगी जी ने एक सवाल किया था उन कारखानों को लेने के बाद उनका प्रबन्ध क्या होगा । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इरादा यह है कि सरकार एक बार इन कारखानों को अपने हाथ में ले ले, उनको कम्पेनसेशन बांड्स दे दें जिनकी अदायगी ५ या १० साल में की जायगी लेकिन सरकार इन कारखानों को अपने पास न रखें बल्कि किसानों को मेक ओवर कर दे और वे उसके मालिक हो जायं । और उनसे कीमत न लेकर उनके गन्ने के जो दाम हों उससे कारखाने की कीमत काटी जाय ।

कल एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन फैक्ट्रियों में ७ हजार मजदूर हैं । आज प्रदेश में १ करोड़ १८ लाख कृषक परिवार हैं । अगर इससे २० प्रतिशत भी मुस्तफीद होते हैं

तो उसका मतलब यह होता है कि २४ लाख किसान अर्थात ११८ लाख का पांचवा हिस्सा फायदा उठायेगा । और इस संख्या से ७ हजार मजदूरों की इक्वैलिटी नहीं की जा सकती है । किसानों के गन्ने के दाम कटेंगे और वे मालिक होना चाहेंगे । जिस समिति को हमने मुकर्रर किया है, इसका अध्ययन करने के लिए, उनकी रिपोर्ट है और गवर्नमेंट ने इसको मुनासिब नहीं समझा है लेकिन अगर आपने मुनासिब समझा तब लेबरर्स को भी प्रोप्राइटर शिप में हिस्सा देने का तो हमें कोई एतराज नहीं होगा । लेकिन मैं चाहता हूं कि लेबर केवल मैनेजमेंट में शामिल हो । उनकी तादाद बहुत कम है । वे किसान जिनकी जमीनें उस क्षेत्र में पड़ती हैं, एक तरीके से उस में परमानेंन्टली इन्टरेस्टेड होंगे । फैक्टरीज में लेबर उतना इन्टरेस्टेड नहीं होगा लेकिन यह विचार करने की बात है ।

दूसरे मेरा अपना विचार यह भी है कि किसी प्रकार का मैनेजमेंट में, जहां तक सम्भव हो, सरकार का भी हाथ होना चाहिए क्योंकि तजुर्बा यह बतलाता है कि खाली किसानों पर अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपस में पार्टीबन्दी हो जायगी जैसे इलेक्शन में, क्योंकि यह डेमोक्रैटिक इलेक्टेड बाडी होगी, इनएफिशियेन्सी हो जायगी और ये कारखाने आज के बजाय और ज्यादा मुजिर हो जायेंगे । आपको याद होगा कि सरकार ने बाजपुर फैक्ट्री में अपना ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया । उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल करके दिखा दिया । मेरा दिमाग इस सिलसिले में बहुत साफ नहीं है कि किस प्रकार से सरकार उसके मैनेजमेंट में शामिल हो लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जरूरी है कि सरकार को इनके लिए ७० मैनेजरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको किसानों से हमदर्दी हो, एफिशियेंट हों, इन्टैग्रिटी के हों और तजुर्बेकार हों जो अच्छी तरह से काम कर सकें तो इस तरह का नक्शा होगा ।

जैसा कि आप लोगों ने आज अखबारों में पढ़ा होगा ५ फैक्टरियों में रिसीवर्स पहले से ही मौजूद थे । ये वे फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने पिछले साल के दाम किसानों को नहीं दिए हैं और जिन पर परचेज टैक्स भी बाकी है । वैसी ही और १६ फैक्ट्रीज हैं जिन पर ५ लाख रुपया गन्ने का दाम और सरकार का टैक्स बकाया पड़ा है । तो सरकार ने यह तय किया है कि इन सारी की सारी २४ फैक्ट्रीज में सरकार की ओर से रिसीवर्स मुकर्रर कर दिये जायं । उनमें हम सरकार के ऐसे अधिकारियों को मुकर्रर करने जा रहे हैं, जो अच्छे से अच्छे हों । वे मौके पर रहेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह कहिये कि आपकी कांफिडेन्स में जो हैं, वैसे होने चाहिये ।

श्री चरण सिंह--

मोटी-सी बात है जब तक सरकार हमारे हाथ में है तो हमारे ही कांन्फीडेन्स के अधिकारियों का होना लाजमी है । तो यह हो सकता है कि जब तक रिसीवर रहें इसी बीच में आपके यहां से कोई कानून बन जाय (व्यवधान) ।

अब मैं गन्ने की कीमत के सवाल को लेता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस साल गन्ने के दाम बहुत घटे हैं और उसका कारण यह है कि देश भर में गन्ने का बहुत उत्पादन हुआ है, उसकी एकरेज पदावार बढ़ी है । इसलिये हमने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र भेजा और इस सिलसिले में । मैं स्वयं और मेरे दो सहयोगी फूड ऐन्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने दिल्ली जाकर वहां मुलाकात भी की, प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की और यह प्रेस किया कि गन्ने की कीमत ७ रुपये ३७ पैसे फी क्वीन्टल से बढ़ा कर १० रुपये फी क्वीन्टल की जाय । यही नहीं, इन्डियन काउन्सिल आफ शुगरकेन प्रोडक्शन आफ इन्डिया की मुकर्रर की हुई एक संस्था है उसने भी यह रिकमेन्डेशन की है कि गन्ने की कीमत १० रुपये फी क्वीन्टल से कम नहीं होनी चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आपसे ?

श्री चरण सिंह--

प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वे फूड ऐण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करेंगी ।

[श्री चरण सिंह]

इसके बाद मैंने परसों एक खत और लिखा और वह गुड़ की फार्वर्ड ट्रेडिंग जो मना है उसके बारे में। हमने यह लिखा है कि अगर इसके ऊपर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय तो गुड़ के दाम बढ़ जायेंगे। इससे गन्ने के दाम भी फिर बढ़ेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि गुड़ के ऊपर जो प्रतिबन्ध हैं वे हटा लिये जांय। जो इडीबिल यानी खाने लायक गुड़ है उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, गुड़ बहुत से सूबों में शराब बनाने के काम भी आता है। शराब शीरे से भी बनती है और गुड़ से भी बनती है। अगर शीरे की जगह गुड़ इस्तेमाल होने लगेगा शराब बनाने के लिये तो उससे यह जाहिर है कि गुड़ की खपत बढ़ जायेगी दूसरे सूबों में और जब उसकी खपत बढ़ जायेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जायेगी और इस तरह चीनी मिलों को जो गन्ना दिया जाता है उस गन्ने की कीमत भी बढ़ जायेगी। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, जो फैसला हमारे हाथ में करने के लिये था वह हमने कर लिया और यह किया कि ७ मील के अन्दर क्रेशर नहीं लग सकता था, फैक्ट्री साइट के अन्दर, हमने अब यह किया है कि उसको ५ मील कर दिया है। ५ मील के बाहर अब वह लग सकता है (व्यवधान)। मैं यह अर्ज कर रहा था अब तक बिक्री केन्द्र के एक मील के अन्दर क्रेशर नहीं लग सकता था. इस प्रतिबन्ध को भी हमने हटा लिया। अब कोई बिक्री केन्द्र के एक मील के अन्दर भी अगर क्रेशर लगाना चाहता है तो वह लगा सकता है। हां, उसको लाइसेन्स लेना होगा। लेकिन लाइसेंस में जो प्रतिबन्ध था कि एक मील के बाहर ही लगा सकता है, वह प्रतिबन्ध हटा लिया। इसके अलावा श्रीमन्, सेन्टरी फ्यूगल मशीन्स पर से हमने हर प्रकार का प्रतिबन्ध हटा लिया है। ५ मील के अन्दर भी अगर कोई इस मशीन को लगाना चाहता है तो वह लगा सकता है। साथ ही किसान को स्वयं अपना गन्ना पेरने के लिये अब कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। तो एक तो यह चीज हमने की (व्यवधान)।

दूसरी बात मैं ला कमीशन के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने आज माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की स्पीच पढ़ी थी और मेरे मित्र जो रामचन्द्र विकल हैं उन्होंने भी उस बात का जिक्र किया। उन्होंने भी कहा कि कमीशन पर कमीशन मुकर्रर किए जा रहे हैं—ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए कमीशन, बुन्देलखण्ड के लिए कमीशन आदि। मैंने तो कमीशन सिर्फ दो मुकर्रर किए हैं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और बुन्देलखण्ड के लिए कोई नहीं किया। मैंने तो केवल जो पुरानी गवर्नमेंट के फैसले थे कि ईस्टर्न और बुन्देलखण्ड के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कारपोरेशन कायम किया जाए, उन्हीं को कार्यान्वित किया है, उसी पर कायम हुए। इसके अलावा न उन्होंने कोई किया और न मैं कर रहा हूं। मैंने तो केवल दो कमीशन बनाये हैं—एक तो जूडिशियल कमीशन या ला कमीशन और दूसरा पुलिस कमीशन। दो कमीशन मैंने मुकर्रर किए हैं। कहा गया लोगों की तरफ से कि कमीशन कायम करने से क्या फायदा जबकि उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं होता है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि सन् १९६० में पुलिस कमीशन मुकर्रर किया गया था और मैंने उसकी बहुसंख्यक रिकमेन्डेसंश को दो महीने के अन्दर मान लिया था। तो इन नव-नियुक्त कमीशंस की जो रिकमेडेंसंश आयेंगी उनको भी यह सरकार फौरन मानेगी, सिर्फ कुछ एक-दो को छोड़कर जो कि काबिले अमल न हों। इस समय जो पुलिस कमीशन मुकर्रर किया गया है वह फिलहाल एफ० आई० आर० दर्ज करने के बारे में दी गई रिपोर्ट के बारे में जांच करेगा और उस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देगा। आजकल ऐसी रिपोर्ट बहुत कम दर्ज की जाती हैं, लेकिन जुर्म बहुत होते हैं। सन् १९२०–२१ में जितने क्राइम्स दर्ज होते थे उससे पचास वर्ष बाद, जबकि जन-संख्या इतनी बढ़ गई है और हमारी कल्चर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, जुर्मों के दर्ज होने की संख्या घट गई है और घटकर चौथाई रह गई है। इससे पता चलता है कि एफ० आई० आर० में जुर्मों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। १९६४ में जब चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री थे और मैं उनके मंत्रि-मंडल में गृह-मंत्री था, तो मैंने यह आदेश दिया था कि सभी रिपोर्टें लिखी जायेंगी। उसका नतीजा यह हुआ कि साल भर के अन्दर उनकी तादाद दुगुनी हो गई थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे उनकी संख्या घट गई। रिपोर्ट दर्ज न करने से जो नतीजा ऐडमिनिस्ट्रेशन पर होता है वह तो दूसरी बात रही, लेकिन एक आम आदमी पर जो शिकायत लेकर आता है और

उसके साथ पुलिस अच्छा बर्ताव नहीं करती है या एक व्यक्ति जो घायल होकर आता है और उससे पुलिस वाले ठीक व्यवहार नहीं करते तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, यह सोचने की बात है। ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस का ठीक व्यवहार न होना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, इससे ज्यादा अफसोस की और क्या बात हो सकती है ? आज ३२५ के जुर्म में ३२३ और ३०२ के जुर्म में ३०७ की जुर्म की धारा क्यों लिखी जाती है ? यह किस तरह से रुक सकता है ? इसके लिए ला में किस तरह से अमेण्डमेंट करने की जरूरत है, इन तमाम बातों पर विचार करके कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। फिलहाल हाइकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो कमीशन नियुक्त करने का हमारा इरादा है उससे हम यही रिपोर्ट मांग रहे हैं। और करप्शन वगैरह के बारे में उससे निवेदन करूंगा कि वह दूसरी रिपोर्ट दे।

मुझे इजाजत दें तो मैं कहूं नेशनलाइजेशन आफ शुगर इंडस्ट्री का जो मैंने जिक्र किया, उससे भी ज्यादा अहमियत रखने वाला दूसरा कमीशन जुडीशियल कमीशन है। आज हमारी अदालतों में गरीब आदमियों को न्याय नहीं मिलता है। उसको बहुत देर तक मुकदमा लड़ना पड़ता है और बेहद पैसा खर्च करना पड़ता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस पहलू पर पिछले ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन उसका कार्यान्वयन कभी नहीं हुआ।

श्री चरण सिंह—

हां, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किया था जिसकी रिपोर्ट ८–१० साल में आई थी। सन् ५३ में मैंने यह कोशिश की थी कि बेल के कानून में सुधार हो, जो हर कातिल को जमानत मिल जाती है, न मिले। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा और उसने कहा कि हम कर रहे हैं और उसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेण्डमेंट कर दिया। और उससे बजाय मर्ज खत्म होने के और बढ़ गया। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोई मजम्मत या नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, जब मैं यह कहूंगा कि स्टेट के ऐ मिनिस्ट्रेशन से जिनका वास्ता है, जैसा कि आप सब लोगों का है, उस तरह का वास्ता दिल्ली के बड़े अफसरों को और खासतौर से लीगल ऐडवाइजर्स को, कि क्या कठिनाई होती है गांव के छोटे आदमी को कोई इस तरह का तजुरबा नहीं है या उनका दृष्टिकोण हम लोगों से भिन्न है। मामूली मामले में साल दो साल लग जाना मामूली बात है। मुझे एक क्रिमिनल केस के बारे में मालूम है। १९६१ में जुर्म हुआ और कम से कम पिछले साल तक सुप्रीम कोर्ट में वह मामला पेंडिंग था। दीवानी के मामले में दस-बीस साल लग जायं तो यह मामूली बात है। तो देर लगती है, खर्चा ज्यादा होता है, फोर्जरी होती है। सच्चा से सच्चा मामला कामयाब नहीं होता है जब तक दो-चार झूठे बयान न दिये जांय। इसकी वजह से हमारे समाज में, जो ब्रिटिश सिस्टम हमारे सामने है, उसकी वजह से नैतिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक बार जो आदमी कचहरी में आता है, वह कसम खाकर झूठा बयान देने के लिए मजबूर हो जाता है, सच्ची बात भी साबित करने के लिए। उसके मापदंडों पर बुरा असर पड़ता है और धीरे-धीरे वह झूठे बोलने लगता है। अभी उस कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस तय नहीं हुये हैं। जो रिटायर्ड जस्टिस, श्री जे० के० टंडन हैं, उनको चेयरमैन बनाएंगे। उनसे जबानी यह कहा है। जापान में मैंने सुना है कि तीन महीने के अन्दर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे तय हो जाते हैं और जर्मनी में मुकदमे जल्दी तय हो जाते हैं। लिहाजा कमीशन के दो मेम्बर दो-चार हफ्ते जर्मनी, जापान जायं और देखें, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चीप और स्पीडी जस्टिस है ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते।

श्री कृष्णानन्द राय—

असेम्बली के मेम्बरों को भी उस कमीशन में रखेंगे या केवल अफसरों को रखेंगे, क्यों विदेशों में घूमने का मौका मिलेगा ?

श्री चरण सिंह—

मैं पढ़े लिखे एम० एल० एज० को चाहता हूं। और केवल मिनिस्टर एक बार रह कर कोई पढ़ा-लिखा नहीं माना जाता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

और श्रीमन्, जो कई बार रह चुका हो, वह ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, जो मिनिस्टर के बारे में राय जाहिर किया है, क्या वह अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। जुडीशियल कमीशन के लिए शायद अपने आपको भी मैं अनफिट मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी और स्टेट ट्रांस्पोर्ट अथारिटी का हमने पुनर्गठन किया। रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी जिस तरह से चल रही थी उनके मुताल्लिक जितना कहा जाय उतना थोड़ा है। लिहाजा मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा ही रह जायगा। रीजनल ट्रांस्पोर्ट आथारिटी की इफीशेंसी के मुताल्लिक कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि जितना भी उसके मुताल्लिक कहूं वह नाकाफी होगा। इतना ही कह सकता हूं कि उससे गवर्नमेंट की साख बढ़ी नहीं। फिर शायद कानून में एक ही नान-आफिशल का होना जरूरी था। एक के बजाय दो हुए और पिछले साल तीन कर दिये गये। शायद एफीशेंसी बढ़ाने के लिए किये गये हों। शायद किसी और कारण से किये गये होंगे। उससे कम से कम जो हमारे समाज में आचरण के मापदंड थे वह बढ़े नहीं। वही कायम नहीं रहे। उपाध्यक्ष महोदय, लिहाजा हमने उनको रि-कांस्टीट्यूट किया है। जो आर० टी० ए० हैं उनमें यथापूर्व कामश्नर प्रेसिडेंट रहेगा और डी० आई० जी० उस हलके का और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, उसके दो मेम्बर होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आफ कामन्स में यह प्रैक्टिस है कि...

श्री कृष्णानन्द राय—

अच्छा है उनको भी बना दिया। बाहर घूमने को मिलेगा।

श्री चरण सिंह—

मैं कृष्णानन्द राय जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी गलत बात को भी सुनने की कृपा करें। इसमें से त्रिपाठी जी का ही समय कटेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं बोल नहीं रहा हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

यदि काशी की ऋषि परम्परा में शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया और यदि दधीचि के त्याग और उनका अस्थिदान मुख्य मंत्री जी को मिला है तो उससे उत्तर प्रदेश का उद्धार होगा और गरीबी बेरोजगारी दूर होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस तरह से आपको इजाजत नहीं देता। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री चरण सिंह---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि हाउस आफ कामन्स में प्रैक्टिस यह है कि कोई पार्लियामेंट के मेम्बर को गवर्नमेंट ऐसी जगह नामिनेट नहीं करती जिसकी एक्जिक्यूटिव अथारिटी हो । हाउस आफ कामन्स स्वयं ही नामिनेट करता है किसी कमेटी में अपने मेम्बर को लेकिन गवर्नमेंट किसी कमेटी में जब तक कि प्योरली लेजिस्लेटिव वाला मामला न हो, नामिनेट नहीं करती है । हमारे यहां तथा और सूबों में और केन्द्र में भी यह प्रैक्टिस है कि कर देते हैं । लेकिन डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल यही है कि उसका सेपरेशन रहे । नहीं तो एक्जिक्यूटिव के उसूल के खिलाफ पड़ता है । संविद के जमाने में हमने इस बात पर गौर किया था कि उन सब कमेटीज से एम० एल० ए० को हटा लें जिनको ऐसी कमेटी में नामिनेट किया है....।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या गेंदासिंह जी और वर्मा जी को जो कमेटी में रखा गया है वह लेजिस्लेटिव फंक्शन करेंगे ?

श्री चरण सिंह---

यह जो कमेटी है यह तो २, ३ महीने के लिये है । जैसे कोआपरेटिव, यूनिवर्सिटी सीनेट वगैरा हैं उनके लिये विचार था । गेंदासिंह जी या पृथ्वीनाथ जी हैं ये एक्सपर्ट नहीं है या मान लीजिये कि कोई एक्सपर्ट है । इंजीनियर है, डाक्टर है या कैबिनेट ने कोई कमेटी मुकर्रर कर दी २ महीने, ४ महीने में किसी बात पर रिपोर्ट करने के लिए और वह कमेटी या कमीशन हुआ तो वह एक्जिक्यूटिव बाडी नहीं है । वह सिफारिश करेगी । उसको यह अप्लाई नहीं करता है.....

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

जो मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि ये एम० एल० ए० बेईमान हैं बनिस्बत सुपरिंटेन्डेन्ट के, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । आपकी तरफ से कोई ऐसा शब्द नहीं आना चाहिये जिससे कोई व्यवधान पैदा हो ।

श्री चरण सिंह---

माननीय नेगी जी जो सुझाव देंगे उनको सुना जायगा । मैंने यदि कोई उसूल की बात कही और उनमें किसी उसूल का अतिक्रमण हो तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा । मैंने कहा है कि एम० एल० ए० को ऐसी जगह डालना जिसके मुताल्लिक कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे, मुनासिब नहीं है । मैंने हर्गिज किसी सदस्य की ईमानदारी अथवा बेईमानी का जिक्र नहीं किया । एस० टी० ए० का चेयरमैन, अब नोटिफिकेशन निकल गया है कि बोर्ड आफ रेवेन्यु का चेयरमैन, नेक्स्ट टु दी चीफ सेक्रेटरी, होगा । मेम्बर होंगे ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, चीफ इंजीनियर या वह जिसको भेज दें जैसे एडीशनल चीफ इंजीनियर और एक सज्जन नान आफिशियल नामिनेट होंगे और वह नान आफिशियल इसलिये नामिनेट होगा चूंकि कानून यह कहता है कि एक नान आफिशियल नामिनी जरूर हो । आर० टी० ए० का जो नया कानून बना है उसमें नान आफिशियल का होना लाजमी नहीं है लेकिन एस० टी० ए० में होना लाजमी है । मैंने तय नहीं किया कि किसको नामिनेट किया जाय लेकिन वह जगह खाली रखी है और एस० टी० ए० रिकांस्टीट्यूट कर दी गयी है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

बी० के० डी० का मेम्बर कर दीजिए ।

श्री चरण सिंह—

मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन वह एम० एल० ए० नहीं होगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मरादाबाद)—

परमिट सिस्टम को ही एबोलिश कर दीजिए ।

श्री चरण सिंह—

मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं । ५५–५६ में जब ट्रान्सपोर्ट का महकमा मेरे पास था मैंने भारत सरकार को यह चिट्ठी लिखी थी कि परमिट सिस्टम को खत्म करके केवल लाइसेन्स लेना लाजमी कर दिया जाय लेकिन भारत सरकार राजी नहीं हुई । अब स्टेट गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि परमिट्स को लिबरलाइज किया जाय यानी जिन सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा है और परमिट की कीमत भी हो गयी है उन पर हम परमिट्स ज्यादा बढ़ा देना चाहते हैं ताकि किसी तरह की शिकायत अथवा कोशिश की जरूरत न रह जाय ।

मेरे दोस्तों ने जोत बहियों की कीमत ३ रुपये रखी थी । मुझको मालूम हुआ कि उसकी कीमत ८ आने अथवा १२ आने आती है । एक तरफ वह मालगुजारी माफ करने जा रहे थे लेकिन ८ आने की चीज के ३ रुपये लेने जा रहे थे । पता नहीं यह कैपिटलिस्ट मेजर था अथवा सोशलिस्ट मेजर? मैं माननीय विकल जी की बात इस सिलसिले में मान लूंगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पहली सरकार सवा ६ एकड़ जोत तक का लगान माफ करना चाहती थी लेकिन जोत बहियों का तीन रुपये लेती तो क्या पासबुक्स की कीमत हर साल देनी होगी जिस तरह कि मालगुजारी काश्तकार को हर साल देनी होती है ?

श्री चरण सिंह—

तीन साल में पासबुक काश्तकार को लेना होगा । मालगुजारी अथवा टैक्स माफ करना सोशलिस्ट मेजर माना जाता है जिसको कि मैं सोशलिस्ट मेजर नहीं मानता । तो जब कोई टैक्स न लिया जाय फिर उन्होंने आठ आने खर्च करके तीन रुपये ले लिये, यह कौन-सा सोशलिस्ट मेजर हुआ यह मेरे कहने की मंशा थी । हमने तय किया कि १ रुपया लिया जाय बजाय तीन रुपये के । (व्यवधान) ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अगर अब की दफा उनको मौका मिल गया तो फ्री कर देंगे ।

श्री चरण सिंह—

जी हां, वह तो फ्री चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहां तरक्की हो जाये तो वह जादू आपके पास है । मेरे पास नहीं है ।

फर्टिलाइजर्स पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दस प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा रखा है और तीन प्रतिशत सोशलिस्ट गवर्नमेंट, माननीय शान्ति प्रपन्न जी की सरकार ने लगा दिया था यानी १३ प्रतिशत सेल्स टैक्स फर्टिलाइजर्स पर लगा हुआ है । जहां तक मुझे मालूम हुआ है वह यह है कि उर्वरक की सब से ज्यादा कीमत हिन्दुस्तान में है जब कि सब से ज्यादा गरीब किसान यहां हैं । होना यह चाहिये था कि उर्वरक सस्ते किसानों को दिये जायं । डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया था कि इंगलैंड में ४० प्रतिशत सब्सीडी फार्टिलाइजर्स पर दी जाती है जब कि हमारे यहां १३ प्रतिशत सेल्स टैक्स लिया जाता है । इंगलैंड में लोग, हमारे यहां १८ गुने से ज्यादा मालदार है और आबादी केवल ५ प्रतिशत लोग ही खेती करते हैं । वहां गवर्नमेंट अनुदान देती है लेकिन हमारे यहां उल्टे टैक्स लगता है जब कि यहां पर ६६ प्रतिशत लोग खेती करते हैं और सब से गरीब हैं । इसके क्या माने होते हैं ।

हमें अपनी यदि इकोनीमी उठानी है तो मोटी-सी बात है कि अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ायें । उसके लिये उत्पत्ति के लिये सस्ते दर पर साधन मुहैया करें । जितना अच्छा बीज, अच्छा पानी और अच्छी खाद मिलेगी उतनी ही हमारे यहां पैदावार बढ़ जायेगी । इससे कारखाने भी चलेंगे । फर्टिलाइजर्स पर से सेल्स टैक्स हटा लेने से जितना पैसा कम हो जायेगा उससे कहीं ज्यादा दूसरी शक्ल में अगर पैदावार बढ़ जाये तो, मिल जायेगा । दूसरे देशों ने मिनरल वैल्थ और आयल के ऊपर अपनी इकोनो मी बिल्ड की है । लेकिन ज्यादातर देश ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी इकोनोमी को बढ़ाया है । खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो चीजें रेस्ट्रिक्ट करती हैं उनको हटा देना चाहिये । तभी हमारी पैदावार बढ़ सकती है । तब जाकर हमारी इकोनोमी डेवलप होगी । इसीलिये हमने फर्टिलाइजर्स पर से सेल्स टैक्स हटा लिया है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

टैक्स वाली बात आपने कर दी तो पानी वाली क्यों नहीं हटाते ?

श्री चरण सिंह---

कुछ बातें तो हमें आपकी भी माननी पड़ेंगी ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

प्रोफेशन टैक्स के बारे में कुछ बता दीजिए ।

श्री चरण सिंह---

मैंने जितना इंटरवेंशन सहा है वही बहुत ज्यादा है । अगर और जबाब दूंगा तो और देर लग जायेगी ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)--

माननीय, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये उन्होंने उर्वरकों पर से सेल्स टक्स हटा लिया, तो क्या वे सिंचाई की दर, जो पहले एक रुपये में २४ हजार गैलन पानी मिलता था, बाद में १६ हजार हुआ, इसके बाद १२ हजार और अब ८ हजार गैलन ही मिलता है, उसके कम करने की घोषणा करेंगे ?

श्री चरण सिंह---

माननीय मित्र ने मेरी बात शायद सुनी नहीं । मैं कृष्णानन्द राय जी को जबाब दे चुका हूं । इर्रीगेशन रेट्स बहुत दिनों से लगे हुये हैं लेकिन फर्टिलाइजर्स पर टैक्स लगना नई चीज है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर चीज पर टैक्स हटा लिया जाय तो खेती की पैदावार बढ़ जायेगी । अगर रुपये के अभाव में हम ट्यूबवेल न लगा सके या नहरें न चल सकीं तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा । यह तो रिडकशियो एबसरडम होगा ।

(इस समय ३ बज कर ४१ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री चेतराम गंगवार---

अध्यक्ष महोदय,.....

श्री चरण सिंह---

हर चीज में दखल न दिया जाय । (व्यवधान) । अध्यक्ष महोदय, अब मालगुजारी की बात आती है । मालगुजारी की बाबत यह कहा गया कि ५ बीघा पुख्ता पर जो माफी दी गयी है वह बहुत कम है क्योंकि अनएकोनोमिक होल्डिंग सवा छै एकड़ की होती है ।

[श्री चरण सिंह]

इस सम्बन्ध में दो बातें कही गयी हैं। एक तो यह कि मैंने स्वयं अपनी किताबों में लिखा है सवा छै एकड़ अनएकोनामिक होल्डिग होती है। दूसरे यह कि मैं मालगुजारी पर छूट दिये जाने के बिलकुल खिलाफ था, अब कैसे राजी हो गया। लिहाजा जितने भी शब्द डिक्शनरी में थे, वे सब मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर दिये गये। मुझे माननीय भानु प्रताप सिंह जी की बात की ज्यादा तकलीफ है और अनन्तराम जी ने जो कहा, उसकी कम। भानु प्रताप जी से मुझे ज्यादा शिकायत है। पहली बात तो यह है कि सवा छै एकड़ से कम की जमीन अनएकोनोमिक हो ही नहीं सकती। उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह तो एक चेंजिग कान्सेप्ट है कि अनएकोनोमिक कितनी हो। किसी एक पर्टीक्यूलर वक्त में भी एग्रीकल्चर एकोनामिस्ट कभी एक राय के नहीं हो पाये कि अनएकोनोमिक होल्डिग किस को कहना चाहिये। जब एक ही प्वाइन्ट आफ टाइम में एग्री नहीं हो पाते तो जब समय गुजर जाता है तो उसकी डेफीनीशन तो बदल ही सकती है। फिर यह भी जो कहा गया कि मैंने सवा छै एकड़ को अन-एकोनोमिक माना था, वह बात भी नहीं है, मैंने सवा छै एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक अनएकोनामिक कहा था .....

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

जब तक वह बैठ न जायं मैं इजाजत नहीं देता।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार---

आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं बैठूंगा भी नहीं।

श्री चरण सिंह---

मैं आपकी इजाजत से माननीय मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि वह व्यवस्था का प्रश्न कह कर बेकार इन्टरप्शन न करें।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन् सदन का समय नष्ट हो रहा है। आप मुझे इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष---

यह सब आपकी वजह से हो रहा है। आप बैठ जायं। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको इंगित कर दूंगा।

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन को छोड़ दें। जब मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं तो आप क्यों नहीं बैठते ? यह तो सदन की कार्यवाही में डिस्टर्बेंस करना है। आप बैठ जायं, नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा।

(श्री चेतराम गंगवार ने अपना स्थान ग्रहण किया)।

श्री चरण सिंह---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि अलाभकर जोत किसको कहते हैं। तो जो यह कहा जाता है कि मैंने ६ १/४ एकड़ के लिए कहा था, यह पूरी बात नहीं है। मैंने अलाभकर जोत के लिए ६ १/४ एकड़ से १२ १/२ एकड़ तक के लिए कहा था। यह सन् १९४७-४८ की बात है और मैंने इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर, ऐग्रीकल्चर की ओपिनियन भी ली थी। उन्होंने कहा था कि १० एकड़ से कम अलाभकर है। मतलब यह था कि किसान की जमीन से इतनी आमदनी हो जाय कि उसका रहन-सहन एक रीजनेबिल ढंग का हो जावे, वह अपना गुजारा अच्छे ढंग से चला सके। इस से कम आमदनी का क्षेत्रफल अलाभकर माना जावेगा। मसलन किसी जमीन में आबपाशी होती है तो कम एरिया से आमदनी ज्यादा हो जावेगी। एक जमीन शहर से ५० मील पर है और मारकेटिंग फैसिलिटीज नहीं हैं, तो उसकी आधी जमीन जो शहर के पास है और मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं, लाभकर मानी जावेगी। तो इस में बहुत सी परिभाषाएं हैं। किसान को हल चलाने के लिए दो बैल रखने पड़ते हैं। तो कितनी जमीन दो बैलों और एक एवरेज परिवार के लिए आवश्यक होगी, यह देखना है। इसके लिए २.०२ एकड़ से ३ एकड़ तक कहा जाता है। मेरी परिभाषा में ६ १/४ एकड़ से १२ १/२ एकड़ तक है। उस वक्त सन् १९४५---४६ में पैदावार में इजाफा नहीं हुआ था। गेहूं और चावल की इतनी पैदावार नहीं होती थी। आलू का रकबा भी कम था। अब ३५ लाख एकड़ आबपाशी बढ़ी है। तो पहले उतनी जमीन अलाभकर मानी जाती थी लेकिन अब ८ या ६ एकड़ से लेकर ३, २ या ४ एकड़ जमीन से काम चल सकता है। इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स में मतभेद है। मेरे पास दो एक्सपर्ट्स की रायें भी हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

आपकी स्वतः राय काफी है।

श्री चरण सिंह---

मेरी राय मानते तो उधर क्यों बैठते ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह तो गौरव की बात है।

श्री चरण सिंह---

स्माल फार्मर्स आफ डेवेलप्मेंट एजेन्सी की तरफ से भी एक एक्सपर्ट ने राय दी है। एक प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं, उन्होंने आन्ध्र में स्माल फार्मर्स एसोसिएशन में भाषण किया। वह अंग्रेजी में है। मैं उसको पढ़कर सुना दूं, फिर हिन्दी कर दूंगा। उन्होंने आन्ध्र में और बिहार के कोशी क्षेत्र में अध्ययन किया और प्रोजेक्ट चलाये, और उन प्रोजेक्ट्स के नतीजे जो निकले वह मैं आपकी इजाजत से थोड़ा-सा पढ़ देना चाहता हूं।

A broad conclusion was that acres of irrigated land would be the minimum size of a viable holding.

इसके आगे और भी लिखा है। ढाई एकड़ एक वाएबिल होल्डिंग होती है।

आज हमारे यहां देखना यह है कि ४ करोड़ १४ लाख एकड़ नेट कल्टिवेटेड एरिया है और हमारे यहां की आबादी ६ करोड़ है। प्लानिंग कमीशन के अनुसार आबादी का दो-तिहाई यानी ६६ प्रतिशत डाइरेक्टली ऐग्रीकल्चर में लगा हुआ है। एक करोड़ १८ लाख परिवार किसानों के हैं। अगर इसमें ४ करोड़ १४ लाख एकड़ जमीन को तकसीम कर दें तो साढ़े ३ एकड़ जमीन एक किसान परिवार के हिस्से में आती है। यह गरीब और अमीर का कोई डेफिनीशन ही नहीं है। सिवा इस के कि एवरेज जो पड़ता है आमदनी का या जायदाद का उससे कम अगर किसी की आमदनी है तो वह गरीब है, छोटा है और जिसकी आमदनी एवरेज से

[श्री चरणसिंह]

ज्यादा है वह अमीर है। यह एकानोमिक फैक्ट है। उनके हिसाब से हमारे सूबे में साढ़े ३ एकड़ वाला किसान ही छोटा और गरीब माना जायेगा। साढ़े ३ एकड़ की बात क्या कहनी है, यहां तो १० एकड़ वाला किसान भी गरीब है, १५ एकड़ वाला किसान भी गरीब माना जा सकता है। लेकिन छोटे और बड़े की, बात छोड़ कर रिलीफ देने की बात सोची जाय तो साढ़े ३ एकड़ वाले किसान को ही रिलीफ देने की बात सोचना एक माकूल बात है, लेकिन ४ एकड़ या उससे ऊपर वाले किसानों को छूट देना मुनासिब नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो गरीब किसान हैं उनको हम गरीब मानें लेकिन उससे उनको कितनी रिलीफ होगी जिसके लिये मेरे दोस्त बड़ा जोर दे रहे हैं। ६ एकड़ तक वाले ८५ प्रतिशत किसान हैं। अगर १२ करोड़ रुपये की माफी होती है तो एक किसान परिवार पर साल में १२ रुपया आता है और यह इस तरह से एक रुपया माहवार पड़ता है। अब वे कहें कि एक रुपय में सौ पैसे होते हैं और इस तरह से इतने की उनको रिलीफ मिल जायेगी तब वे बहस के लिये इसे कह सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक रुपया माहवार की रिलीफ कोई रिलीफ नहीं है।

एक रुपये की रिलीफ कोई माने नहीं रखती है। और इधर स्टेट एक्सचेकर पर १२ करोड़ रुपये पड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलती है। यह आन्दोलन नहीं है। सन् १९३१ में जब इकोनोमिक डिप्रेशन सारी दुनिया में और हमारे देश में आया, उस समय काश्तकार अपना लगान नहीं दे पा रहे थे, उनके खेत बेदखल हो रहे थे और जो प्रोप्राइटर थे वे भी माल-गुजारी नहीं अदा कर पा रहे थे। उस समय सन् ३१ में करांची में एक सेशन हुआ जिसके प्रेसीडेंट हमारे स्वर्गीय सरदार पटेल थे। उस वक्त भी लोगों की डिमान्ड यही थी कि मालगुजारी घटाई जाय, टैक्सेस कम किये जायें और वह जो पुरानी मांग थी वह ठीक मांग थी और उस वक्त भी माफी की मांग नहीं थी केवल रिडक्शन का सवाल था। आज जमाना बदल गया है लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने वही बात पकड़ी है जो आज के समय में ठीक नहीं है। काश्तकार पर एक रुपया माहवार की आमदानी कोई बोझ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपने मित्रों से पूछूं कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनीफैस्टो, १९६७ में था तो क्या उसमें लगान माफी की बात थी ?

श्री कृष्णानन्द राय---

सन् १९५९ वाले में था।

श्री चरणसिंह---

सन् १९६७ में जो गल्ती कर बैठे थे तो सन् १९५९ में अक्ल आई और उसको निकाल दिया। किसानों की तरफ से इस तरह की कोई डिमान्ड नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह डिमान्ड होती तो संयुक्त शोसालिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या, जो उस मांग पर स्टैन्ड करती है, जो उनके लिए वेद वाक्य है, ४५ से घट कर ३३ क्यों रह जाती ?

जब एस० वी० डी० की गवनमेंट थी उस समय माननीय रामचन्द्र जी विकल को यह मालम होगा कि यदि सवा ६ एकड़ और साढ़े १२ एकड़ की मालगुजारी माफ हो जायेंगी तो २२ करोड़ रु० का फर्क पड़ेगा। इससे डिवीजन हो जायेगा। इक्साइज डिपाटमेंट से २०, २२ करोड़ रुपये की आमदानी है जितनी कि इस मालगुजारी को हटाकर होती है फिर इस तरह की बात बड़े अफ्सोस की बात है। जितनी पार्टीज थीं और जिनके मैनीफैस्टो थे तो किसी में १९ प्वाइन्ट थे, किसी में ३३ प्वाइन्ट्स थे और किसी में ४३ और पता नहीं कितने-कितने थे परन्तु किसी में भी यह जिक्र नहीं था कि नशाबन्दी को रोका जाय।

किसी पार्टी के मेनिफैस्टो में नशा बन्दी करने का यानी प्रोहिबिशन करने का जिक्र नहीं था। उस समय मैं अपने दोस्तों से यह कहता था कि मालगुजारी माफ हो जाने से बेहतर यह होगा कि

इस तरह का आन्दोलन चलाया जाये और इस तरह की हवा बहे कि कमप्लीट प्राहिबिशन हो जाये, चाहे हमारे स्टेट एक्सचेकर से २२ करोड़ रुपया क्यों न चला जाये ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री चरणसिंह--

केवल २ मिनट और चाहता हूं । जरूरत थी एजुकेशन की, अनेलिसेस की और परस्वेशन की । आज ही हमने इस सम्बन्ध में फैसला किया है । उस फैसले को मैं आपकी इजाजत से सुनाये देता हूं । यह कदम बहुत बड़ी पालिसी का नहीं है । सरकार ने तय किया है कि कल से किसी नयी जगह पर शराब की दुकान नहीं खोली जायेगी ।

अब तक जितने भी कदम इस सरकार ने उठाये हैं उनसे आप देखेंगे कि विरोध करने का कोई अवसर रह नहीं जाता है । मैं तो उम्मीद करता हूं अपने साथियों से कि वे इसका समर्थन करें । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मेरा पूरा यकीन है कि जनता इसका स्वागत करेगी । अगर कोई इसका विरोध करते हैं तो, मेरा यकीन है कि वे जनता में अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप चौधरी साहब द्वारा लगाये गये हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमान् आपकी आज्ञा से मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मुख्य मंत्री जी आबपाशी के बारे में कह रहे थे । मैं कमांड एरिया के विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या वे चकघान समाप्त कर रहे हैं ? श्रीमान्, बी० के० डी० वाले तो बोलने ही नहीं देते हैं, फिर सदन कैसे चलेगा ? मेरे दिल को बड़ा कष्ट हो रहा है । ये लोग तो इतना हल्ला मचाते हैं कि कोई कुछ नहीं कह पाता है । मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं आदेश करूं, तब आप मांगें ।

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमान्, सीलिंग के बारे में भी जो उन्होंने कदम उठाये हैं, उनके बारे में भी मैं स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री से चाहता हूं । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसे नहीं होगा ।

श्री रामचन्द्र विकल--

मेरे ऊपर मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं । उन्होंने कहा कि मुझे मन्त्री पद की चाह थी और मुझे बड़ी तकलीफ हुयी है । १-४-१९६७ को अगर मैं लीडरशिप से इस्तीफा नहीं देता तो चौधरी साहब जीवन में कभी भी मुख्य मंत्री नहीं बनते । उन्होंने विश्वासघात किया था । उन्होंने कहा कि अगर बी० के० डी० का कोई खिदमतगार वहां गया होता तो मैं जीत कर भी न आता ।

श्री अध्यक्ष--

यह भाषण देने का वक्त नहीं है, विकल जी ।

श्री रामचन्द्र विकल---

मेरी पार्टी के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी कहा । उन्होंने यह भी कहा कि वे ४५ से घट कर ३३ रह गये हैं ।

(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष---

वे जवाब नहीं देना चाहते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---

जब वे खड़े थे और बोल रहे थे, तो उस वक्त मैंने बोलना ठीक नहीं समझा । मैं यह सूचना चाहता हूं.....

श्री इस्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)---

इनको आपने बोलने की इजाजत नहीं दी है और ये बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री रामचन्द्र विकल---

जानकारी का हक है या नहीं.....

श्री अध्यक्ष---

हक नहीं है ।

(व्यवधान) ।

श्री रामचन्द्र विकल---

आप यह कह कर एक नई परम्परा डाल रहे हैं । इसके विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री रामचन्द्र विकल सदन छोड़ कर चले गये ।)

(व्यवधान) ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

मुख्य मंत्री जी ने शराब बंदी के लिए कहा कि किसी ने उसकी बात नहीं कही । मैंने गवनर के अभिभाषण में संशोधन रखा है जो बारहवां संशोधन है ।

(व्यवधान) ।

उन्होंने कहा कि आज फैसला लिया है कि नया लाइसेंस नहीं देंगे तो मैं तो कहता हूं कि लाइसेंस का जो नवीनीकरण होता है हर साल उसको ही बन्द कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज में किसानों की बेदखली के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक कार्य स्थगन प्रस्ताव सर्वश्री सूबेदार प्रसाद, राम निहोर राय एवं विजय बहादुर सिंह ने दिया था जिसमें यह था कि मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज में किसानों को उनकी भूमि से

बेदखल करके उनके घर गिराये गये । मैंने इसको नियम ५१ में स्वीकार कर लिया है । ११ तारीख को राजस्व मंत्री जी वक्तव्य देंगे । इसके अलावा और भी थे लेकिन और कोई स्वीकार नहीं किया है ।

एक सदस्य--

मैंने आपके कक्ष में एक और प्रस्ताव दिया था कि एक विद्यार्थी को जो कि एक अध्यापक का भतीजा था पागल कुत्ते ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गयी । मिर्जापुर अस्पताल से जो सुई दीं गयी वह सुई नकली थी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा था कि वक्तव्य दिलवा दूंगा ।

ग्राम सहंगिया, जिला सुल्तानपुर में हरिजनों के घर जलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब सुल्तानसुर जिले में हरिजनों के घर जलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

ग्राम संहगिया, थाना दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर, के हरिजन, ठाकुरों के खेतों में मजदूरी करते थे । कुछ समय पूर्व मजदूरी बढ़ाने, आदि के प्रश्न पर हरिजनों, ठाकुरों में विवाद व संघर्ष उत्पन्न हुआ । हरिजनों ने ६-१०-६९ से हड़ताल कर दी और मजदूरी करना बंद कर दिया । ठाकुरों ने दूसरे गावों से मजदूरों का प्रबन्ध किया किन्तु हरिजनों ने उन मजदूरों को परोक्ष ढंग से कार्य करने से रोकने का प्रयास किया ।

संहगिया ग्राम के हरिजनों की बस्ती मूल गांव से १०० गज की दूरी पर है । हरिजन बस्ती और मूल गांव के बीच ठाकुरों का खालिहान स्थित है । ९ जनवरी, १९७० को दोपहर में हरिजन बस्ती और ठाकुरों के खालिहान में आग लगी । इस आग से हरिजन बस्ती में तीन हरिजनों के घर लगभग पूरे और १० हरिजनों के घरों के कुछ भाग जले । हरिजन बस्ती के बीच स्थित एक ठाकुर का मड़हा भी जला । इसके अतिरिक्त ठाकुरों के खलिहान में दो व्यक्तियों की पुआल तथा एक मड़हा जले । इस आग में ५ बकरियां जलकर मर गईं और दो आहत हुईं । यह सही नहीं कि पांच हरिजन बच्चे जलते-जलते बचे ।

इस घटना के सम्बन्ध में थाना दोस्तपुर पर केसरी सिंह ने उसी दिन २-५० बजे अपरान्ह में एक रिपोर्ट लिखाई जिसमें कहा गया कि खालिहान से लौटते समय उन्होंने देखा कि हरिजनों के कुछ जानवर उनके खेत में चर रहे थे । उनके एतराज करने पर हरिजनों और उनके सहयोगियों ने नारे लगाए और उन्हें पकड़ने के लिये ललकारा । इस पर वादी भागा । हरिजन वादी के खलीहान पर पहुंचे और खलिहान में, उनके मड़हे में और पुआल में आग लगा दी । इसके उपरान्त हरिजन अपनी बस्ती में गए और बस्ती के मध्य स्थित एक ठाकुर के मड़हे में भी आग लगा दी । इस मड़हे से आग फैली और हरिजनों के कुछ घर भी जले । इस सूचना के आधार पर अपराध संख्या १ धारा १४७/४३६ भा० द० वि० के अन्तर्गत ८ हरिजनों और उनके दो सहयोगियों के विरुद्ध थाने पर पंजीकृत किया गया ।

उसी दिन लगभग ३-३० बजे अपरान्ह को सुखराज ने केसरी सिंह तथा ८ अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई । इसमें कहा गया कि वादी पहले केसरी सिंह का हलवाहा था और हलवाही करने के एवज में केसरी सिंह ने उसे एक खेत दे रखा था । इस खेत में वादी ने गन्ना बोया था ।

[श्री चरण सिंह]

घटना के दिन पूर्वान्ह में १० बजे वादी ने देखा कि केसरी सिंह ८ अन्य व्यक्तियों के साथ उक्त खेत का गन्ना कटवा कर लौट रहे हैं। नजदीक पहुंचने पर केसरी सिंह ने वादी को गाली दी और उसे मारने दौड़ा जिस पर वह भागा। केसरी सिंह बस्ती में घुस गये और जानवरों को खोलने के बाद बस्ती के निकट स्थित एक सुअर बाड़े में और बस्ती के मध्य स्थित एक ठाकुर के मड़हा में आग लगा दी। इसके बाद उन लोगों ने हरिजनों की बस्ती से कुछ दूर पर स्थित अपने मड़हा में और खलिहान में तथा हरिजन बस्ती में हरिजनों के मकानों में भी आग लगा दी। इस सूचना के आधार पर अपराध संख्या १ ए धारा १४७/४३६/३७९ भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

उपर्युक्त सूचनाओं के प्राप्त होने पर पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंची। तहसीलदार मजिस्ट्रेट भी उसी दिन घटना स्थल पर पहुंचे। ग्राम में सुरक्षा हेतु पी० ए० सी० तैनात की गई। तथा पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

दोनों मुकदमों में जांच के उपरान्त चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर ज्यादा प्रश्न न पूछें क्योंकि इस मामले में चार्जशीट लग चुकी है।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान वहां से आये हुये श्री राम सुमेर यादव के एक पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक पत्र मेरे पास १—३—७० को लिख कर डाक द्वारा भेजा है। मैं उसको आप की आज्ञा से पढ़ दूं तो इस केस पर कुछ रोशनी पड़ेगी। इस में लिखा है कि "प्रिय साथी शिवकुमार जी पांडेय, विधायक, सुल्तानपुर। आज १० बजे दिन में मैं पुलिस कप्तान सुल्तानपुर से मिला। संहगिया के मामले की चर्चा आयी, तो मैंने उन से कहा कि ठाकुरों की तरफ से होने वाली आगजनी की रिपोर्ट बिलकुल फर्जी है, अतः आप हरिजनों पर से आतिशजनी के मामले को खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करें? हमें अपनी जान भी तो बचानी है। आप लोग असेम्बली और पार्लियामेंट में सवाल उठवा देते हैं। अब तो मामला अदालत में चला गया है। दरोगा ने चार्ज शीट दोनों तरफ से १० फरवरी को अदालत में दे दी है। इस विषय पर असेम्बली में सवाल उठाया गया है, परन्तु अब अदालत में चले जाने से वहां भी बहस न हो सकेगी। यह कप्तान ने कहा। अब आप मामले को समझ गये होंगे। ११ फरवरी को असेम्बली पहले खुलने वाली थी, इन अधिकारियों को भय था कि सवाल उठेगा, इसीलिए १० फरवरी को ही चार्जशीट दे दिया। हालांकि इसी गांव के हरिजनों व ठाकुरों के झगड़े से सम्बधिन्त अन्य कई मामले आतिशजनी से पहले के हैं, पर उनकी चार्जशीट अभी तक अदालत में नहीं गयी।

जैसे केशरी सिंह आदि ने ७ अक्तूबर को एक हरिजन को मारा था १४७ ४५२ ३२३ में रिपोर्ट दर्ज है, पर इसकी चार्जशीट नहीं गयी। इस के थोड़े ही दिन बाद १३ या १४ अक्तूबर को एक भगौती चौहान को मारा जिसमें ३२५ हो गया है, उस की भी चार्जशीट नहीं गयी। २३ अक्तूबर को रामकुमार वर्मा दोस्तपुर में मारे गये। १४७ ३२३/३२५/४५२ की रिपोर्ट है उस की चार्जशीट भी नहीं गयी। ३० नवम्बर को दोस्तपुर में हमारे जुलूस पर हुये हमले की रिपोर्ट भी संगीन दफाओं में है उस पर भी अभी चार्जशीट नहीं लगी। इस मामले में चूंकि अधिकारियों के व दारोगा के फंसने का डर था और जानते थे कि असेम्बली में सवाल उठेगा या राज्य सरकार की तरफ से अन्य किसी तरीके से जांच हो सकती है, अतः कोई कार्यवाही न हो जाय इस लिए इस की चार्जशीट १० फरवरी को ही अदालत भेज दी। आप से निवेदन है कि यह स्थिति आप मुख्य मन्त्री को जरूर बता दें। चाहें तो श्रीपति जी को साथ लेकर या श्रीपति जी न मिलें तो भी आप स्वयं बता दें

और किसी न किसी प्रकार कार्यवाही करने को कहें। यह चिट्ठी मेरे पास आई है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि इस मुकदमे में चार्जशीट जल्दी क्यों लगी जब कि बहुत से अखबारों में और स्वतन्त्र भारत में मोटे-मोटे हेडिंग्स में छपा है "हरिजनों की पूरी बस्ती फूंक दी गई" उनकी बस्ती जला डाली, हरिजनों पर अत्याचार, हरिजनों के घर जलाये जाने की निन्दा, और सहंगिया हरिजन बस्ती के अग्निकांड का आंखों देखा दृश्य, आदि। यह स्वतन्त्र भारत और जागरण आदि में समाचार छपे हैं जो कि स्थिति की गम्भीरता को प्रकट करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उस गांव में इसी तरह के और भी संगीन क़ेसेज थे तो पुलिस ने उनमें चार्ज शीट न लगाकर इस केश में चार्ज शीट लगाकर इतनी जल्दी भेजने का क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—

मुझे इस समय तो मालूम नहीं कि इस केस के अलावा और भी क़ेसेज वहां हुए हैं और वे संगीन थे या नहीं, लेकिन इतना मुझे लगता है कि इसमें पुलिस ने बड़ी दक्षता से और फुर्ती से काम किया है। हो सकता है कि आर्डिनरी कोर्स में हुयी हों और हो सकता है कि कुछ और कारण हों। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बात को मुझे दे दें। मामला अदालत में है लेकिन फिर भी जो कुछ मुमकिन होगा मैं करने की कोशिश करूंगा।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

जो रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ी है मैं जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे पुलिस के उनकी यह रिपोर्ट है या पुलिस से मंगायी गयी रिपोर्ट के आधार पर है?

श्री चरणसिंह—

मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे। रहा रिपोर्ट की बात यह तो जिले के अधिकारियों से ही मंगायी गयी है और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है।

श्री छांगुर—

रिपोर्ट में बताया गया कि खलिहान में आग लगी लेकिन असलियत में बात यह है कि ठाकुरों ने हरिजनों की बस्ती को घेर कर १० बजे आग लगा दी। मैं जानना चाहता हूं कि खलिहानों में उन लोगों का कितना नुकसान हुआ?

श्री चरणसिंह—

खलिहान में नुकसान हुआ, मकान के जलने में भी नुकसान हुआ। उसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। मामला अदालत में चला गया। नुकसान चाहे एक रुपये का हो या ४ हजार का, बात एक ही है कि जायदाद जलायी गयी।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इन क़ेसेज को कोर्ट से विथड्रा करा करके सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का कष्ट करेंगे?

श्री चरण सिंह—

मैं ऐसा कोई वायदा नहीं कर सकता हूं कि मैं मुकदमों को विथड्रा कराके मामले को सी० आई० डी० को सुपुर्द करा दूंगा। क्या मेरे मन में है, वहां न खुलवाया जाय। मैंने माननीय सदस्य से कहा है कि अपनी दरख्वास्त मुझको दे दीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि २ चार्ज शीट दे दी गयी। एक रिपोर्ट पहले हुयी थी और एक रिपोर्ट बाद में हुयी। उसी प्रकार से चार्जशीट भी लगनी चाहिए थी।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

है कि वाकया एक हो कि दफा १०७ लगा दी गयी कि २ पक्ष लड़ें और दोनों के विरुद्ध कसूरवार होने के नाते एक ही चार्जशीट लगा दी गयी। जब ऐसे गम्भीर आरोप स्थानीय पुलिस पर लगें तो क्या इस विषय में पुनर्विचार किया जा सकता है कि कोई निष्पक्ष जांच होकर सही व्यक्तियों पर चार्जशीट लगायी जाय।

श्री चरण सिंह—

इस समय मैं कुछ भी वायदा करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इस बात को देखते हुए कि चार्जशीट लगाने में इतनी जल्दी की गयी और जो परिस्थितियां उस पत्र में दिखायी गयी हैं, उनकी जांच कराने को माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कागज उन्हें दे दिया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार जिन हरिजनों के मकान जले हैं और नष्ट हो गये हैं उनके मकान फिर से सरकार स्वयं बनवाने के आदेश देगी ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, उन हरिजनों को जिले के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ मदद की है जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने सुबह फाइल पढ़ी थी। अब उनके मकान शासन की तरफ से बनवा दिये जायं, अगर ऐसा होगा तो यह आगे के लिये एक नजीर हो जायेगी। तो मैं इस पर कोई जवाब अभी नहीं दे सकता, विचाराणीय यह हो सकता है। मैं आसानी से कोई वायदा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त होता है, जायसवाल जी आपको १० मिनट मिलेंगे।

एक सदस्य—

मुझे एक प्रश्न करने दिया जाय। जब पुलिस ने घटना की चार्जशीट दे दी, मुकदमा कायम हो गया, तो अब माननीय मुख्य मंत्री किन तथ्यों पर जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह विषय समाप्त हो गया आप कृपया बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन, मैंने यह बहस चलायी थी कि उत्पादन की आधुनिकता को प्राप्त किये बिना हमारे देश ने गोरी दुनिया की खपत की आधुनिकता हमको मिले, उसी में सारे साधन और पुरखों की कमाई के पौंड पावने खर्च कर दिये। यही नहीं सरकारी आमदनी के सारे श्रोतों तक को सुखा डाला। इसके अलावा देशी और विदेशी कर्ज भी अपने ऊपर इतने लाद लिये कि आज औसतन २०० से २५० रुपये के बीच हर सर पर कर्ज का बोझ लदा है। लेकिन चूंकि हमने अपने सारे साधन खर्च किये खपत पर, इसलिये हम देखते हैं कि हमारी खेती पिछड़ी है, हमारे कारखाने पिछड़े हैं। मैंने यह सवाल उठाया था जिसका कोई उत्तर माननीय मुख्य मंत्री

को तरफ से नहीं दिया गया। दूसरा प्रश्न यह उठाया था कि आजादी की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, त्याग और तकलीफ के उन दिनों में गांधी जी ने परिवर्तन की हवा बहाई थी और उसके फलस्वरूप गरीबों में एक आशा बंधी थी कि गांधी जी का राज्य आने पर उनका भाग्य बदलेगा, लेकिन, श्रीमान, उनके हाथ क्या लगा, केवल निराशा ही उनके हाथ लगी। उन्हें हताश होना पड़ा और आज वे गरीब और अकिंचन इतने निराश हो गये हैं कि वे अपना भाग्य बदलने के लिये हाथ पैर नहीं हिलाते। मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे सवालों का जवाब देंगे। मैंने यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री की सरकार इस हसियत में नहीं है कि वह किसानों को खाद और पानी दे सके। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री जी ने उन बहसों में जाना पसन्द नहीं किया, बल्कि उसका जवाब यह दिया कि उन्होंने भारत सरकार से सिफारिश की है कि गन्ने का दाम ७ रुपये ३५ पैसे के बजाए १० रुपया कर दिया जाए। उन्होंने यहां पर यह कहा कि गुड़पर जो पाबन्दी लगी हुई थी कि शराब न बनाई जाए उस पर उन्होंने यह सिफारिश की है कि उसकी छूट दी जाए, तथा उन्होंने कमेटी बैठा दी है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाए। मतलब मेरा कहने का यह है कि कोई चीज निश्चित रूप से उभर कर नहीं आई। सारे मामलों को एक न एक बहाने से टाल दिया गया और लोगों से कहा गया है कि भविष्य की तरफ टकटकी लगा कर देखते रहो और कुछ न कुछ तुम्हें चौधरी साहब से, उनकी सरकार से मिल जाएगा।

मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं और उन तर्कों का जिक्र करना चाहता हूं जो चौधरी साहब ने कहा है कि एकोनामिक और अनएकोनामिक जोत जो हैं, वे बार-बार बदलती रहती हैं। इस तर्क को मैं मानता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच किसान की हालत में तब्दीली हो गई, जिसकी वजह से एकोनामिक और अनएकोनामिक जोतों की परिभाषा बदल गई है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि जरा इस तरफ चौधरी साहब देखें, सन् १९४७-४८ में जो स्थिर मूल्य थे उसके आधार पर सन् १९५०-५१ में हमारे देश की औसत आमदनी २४६ रुपया प्रति व्यक्ति थी और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी २६० रुपया थी। यानी हमारे देश की औसत आमदनी से प्रदेश के फी व्यक्ति औसत आमदनी ज्यादा थी। लेकिन १९६६-६७ में जब हमारी तीसरी योजना खत्म हुई तो हमारे सारे देश की औसत आमदनी ३०२ रुपया हो गई, लेकिन हमारे प्रदेश की औसत आमदनी प्रति व्यक्ति २६० रुपया से घट कर २२८ रुपया रह गई। यह क्यों हो गया? क्या इसका कारण यह नहीं कि जबकि हमारे यहां अन्य कोई दूसरा धंधा नहीं है और प्रायः पूरी आबादी खेती में ही लगी हुई है, किसानों की हालत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है?

अब मैं दूसरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, सिंचाई साधन, जिसकी बड़ी दुहाई दी जाती है, वह कहां और किस रफ्तार से बढ़ाई गई? १९६३-६४ में वाराणसी डिवीजन में १४.४५ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई उपलब्ध थी और १९६६-६७ में १४.६९ लाख एकड़ तक हो पाया है। उसी तरह से झांसी डिवीजन में ७.४७ लाख एकड़ पर सिंचाई उपलब्ध थी और सन् १९६६-६७ में यह ७.४० हो गई। गोरखपुर डिवीजन में १९६३-६४ में २०.४६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई उपलब्ध थी और १९६६-६७ में २०.८६ लाख एकड़ में उपलब्ध हुई। इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि जो हमारे पूर्वी इलाके हैं उनमें करीब-करीब सिंचाई उसी जगह पर है जहां १९६३-६४ में थी। मैंने जानबूझ कर यह आंकड़े इसलिए दिए हैं कि चौधरी साहब यह न कह सकें कि हम सरकार में नहीं थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् ४६ में उन्होंने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के पद पर काम करना शुरू करके इस सूबे के मंत्रिमंडल में हिस्सा लेना शुरू किया और सन् ६७ तक पहुंचते-पहुंचते वह मुख्य मंत्री बन गये। आप इस चीज से इन्कार नहीं कर सकते, जिस सरकार में आप सन् ४६ से ६९ तक बराबर रहे उस सरकार ने जो सिंचाई बढ़ाई है उसका यह रेट है। उसके विपरीत आप मेरठ डिवीजन और आगरा डिवीजन की हालत देखिए। मेरठ डिवीजन में सन् ६३-६४ में २२.०७ लाख एकड़ यह थी और १९६६-६७ में यह बढ़कर २४.०८ हो गई।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

उसी तरह से आगरा में १८.५३ लाख एकड़ थी जो १९६६-६७ तक पहुंच गयी २१.०१ लाख एकड़ तक मान्यवर, इससे एक तस्वीर सिंचाई की रखना चाहता हूं। सिंचाई कहां बढ़ रही है? क्या यह सही नहीं है कि आज इस प्रदेश में सिंचाई वहीं बढ़ रही है जो इलाके पहले से ज्यादा सम्पन्न हैं? उन इलाकों में सिंचाई नहीं बढ़ रही है जिनको सचमुच सिंचाई की जरूरत है। खेती की पैदावार बगैर सिंचाई के कैसे बढ़ जायगी? पूर्वी इलाके और झांसी डिवीजन में करीब-करीब स्टेशनरी है, जहां १९६३-६४ में थे वहीं पर १९६६-६७ में थे। इससे अधिक एक भयावह तस्वीर और है। आपने बताया कि हमारी कुल जमीन जिस पर खेती हो रही है वह है ४.१४ करोड़ एकड़। हम कहते हैं ४.१२ करोड़ एकड़ है। इसमें सिर्फ १.५४ करोड़ एकड़ जमीन पर सिंचाई है। २.५८ करोड़ एकड़ पर सिंचाई आज भी नहीं है। इस बीच में, १६ सालों में ३५ लाख एकड़ सिंचाई बढ़ायी गयी। इस तरह से कम से कम १०० साल लगेंगे प्रदेश की पूरी खेती में सिंचाई होने के लिए।

नारायणदत्त जी उस दिन थे जब मैंने कहा कि योजना में दोष रहा है। किसी एक क्षेत्र में हमने पूरा विकास पाने की कोशिश नहीं की। खेती का क्षेत्र जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें भी आज तक ६, ७ साला योजना बना कर उसकी अवधि में प्रदेश की सारी खेती पानी देने पर सोच विचार नहीं हो रहा है। इस तरह से चौधरी साहब उन आंकड़ों पर गौर करें १०० साल से कम नहीं लगेंगे। उस वक्त तक हमारी हालत क्या होगी? हमारी आबादी ४० साल में तीन गुना होने जा रही है। पैदावार बढ़ती नहीं। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जो हमेशा किसानों की बात करते हैं जरा इस प्रदेश की इस तस्वीर को देखने की कोशिश करें, उन्होंने ऐसा नहीं किया और बोलते चले गये। खाली छोटे-मोटे इधर-उधर के सुधार करके ही वह समझते हैं कि इस प्रदेश को बहुत कुछ दे गये। यह मामला बहुत भयावह है। उसका इलाज क्या है? आप एक हद तक सोचते हैं उसके बाद सोचने से इनकार कर देते हैं। आमदनी के स्रोत एग्जास्ट कर दिये, देशी और विदेशी कर्जा लद गया। खाली एक उपाय है कि जो बड़े लोगों के सुख सुविधा में पैसा खर्चा हो रहा है हम उनके खर्चे पर पाबन्दी लगा दें। अगर बड़े लोगों के खर्चे पर उनके सुख सुविधा पर पाबन्दी नहीं लगती है तो हमारे देश की इकानामी बच नहीं सकती है। अगर आपको कुछ करना है तो देश के जो बड़े लोग हैं १,५०० रुपये माहवार उनके खर्चे की हद बांध दें। नीचे के [illegible] ऊपर उठाने में वक्त लगता है लेकिन बड़े लोगों की खर्चे पर हद बांधने में एक मिनट का [illegible] लगेगा।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

एक चीज और कह दूं। माननीय मुख्य मंत्री ताना देते हैं कि हम ४५ से ३३ हो गये। मान्यवर, मैं उनसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गरीब आदमियों की राजनीति करना कठिन है। जिस दिन हमारे दल की तरह से आप सचमुच गरीबों की राजनीति करेंगे तो जो यह अखबारों में जगह मिलती है और जो सफेदपोश लोगों में प्रशंसा मिलती है वह नहीं मिलेगी। न अखबारों में जगह मिलेगी और न प्रशंसा मिलेगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जिस वक्त आप कांग्रेस में थे उस वक्त आपके केन्द्रीय दफ्तर ने सन् १९६७ के चुनाव में कितना पैसा खर्च किया? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव में उस दल के केन्द्रीय दफ्तर ने ५ से १० करोड़ रुपया तक खर्च किया। केवल हमारी पार्टी ही ऐसी है जिसके केन्द्रीय दफ्तर ने ७५ हजार रुपया खर्च किया इसके अलावा यहां का एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने पिछले चुनाव में विदेशों से पैसा न लिया हो। मुझे गर्व है कि अगर हिन्दुस्तान में कोई एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है तो

यह हमारी पार्टी है जिसको एस० एस० पी० कहते हैं। श्रीमन्, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इन्क्वायरी कराई थी तो उससे मालूम हुआ कि विदेशों से कांग्रेस ने लिया और दूसरे लोगों ने पैसा लिया। अकेले यही पार्टी है जिस पर देश या विदेश से पैसा लेने का कोई चार्ज नहीं है।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ५७ में मुख्य मंत्री के खिलाफ जब विजयपाल सिंह लड़े थे तब वह ४०० वोट से ही जीते थे और जब कि आप शासन में थे, मंत्री थे। उसके बाद से आज तक आपके निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन वोट कर नहीं पाते हैं। (व्यवधान) उनके यहां इस तरह से लोगों को रोका जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री जी की देन है, जिस पर सब एतराज करते हैं कि चुनावों में हिंस्सा का समावेश कर दिया है। जगह-जगह इन लोगों ने कोशिश की कि मारपीट हो जाय और लोग मतदान करने न जा सकें। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी बड़ा घमंड करते हैं पर :

सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या,
कहती है तुझको खल्क खुदा गायवाना क्या।

आपकी क्या चर्चा है इसको भी जान लीजिये। आपके विषय में लोग क्या कहते हैं ? मुख्य मंत्री जी के विषय में श्री महामाया प्रसाद सिनहा, जो इनके लीडर रहे हैं, उन्होंने क्या राय जाहिर की है इसको भी सुन लीजिये।

श्री चरण सिंह---

मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह उनका कहना कहां तक रीलिवेन्ट है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जो हर दल की बात पैसा लेने की अभी जायसवाल जी ने कही मैं अपने दल की ओर से बतलाना चाहता हूं कि मेरे दल के लिये यह बात निराधार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं कांग्रेस की बात कह रहा था कि जब वह कांग्रेस में शामिल थे।

श्री अध्यक्ष---

आप खत्म कीजिये। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह---

महामाया बाबू ने मेरी बाबत क्या कहा है यह कैसे इस डिबेट से रेलिवेन्ट है ?

अगर इस प्रकार पर्सनल हमले होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा ? क्या श्री महामाया प्रसाद के खिलाफ कहने का मुझे मौका मिलेगा जब कि वह इस हाउस में नहीं हैं। (शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह कोई डिबेट का तरीका नहीं है। (शोर) मैंने कभी टोका-टाकी नहीं की।

श्री अध्यक्ष---

आपके १० मिनट हो चुके। १५ मिनट आप ले चुके हैं।

(श्री गेंदा सिंह का नाम पुकारने पर और उनके खड़े होने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं अपनी बात खत्म तो कर लूं। मैं निवेदन करूंगा, मान्यवर, कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमको मौका भी आप नहीं देना चाहते।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष के लिये कह सकता है कि आप ज्यादती कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे दो मिनट का समय और दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको काफी समय दे दिया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अभी उन्होंने समाप्त नहीं किया है । एक-दो मिनट का ही समय जब वह चाहते हैं तो वह समय आप उनको दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह पर्सनल अटैक नहीं कर सकते ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

महामाया जी ने कहा है कि "श्री चरण सिंह जी के लिये ऐसा करना कोई नई बात नहीं है । वह मुख्य मंत्री बनने के लिये ही कांग्रेस से अलग हुए थे । उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है । वह कुर्सी के लिये इतना नीचे गिर सकते हैं । वह मुख्य मंत्री बनने के लिये पागल हो गये हैं । वह अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये गलत या सही की पहचान भी नहीं कर पाते हैं ।" यह नवजीवन अखबार में १८ फरवरी, ७० को उनका यह वक्तव्य निकला है ।

श्री महीलाल—

माननीय सदस्य अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं । (शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक वाक्य कह कर मैं समाप्त करता हूं । मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि जैसी तस्वीर मैंने रखी है उसको आप देखें । (व्यवधान) । जो आदमी खाली कुर्सी के लिये राजनीति में रहता है वह प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकता, न प्रदेश का भला ही कर सकता है । इसलिए मेरी सदन से करबद्ध प्रार्थना है कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको पास करायें ।

श्री महीलाल—

जायसवाल जी ने जो पर्सनल अटैक मुख्य मंत्री पर किया है उतना अंश कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय थोड़ा बढ़ा दिया जाय क्योंकि कुछ लोग और बोलेंगे । सदन का समय बढ़ाने के लिये माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव लाना चाहें तो ले आएं ।

श्री महीलाल—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदन का, निश्चित समय से, दस मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री धर्मसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि वोटिंग समाप्त न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि वोटिंग समाप्त न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, अब तो समय बढ़ गया है । हमें भी मौका दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं ।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष---

आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह---

क्यों नहीं कहूंगा । जब आपने इजाजत दे दी उनको गालियां देने की अध्यक्ष महोदय, मुझको अफसोस है...

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, सदन को कोई आपत्ति नहीं है । आप हमें समय दें ।

श्री अध्यक्ष---

वह तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

हम मुख्य मंत्री जी को सुझाव देंगे कि किस तरह से स्वच्छ शासन लाया जाय ।

सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, वह कभी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं ।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है । मुझे आप माफ करेंगे । अगर मैं यह अर्ज करूं कि जिस प्रकार कि आप हाउस का संचालन कर रहे हैं उससे कठिनाई पैदा हो जायेगी हाउस को चलाने में (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री चरण सिंह---

कोई बात आपके बस की नहीं है ? हर चीज में व्यवस्था (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल---

मेरी व्यवस्था यह है कि आपने हमें तो स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया तो आप मुख्य मंत्री को क्यों मौका दे रहे हैं ? कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं कर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह---

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब जो साहब चाहे खड़े होकर फरमा जाएं । आप इन्कार करते रहते हैं और वे बोलते रहते हैं और थोड़ी आग्रह करने पर आप राजी हो जाते हैं । (व्यवधान) मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं । इससे नतीजा यह होता है कि हर चीज रेलीवेंट या इर्रेलीवेंट, पर्सनल अटैक या गैर पर्सनल अटैक, सबको आप इजाजत दे देते हैं । जिस समय मैं बोलना चाहता था आपने इजाजत दे दी श्री विकल जी को और वे काफी देर तक बोलते रहे । इस तरीके से (व्यवधान) । इस तरह से चिल्लायेंगे तो हम भी शोर मचा सकते हैं । (व्यवधान) (शोर) आप इनको कंट्रोल कीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

हम क्या करें ?

श्री चरण सिंह---

मेरे पास क्या इलाज है । आप कंट्रोल कीजिए । बाबू महामाया प्रसाद जी की क्या राय है ? इसके संबंध में मैंने एतराज किया था कि आज के मजमून से महामाया प्रसाद जी की राय का कोई वास्ता नहीं है । इस तरह वह रेलीवेंट बात नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष---

अब उनको बोल लेने दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । (श्री गेंदासिंह को संबोधित करके) आपको १५ मिनट दिये जाते हैं । १५ मिनट में आप समाप्त कर दें ।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

मैं १५ मिनट से भी कम में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा । अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर जो विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी को, क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने, राज्यपाल के भाषण पर जो सवाल पैदा हो गये थे और जिस पर शक और शुबहा माननीय सबस्यों द्वारा पैदा कर दिया गया था, उस पर उन्होंने बड़े विस्तार से, बहुत समझाने के तरीके से, सारी बातें सदन के सामने रखीं । जो भी प्रश्न ऐसे थे, जिनका उत्तर मिलना चाहिये था, उनका उत्तर उन्होंने दिया । अब बहुत थोड़ी बातें ऐसी हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

एक बात तो माननीय माधव प्रसाद जी ने और माननीय दुबे जी ने कही और यह कहा कि यह मौका बूढ़े लोगों को ही क्यों दिया जाता है कि वे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखें । उन्होंने अंग्रेजी में शब्द कहा । अंग्रेजी की मेरी उतनी जानकारी भी नहीं है और न उससे मेरा अधिक प्रेम है । दुबे जी ने जो कहा, उसको मैं दुहरा देता हूं । उन्होंने ओल्डेस्ट कहा । श्रीमन्, यह तो हमने आदर के ख्याल से ऐसा किया था । हमारे आदरणीय सदन में ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने यदि हमारी कोई बात हो तो उसको अपने ढंग से रख सकें । सही बात तो यह है कि जितनी खुशी मुझे इस बार राज्यपाल के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाषण के बाद हुई, इस विधान सभा की जिन्दगी में ऐसी खुशी कभी नहीं हुई। श्रीमन्, यह पहला मौका है जिस मौके पर किसी राज्यपाल के भाषण में, यहां जो सबसे ज्यादा भाषण करने वाला तबका था जिससे इस उत्तर प्रदेश के २५ लाख किसानों का लगातार ४० वर्ष से शोषण किया था, और श्रीमन्, २५ लाख किसान ही नहीं उसके इर्दगिर्द जो छोटे उद्योग लगाने वाले थे, उनको भी जिन्दा नहीं रहने दिया, यही सोचता रहा कि गुड़ बनाने वाले, खांडसारी वाले, और केन क्रशर वाले सदा के लिये मर जाएं, उनको सदा के लिये समाप्त करने का कदम उठाया गया। श्रीमन्, इस सारी बात को इतिहास भूल नहीं सका। यह एक ऐसी घटना है जिसको आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूल सकती।

श्रीमन्, मैं कुछ चिढ़ाने वाली बात नहीं कहना चाहता। लेकिन इस बात को मैं सदा से कहता चला आया हूं। सभी जानते हैं यह बात कभी भी मेरी जबान से गयी नहीं, और कुर्सी को भी मैंने ठोकर मार दी।

श्रीमन्, यह इतना बड़ा आज अजेंडा का कागज है किन्तु खेतिहर मजदूर की चर्चा किसी भाई ने नहीं की है। हां, मैंने की है। लेकिन श्री रामधारी जी, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, ने खेतिहर मजदूर की चर्चा नहीं की है।

कई सदस्य---

पढ़ लीजिए।

श्री गेंदा सिंह---

नहीं है। श्री जायसवाल जी के भाषण में मुझे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वह ऐसी बातें प्रतिबिम्बित कर रहे थे, जिसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है और अब भी गुस्से में बोल रहे हैं। फिर उधर से हल्ला किया जावेगा लेकिन मैं कहता हूं कि महामाया बाबू की राय वह नहीं पढ़ते अगर चौधरी साहब उनके साथ बैठ गये होते।

श्री अमन्तराम जायसवाल---

कोई तो पढ़ता ही, चाहे हम पढ़ते या वह पढ़ते।

श्री गेंदा सिंह---

श्रीमन्, चौधरी साहब ने मुल्क की आवाज को सुना और उनको अनुभूति हुई। वह विवेकशील आदमी हैं, उन्होंने समझा कि समूचे देश की आवाज के साथ हमको चलना चाहिये। इसी उद्देश्य से उन्होंने सरकार की स्थापना की और एक ऐसे दल से सहयोग मांगा जिस दल ने भारत को एक नई करवट बदलने का मौका दिया है। उसमें बिड़ला भी जीवित रहेंगे लेकिन करोड़ों किसान और मजदूर ऊपर उठेगा। जब मिश्रित इकानामी इस देश की है तो पूंजीपति भी जीवित रहेगा लेकिन आज यह नहीं हो सकता है कि केवल पूंजीपति ही जीवित रहे और करोड़ों किसान और मजदूरों की छाती पर मूंग दले। (व्यवधान)

इसी से प्रेरित होकर चौधरी साहब ने आज यह सरकार बनाई है और इसे अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया है और दो-तीन महीनों में एक विस्तृत बजट आवेगा और इस बजट में, श्रीमन्, हम देखेंगे कि आज से हम दस कदम आगे जाते हैं। हम उसमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, उसकी आर्थिक स्थिति संभालने के लिये कोशिश करेंगे।

श्री जायसवाल जी के मत में यह प्रदेश सारे भारत में पिछड़ा हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में यह पिछड़ा हुआ है और इसकी हमको अनुभूति है। लेकिन यह अनुभूति उनको तो अभी भी नहीं हुई है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी अनुभूति हो जावे और सदबुद्धि हो ताकि देश और प्रदेश आगे बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं राय लेता हूं। पहले मुख्य संशोधन पर राय लेता हूं और फिर प्रस्ताव पर राय लूंगा। यह संशोधन माननीय श्री अतन्राम जायसवाल जी का है।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सवा छः एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से मालगुजारी खत्म करने के अध्यादेश को तुरन्त अधिनियम बनाने का उल्लेख नहीं किया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य लाबीज में हैं वे बाहर आकर अपनी-अपनी सीट पर बैठ जायं। श्री राम लखन शुक्ल जो बीमार हैं वे लाबी में ही बैठे रहेंगे और वहीं पर वोट देंगे।

(घंटी बन्द होने पर।)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर)

श्री अध्यक्ष—

डिवीजन होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी दो बजे मैंने लोगों को अपने कमरे में बुलाया था और उसमें वे लोग थे जो विभिन्न पार्टियों के नेता थे। उनसे मैंने पूछा था। जो पुराना तरीका था कि लाबीज में जाकर वोट करें और यह भी पूछा गया कि वह अपने दल को नियंत्रित रखेगा। इसको कई लोगों ने कहा परन्तु हमारा अनुभव उसके विपरीत रहा है। मैंने तय किया है कि अब यहीं हाउस मे वोटिंग होगी। दो बाक्सेज यहां पर रख दिये जायेंगे जिनमें माननीय सदस्य "हां" या "नहीं" वाले बक्सों में अपने हस्ताक्षर करके बैलेट पेपर डाल देंगे।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राव—

वोटिंग लाबी में होनी चाहिये। अगर यहीं पर उसको करवाना है तो एक ही बक्सा रखा जाय और दो बाक्स नहीं रखे जाएं।

यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष जी, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है और इस सदन को और हमारे सारे प्रदेश को इसके बारे में मालूम है। इसके बारे में यह है और निवमावली में भी यह है कि लाबीज में जाकर वोट होना चाहिये। आप उस संसदीय प्रणाली को छोड़कर यहां पर वोट करवाने जा रहे हैं जो अनुपयुक्त है, यह एक जबरदस्ती है।

श्री अध्यक्ष—

वोटिंग यहीं पर होगी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

हम लोग उस वोटिंग को नहीं मानेंगे। यदि बाक्स यहीं पर रखना है तो केवल एक ही बाक्स रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

विभाजन का तात्पर्य है कि मतदान लिया जाय ।

(व्यवधान)

मैंने यह तय कर लिया है कि यहीं पर दो बक्सों को रखवाकर वोटिंग ली जाय ।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य वोट नहीं करेगा । वोट करने के लिये हम लोग लाबीज में जायेंगे । यहां पर होना एकदम गलत है ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

यहां पर वोट नहीं पड़ेगा । वोटिंग लाबीज में होगी ।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, यह सब नही चलेगा । वोटिंग लाबीज में होगी ।

(विरोधी पक्ष की ओर से "नहीं चलेगी तानाशाही" के नारे लगाये गये ।)

(व्यवधान)

एक सदस्य—

गवर्नर महोदय ने बेईमानी का तरीका अपनाया ।

(विरोधी पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाना आरम्भ कर दिया ।)

(विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने "हां" के पक्ष में वोट डालने वाला बक्स उठा लिया और विरोधी पक्ष की ओर ले गये और उसे तोड़ डाला)

(व्यवधान)

सहायक सचिव, विधान सभा—

सदन के अन्दर जो मतदान की व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है : सदन के अन्दर चार कर्मचारी चार बूथ में होंगे । बूथ नं० १ में अ से छ तक के माननीय सदस्यों को मत-पत्र दिये जायेंगे । बूथ नं० २ में ज से भ तक के माननीय सदस्यों को मतपत्र दिये जायेंगे । बूथ नं० ३ में (व्यवधान) म से र तक के माननीय सदस्यों को मतपत्र दिये जायेंगे और बूथ नं० ४ में ल से ह के नाम वाले माननीय सदस्यों को मतपत्र दिये जायेंगे । मतपत्र देने के पूर्व वर्णक्रम के अनुसार नाम पुकारे जायेंगे और माननीय सदस्यगण अपने बूथ से मतपत्र प्राप्त करने के उपरान्त मतपत्र पर अपना पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे और अपनी इच्छानुसार "हां" या "नहीं" की पेटी में डाल देंगे । इसके उपरान्त माननीय सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे । जिस मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होंगे उसे रद्द माना जायेगा । मतपत्र पर हस्ताक्षर के अतिरिक्त कुछ और अंकित नहीं करना है। अब एक एक करके माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायेंगे और सदस्य बीच में सामने की तरफ आकर बैलट पेपर में हस्ताक्षर कर के अपना पत्र "हां" या "नहीं" में डाल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी कोई मतपत्र न दिये जायं जब तक कि नाम यहां से न पुकारे जायं । जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय कृपा करके उन्हीं को मतपत्र प्रदान किया जाय ।

(व्यवधान)

सहायक सचिव, विधान सभा—

सदन के अन्दर विधान सभा के ४ कर्मचारी हैं.....(अभूतपूर्व शोर)..माननीय सदस्यों के एक-एक करके नाम पुकारे जायेंगे और जिनका नाम पुकारा जाय वे....(व्यवधान)

एक सदस्य (विरोधी पक्ष की ओर से)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह है आपकी रूलिंग की इज्जत। बहुत से बैलट बक्सों में डाले जा चुके हैं। जाने किसने और किसके नाम के लिख दिये गये हैं।

एक सदस्य (विरोधी पक्ष की ओर से)—

बक्से में वोट्स पड़ चुकी हैं, उनको पहले दिखवा लीजिए।

(निम्नलिखित सदस्यों के नाम पुकारे गये—

माननीय अजब सिंह
,, अजीत प्रताप सिंह
,, अतीकुर्रहमान)

(श्री अनन्त राम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर उन्होंने माननीय अध्यक्ष के पास जाकर कुछ बातचीत की)

(इसके उपरान्त निम्न माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये—

माननीय अनवार अहमद
,, अनीसुर्रहमान
,, अब्दुल गफ्फार हाशमी
,, अब्दुल सलाम शाह
,, अभिमन्यु प्रसाद पांडेय
,, अमर नाथ
,, अली जहीर)

(अत्यन्त व्यवधान—मेजें थपथपाई गईं।)

,, अवधेश कुमार,
,, अवधेश प्रताप मल्ल।

(अत्यन्त शोरगुल के बीच मतदान चलता रहा।)

(विरोधी दल के अनेक सदस्य अध्यक्ष आसन के पास वाले चबूतरे पर आकर उनको घेर कर खड़े हो गये और श्री अध्यक्ष के पीछे सदन में प्रवेश करने वाले द्वार को जबरदस्ती खोल कर कुछ सदस्य बाहर चले गये। कुछ सदस्यों ने अध्यक्षासन की ओर कागज भी फेंके। मतदान की प्रक्रिया जारी रही। विरोधी दल के कुछ सदस्यों के मतदान के संबंध में आपत्ति करने पर श्री अध्यक्ष ने उठकर स्वयं उसका निरीक्षण किया और अपने स्थान पर पुनः आसीन हुए। कुछ सदस्यों के "हां" पक्ष में मतदान करने की मांग पर दूसरे मतदान बक्स का प्रबन्ध कर दिया गया। अनेक सदस्य अध्यक्ष के मंच पर खड़े थे। सभी सदस्यों के नाम पुकारे जाने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने शोर के बीच घोषित किया कि अनन्तराम जायसवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन गिर गया और मूल प्रस्ताव पर आज मतदान नहीं होगा।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा।
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ मार्च, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

श्रेणी		सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
प्रथम	..	२	—
द्वितीय	..	१०	३
तृतीय	..	१४३	३
चतुर्थ	..	२१६	६

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर)

फर्जी परवानों का विवरण

क्रमांक	नाम ग्राम	परगना	व्यक्ति का नाम जिसके नाम परवाना जारी हुआ		प्लाट नं०	क्षेत्रफल
१	२	३	४		५	६
						बी० वि० वि०
१	बीबीपुर	केवाई	१—कामता	पुत्रगण	३६० मी०	० १७ ०
			२—अनन्तराम	शिवदोहल	२७५ / १मी०	० ५ ०
				सा० बीबीपुर	३०३	० २ ०
					३७६ / १	० ८ ०
					४६६ / ५	० १४ १८
					३८८ / १	१ ० ०
					२७५ / २	० ५ ०
					३७६ / १	० १० ०
					४३४	० ४ ०
						४ ५ १८
						०—१९—०
२	गिर्दकोट	,,	१—रामप्यारे पुत्र बचऊ		९५५	
			२—मोती पुत्र नरायन			
			३—बाबुल्ला पुत्र ,, ,,	नि०	१०५/१	०—८—०
			४—मोहन पुत्र सोनई	गिर्द		
			५—बन्धू पुत्र ,, ,,	कोट		१—७—०
३	औसानपुर	,,	हुबलाल मौर्य पुत्र रघुनाथ मौर्य, साकिन औसानपुर।		४५६/१	१—५—०
४	भूसलपुर	,,	१—पुरषोत्तम पुत्र मातासरन			
			२—परसाथी पुत्र सुबरन			
			३—राजपति पुत्र सुबरन		५१०/१	२—१०—०
			४—सूर्यदीन पुत्र दुबरी		४१८/२ मी०	३—१०—०
			५—मनोरथ पुत्र सुखदेव			
			६—राजाराम बल्द गजाधर निवासी गण भूसलपुर।			६—०—०
						०—१—०
५	भूसलपुर	,,	१—धर्मराज सिंह			
			२—हरीराम सिंह	पुत्रगण इन्द्र	१७८/१	१—६—०
			३—राम प्रताप सिंह	बहादुर सिंह	२०९	
			निवासी भूसलपुर		१७	०—१—०
					१८	०—९—०
					३६ मी	१—०—०

१	२	३	४	५	६
					बी० वि० वि०
				४० मी	०–८–०
				१८०	१–५–१०
				२८०/१	१–१६–०
					६–६–१०
६–कुन्दौरा	केवाई	गज्जू पुत्र गोविन्द साकिन कुन्दौरा ।		४१४/१ मि०	१–१३–०
				३८८/१	१–१३–०
					३–६–०
७–दुबेपुर	,,	१–निरन्जन बल्द बालादीन	..		..
		२–रमाकान्त बल्द राम अधार		२०अ	१–०–०
		३–रामानन्द बल्द ,, निवासी दुबपुर		२१अ	०–५–५
				२२	१–२–०
				२३अ	०–३–०
				२४	१–२–०
				२५अ	०–१–०
				२६	०–२–०
				३१	०–१–०
				३२अ	०–७–०
				३४अ	०–५–०
				२५	०–१८–०
				७६	०–०–५
					५–६–१०
८–अलावलपुर	मह	१–भुल्लर पुत्र कन्धई साकिन नासिर पट्टी ।		२३३/१	०–१६–०
९–नेवादा बरौना	,,	१–रामपती बल्द सहदेव २–राम शिरोमणि बल्द राजदेव ३–राम लाल बल्द जगदेव साकिन नेवादा बरौना		४३४	२–०–०
१०–जेनुवांडीह कलां	,,	१–इनायत हुसैन बल्द बुद्धू साकिन जेनुवाडीह ।		३१९	१–१६–०
११–भुड़दौली	,,	१–सत्य प्रसाद बल्द कामता प्रसाद ।		१८५	०–९–०
				१८७	१–६–०
					१–१५–०

१	२	३	४	५	६
			२—देवी प्रसाद वल्द कामता प्रसाद		१—१५—०
			३—लालता प्रसाद	..	..
१२—फतेहपुर माफी		मह	१—मतई वल्द गज्जू, साकिन फतेहपुर माफी।	१२४/१	०—९—०
				१७५ ४	१—१५—१९
					२—४—१९
१३—तिलकट		केवाई	रहमतउल्ला वल्द बलयी, साकिन तिलकट ।	५५ मि०	०—१०—०
				९२ मि०	०—२—०
				६२ मि०	१—३—०
					१—१५—०
१४—अतरौरा		१—भगेली संसारी पुत्र		२६६	५—०—०
		२—सुखू		१७८	०—०—१०
				१८४	०—९—०
				१५५	०—३—१०
					५—१३—०
१५—बरस्ता कलां		मह	१—अशर्फीलाल पुत्र रामबोध निवासी बरस्ता कलां ।	८६०अ	०—९—१३
				८६०अ	०—१०—०
				८६२अ	०—७—०
				१३७९/२	०—५—०
					१—११—१३
१६—हिरामनपुर		,,	१—भुल्लर वल्द कन्धई	८१२/१	०—१८—०
			२—पंचूलाल बल्द मातागुलाम साकिन पट्टी ।	८४२/१	०—६—०
				१५७६	०—१७—०
					२—१—०
१७—सरजू पट्टी		,,	१—महादेव वल्द गयादीन	१५८१/२	७—१३—०
			२—राज नरायन ,,	१५८४/२	०—१०—०
			३—बाबू नन्दन वल्द भगौती	१५७८/३	२—१८—०
			४—मंगली वल्द लक्षमण	१५८५/२	१—१७—४
			५—बाबू बल्द ,,	१५८२/३	१—१९—१२
			६—बेचई बल्द बुद्धू	१५८४/३	०—१४—०
			७—माता प्रसाद वल्द रंजीत साकिन कटेहरी ।	..	१५—११—१६
१८—नासिर पट्टी		,,	१—भुल्लर बल्द कन्धई	२३१	१—१९—०
			२—दस्सू वल्द खोदर सा० नासिर पट्टी	..	
योग		४५			६५—०—६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर)

हंडिया सहसील की सूची

पिछली गर्मी में इलाहाबाद जिले के हंडिया तहसील के १६२ गांवों में २६४ हैन्ड पंप लगाये गये । चालू हैंड, पंप की सं० १८६ एवं खराब हैंड पंपों की सं० १०५ है ।

क्र०सं०	गांव	कुल संख्या	चालू हैंड पंप	खराब हैंड पंप
१	सियाडीह	२	१	१
२	मोठपर	२	१	१
३	अन्नौंबें	१	१	—
४	रसूलपुर	१	१	—
५	गोपालपुर	१	१	—
६	रेहयू	३	२	१
७	दरोगापुर	२	१	१
८	सरीफपुर	२	१	१
९	झिरिहरी	२	१	१
१०	पहाड़पुर	२	१	१
११	सांडा	१	१	—
१२	सांडी	१	१	—
१३	चकनाथी	१	१	—
१४	पटैला	१	१	—
१५	कूदनपुर	१	१	—
१६	पूरे रघई	२	२	—
१७	रामपुर	१	१	—
१८	सदुलहा	१	१	—
१९	बीरे साहू	१	१	—
२०	सोहरी बोझम	२	१	१
२१	चकिया साथर	२	१	१
२२	सैदहा साथर	१	१	—
२३	बाबूपुर साथर	१	१	—
२४	पूरेडीह	२	१	१
२५	रिठवा	३	२	१
२६	सविना	२	१	१
२७	हरीपुर	३	२	१
२८	चतुरपट्टी	२	२	—
२९	मरा	२	२	—
३०	बल्लमा	१	१	—
३१	देवधना	१	१	—
३२	जगुवा	२	२	—
३३	बेलहरा	१	१	—
३४	लोकापुर	१	१	—
३५	धौरहरा	२	१	—
३६	अढ़नी	१	१	—

क्र०सं०	गांव	कुल संख्या	चालू हैंड पंप	खराब हैंड पंप
३७	किशनोपुर	१	१	—
३८	किराव	४	३	१
३९	रामापुर	२	१	१
४०	बनपुरवा संरांपीथा	२	२	—
४१	बंदी पट्टी	१	१	—
४२	कुंदौरा	२	१	१
४३	दत्तेपुर	१	१	—
४४	तिलकट	१	१	—
४५	महराजपुर	२	२	—
४६	कोट दक्षिन	१	१	—
४७	भूसलपुर	२	१	१
४८	पूरसत थामा	१	१	—
४९	ससारीपुर	२	२	१
५०	खार्रमशाहपुर	१	१	—
५१	सिटकी	१	१	—
५२	सरई	१	१	—
५३	बीबीपुर	३	२	१
५४	खडगपुर	२	२	—
५५	लोकमनपुर	२	१	१
५६	डिधरी	१	—	१
५७	भदैली	२	२	—
५८	जगदीशपुर	४	३	१
५९	परतीपुर	१	१	—
६०	सरायपाथा	१	१	—
६१	परवा	२	१	१
६२	बासपुर	२	१	१
६३	उपरेदहा	४	२	२
६४	देवठा	१	—	१
६५	सहिला	२	२	०
६६	सदरेपुर	२	१	१
६७	गिर्दकोट	२	१	१
६८	चकिया गिर्दकोट	१	१	—
६९	वनपुरवपरतीपुर	२	१	१
७०	शुकुलपुर	३	२	१
७१	इमामगंज	२	१	१
७२	श्रीपुर	१	—	१
७३	भगौतीपुर	२	—	२
७४	पूरे कन्ता	२	१	१
७५	बनकट	१	१	—
७६	सहजना	२	१	१
७७	अवसानपुर	२	१	१
७८	ताराचन्द्रपुर	१	—	१

क्रम सं०	गांव			कुल संख्या	चालू हैंड पंप	खराब हैंड पंप
७९	देवबरा	..	..	१	१	—
८०	कुस्तुरिया	..	..	२	१	१
८१	दलापचन्द्रपुर	..	..	१	१	—
८२	रामनाथी	..	..	१	१	—
८३	ममरखा	..	..	१		
८४	बीठलपुर	..	..	१	—	१
८५	डांडी	..	..	१	१	—
८६	तेवारीपुर	..	..	१	—	१
८७	बिठौली	..	..	२	१	१
८८	साहपुर	..	..	१	१	—
८९	बैजपुर	..	..	२	—	२
९०	बलीपुर	..	..	१	—	१
९१	कबिरहा	..	..	१	१	—
९२	बिझबनिया	..	..	२	२	—
९३	खानापुर	..	..	१	१	—
९४	धमहा	..	..	२	१	१
९५	बिक्रमपुर	..	..	१	१	—
९६	धारूपुर	..	..	१	—	१
९७	देवा	..	..	१	—	१
९८	धनुपुर	..	..	२	१	१
९९	चकसुदेश	..	..	१	१	—
१००	साहीपुर	..	..	१	१	—
१०१	बैथापुर	..	..	१	—	१
१०२	चकमासूम	..	..	१	—	१
१०३	चकमनोहर	..	..	१	१	—
१०४	गोबिन्दपुर दुबे	..	..	१	१	—
१०५	खिजिरिहा	..	..	२	१	१
१०६	मिसरी	..	..	१	१	—
१०७	केवाई बुजुर्ग	..	..	२	१	१
१०८	रामनगर	..	..	१	—	१
१०९	चकनिहाल	..	..	१	१	—
११०	सिरसा	..	..	२	१	१
१११	मिसिरपुर	..	..	१	१	—
११२	चकजीवनडीह	..	..	१	—	१
११३	पटखान	..	..	१	१	—
११४	करुवाडीह	..	..	१	१	—
११५	जमुवा	..	..	१	—	१
११६	बसनाखास	..	..	२	१	१
११७	पूरेविक्रमशाह	..	..	२	—	२
११८	उग्रसेनपुर	..	..	४	२	२
११९	थानापुर	..	..	१	—	१
१२०	मोरापुर	..	..	१	—	१
१२१	शोरो	..	..	२	—	२

१	२	३	४	५
१२२	चतुर्भुपुर	३	२	१
१२३	गलचवा	२	२	—
१२४	चांदोपारा	१	१	—
१२५	महंवाकोठी	२	१	—
१२६	सिथाली	१	—	१
१२७	नेकनामपुर	१	१	—
१२८	मनीपुर	१	१	—
१२९	बबुआपुर	१	—	—
१३०	सफउद्दीनपुर	१	—	१
१३१	नरहरपुर	१	—	१
१३२	मोहीउद्दीनपुर ..	१	—	१
१३३	याकूबपुर	१	१	—
१३४	अजैहैरा	१	—	१
१३५	हैबतपुर	१	१	—
१३६	भवानीपुर	२	१	—
१३७	प्रतापपुर	३	१	२
१३८	नासिरपट्टी	१	—	१
१३९	बरैन	२	१	१
१४०	दलपतपुर	२	२	—
१४१	आगाखुर्द	१	१	—
१४२	गुरगो	१	१	—
१४३	आराकलां	२	१	१
१४४	ईश्वरपुर	१	१	—
१४५	वरुआबोझ	१	—	१
१४६	हसरपुर	१	१	—
१४७	रवना	१	१	—
१४८	यासीनपुर	१	—	१
१४९	सलोमपुर	२	१	१
१५०	चकहाफिज	१	१	—
१५१	सरायबांकी	१	१	—
१५२	मेरा डांड़	१	—	१
१५३	थरिया	१	१	—
१५४	नीवी	१	१	—
१५५	सैदहा	२	१	१
१५६	छबिलहा	२	१	१
१५७	सराय हसुवा	१	—	१
१५८	दमगड़र	३	२	१
१५९	भुलनापुर	१	१	—
१६०	महमलिया	१	१	—
१६१	भूपतपुर	२	१	१
१६२	सराय बक्स	२	१	१
१६३	काजीपुर	३	२	१

१	२	३	४	५
१६४	बेलहरा	१	१	—
१६५	बीबीपुर	१	१	—
१६६	बीबीपुर कुतिया	१	—	१
१६७	पूर लाटर्ड	२	२	—
१६८	थेतरा	२	१	१
१६९	आलानगरी	१	१	—
१७०	अलाबलपुर	१	१	—
१७१	नूहटरी	१	१	—
१७२	मोहरपुर	१	१	—
१७३	सहायपुर	१	१	—
१७४	नेवादा बेला . ..	१	१	—
१७५	सडरेपुर	१	१	—
१७६	सूरजपट्टी	१	—	१
१७७	बीरापुर	१	१	—
१७८	चकहोदा	१	१	—
१७९	बधड़ी	१	१	—
१८०	नेवूला	५	३	२
१८१	पिलखिनी	१	१	—
१८२	भलेन्द्र	३	२	१
१८३	मठई	१	१	—
१८४	क्षारी	१	१	—
१८५	महरछा	२	१	१
१८६	बृन्दावन	१	१	—
१७७	चौका	३	२	१
१८८	जंघई	२	२	२
१८९	नेवादा बरौना	१	—	१
१९०	पतवा	२	१	१
१९१	पट्टीराम	१	१	—
१९२	भीपुर (हमामगंज) ..	१	१	—
	योग ..	२९४	१८९	१०५

फूलपुर तहसील की सूची

फूलपुर तहसील के ग्रामों की सूची जहां हैंड पंप लगाये गये । २७ ग्रामों में कुल ३३ हैंड पंप लगाये गये हैं । २३ ग्रामों में खराब पड़े हैं और चार में ठीक कार्य कर रहे हैं ।

(क) जिन गांवों में हैंड पंप खराब हैं उनके नाम निम्न हैं :—

स्थान	हैंड पंपों की संख्या
१—फूलपुर तहसील	१
२ सराय सिलो	१
३ चक बाजी औलिया	२
४ मलकापुर	१
५ दौरयापुर	१
६ कोड़ापुर	१
७ अहियापुर	१
८ शेफानपुर खास	१
९ शेफानपुर ददहरा	१
१० शेफानपुर नगरया	२
११ शाहपुर कुर्मियान व खास	२
१२ शाहपुर बमनौटी	१
१३ मधुबनपुर कुर्मियान	१
१४ अक्षबुमपुर तेलियान	१
१५ मखदूमपुर तुर्कान	१
१६ बसराव चमरौटी	१
१७ कसराव चाकर कुईयां	१
१८ बलकरनपुर अहिरान	१
१९ बलकरनपुर ठकुरान	१
२० जलालपुर	१
२१ भभई हुसामगंज (इमामगंज)	२
२२ अतरौरा	२
२३ उदैपुर	१

(ब) जिन गांवों में हैंड पंप ठीक कार्य कर रहे हैं उनके नाम निम्न हैं :—

१ फूलपुर	१
२ सराय सकाया कलां	१
३ कसराबां	१
४ सिलहट	२
	(जिनमें एक खराब है)

इस प्रकार कुल २७ ग्रामों में कुल ३३ हैंड पम्प लगाये गये हैं ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

जिला	अहेतुक सहायता	गृह निर्माण सहायता	आपदा तकावी	अन्य सहायता
	रु०	रु०	रु०	
१—देहरादून		..	२०,०००	२,५०० रु० के खाद्यान्न वितरित किये गये ।
२—सहारनपुर	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी			
३—मुजफ्फरनगर	६३०	..	६,१४५	
४—मेरठ	५,५००	,१५,२००	१६,२५०	
५—बुलन्दशहर	अगस्त सितम्बर में कोई बाढ़ नहीं आयी			
६—अलीगढ़	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी			
७—मथुरा	५,०००	..	३,६५०	
८— आगरा	३,२००	७,०६०	८,०००	२४३ रु० की दवायें बांटी गयी ।
९—मैनपुरी	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी			
१०—एटा	४,३५०	६५०	..	
११—बरेली	१,०६,५००	३,२५,६७५	६,४७,०००	४,००० रु० प्रकीर्ण मदों पर व्यय हुआ ।
१२—बिजनौर	५,६७०	६७५	३,२००	
१३—बदायूं	२३,२३०	८१,३००	३,६७,७५०	३४७ रु० के खाद्यान्न व दवायें बांटी गयीं
१४—मुरादाबाद	१०,०००	७१,०००	२६,०००	
१५—शाहजहांपुर	५५,०००	१,३०,३६५	१,४७,७३१	वस्त्र व दवायें वितरित की गयी ६,६४२ रु० प्रकीर्ण मदों पर व्यय हुआ
१६—पीलीभीत	२३,८६५	५७,२१०	१,५८,७६०	७,३५६ रु० के खाद्यान्न वस्त्र व ३३८ कम्बल बांटे गये ।

जिला	अहेतुक सहायता	गृह निर्माण सहायता	आपदा तकावी	अन्य सहायता
	रु०	रु०	रु०	
१७—रामपुर	१०,८८५	३५,१००	१,७५,१४५	
१८—फर्रुखाबाद	५,२०५	५०,९८०	२८,२२५	दवायें वितरित की गयी व टीके लगाये गये ।
१९—इटावा	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी			
२०—कानपुर	३,२४७	..	१५,८८०	
२१—फतेहपुर	७७४	१००	७६,६६०	दवायें वितरित की गयीं
२२—इलाहाबाद	१२,२३१	..	१०,८०,४९०	
२३—बांदा	४५,८५१	२६,१६५	५,४९,१६०	मुफ्त खाद्यान्न वितरित हुआ और दवायें बांटी गयीं ।
२४—हमीरपुर	९५५	३,२४५	५२,२१०	दवायें बांटी गयीं व टीके लगाये गये ।
२५—झांसी	३०८	७४२	..	
२६—जालौन	१६१	..	२५,७००	
२७—वाराणसी	५८,०००	..	..	आटा वस्त्र व दवायें बांटी गयीं ।
२८—मिर्जापुर	२,७२१	..	२१,२६५	
२९—जौनपुर	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयीं			
३०—गाजीपुर	२२,४६५	३,१२५	२,४३,४१०	१२७ ७रु० के खाद्यान्न बांटे गये ।
३१—बलिया	२,७३,५६३	६१,६७०	८,५५,०००	१४० धोती बांटी गयीं ।
३२—गोरखपुर	१,४०,१८७	१,०७,५०५	५,९४,६९५	७५,०५४ रु० प्रकीर्ण मदों पर व्यय हुआ दवायें बांटी गयीं ।
३३—बस्ती	४,१७,५४१	३,७५,४९०	१३,४२,८९५	२४,२०० रु० टेस्ट वर्क्स पर व्यय हुआ । ९२,७९० रु० के खाद्यान्न व वस्त्र बांटे गये । दवायें बांटी गयी व टीके लगाये गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३४——आजमगढ़	४७,८५५	९५,१०४	४२,५४५			
३५—देवरिया	१,८६,०००	३,२५,०००	..			
३६—नैनीताल	११,४२५	..	..			
३७—अल्मोड़ा	३,७१०	६,४२५	३,९००	४० किलो आटा व ५सेट वस्त्र बांटे गये ।		
३८—गढ़वाल	२६०	२,७१५	२ २५०			
३९—टिहरी–गढ़वाल	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी					
४०—पिथौरा गढ़	अगस्त सितम्बर में कोई बाढ़ नहीं आयी					
४१—चमोली			१,०००			
४२—उत्तरकाशी	अगस्त सितम्बर में कोई बाढ़ नहीं आयी					
४३—लखनऊ	अगस्त सितम्बर में कोई बाढ़ नहीं आयी					
४४—उन्नाव	५,६६०	४,४७५	..			
४५—रायबरेली	..		९,८६५	२,६९० रु० के अन्न व वस्त्र बांटे गये, १३०० कम्बर बांटे गये दवायें बांटी गयी व टीके लगाये गये ।		
४६—सीतापुर	१०,७००	४८,५००	९५,०००			
४७—हरदोई	२०,५००	४१,४८५	१,१५,०००	६०० रु० प्रकीर्ण मदों पर व्यय हुआ, २५० रु० के वस्त्र व दवायें बांटी गयी ।		
४८—खीरी	३२,६५२	१,२१,९८०	३९,३७५			
४९—फैजाबाद	५,०००	..	१७,५५०	९०६ रु० का खाद्यान्न वितरित हुआ ।		
५०—गोंडा	१,७९,०००	२२,०५०	६,९६,१४५	२३७०० रु० प्रकीर्ण मदों पर व्यय हुआ ।		
५१—बहराइच	१,०,३६९२	१,५५,९९०	७,५०,३६०	११,२०००रु० की दवायें बांटी गयीं		
५२—सुल्तानपुर	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी ।					
५३—प्र,तापगढ़	अगस्त सितम्बर में बाढ़ नहीं आयी ।					
५४—बाराबंकी	१५,७१२	..	..	४,१५८ रु० प्रकीर्ण मदों पर व्यय हुए ।		

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ तथा ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९ पर)

इलाहाबाद जिले के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं का विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	योजना की कुल अनुमानित लागत (लाख रु० में)	योजनान्तर्गत इलाहाबाद जिले की सिंचन क्षमता (एकड़ में)
१	२	३	४
	(अ) वृहत सिंचाई परियोजना		
	(चालू योजना)		
१	पश्चिमी इलाहाबाद शाखा के मील ९७.६ से मील १७०.३ तक नहर प्रणाली का निर्माण रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत	८५७१.००	२४,१३५
२	शारदा सहायक परियोजना ..	६४८४.००	१,१३,०००
	(प्रथम चरण)		
	(ब) माध्यमिक सिंचाई परियोजनायें		
१	डलमऊ पंप नहर ..	१६४.००	२०,०००
२	टौंस पंप नहर	१७५.००	८१,६२०
३	रैन पंप नहर	१५२.००	७१,०००
४	मिटौरा पंप नहर	१२६.००	१७,६८०
५	किसनपुर पंप नहर	६८.००	५१,२००
६	अड़वा बांध	२६६.५०	१५,०४३
	(स) राजकीय लघु सिंचाई योजनायें		
१	डाल सिंचाई योजनायें		
	(अ) बीकर	२.००	१,०००
	(ब) लौहरा	७.५०	४,७५०
	(स) सिरसा	३.००	१,५००
	(द) लखनपुर	१२.००	६,०००
	(य) पालपुर	३.००	१,५००
	योग ..		४,०८,७२८

कुछ और डाल सिंचाई योजनायें जो वर्ष १९६७-६८ से लागू की गई हैं उनका विस्तृत विवरण संलग्न तालिका 'अ' में दिया गया है। इस जिले में सिंचन सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ नवीन पंप कैनाल योजना प्रस्तावित है उनका विवरण संलग्न तालिका 'ब' में दिया गया है ।

२—इसके अतिरिक्त इस जिले में सिंचन सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष १९६९-७० में ६० नलकूप बनाने का भी प्रस्ताव है। इनमें से ४० नलकूपों का तहसीलवार विभाजन किया जा चुका है जो निम्न प्रकार है—

१—करछना	५
२—सिराथू	७
३—चायल	७
४—सौरांव	२
५—फूलपुर	१०
६—हंडिया	९
योग ..	४०

शेष २० नलकूपों का तहसीलवार विभाजन विचाराधीन है संलग्नक उपरोक्तानुसार

तालिका 'अ'

पंप कैनाल के विवरण की सूची

पंप कैनाल के नाम	ब्लाक	तहसील की सूची	डिस्चार्ज	सी०सी०ए०	इस्टीमेटेड कास्ट (लाख रु० में)	रिमार्क
पंप नहर विद्युत योजना में--						जिला इलाहाबाद
१--करेला बाग पंप कैनाल	चायल	चायल	जमुना ५ क्यूसेक	४५० एकड़	१.२०	सिंचाई कर रही हैं
२--मूरतगंज पंप कैनाल	चायल	चायल	गंगा ५० क्यूसेक	१०००० एकड़	—	कार्य हो रहा है।
३--रसूलपुर पंप कैनाल	सैदाबाद	हंडिया	गंगा २० क्यूसेक	४०००० एकड़	—	कार्य हो रहा है।
४--भांडा पंप कैनाल	भांडा	करछना	गंगा ५० क्यूसेक	७५०० एकड़	१२.००	सिंचाई कर रही है
डीजल स्कीमें--						
राजापुर (स) पंप कैनाल	भांडा	हंडिया	बेलन ७.५० क्यू०	११२५एकड़	२.५	सिंचाई कर रहा हैं।
राजापुर (न) पंप कैनाल	,,	,,	,, २.५ क्यू०	७५० एकड़	१.५०	,,
बरहुला पंप कैनाल	,,	,,	,, ७.५ क्यू०	११५०एकड़	२.२५	,, ,,
धौरवारा बांध कैनाल	करछना	करछना	टौंस १०.०० क्यू०	१२००एकड़	६.००	,, ,,
देवरा पंप कैनाल	शंकरगढ़	,,	,, ५.०० क्यू०	११५०एकड़	३.००	,, ,,

तालिका 'ब'

जिला इलाहाबाद में प्रस्तुत नवीन प्रस्तावित पंप कैनाल का विवरण

स्कीम का नाम	ब्लाक	तहसील	नदी	डिस्चार्ज जक्षमता	सी०सी०ए०
					जिला इलाहाबाद
नई स्कीम (योजनायें)					
१ उज्जैनी खालसा पंप कैनाल	मूरतगंज	चायल	गंगा	५० क्यूसेक	८,००० एकड़
२ वैंडांचा पंप कैनाल ..	कोएंजी	मंझनपुर	जमुना	४० ,,	८,००० ,,
३ मुदारीपुर पम्प कैनाल ..	निवादा	चायल	जमुना	३० ,,	६,००० ,,
४ प्रतापपुर पंप कैनाल	शंकरगढ़	करछना	जमुना	५० ,,	१०,००० ,,
५ कौशाम्बी पंप कैनाल ..	कमौली	मंझनपुर	जमुना	१५ ,,	३,००० ,,
६ लेहदारी पंप कैनाल ..	सिराथू	सिराथू	जमुना	५० ,,	१०,००० ,,
७ छतनाग पंप कैनाल	बहादुरपुर	फूलपुर	जमुना	१५ ,,	३,००० ,,
८ लोलापुर पंप कैनाल ..	,,	,,	,,	२० ,,	४,५०० ,,
९ दूबेपुर पंप कैनाल ..	उरवा	मेजा	गंगा	१२० ,,	२४,००० ,,

प्रश्न संख्या ४३ से संबंधित सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	हैंड पंप की संख्या	
१	तिलहट	..	२
२	सराय ख्वाजा कला	..	१
३	मलका पुर	..	१ मिश्रित आबादी
४	दरियापुर	..	१
५	कोडापुर	..	१
६	सैपचानपुर नगरिया	..	१
७	शाहापुर चमरौटी	..	१
८	मखदूम पुर	..	१
९	उदयपुर	..	१
१०	कसरवा	..	१
	योग	..	११

तत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर)

सूची पट्टेदारान जिनको अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति नवाजपुर द्वारा माह फरवरी, १९६० में पट्टे किये गये थे

क्रमांक	नाम पट्टेदारान	निवास स्थान	विवरण
१	श्री चेतराम, पुत्र श्री माखन	नवाजपुर	..
२	श्री राम सागर, पुत्र श्याम लाल	,,	..
३	श्री शिशुपाल सिंह, पुत्र श्री गया सिंह	,,	..
४	श्री छटकन्नू, पुत्र श्री दुर्गा	,,	..
५	श्री कालिका ,पुत्र श्री उमराव	,,	..
६	श्री डोरी, पुत्र श्री पेमन	,,	..
७	श्रीराम गिरि, पुत्र श्री बसन्त गिर	,,	..
८	श्री काली चरन, पुत्र श्री भोला गिर	,,	..
९	श्री राम विलास, पुत्र श्री सुख देव	,,	..
१०	श्री अहिवरन सिंह, पुत्र श्री गया सिंह	,,	..
११	श्री सूबेदार सिंह, पुत्र श्री गया सिंह	,,	..
१२	श्री जवाहर , पुत्र श्री केसरी	,,	..
१३	श्री प्यारे, पुत्र श्री ननकाई	,,	..
१४	श्री प्यारे, पुत्र श्री बिहारी	,,	..
१५	श्री बड़े, पुत्र श्री राम लाल	,,	..
१६	श्री द्वारिका सिंह करन सिंह वसन्तकुमार सिंह, पुत्र गण श्री लक्षमन सिंह । ..	,,	..
१७	श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री ज्वाला सिंह	लक्षमीपुर	..
१८	श्री दुब्बा सिंह, पुत्र श्री ज्वाला सिंह	,,	..
१९	श्री दत्तार सिंह, पुत्र बुधाना सिंह	,,	..
२०	श्री केहल सिंह, पुत्र श्री नरायन सिंह	,,	..
२१	श्री मेहर सिंह, पुत्र श्री नरायन सिंह	,,	..
२२	श्री चंचल सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह	,,	..
२३	श्री गुरभज सिंह, पुत्र श्री हाकम सिंह	,,	..
२४	श्री चरन सिंह, पुत्र श्री हाकम सिंह	,,	..
२५	श्री सुच्चा सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	,,	..
२६	श्री नक्षल सिंह, पुत्र श्री दल सिंह	दलीपपुर मुन जब्ता	..
२७	श्री रंजीत सिंह घिलौन, पुत्र श्री हरपाल सिंह घिलौन ..	धनसिंहपुर	..
२८	श्री जहीरुल हसन, पुत्र श्री मोहम्मद अब्दुल हक ..	(रावतपुर)	..
		बारिद हाल	..
		लक्षमीपुर	..
२९	श्री जादी सिंह, पुत्र करन सिंह	,,	..
३०	श्री एस० एन० शर्मा, एयर फोर्स	,,	..
३१	श्री सौदागर सिंह, पुत्र श्री सुरेन सिंह	नवाजपुर	..
३२	श्री मेहर सिंह, पुत्र बेला सिंह	दलीपपुर मुनजब्ता	..

क्रमांक	नाम पट्टेदारान		निवास-स्थान	विवरण
३३	श्री दर्शन सिंह, पुत्र श्री गुरुदत्त सिंह	.. ..	लक्ष्मीपुर	..
३४	श्री जोगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खुरदत्त सिंह	.. ..	,,	..
३५	श्री निशान सिंह, पुत्र श्री दलीप सिंह	.. ..	,,	..
३६	श्री बालक राम, पुत्र श्री नेतराम	.. ..	नवाजपुर	..
३७	श्री गोबरधन सिंह, पुत्र श्री चन्दू सिंह	.. ..	,,	..
३८	श्री छोटे , पुत्र श्री वेमन	.. ..	,,	..
३९	श्री राम चरन, पुत्र श्री बल्देव	.. ..	,,	..
४०	श्री उमराव, पुत्र श्री बल्देव	.. ..	,,	..
४१	श्री नन्द लाल, पुत्र श्री कुबेर	.. ..	,,	..
४२	श्री रघुवर, पुत्र श्री बिहारी	.. ..	,,	..
४३	श्री सुमेर, पुत्र श्री ननकाई	.. ..	,,	..
४४	श्री बख्वत सिंह, पुत्र श्री लक्षमन सिंह	.. ..	,,	..
४५	श्री बद्री, पुत्र श्री दत्ता	.. ..	,,	..
४६	श्री जीत सिंह व चरन जीत सिंह, पुत्रगण जोगेन्द्र सिंह	..	बलीपपुर मुनजप्ता।	..
४७	श्री अमर सिंह, पुत्र श्री मंहगा सिंह	.. ..	पुरेना	..
४८	श्री गहना राम, पुत्र श्री झांगी राम	.. ..	,,	..
४९	श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री बाल सिंह	.. ..	,,	..
५०	श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	.. ..	बलीपपुर मुनजप्ता	..
५१	श्री हरनाम सिंह, पुत्र श्री भन्डा सिंह	.. ..	,,	..
५२	श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री किशन सिंह	.. ..	,,	..
५३	श्री चंचल सिंह, पुत्र श्री खुरेन सिंह	.. ..	,,	..
५४	श्री परश राम, पुत्र श्री बचन लाल	.. ..	,,	..
५५	श्री रतन सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	.. ..	,,	..
५६	श्री शिव दयाल, पुत्र श्री छब्बा	.. ..	नवाजपुर	..
५७	श्री हरनाम सिंह, पुत्र श्री कन्हैया सिंह	.. ..	लक्ष्मीपुर	..
५८	श्री मलकीत सिंह, पुत्र श्री जागीर सिंह	..	सिकन्दरपुर	..
५९	श्री हरनाम सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह श्रीमती जीत कौर, बेवा टेल सिंह	..	लक्ष्मीपुर	..
६०	श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह	.. ..	,,	..
६१	श्री पूरन सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह	.. ..	,,	..
६२	श्री गुरुबचन सिंह, पुत्र श्री ज्वाला सिंह	..	,,	..
६३	श्री प्रीतम सिंह, पुत्र श्री ज्वाला सिंह	.. ..	,,	..
६४	श्री ज्वाला सिंह, पुत्र श्री ज्वार सिंह	.. ..	,,	..
६५	श्री हजारा सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	.. ..	,,	..
६६	श्री निर्मल सिंह, पुत्र श्री हजारा सिंह	.. ..	,,	..
६७	श्री जोगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री हजारा सिंह	.. ..	,,	..
६८	श्री प्रीतम सिंह, पुत्र श्री ईश्वर सिंह	.. ..	,,	..
६९	श्री हर भजन सिंह, पुत्र श्री प्रीतम सिंह	..	,,	..
७०	श्री प्रीतम सिंह, पुत्र श्री जीवन सिंह	.. ..	,,	..

क्रमांक	नाम पट्टेदारान	निवास-स्थान	विवरण
७१	श्री हरभजन सिंह, पुत्र श्री जीवन सिंह	लक्ष्मीपुर	..
७२	श्री करतार सिंह, पुत्र हाकम सिंह	,,	..
७३	श्री स्वर्ण सिंह, पुत्र श्री जीवन सिंह	,,	..
७४	श्री सेवा सिंह, पुत्र श्री भाभार सिंह	,,	..
७५	श्री चरन सिंह, पुत्र श्री भग्गर सिंह	,,	..
७६	श्री जीवन सिंह, पुत्र श्री ईश्वर सिंह	,,	..
७७	श्री रेशम सिंह, पुत्र श्री विशन सिंह	,,	..
७८	श्री बलकार सिंह, हरपाल सिंह, पुत्रगण श्री हरनाम सिंह ..	,,	..
७९	श्री ज्ञान सिंह, पुत्र श्री कन्हैया सिंह	,,	..
८०	श्री जगीर सिंह स्वर्ण सिंह, पुत्रगण श्री ज्ञान सिंह ..	,,	..
८१	श्री मुख्तार सिंह, पुत्र श्री सौदागर सिंह	,,	..
८२	श्री हजारा सिंह, पुत्र श्री सौदागर सिंह	,,	..
८३	श्री बचन सिंह, पुत्र श्री सौदागर सिंह	,,	..
८४	श्री बन्ता सिंह, पुत्र श्री नरायन सिंह	,,	..
८५	श्री नत्था सिंह, पुत्र श्री बन्दा सिंह	,,	..
८६	श्री साधू सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	,,	..
८७	श्री जीत सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	,,	..
८८	श्री सन्तोष सिंह, पुत्र श्री केहर सिंह	,,	..
८९	श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री मेहर सिंह	,,	..
९०	श्री मेला सिंह, पुत्र श्री सन्ता सिंह	,,	..
९१	श्री जीतसिंह, पुत्र श्री मेला सिंह	,,	..
९२	श्री स्वर्ण सिंह, पुत्र श्री मेला सिंह	,,	..
९३	श्री दलबीर सिंह, पुत्र श्री ज्ञान सिंह	,,	..
९४	श्री बन्तासिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह	,,	..
९५	श्री मेहर सिंह, पुत्र श्री बन्ता सिंह	,,	..
९६	श्री सुरेन्द्र सिंह व कुलदीप सिंह, पुत्रगण श्री चंचल सिंह	,,	..
९७	श्री साहब सिंह, लखवीर सिंह, पुत्रगण श्री सुन्दर सिंह ..	,,	..
९८	श्री बल्देव सिंह व महेन्द्र सिंह, पुत्रगण इन्द्र सिंह ..	,,	..
९९	श्री अजीत सिंह, पुत्र श्री राम सिंह	,,	..
१००	श्री सन्तोष सिंह, पुत्र श्री हरदत्त सिंह	,,	..
१०१	श्री जसवन्त सिंह, पुत्र श्री हरदत्त सिंह	,,	..
१०२	श्री बाबा सिंह व जीत सिंह, पुत्रगण श्री मेहर सिंह ..	,,	..
१०३	श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री केहर सिंह	,,	..
१०४	श्री भजन सिंह, व दीप सिंह , पुत्रगण श्री केहर सिंह ..	,,	..
१०५	श्री दलभाग सिंह, पुत्र श्री बन्ता सिंह	,,	
१०६	श्री सुक्खा सिंह, पुत्र श्री बन्ता सिंह	,,	..
१०७	श्री अवतारसिंह, पुत्र श्री ज्ञान सिंह	,,	..
१०८	श्री बलबीर सिंह, पुत्र ज्ञान सिंह	,,	..
१०९	श्री हरबंश सिंह, पुत्र श्री ठाकुर सिंह	,,	..
११०	श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री ठाकुर सिंह	,,	..
१११	श्री ठाकुर सिंह, पुत्र श्री बधाना सिंह	,,	..

क्रमांक	नाम पट्टेदारान		निवास-स्थान	विवरण
११२	श्री बन्ता सिंह, पुत्र श्री बधाना सिंह	.. ..	लक्षमीपुर	..
११३	श्री चरन सिंह, पुत्र श्री लैना सिंह	.. ..	,,	..
११४	श्री करतार सिंह, पुत्र श्री लैना सिंह	.. ..	,,	..
११५	श्री चरन सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	.. ..	,,	..
११६	श्री अर्जुन सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	.. ..	,,	..
११७	श्री सुच्चा सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह	.. ..	,,	..
११८	श्री मुख्तार सिंह, पुत्र श्री श्री हरनाम सिंह	.. ..	,,	..
११९	श्री हरखा सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह	.. ..	,,	..
१२०	श्री चैन सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह	.. ..	,,	..
१२१	श्री कर्म सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह	.. ..	,,	..
१२२	श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह	.. ..	,,	..
१२३	श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री आत्मासिंह	.. ..	,,	..
१२४	श्री मेहर सिंह, पुत्र श्री रूड़ सिंह	.. ..	,,	..
१२५	श्री स्वर्ण सिंह व बल्देव सिंह, पुत्रगण	श्री बलीप सिंह	.. ,,	..
१२६	श्री राम शरन, पुत्र श्री लखन		,,	..
१२७	श्री जिलेदार, पुत्र श्री दुरजाल सिंह	.. ..	,,	..
१२८	श्री छोटे लाल, पुत्र श्री गोमल	.. ..	,,	..
१२९	श्री प्रहलाद, पुत्र श्री ख्यालो	.. ..	,,	..
१३०	श्री कर्म सिंह, पुत्र श्री गोमान सिंह	.. ..	बलीपपुर	..
१३१	श्री इतवारी, पुत्र श्री रोहन	.. ..	,,	..
१३२	श्री शंकर, पुत्र श्री ख्यालो	.. ..	,,	..
१३३	श्री गंगा राम, पुत्र श्री धौंकल	.. ..	,,	..
१३४	श्री हरी राम व चुन्नी, पुत्रगण	कोमल ..	.. ,,	..
१३५	श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह	.. ..	,,	..
१३६	श्री लाखन, पुत्र श्री होरी लाल	.. ..	,,	..
१३७	श्री राम दयाल, पुत्र श्री मूला	.. ..	,,	..
१३८	श्री मैकू, पुत्र चेतराम	.. ..	,,	..
१३९	श्री श्रीकृष्ण व दयाराम, पुत्रगण	श्री द्वारिका	.. ,,	..
१४०	श्री राम भरोसे, पुत्र श्री मैकू	.. ..	,,	..
१४१	श्री टीका, पुत्र श्री रूपन	.. ..	,,	..
१४२	श्री डोरी, पुत्र श्री तोता	.. ..	,,	..
१४३	श्री राम अवतार, पुत्र श्री बांके लाल	.. ..	,,	..
१४४	श्री बृजपाल सिंह, पुत्र श्री नत्थू सिंह	.. ..	,,	..
१४५	श्री सत्य देव, पुत्र श्री रघुबर दयाल	.. ..	,,	..
१४६	श्री हरी कृष्ण, पुत्र श्री राम लाल	.. ..	,,	..
१४७	श्री लक्षमन सिंह, पुत्र श्री गोंडा सिंह	.. ..	पुरेना	..
१४८	श्री गोपी नाथ, पुत्र श्री सुन्दर लाल	.. ..	पवायां बारिब हाल, लक्षमीपुर	..
१४९	श्री राम बाबू, पुत्र श्री बल्देव प्रसाद	.. ..	,,	..
१५०	श्री बद्री विशाल, पुत्र श्री राम शरन लाल	..	,,	..
१५१	श्री शिव प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री बल्देव प्रसाद गुप्ता	..	,,	..

क्रमांक	नाम पट्टेदारान	निवास-स्थान	विवरण
१५२	श्री वामोदर स्वरूप विद्रोही, पुत्र श्री मुरारी लाल ..	मुडिया बमार वारिद हाल लक्ष्मीपुर	..
१५३	श्री गोविन्द पुत्र श्री मोहन	बलीपपुर मु०	..
१५४	श्री बालकिशन, पुत्र श्री बल्देव	,,	..
१५५	श्री खुमानी, पुत्र श्री केदार	,,	..
१५६	श्री हेतराम, पुत्र श्री शिवचरन	,,	..
१५७	श्री दलपत–द्वारिका, पुत्र श्री शिवचरन	,,	..
१५८	श्री टोडी, पुत्र श्री जीवन	,,	..
१५९	श्री मनोहर, पुत्र श्री नोसो	,,	..
१६०	श्री मंहगे, पुत्र श्री सोमन	,,	..
१६१	श्री भद्रा सिंह, पुत्र श्री दल सिंह	,,	..
१६२	श्री श्रीकृष्ण, पुत्र श्री उमराव	,,	..
१६३	श्री पूमन सिंह, पुत्र श्री चन्दन सिंह	,,	..
१६४	श्री अमर सिंह, पुत्र श्री फूमन सिंह	बलीपपुर	..
१६५	श्री श्रीपाल सिंह पुत्र श्री मल्हा सिंह	मुरेना	..
१६६	श्री जीत सिंह, पुत्र श्री राम सिंह	,,	..
१६७	श्री राम सिंह, पुत्र श्री कुशाल सिंह	,,	..
१६८	श्री मलकीत सिंह, पुत्र श्री राम सिंह	,,	..
१६९	श्री सन्त सिंह, पुत्र श्री महंगा सिंह	,,	..
१७०	श्री जीत सिंह, पुत्र श्री महंगा सिंह	,,	..
१७१	श्री प्रीतम सिंह, पुत्र श्री पाल सिंह	,,	..
१७२	श्री मोहन सिंह, पुत्र श्री नन्द सिंह	,,	..
१७३	श्री हरदत्त सिंह, पुत्र श्री बुधाना सिंह	,,	..
१७४	श्री हाकम सिंह, पुत्र श्री फत्ते सिंह	,,	..
१७५	श्री श्री अर्जुन सिंह, पुत्र श्री झांगी राम ..	,,	..
१७६	श्री महंगा सिंह, पुत्र श्री निहाल सिंह	,,	..
१७७	श्री निरंजन सिंह, पुत्र श्री महंगा सिंह	,,	..
१७८	श्री महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री मिलवा सिंह	,,	..
१७९	श्री सरदार चन्द व सीताराम व श्याम लाल व जीवन पुत्रगण, हरी चन्द्र ..	,, बलीपपुर	..
१८०	श्री कंधई साधू, पुत्र श्री वेमन	,,	..
१८१	श्री मेहरबान, परशादी, लेखराज, इतवारी व मुरली पुत्रगण श्री सुखलाल	,,	..
१८२	श्री राम भजन, पुत्र श्री सुन्दर	,,	..
१८३	श्री दूल्हा राम, पुत्र श्री सुन्दर	,,	..
१८४	श्री राम औतार, पुत्र श्री लाल बिहारी	,,	..
१८५	श्री लखबीर सिंह, पुत्र श्री हुक्म सिंह	सिकन्दरपुर	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर)

सूची

क्रमांक	योजना का नाम
१	ईड़ा जल सम्पूर्ति योजना।
२	मल्लीखाल गड्डी जल सम्पूर्ति योजना।
३	वीरोखाल जल सम्पूर्ति योजना।
४	खड़खोला चिलाऊं जल सम्पूर्ति योजना।
५	हंसड़ी (थैलीसेन) जल सम्पूर्ति योजना।
६	कठूर जल सम्पूर्ति योजना।
७	धौर जल सम्पूर्ति योजना।
८	झांझरी जजेरी जल सम्पूर्ति योजना।
९	कालीसेन कन्दौर (थैलीसेन)
१०	रतूड़ा जल सम्पूर्ति योजना।
११	बड़ेथ सन्तुखाल जल सम्पूर्ति योजना।
१२	बन्डेर गांव जल सम्पूर्ति योजना।
१३	रिंगूड़ जल सम्पूर्ति योजना।
१४	पेलमेनाखाल
१५	देवसाल बेलगड़ दुर्गाकोट जल सम्पूर्ति योजना।
१६	पिपली जल सम्पूर्ति योजना।
१७	विजौली जल सम्पूर्ति योजना।
१८	विजौली मल्ला एवं तल्ला जल सम्पूर्ति योजना।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१५ पर)

सूची ग्राम सभा सम्पत्ति ग्राम जासू–बिगरावां—बड़ागांव परगना व तहसील सन्डीला, जिला हरदोई

क्रम सं०	नाम ग्राम	गांव सभा की कुल सम्पति	वर्तमान समय में मौके पर मौजूद भूमि	अनधिकार कब्जे की भूमि का क्षेत्रफल	विवरण
१	२	३	४	५	६
१	जासू ..	२१३ बीघा १५ विस्वा	२०० बीघा १६ विस्वा	१२ बीघा १९ विस्वा	अनधिकार कब्जों की सूची संलग्न है। कार्यवाही ११५–सी हो रही है।
		१० विस्वा०	१० वि०		
२	बिगरावां ..	११२ बीघा १८ विस्वा ६ विस्वा	१११ बीघा २ विस्वा ११ विस्वा	१ बीघा १५ विस्वा १५ विस्वा	उपरोक्तानुसार
३	बड़ा गांव ..	६९१ बीघा १६ विस्वा	६६२ बीघा १ विस्वा ११ विस्वा	२८ बीघा १९ विस्वा ५ विस्वा	उपरोक्तानुसार

अनधिकार कब्जे के काश्तकारों की सूची

सं०	नाम काश्तकार व पिता का नाम	रकबा	विवरण
१	२	३	४
	ग्राम जासू , परगना व तहसील सन्डीला , जिला—हरदोई		
१	—गयादीन , पुत्र कुसऊ नि० ग्राम ..	०—३—०	..
२	—जिया लाल , पुत्र सुक्खा नि० ग्राम	१—०—०	..
३	—जगन्नाथ पुत्र तुलसी नि० ग्राम	१—०—०	..
४	—श्री डल्ला, पुत्र लम्बर, नि० बनतलाखेड़ा ..	०—१६—०	..
५	—श्री द्विविजय सिंह, पुत्र रघुराज सिंह नि० ग्राम ..	०—१८—०	..
६	—श्री देब्बा , पुत्र बल्ला नि० बनतलाखेड़ा ..	०—१४—०	..
७	—श्री नन्हू, पुत्र राम सहाय, नि० मिगरावां ..	०—२—०	.
८	—श्री रामलाल व लल्लू , पुत्रगण भिखारी व नरायन पुत्रगण खग्गा नि० बड़ागाव ..	१—२—०	..
९	—श्री रामदयाल, पुत्र डल्ला नि० ग्राम ..	३—१६—०	..
१०	—श्री सुक्खा, पुत्र देब्बा, नि० बनतलाखेड़ा म० बड़ागांव	०—१०—०	..
११	—श्री सुक्खा, पुत्र इनाईतुल्ला, नि० सिद्दीकपुर ..	१—०—०	..
१२	—श्री शुकुरू, पुत्र डल्ला, नि० बनतलाखेड़ा म० बड़ागांव	०—१०—०	..
१३	—श्री शिवलाल, पुत्र रघुवर, नि० ग्राम ..	०—१९—०	..
१४	—श्री राम लाल , पुत्र मुल्ला नि० ग्राम ..	०—२—०	..
१५	—श्री भभूती, पुत्र लल्लू , नि० ग्राम	०—२—०	.
१६	—श्री राम सहायक , पुत्र ठकुरी, नि० ग्राम ..	०—५—०	..
	योग ..	१२—१९—०	
	ग्राम पिगरावां, परगना व तहसील संडीला		
१	—श्री छोटई, पुत्र गोकुल, नि० ग्राम	०—११—०	..
२	—श्री निरंजन व तुलसी, पुत्रगण भद्दर, नि० ग्राम ..	०—३—१५	..
३	—श्री बहादुर व नन्दा व तिलक व राधे लाल व प्रहलाद पुत्रगण जोधा , नि० ग्राम	०—३—०	
४	—शुकुरू , पुत्र राम दीन, नि० ग्राम	०—३—०	..
५	—श्री नरायन, पुत्र हुलास, नि० ग्राम ..	०—१—०	..
६	—टीकाराम व सहाय, पुत्रगण भवानी, नि० ग्राम ..	०—४—०	..
७	—श्री दुर्गा , पुत्र भोला, नि० ग्राम	०—१०—०	..
	योग ..	१—१५—१५	..

१	२	३	४
	बड़ागांव ,परगना व तहसील सन्डीला		
१—श्री कल्लू, पुत्र देवी ,नि० समियापुर म० ग्राम ..		०—३—०	..
२—श्री गोकुल, पुत्र लोचन, नि० मानिकतारा म० ग्राम		०—१—०	..
३—श्री गज्जू, पुत्र बन्दी, नि० ग्राम ..	..	०—१८—०	..
४—श्री जैराम, पुत्र द्वारका, नि० ग्राम ..	..	०—४—०	..
५—श्री झूरी, पुत्र बदलू, नि० समियापुर म० ग्राम ..		०—१२—०	..
६—श्री डल्ला, पुत्र अम्बर, नि० बनतलाखेड़ा म० ग्राम		१—४—०	..
७—श्री डल्ला, पुत्र अंबर, व सुन्दर, पुत्र डल्ला, नि० बनतला खेड़ा, मा० ग्राम ..	..	१—७—०	..
८—श्री तेजपाल सिंह, पुत्र जगन्नाथ सिंह, नि० मोलवीखेड़ा		१—१९—०	..
९—श्री थन्ना व केहरी, पुत्रगण महकम, नि० ग्राम ..		०—८—०	
१०—श्री नन्हा, पुत्र कल्लू, नि० समियापुर म० ग्राम ..		०—८—०	..
११—श्री दुर्गा, पुत्र गाजी, नि० बनतलाखेड़ा म० ग्राम ..		०—३—०	..
१२—श्री धनीराम, पुत्र आलम, नि० ग्राम० ..		०—१२—०	..
१३—श्री नेवाजी, पुत्र पूरन, नि० समियापुर म० ग्राम ..		०—७—०	..
१४—श्री नन्हा, पुत्र चिन्ना, नि० लोचन खेड़ा, म० ग्राम ..		५—०—०	..
१५—श्री बिहारी, पुत्र देवी, नि० बनतलाखेड़ा म० ग्राम ..		१—१७—०	..
१६—श्री नन्हा, पुत्र कल्लू, नि० ग्राम ..	..	१—१४—०	..
१७—श्री मोहन, पुत्र हुलासी, नि० ग्राम ..	..	०—१९—०	..
१८—श्री भूरे , पुत्र इन्दल, नि० ग्राम ..	..	०—७—०	..
१९—श्री भरोसे, पुत्र जिया लाल, नि० ग्राम ..		०—०—५	..
२०—श्री भिम्मा, पुत्र देब्बा, नि० बनतलाखेड़ा, म० ग्राम		१—१०—०	..
२१—श्री भिम्मा, पुत्र दुर्गा, नि० बनतलाखेड़ा, म० ग्राम ..		१—५—०	..
२२—श्री माधव, पुत्र गोबरे, नि० समियापुर म० ग्राम ..		०—३—०	..
२३—श्री मूलचन्द सिंह, पुत्र जगन्नाथ सिंह, नि० मोलवीखेड़ा		१—१२—०	..
२४—श्री महादेव, पुत्र मुरली, नि० समियापुर, म० ग्राम ..		०—१६—०	..
२५—श्री राम बालक, पुत्र बहादुर, नि० ग्राम ..		०—२—०	..
		२३—११—५	

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

मांगे

१—१२ वर्ष पुराने अवैध पट्टों को रद्द करने के लिए सरकार भूमि विधि में संशोधन करे।

२—चकबन्दी के समय बड़े किसानों को गांव सभा की भूमि पर उनका कब्जा मानते हुए हकूक दिये गये हैं ऐसे आदेश अवैध करार दिये जायें।

३—गांव समाज के मंत्री तथा सभापति यदि काम में दिलचस्पी न लें तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

४—यमुना नदी की खलेबा भूमि सरकारी सम्पत्ति मानी जावे।

५—उपरोक्त कारणों से प्राप्त भूमि खेतिहर मजदूरों को बांटी जावे और इसमें दलित वर्ग को प्राथमिकता दी जावे।

६—जिन गांव समाजों में भूमि कम हो उनमें उपरोक्त व्यक्तियों को भूमि आसामी के रूप में दी जावे।

७—भूमिहीन कुशल दस्तकारों को पूंजी लगाने के लिये ऋण दिये जाने में सहूलियत दी जावे।

८—ग्रामीण दलित वर्ग के प्रशिक्षित नवयुवकों को कुटीर धंधों को चलाने के लिए सहकारिता के आधार पर संगठित कराके आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जावें।

९—खेतिहर मजदूरों के वेतन दरों में समानता लाने के लिए सरकार एक समिति का गठन करे।

१०—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से परिगणित जाति वालों के लिए भवन, कूप निर्माण तथा गृह उद्योग के लिए सरकार अनुदान की व्यवस्था करे।

११—परिगणित एवं पिछड़ी जाति की भांति अन्य गरीब छात्रों को छात्र वृत्ति तथा सहायता दी जावे।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर)

परिशिष्ट

विधान सभा के प्रथम सत्र, १९७० के पहले बुधवार के लिये निर्धारित श्री दल सिंगार यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ८१ से संबंधित परिशिष्ट

१—आराजी अमानी, २—आराजी जिवधारी कटघरा, ३—आराजी हरवंश तिवारी, ४—सैदपुर, ५—कुडन्ही, ६—हथियागढ़, ७—आराजी मछरिहवा रुस्तमखां, ८—आराजी तिवारीपुर, ९—आराजी कटहवा, १०—आराजी लोहरैया, ११—आराजी ईश्वरी प्रसाद, १२—आराजी अधीन तिवारी, १३—आराजी भीखम तवायफ, १४—आराजी दरियापुर, १५—आराजी दुर्गिया पट्टी, १६—आराजी टेड़मुही, १७—आराजी मदरही, १८—चन्द्रहा, १९—लाहरैया, २०—पहाड़पुर, २१—तियरा, २२—तहवरगंज, २३—आराजी काजी अमीर अहमद जोत, २४—आराजी नसीब अली, २५—आराजी खलंगा, २६—जजमन जोत, २७—आराजी खीरू जोत, २८—आराजी रघुनाथ तिवारी, २९—आराजी खोखर जोत गोविंद लाल, ३०—आराजी खोखर जोत शेख नादिर, ३१—आराजी नेवाज सिंह, ३२—आराजी गुलाम रसूल, ३३—आराजी मछरहियारोशन बीबी, ३४—अता नगर, ३५—गोतहा, ३६—आराजी गोडिया, ३७—आराजी वकैनिया, ३८—बरगदवा, ३९—पूरा ओरी, ४०—टेंगरहा, ४१—झंवटिया मिश्र, ४२—सुजा चक, ४३—सालेहाबाद, ४४—कर्महां उर्फ करनैपुर, ४५—गोनहा, ४६—गुलरहा, ४७—लछिमन कुंड, ४८—मनझरिया चत्तुर, ४९—मनझरिया झोला, ५०—छठिया मैया, ५१—मनभरिया भिक्षुक ५२—वैरिया, ५३—इबराहीमपुर, ५४—बरदहा, ५५—पल्हवापुर, ५६—बडिया चक, ५७—पांडे जोत ५८—रहमान चक, ५९—सेमराजंगी, ६०—नकहा, ६१—बीबीपुर, ६२—रसूलपुर भैया, ६३—गनी चक, ६४—इन्दर जोत, ६५—चेरा कटरा, ६६—देवारा जदीद, ६७—महाजी देवारा जदीद, ६८—बलुआ भवानी बक्स, ६९—नौवरार देवारा जदीद किता अव्वल, ७०—नौबरार देवारा जदीद किता दोयम, ७१—नौबरार त्रिपुरारपुर आइया, ७२—नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा, ७३—आराजी सिसवा, ७४—आराजी गंगापुर, ७५—आराजी पुरैनिया, ७६—आराजी मलहपुरवा, ७७—शिवपुर, ७८—आराजी बगहवा, ७९—बसन्तपुर, ८०—आराजी परगास सिंह, ८१—नौवरार तुर्कचारा, ८२—नौबरार हरखापुरा, ८३—शाहराजापुर, ८४—आराजी शंकरपुर, ८५—सेमरी।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२४ पर)

सूची

१—एटा .. इस जिले में शेरवानी शुगर सिन्डीकेट की चीनी मिल के पास ५८.५६ एकड़ भूमि है तथा ६२२.४६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई। मिल ने नियत प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है जिसके अनिर्णीत होने के कारण अतिरिक्त भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सका।

२—कानपुर .. (१) शूगर मिल गुटैहा, तहसील कानपुर के पास ६८ बी० १७ वि० २ वि० भूमि में से ५ बी० १० वि० भूमि पर काश्त होती है। इसकी कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई।

(२) चीनी मिल, पलटपुर, घाटमपुर के पास काश्त की कुल भूमि १४ बी० १३ वि० ६ वि० है। इसकी भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई।

३—बहराइच .. चीनी मिल, जरवल रोड के मालिकों की काश्त में कुल २३.८६ एकड़ भूमि है। अतिरिक्त घोषित भूमि का क्षेत्रफल शून्य है।

४—बाराबंकी .. (१) दी बुढ़वाल शूगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के पास ७ बी० भूमि कास्त में हैं। सीलिंग के अन्तर्गत भूमि नहीं निकली है।

(२) मेसर्स रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शूगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी, के पास कोई भूमि कृषि योग्य नहीं है और न उनकी भूमि सीलिंग के अन्तर्गत निकली है।

५—फैजाबाद .. के०एम० शूगर मिल की काश्त में ७२ बीघा १५ विसवा १८ विस्वांसी भूमि है। सीलिंग में भूमि नहीं निकली है। मिल के मालिकों श्री बिशुनदयाल इत्यादि की ७१५ एकड़ भूमि जो बाराबंकी के गौरियामऊ आदि गांवों में स्थित है, अतिरिक्त घोषित हुई है।

६—गोंडा .. नवाबगंज गन्ना मिल के पास ७७४.५५ एकड़ भूमि काश्त में है तथा ७८३.५२ एकड़ भूमि सीलिंग में निकल गई। मिल के पास काश्त में ७७४.५५ एकड़ भूमि में से ६६६.८१ एकड़ भूमि मिल को ३० जून, १९७० तक अन्तरिम रूप से पट्टे पर उठाई गई है।

७—बस्ती .. (१) तथा (२) बस्ती शूगर मिल और वाल्टरगंज शूगर मिल के मालिक एक ही हैं। दोनों के पास ५२ बीघा १२ बिस्वा २ विस्वांसी भूमि काश्त में है। अतिरिक्त भूमि के लिये मुकदमा चलने के कारण अभी सीलिंग में भूमि नहीं निकली है।

(३) खलीलाबाद शूगर मिल के पास कुछ भी भूमि काश्त में नहीं है। अतः सीलिंग के अन्तर्गत भूमि के निकलने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) मुण्डेरवा शुगर मिल के पास २१.५६ एकड़ भूमि काश्त में है। अतः इसकी भी अतिरिक्त भूमि निकलने का प्रश्न नहीं उठता।

८—बेबरिया .. (१) श्री सीताराम शूगर मिल्स बैतालपुर के पास काश्त में ६४.५० एकड़ भूमि है, यह ४० एकड़ फेयर क्वालिटी के बराबर है साथ ही १८.७८ एकड़ अतिरिक्त भूमि का पट्टा अन्तरिम रूप से मिला है तथा २१.९५ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है।

(२) दी प्रतापपुर शुगर मिल्स चकिया के पास काश्त में ५५.८१ एकड़ भूमि है, यह ४० एकड़ फेयर क्वालिटी भूमि के बराबर है साथ ही ४२३.४२ एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि में से ४०७.२६ एकड़ भूमि मिल को ३० जून, १९७१ तक पट्टे पर दी गई है।

९—गोरखपुर .. (१) दी पंजाब शूगर मिल घुघुली के पास ६६ एकड़ भूमि, जो ३९ एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि के बराबर है, काश्त में है। अतः कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई।

(२) महाबीर शूगर मिल्स सिसवा बाजार के पास काश्त में कुल २५७ एकड़ भूमि है जिसमें से १७७ एकड़ भूमि, जो कि अतिरिक्त घोषित हुई थी, भी ३० जून, १९७० तक मिल को पट्टे पर मिली है शामिल है। शेष ८० एकड़ भूमि जो अच्छे प्रकार की ४० एकड़ के बराबर है, मिल के पास छोड़ी गई है।

(३) सरैया शूगर मिल सरदार नगर के पास ५० एकड़ भूमि काश्त में है जो अच्छे प्रकार की ३४ एकड़ भूमि के बराबर है। अतः अतिरिक्त घोषित भूमि शून्य है।

(४) गनेश शूगर मिल आनन्दनगर के पास ७९७ एकड़ भूमि है। सीलिंग की कार्यवाही नियत प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

(५) पिपराइच शूगर मिल के पास ४९ एकड़ (अच्छे प्रकार की ४० एकड़ भूमि से कम है) भूमि है। अतः अतिरिक्त घोषित होने का प्रश्न नहीं उठता।

१०—नैनीताल .. (१) एल० एच० शूगर फैक्टरी, काशीपुर के पास ९२३.९४ एकड़ भूमि है, जिसमें ६१५.१२ एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि भी शामिल है जो फैक्टरी को २४ अक्टूबर, १९६७ को ५ वर्ष के लिये पट्टे पर दी गई है।

(२) बाजपुर स्थित सहकारी शूगर फैक्टरी के पास कोई भूमि नहीं है।

(३) किच्छा में चीनी मिल का निर्माण अभी नहीं हुआ। इस मिल के पास काश्त में कोई भूमि नहीं है।

११—खीरी .. (१) ऐरा शूगर मिल के पास ४७.२५ एकड़ भूमि काश्त में है। इस पर सीलिंग की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(२) दी हिन्दुस्तान शूगर मिल के पास २,५६५.०० एकड़ भूमि काश्त में है जिसमें २,५६३–३१ एकड़ अतिरिक्त भूमि भी शामिल है जो मिल को ५ वर्ष के लिये पट्टे पर दी गई है।

१२—सीतापुर .. (१) अवध शूगर मिल हरगांव, सीतापुर की काश्त में १२१.३६ एकड़ भूमि है तथा ४०,६८.०९ एकड़ भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित हुई है। यह भूमि सीतापुर तथा खीरी में है।

(२) दी लक्ष्मी शूगर मिल, महोली की काश्त में १७८.४६ एकड़ भूमि है तथा सीलिंग के अन्तर्गत ७७७.०४ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई जो कि खीरी में स्थित है ।

(३) सेक्सरिया शूगर मिल बिसवां के पास काश्त में ८२.६८ एकड़ भूमि है । सीलिंग में अतिरिक्त नहीं घोषित हुई है।

१३—देहरादून .. जानकी शूगर मिल डोईवाला की काश्त में भूमि नहीं है अतः सीलिंग के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

१४—मेरठ .. (१) बागपत कोआपरेटिव शूगर मिल के पास ३२ बी० ६ वि० ४ वि० भूमि काश्त में है । सीलिंग में भूमि नहीं निकली ।

(२) मवाना शूगर फैक्ट्री के पास काश्त में भूमि नहीं है और न सीलिंग के अन्तर्गत निकली ।

(३) मोदी शूगर वर्क्स मोदी नगर के पास काश्त में भूमि नहीं है और न सीलिंग में निकली ।

(४) सकौती मिल की भी काश्त तथा सीलिंग में निकली भूमि शून्य है ।

(५) सिम्भावली शूगर मिल प्राइवेट लि०, हापुड़ की काश्त में १२बी० ४ वि० भूमि है । सीलिंग में नहीं निकली है ।

(६) राम लछमन शूगर मिल मोहीउद्दीनपुर, तहसील मेरठ के पास ५३ बीघा ११ बिस्वा भूमि है । सीलिंग में भूमि नहीं निकली है ।

(७) दौराला शूगर मिल, दौराला के पास काश्त इत्यादि में ४५६ बीघा ८ बिस्वा १० विस्वांसी है तथा सीलिंग के अन्तर्गत ३,७४६ बी० ७ वि० ४ १/४ विस्वांसी भूमि निकली है ।

(८) यशवन्त शूगर मिल मलियाना के पास ६१२ बी० १२ वि० १६ विस्वांसी भूमि है । सीलिंग के अनुसार २६ बी० १ वि० ४ वि० भूमि निकली है ।

१५—मुजफ्फरनगर (१) अपर दोआबा शूगर मिल, शामली के पास काश्त में कोई भूमि नहीं है । सीलिंग में भी भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई ।

(२) अमृतसर शूगर मिल रोहाना की काश्त में १२ एकड़ भूमि है । अतिरिक्त भूमि शून्य है ।

(३) अपर इन्डिया शूगर मिल, खतौली की काश्त में २६ एकड़ भूमि है । अतिरिक्त भूमि शून्य है ।

(४) सर सादीलाल शूगर मिल, मन्सूरपुर की काश्त में कोई भूमि नहीं है । सीलिंग में कोई भूमि अतिरिक्त नहीं घोषित हुई ।

१६—सहारनपुर (१) सहारनपुर चीनी मिल (लार्ड कृष्ण शूगर मिल) की काश्त में १६.५ एकड़ है । सीलिंग में नहीं निकली ।

(२) सरसांवा शूगर मिल (नकुड़) की काश्त में भूमि नहीं है । सीलिंग में निकलने का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) गंगा शूगर फैक्टरी लिमिटेड, देवबन्द काश्त में ३७ बी० १७ वि० है । सीलिंग में नहीं निकली ।

(४) लक्सर शूगर मिल, रुड़की के पास १२ बी० ४ वि० १६ वि० भूमि काश्त में है। सीलिंग के अन्तर्गत कोई भूमि नहीं निकली।

(५) इकबालपुर शूगर मिल तहसील रुड़की के पास काश्त में २ बीघा ६ विस्वा है। कोई भूमि सीलिंग के अन्तर्गत नहीं निकली है।

१७—बरेली .. केसर शूगर वर्क्स बहेड़ी के पास काश्त में कुल ७,२६१.१३ एकड़ भूमि है जिसमें से ३६३.७५ एकड़ भूमि जिला बरेली में स्थित है और ६,८९७.३८ एकड़ भूमि जिला नैनीताल में है। सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत १,५३९.०० एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी परन्तु फैक्ट्री द्वारा रिट दायर करने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका।

१८—बिजनौर .. (१) अपर गैन्जेज शूगर मिल लिमिटेड स्योहरा की काश्त में २,७८८ एकड़ भूमि है। अतिरिक्त घोषित होने का मामला उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित है।

(२) धामपुर शूगर मिल की काश्त में १,२४७ एकड़ भूमि है। अभी तक इसकी कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई क्योंकि मामला उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित है।

(३) बिजनौर शूगर मिल की जोत में कोई भूमि नहीं है। अतः काश्त में होने तथा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

१९—मुरादाबाद .. इस जिले में दो शूगर मिल्स अमरोहा तथा अयोध्या शूगर मिल्स राजा का सहसपुर की हैं। परन्तु इनके नाम कोई भूमि काश्त में नहीं है और न ही उनकी कोई भूमि सीलिंग के अन्तर्गत ली गई है।

२०—पीलीभीत .. (१) दी किसान कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, मझोली के पास १२८.९१ एकड़ भूमि काश्त में है और इसमें से कोई भी भूमि सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित नहीं हुई।

(२) ललितपुर हरि शूगर पीलीभीत के पास कोई भूमि काश्त में नहीं है और न ही कोई भूमि सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गई है।

२१—रामपुर .. रजा बुलन्द शूगर फैक्ट्री के पास ८३ बीघा ८ बिस्वा भूमि काश्त में है तथा १,४८० बीघा ४ बिस्वा भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिस पर सरकार ने कब्जा प्राप्त कर लिया है।

२२—शाहजहांपुर कैरू एण्ड कम्पनी रोजा के पास काश्त के लिये ४० एकड़ भूमि छोड़ी गई। १२८.०५ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी इसमें से ४७.९४ एकड़ पीलीभीत में है तथा ८०.११ एकड़ इसी जिले में है। इस जिले की ८०.११ एकड़ अतिरिक्त भूमि में से ६८.३७ एकड़ भूमि पट्टे पर कम्पनी को खेती के लिये १,३७५ फसली से ५ वर्ष की अवधि के लिये दे दी गयी थी जो काश्त के काम में लाई जा रही है।

२३—जौनपुर .. रत्ना शूगर मिल के पास काश्त में ४.८४ एकड़ भूमि है। सीलिंग के अन्तर्गत भूमि नहीं निकली है क्योंकि सम्पूर्ण ३२२.६७ एकड़ भूमि हाई कोर्ट के आदेश द्वारा सीलिंग से बरी हो चुकी है तथा औद्योगिक प्रयोग में लाई जा रही है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

जनवरी सन् १९६७ से नवम्बर, १९६९ तक निम्नलिखित व्यक्तियों को गांव सभा की भूमि पट्टे पर उठाई गई है

गांव सभा	पट्टेदार का नाम	क्षेत्रफल	अधिकारी जिसने आदेश दिया
१	२	३	४
१—चक्रसेनपुर उर्फ धनुवास, परगनाधिकारी	आदर्श स्कूल खटाना	५—०—०	क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद
२—बिलरी, परगना सिकन्द्राबाद	परिवार नियोजन विभाग	०—१४—०	
३—सांभर, परगना दनकौर	(१) श्री मदन लाल	७—०—०	
	(२) ,, सुभाषचन्द्र	७—०—०	
	(३) ,, बिमल कुमार	७—०—०	
	(४) ,, ऋषि कुमार	७—०—०	
	(५) ,, महेश चन्द्र	७—०—०	
	(६) ,, चकरीश कुमार	७—०—०	
	(७) ,, नाथू राम	७—०—०	
	(८) ,, कल्याण सिंह	७—०—०	
	(९) ,, मानिक लाल	७—०—०	
	(१०) ,, श्रीश कुमार	७—०—०	
	(११) ,, ईश्वर प्रसाद	७—०—०	
	(१२) ,, रोशन लाल	७—०—०	
	(१३) ,, भूपेन्द्र कुमार	७—०—०	
	(१४) ,, प्रद्युम्न कुमार	६—१९—१०	
	(१५) ,, रोताश	४—१८—०	
	(१६) ,, शीशपाल	७—०—०	
४—छपरौली, परगना दादरी	(१) ,, श्री बद्री प्रसाद	५—०—०	
	(२) ,, बनारसी दास	०—१४—०	
	(३) ,, विनोद कुमार	१—०—०	
	(४) श्रीमती उषा देवी	१—१४—०	
	(५) श्रीमती जयरानी	५—०—०	
	(६) श्रीमती ब्रह्मावती	५—०—०	
	(७) श्रीमती मनीराम	२—०—०	
	(८) श्रीमती हरीदत्त सीकरी	१—१—०	
	(९) श्री किशन चन्द्र	३—०—०	
	(१०) सर्वश्री निरंजन सिंह धाग सिंह, लखपत	५—०—०	
	(११) आसा राम	२—०—०	
५—हबीबपुर परगना दादरी	विद्यापीठ स्कूल, हबीबपुर	८—४—०	

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५–११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

सूची नं० १

जिला एटा में १९६९–७० में स्वीकृत सड़कों के नाम

आयोजनागत:

१––सहावर–डुंडवारागंज सड़क	८ मील २ फर्लांग
२––आगरा–जलेसर–सिकन्दरारावं सड़क	८ मील ४ फर्लांग

आयोजनेतर:

३––मैनपुरी व एटा में जी० टी० रोड (१६ मील) का पुनः निर्माण ।

४––एटा–अलीगंज मार्ग (१० मील) का पुनः निर्माण ।

५––अलीगंज से सराय अगहत मार्ग का निर्माण ।
६––अमनपुर–सिद्धपुर मार्ग का निर्माण ।

इन कार्यों की स्वीकृति जनवरी, १९७० में दी गई है किन्तु इस स्वीकृति पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

सूची नं० २

एटा जिले में उन सड़कों के नाम जिन पर १९६९–७० में निर्माण कार्य हो रहा है ।

१––सोरों-सहावर का छूटा हुआ भाग ।

२––जी० टी० रोड का सुधार ।

३––लोवर गंगा नहर पर सुन्ना पुल की अप्रोच का निर्माण ।

४––धाना-दरिया गंज-पटियाली मार्ग का निर्माण ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२८ पर)

सूची

१—सीताराम

२—राम प्रसाद

३—शाहअली

४—राम नरायन

५—गुलाम असरफ

६—रामबली

७—छोटे लाल

८—विसई

९—बादुल्लाह

१०—दुरजन

११—रामनाथ

१२—राम मूरत

१३—दलसिंगार

१४—रामसूरत

१५—राम सहाय

१६—राम उग्रह

१७—गोपाल सिंह

१८—रामलौट

१९—राम गुलाम

२०—रामहरष

२१—देवीदत्त

२२—भगौती

२३—राजेन्द्र

२४—अली अहमद

२५—जलील अहमद

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

सूची

उन ग्रामों की जिनमें सन् १९६९ तक अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि तहसील फूलपुर में प्राप्त हुई

क्र०सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल		
		बी०	वि०	धू०
१	सिलोखरा	०	१०	०
२	शाहापुर	३	१८	१७
३	रामपुर उर्फ दौलतपुर	१	१५	१७
४	सराय गनी	२	१८	०
५	धमौर	२	१३	०
६	अगहुआ	१	५	०
७	अमिलिया	२	२	१८
८	मुहम्दाबाद इस्माइलगंज	०	७	०
९	सराय दत्ते	०	१४	•
१०	जमुवा	१२	१०	१५
११	धसेड़ा	५	१५	०
१२	नसरतपुर	१४	१७	०
१३	माधोपुर	५	१३	०
१४	गाहरपुर	०	१२	०
१५	मलाका	१	१५	०
१६	सराय मदन	२	१६	०
१७	सराय मुइद्दीनपुर	२	९	०
१८	चकफातमा उर्फ माधोपुर	१	९	०
१९	मुल्हापुर	२	१९	०
२०	नवाबपुर उर्फ खानपुर	१	१३	०
२१	यासीनपुर उर्फ करनाइपुर	९	७	०
२२	टिकरी	०	१४	०
२३	कटिहाई	१	२	०
२४	करकटेपुर	०	९	०
२५	सिंगलदीप	०	१४	०
२६	सिकन्दरा	१	१३	१०
२७	चक अफजाल उर्फ परेलीला	१	३	०
२८	चक फैजुल्ला उर्फ मौका	३	०	०
२९	चक नरुद्दीन उर्फ नगदीनपुर	१	०	०
३०	ख्वाजापुर	०	१८	११
३१	उभरी	२	१७	०
३२	दवावल कछार	५	१४	०
३३	डोकरी कछार	२३	९	०

क्रम-सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल		
		बी०	बि०	धू०
३४	गोसमलपट्टी	३	८	१६
३५	नवा कछार	६१	१३	६
३६	बेला सैलाबी कछार	७६	१८	१४
३७	चाव	१०	१५	६
३८	सर्खदीनपुर	४	६	०
३९	शाहबाज	२	४	०
४०	जिरात मुगारी	३	१०	१४
४१	जिरात लधायन	३	१५	७
४२	बेरूई	३	७	१०
	योग ..	३२०	१५	१

१८१–४६ एकड़

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३४ पर)

क्रम-सं०	ठेकेदार का नाम	स्थानीय अथवा बाहरी	कितना भुगतान किया गया
			रु०
१	श्री राजेन्द्र राय, मो० सावार बुबोली, गोरखपुर	स्थानीय ..	१५,३०२
२	श्री ठाकुर शाही, ग्राम भरबलिया, पोस्ट बेलीबार, जिला गोरखपुर ।	स्थानीय ..	१३,७९३
३	श्री घनश्याम दास, गोरखपुर ..	गोरखपुर ..	१४,८८४
४	श्री भगवती प्रसाद, गोरखपुर ..	गोरखपुर ..	६,४९६
५	श्री मुहम्मद सुयेब, बड़हलगंज, गोरखपुर ..	बड़हलगंज ..	काम चल रहा है ।
६	श्री डी० बी० सक्सेना, गोरखपुर ..	गोरखपुर ..	९,५५४
७	श्री रूपनाथ राय, कौड़ी राम, गोरखपुर ..	स्थानीय ..	१७,७१७
८	श्री प्रयाग बूबे रामनाथ, देवरिया ..	देवरिया ..	३४,१५८
९	श्री गब्बू लाल, ग्राम तथा पो० देवकली, जिला गोरखपुर ।	गोरखपुर ..	३,७७०
१०	श्री कुंवर बहादुर सिंह, गजपुर (कौड़ी राम)	स्थानीय ..	९,१०६

अतारांकित

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १० एल० ए०—१९७०—८४५ (प्रो०) ।